राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का उन्नीसवां दिवस   [संख्या: 14

शुक्रवार,

18 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्री हमीरसिंह भायल।

सिवाना (बाड़मेर) को नगरपालिका बनाने की योजना

277. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में नई नगरपालिका के गठन हेतु क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में आबादी व मतदाता संख्या के अनुसार सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिवाना है? यदि हां, तो क्या सरकार सिवाना ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): अध्यक्ष महोदय, (1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 में नवीन नगरपालिका गठन हेतु प्रावधान किये गये हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा इस बाबत परीक्षण करवाया जा रहा है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि 1975 में राजस्थान में 12

(श्री हमीरसिंह भायल)

नगरपालिकाएं हुई थीं और उनमें सिवाना के साथ में 1987 में जो बंद कर दी गई थीं, उनमें से कितनी वापस नगरपालिकाएं बन गई हैं? इसका मुझे जवाब दें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है, 1989 से पहले सिवाना नगरपालिका थी। 1986 में मुखर्जी कमेटी का गठन किया और उसने कहा कि 15 हजार से नीचे आबादी वाले नगरीय निकाय जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और वित्तीय संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं, ऐसी 84 नगरपालिकाओं को विलोपित करने की रिकमंडेशन दी। उन 84 रिकमंडेशन में सरकार ने 24 के डिजोल्यूशन की रिकमंडेशन की, डिजोल्व कर दिया। 24 जिन नगरपालिकाओं को डिजोल्व किया गया, उनमें से 11 नगरपालिकाएं हाई कोर्ट में चली गयीं, उनको स्टे मिल गया और उनको जुडिशियल रिलीफ मिल गयी। इस कारण से वे हुईं नहीं। बाकी बची हुई 13 नगरपालिकाएं फाइनली डिजोल्व हो गईं, जिनमें सिवाना भी थी। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो 13 डिजोल्व हुई हैं, उनमें से 1-2 नगरपालिकाएं और बनी हैं। 84 में से 24 को डिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा और 24 में से 11 को कोर्ट से रिलीफ मिल गया और केवल 13 नगरपालिकाएं ऐसी थीं, जिनमें सिवाना शामिल था।

मैं जानता हूं, 1986 की जिस मुखर्जी कमेटी की रिकमंडेशन में यह बात कही गई कि 15 हजार से कम की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं को नगरपालिका नहीं रखना चाहिए; जिन नगरपालिकाओं में वित्तीय संसाधन पैदा करने की हिम्मत नहीं है उन नगरपालिकाओं को नगरपालिका नहीं रखना चाहिए; लेकिन सिवाना की जनसंख्या से कम जनसंख्या की नगरपालिकाओं को उस वक्त छेड़ा नहीं गया। मुझे कारण नहीं पता कि सिवाना को नगरपालिका से किन कारणों से हटाया गया, लेकिन मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि 1986 के अन्दर जिन नगरपालिकाओं को हटाया गया, उनमें से केवल 3 नगरपालिकाएं और बनी हैं; बाकी सारी नगरपालिकाएं अभी भी पंचायत हैं।

मैं समझता हूं कि सिवाना का केस काफी काम्पीटेंट केस है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या

(श्री हमीरसिंह भायल)

के आधार पर और इससे छोटी नगरपालिकाओं को वापस रखा गया था। अभी जो जनसंख्या का आधार है, इस आधार पर, विकास की दृष्टि से, नगरपालिका बननी बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार क्या मंशा रखती है, आगे के लिए?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकेली जनसंख्या क्राइटेरिया नहीं है। यह सही है कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, पर जनसंख्या में घनत्व कितना है, what is the density of the population; कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं, कृषि कार्य में कितने लोग नहीं लगे हुए हैं, और यह भी इवेल्यूएट करना पड़ता है कि किसी पंचायत को नगरपालिका बनाने पर केन्द्र की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं से फायदा पंचायत रहने में मिलता है, या नगरपालिका रखने में फायदा मिलता है। इन कई पैरामीटर्स पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जामिन करना पड़ता है और एग्जामिन करने के बाद, लगता है कि जन हित के अन्दर उसको पंचायत रखना जरूरी है, तो पंचायत रखा जाता है और लगता है कि जन हित में उसको नगरपालिका बनाना चाहिए, तो नगरपालिका की घोषणा करनी पड़ती है। यह एक प्रक्रिया है।

सिवाना के लिए अपने कलक्टर महोदय को लिखा है कि इन पैरामीटर्स के ऊपर एग्जामिन करके, एग्जामिन करने के बाद अपनी रिकमंडेशन भेजें। उनका जवाब अभी आया नहीं। हमने पांच-सात दिन पहले उनको फिर एक रिमाइंडर भेजा है। निश्चित रूप से सिवाना के बारे में कलक्टर साहब की इन पैरामीटर्स पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर सरकार आगे कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रदेश की जो नगरपालिकाएं हैं, उन नगरपालिकाओं को नगर परिषद का दर्जा देने के लिए क्या मापदण्ड हैं? क्या चौमूं नगरपालिका की आबादी को देखते हुए नगर परिषद में क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून के अन्दर नगरपालिका की कैटेगिरी बदलने के पैरामीटर्स काफी निश्चित हैं। सवाल सिवाना का था, लेकिन जहां तक चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है....

श्री अध्यक्ष: लगता-भगता है जरा, इसलिए मैंने अलाउ कर दिया है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई बात नहीं; माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आये हैं, कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: अब वह पहले वाला चौमूं नहीं रहा है, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौमूं.....

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एतराज है घनश्यामजी को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे एतराज है, पहले वाला चौमूं मैं हूं।

श्री अध्यक्ष: आपकी योग्यता यहां समय-समय पर प्रकट हुई है; सब जानते हैं कि कैसा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चमत्कार दिख रहा है आपको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक चौमूं का ताल्लुकात है, चौमूं मोटे तौर पर जे डी ए के रीजन में शामिल हो गया। आपकी नगरपालिका होने के बावजूद भी नगरपालिका के क्षेत्र में जे डी ए ने मैसिव काम किये हैं; पानी का काम किया है, सड़कों का काम किया है, नालियों का काम किया है और मैं समझता हूं कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र का अधिकतम काम करने वाले विधान सभा क्षेत्रों में से नाम है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जहां जे डी ए के रीजन में आ गया हो और जितनी नगरपालिका की खुद की आमद नहीं है, उस आमद से ज्यादा जे डी ए ने काम कराया हो, तो चौमूं के लिए तो यह मामला इर्रेलेवेंट है कि इसको अपग्रेड किया जाए या डाउनग्रेड किया जाए। यह तो इतनी ज्यादा अपग्रेड है कि राजस्थान में इससे बड़ी अपग्रेडेड एजेंसी अरबन डवलपमेंट की नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो सब-क्वेश्चन नम्बर एक का जवाब दिया है, जो मापदण्ड निर्धारित किये हैं उन मापदण्डों में जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार और भौगोलिक

(श्री जोगाराम पटेल)

परिस्थितियों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र लूणी की कुड़ी भगतासरी और सांगरिया दोनों ही आती हैं। क्या सरकार इनका परीक्षण करवाकर इनमें नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? दूसरा, यह जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर हैं पापुलेशन के हिसाब से, क्या राजस्थान में ऐसी अनेक नगरपालिकाएं बनाने का विषय विचाराधीन है क्या?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हर दस साल में सेंसस होती है और सेंसस के बाद में, सेंसस में एक कैटेगिरी होती है सेंसस टाउन। जहां 5 हजार से ऊपर की पापुलेशन हो, जहां पर 75 प्रतिशत कम से कम मेल वर्किंग पापुलेशन हो, जिसमें नान-एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लायमेंट ज्यादा हो और मिनिमम पापुलेशन डेंसिटी 400 आदमी पर-स्क्वायर किलोमीटर हो, उन्हें हम सेंसस टाउन कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 297 सेंसस टाउन हैं और हम इन सारे सेंसस टाउन को इन पैरामीटर्स पर एग्जामिन कराने की मंशा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि बानसूर जो क्षेत्र है वह ग्राम पंचायत है और वह नगरपालिका बनाने के सारे ही मापदण्ड पूरे कर रहा है। तो आपके जो मापदण्ड हैं वे कब तक पूरे होंगे और आप करने की मंशा रखते हैं या नहीं? धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान में 297 सेंसस टाउन हैं और उन सेंसस टाउन के अन्दर नगरपालिकाएं बनने की सम्भावनाएं हैं, लेकिन सम्भावना होने मात्र से ही वे सारे पैरामीटर्स को पूरा करें, यह जरूरी नहीं है। बानसूर का मुझे आफ-हैंड पता नहीं कि वह 297 सेंसस टाउन में आता है या नहीं आता, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सेंसस टाउन में अगर आता है, तो निश्चित रूप से उन पैरामीटर्स के ऊपर इनको टास्क पर रखकर एग्जामिन कराया जायेगा और उस एग्जामिनेशन के आधार पर जो भी नगरपालिका बनने के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनको हम निश्चित रूप से नगरपालिका बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती कमसा।

भोपालगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय की स्थापना

278. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्तमान में कितने राजकीय, निजी एवं महिला महाविद्यालय संचालित हैं?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय बावड़ी में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्तमान में एक सह-शिक्षा राजकीय महाविद्यालय एवं एक सह-शिक्षा निजी महाविद्यालय संचालित है तथा राजकीय एवं निजी क्षेत्र में कोई भी महिला महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों के आधार पर विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उपखण्ड मुख्यालय एवं बावड़ी में महिला महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि आपके क्या मापदण्ड हैं और किस आधार पर आप खोलते हो? बावड़ी क्षेत्र मुख्यालय पर 25-30 ग्राम पंचायतें हैं, आबादी क्षेत्र भी है, जमीन भी है, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और पढ़ाने वाले मां-बाप भी हैं। तो आपके क्या मापदण्ड हैं? वह बतायें मुझे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, सबसे बड़ा मापदण्ड तो यह है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, तो आपकी मांग पर विचार किया जायेगा।

आज की स्थिति यह है कि 289 उपखण्ड हैं पूरे प्रदेश में और उनमें से 164 में महाविद्यालय नहीं हैं। सरकार की मंशा होते हुए भी सब जगह, क्योंकि हमारे पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं हैं, इसलिए हम खोलने में असमर्थ हैं। पर जहां न गवर्नमेंट कालेज है, न प्राइवेट कालेज है, पहले वह प्रायोरिटी में है और उसके बाद बाकी के प्रायोरिटी में आयेंगे। तो जब भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, हम खोलने पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बावड़ी मुख्यालय पर कोई प्राइवेट महाविद्यालय वर्तमान में नहीं है और सरकार की भी मंशा है, हमारे प्रधान मंत्रीजी की भी मंशा है, सब चाहते हैं कि "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ"; जब तक गांवों के अन्दर कालेज नहीं होंगे, सीनियर स्कूल तो हर पंचायत पर सरकार ने कर दीं, लेकिन अपन चाहते हैं कि जब बेटी अपने ससुराल जाये, तो कम से कम डिग्री लेकर तो वह जाये। यह बार-बार आप संसाधन की बात करते हों, यह जुगाड़ करना आपका काम है। जहां-जहां महिला एम एल ए मांगती हैं, तो कम से कम हमारी बच्चियों के लिए महिला कालेज तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी देकर खोलें। आप जुगाड़ करो, आपको जुगाड़ करना आता है, आप सक्षम हों। आपका वहां स्वागत करवायेंगे, आपसे उद्‌घाटन करेंगे और भोपालगढ़ की जनता आपकी आभारी रहेगी और मैं भी आपका एहसान मानूंगी। तो कम से कम आप जुगाड़ करके, जल्दी से जल्दी वहां; बच्चियों की पढ़ाई बीच में नहीं रहे, बच्चियां आगे पढ़ाई कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, जब हम गांवों के अन्दर जाते हैं तो बच्चियां कहती हैं कि हम पढ़ना चाह रही हैं, लेकिन महाविद्यालय नहीं होने के कारण गांवों की बच्चियों को शहर में नहीं भेज सकते हैं, और वह बीच में पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो मैं सोचती हूं कि यह पाप अपने को नहीं लगे। आप घोषणा कर दो, इससे आप मुक्त हो जायें और हमारे वहां पर महाविद्यालय खुल जाये। (व्यवधान) घोषणा कर दो।

श्री हीरालाल (निवाई): शिक्षा मंत्रीजी, जुगाड़ करो आप, जुगाड़। संसाधन की बात मत करो, जुगाड़ करो अब आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत। पूरक प्रश्न पहला। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं। निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये मंत्रीजी जुगाड़ में मास्टर हैं।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों राय मिलाकर कबाड़ा कर दो।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आप जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और हाल ही में नगरपालिका चुनावों में, किशनगढ़-रेनवाल, जो मेरे यहां नई तहसील बनी है, वहां आपने खुद ने श्रीमुख से कमिटमेंट किया था कि नगरपालिका बनते ही वहां कालेज की घोषणा होगी। जनता आपका इंतजार कर रही है कि क्या किशनगढ़-रेनवाल में कालेज बनाना चाहते हैं, या नहीं बनाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: यह भोपालगढ़ का है। यह भोपालगढ़ का है। नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह भोपालगढ़ का है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह। यह भोपालगढ़ का है। नहीं, मैं दूसरा अलाउ नहीं करूंगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि स्ववित महिला महाविद्यालय है, जो सारे संसाधनों से पूर्ण है, उसका बैंक में फंड है, वे भी सरकार को सरेंडर करना चाहते हैं। तो क्या आप मंशा रखते हैं बांदीकुई के विद्यालय का सरकारीकरण करने का?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। जवाब दे दीजिये। यह जनरल क्वेश्चन है। आपके पास और है नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भिजवाइये, उस पर विचार करेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): प्रस्ताव भिजवा दिये हैं, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: यह हो गया ना। यह भोपालगढ़ से सम्बन्धित है। (व्यवधान) श्री कृष्णा कड़वा। श्री कृष्णजी, बोलिये। यह भोपालगढ़ से सम्बन्धित है। (व्यवधान) यह भोपालगढ़ से सम्बन्धित है सीधे-सीधे, दोनों ही पैराग्राफ। इधर-उधर मत जाइये।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया में...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, not allowed.

अगला सवाल। श्री सुखराम विश्नोई।

शिक्षा सहायक भर्ती हेतु आवेदनकर्ताओं के जमा शुल्क का समायोजन

279. **श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 13 दिसम्बर, 2014 को विद्यार्थी मित्रों की मांग पर विद्यालय सहायक के नाम से नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने तथा अनुभव के आधार पर अलग-अलग अंक देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शिक्षा सहायक भर्ती में 33,689 पदों के लिए 11,78,507 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था एवं इसमें 10,64,644 आनलाइन तथा 1,13,863 अभ्यर्थियों ने आफलाइन आवेदन जमा कराये, जिसके कुल 23 करोड़ रुपये जमा हुए? इसके पश्चात् जिन शिक्षा सहायकों को एक साल का अनुभव था, उनका शुल्क समायोजन कर दिया गया, लेकिन 7 लाख से अधिक आवेदनों का शुल्क सरकार के खाते में जमा है। क्या सरकार उक्त 7 लाख अभ्यर्थियों का शुल्क समायोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) शिक्षा सहायक भर्ती, 2013 के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक दिनांक 12.12.2014 में शिक्षा सहायक भर्ती प्रक्रिया को विधिक एवं प्रशासनिक जटिलताओं के कारण निरस्त कर विद्यालय सहायक का नया संवर्ग गठित करने का निर्णय किया गया, जिसकी अनुपालना में राज्य सरकार के पत्रांक प.15(1)/प्राशि/13/पार्ट-1 दिनांक 18.3.2015 के द्वारा शिक्षा सहायक भर्ती, 2013 को निरस्त किया गया तथा पत्रांक प.21(15)प्राशि/आयो/2013 दिनांक 20.7.2015 के द्वारा विद्यालय सहायक भर्ती, 2015 के 33,493 पदों पर भर्ती की स्वीकृति जारी की गई।

राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम 25 के अनुसार राज्य के सरकारी विद्यालय, राज्य की शैक्षिक परियोजनाएं (प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाये गये से भिन्न) अर्थात् लोक जुम्बिश परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/राजीव गांधी पाठशाला/शिक्षाकर्मी बोर्ड और मदरसा बोर्ड के अधीन सूचीबद्ध मदरसों में कार्य

(श्री वासुदेव देवनानी)

के अनुभव के आधार पर अधिकतम 15 बोनस अंक देय हैं। वर्तमान में शिक्षा सहायक भर्ती विभिन्न न्यायिक प्रकरणों के कारण रूकी हुई है।

(2) शिक्षा सहायक भर्ती, 2013 में 10,87,433 आनलाइन तथा 1,15,580 आफलाइन, कुल 12,03,013 आवेदकों के आवेदन जमा हुए, जिनके विरुद्ध कुल राशि लगभग 23.6 करोड़ रुपये जमा हुई।

राज्य सरकार के पत्रांक प.5(15)प्राशि/2013 जयपुर, दिनांक 21/7/2015 के द्वारा शिक्षा सहायक भर्ती के समान विद्यालय सहायक भर्ती का शुल्क निर्धारण किया गया। शिक्षा सहायक भर्ती के आशार्थी, जिन्होंने विद्यालय सहायक भर्ती में आवेदन किया है, का शुल्क विद्यालय सहायक भर्ती में समायोजित किया गया तथा जो विद्यालय सहायक भर्ती में शामिल नहीं हुए, उनका आवेदन शुल्क लौटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

शिक्षा सहायक भर्ती, 2013 के 7,26,319 आनलाइन अभ्यर्थी तथा 1,15,580 आफलाइन अभ्यर्थी, कुल 8,41,899 अभ्यर्थियों की राशि लौटाई जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): काहे की चर्चा, साहब?

श्री अध्यक्ष: यह शिक्षा की।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वह तो अधिकार है, साहब।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): चर्चा हो गई कल डिटेल में।

श्री अध्यक्ष: जैसा आप कीजिएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी मित्रों पर पूरा डिटेल वक्तव्य दिया मंत्रीजी ने...

श्री अध्यक्ष: ठीक है, लेकिन फिर भी वे अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप प्रवक्ता हैं क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां पार्टी थोड़े ही होती है, यहां सदन होता है। आप प्रवक्ता नहीं हों। उनका अधिकार है; अध्यक्षजी अनुमति दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप प्रवक्ता थोड़े ही हों। यह भूल जाओ आप कि आप प्रवक्ता हों।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): स्प्रिंग है नीचे क्या, जोगारामजी? स्प्रिंग लगी हुई है क्या? बार-बार उठते हों।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके लगी हुई है क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बार-बार उठते हों, स्प्रिंग है क्या नीचे?

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। शांत रहें। शांत रहें। हां, पूरक प्रश्न कीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, जुलाई, 2008 में बी जे पी की सरकार थी, तब 28,000 विद्यार्थी मित्रों को लिया गया और 30 अप्रैल, 2014, तब भी बीजेपी की सरकार थी, इनको हटाया गया। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली सरकार ने 2013 में शिक्षा सहायक भर्ती के तहत फार्म लिये, इन्होंने आते ही उस भर्ती को निरस्त कर दिया और विद्यालय सहायक के नाम से पुनः भर्ती चालू की गई।

मैंने सवाल पूछा है नम्बर (1) में, "यदि हां, तो उक्त घोषणा की वर्तमान स्थिति क्या है?" जवाब यह आया है कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है। यह दो साल हो गये चालू हुए; आज किस स्थिति में है, मैंने यह सवाल पूछा है।

श्री अध्यक्ष: यह बता दीजिये, क्या स्थिति है। आप पूछिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं आगे पूछता हूं। मेरा, माननीय अध्यक्षजी, निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष: पहले यह जवाब आ जाने दीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं एक मिनट में पूछता हूं ना। मुझे अपनी बात को पूरा तो करने दो।

माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि 11 विद्यार्थी मित्र आत्महत्या कर चुके हैं, आन रिकार्ड। इसके साथ-साथ ही कोर्ट की बात कही जा रही है। जब दो दिन पहले सभी विद्यार्थी मित्र टंकी पर चढ़े, तो सदन के दो माननीय मंत्रीगण ने आश्वासन दिया कि हम इनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे; जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाये, तब तक रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो क्या करने जा रहे हैं? पूरी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध 2006 में वित्त विभाग की अनुमति से विद्यार्थी मित्र एक फिक्स मानदेय पर प्रतिवर्ष संविदा पर शैक्षणिक सत्र में रखे जाते थे, जो शैक्षणिक सत्र में 2013-14 तक कार्यरत थे। दिनांक 1.7.2013 तक विद्यार्थी मित्रों का मानदेय निम्नानुसार था:- तृतीय श्रेणी अध्यापक – 4,800/-; द्वितीय श्रेणी अध्यापक – 5,300/-; तथा विद्यार्थी मित्र-प्रथम श्रेणी – 6,900/- प्रति माह। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 10339/2012 त्रिलोक सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य, 89 याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2013 द्वारा विद्यार्थी मित्र योजना को अवैध व असंवैधानिक घोषित कर दिया एवं राज्य सरकार को विद्यार्थी मित्रों को आगे नहीं रखने के निर्देश दिये। इसीलिए इनको अप्रैल, 2014 में कार्यमुक्त किया गया; आगे नहीं रखा।

फिर विद्यार्थी मित्रों के समायोजन हेतु शिक्षा सहायक सेवा नियम बनाये जाकर शिक्षा सहायकों की भर्ती हेतु आवेदन आपने आमंत्रित किये। उक्त नियमों में अनुभव के लिए दस, बीस और तीस बोनस अंकों का प्रावधान किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपील संख्या 608/13 राज्य बनाम राजेश द्विवेदी व अर्चना बनाम राज्य में निर्णय पारित किया कि शिक्षा सहायक भर्ती में अधिकतम 15 अंक बोनस दिये जा सकते हैं।

उक्त निर्णय की पालना में यदि शिक्षा सहायक भर्ती में अधिकतम बोनस अंक 15 तक सीमित रखे जाते, तो अधिकतम विद्यार्थी मित्रों का चयन शिक्षा सहायक के तौर पर सम्भव नहीं हो सकता था। अत: गृह मंत्री माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए।

मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक जटिलताओं की न्यायिक प्रक्रियाओं के चलते हुए, शिक्षा सहायक भर्ती 2013 को निरस्त करते हुए, शिक्षा सहायक के स्थान विद्यालय सहायक का एक नया संवर्ग गठित करने का निर्णय लिया गया और उक्त में अधीनस्थ सेवा नियम 2015 बनाकर विद्यालय सहायकों के 33 हजार 493 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की। सरकार की मंशा इनकी मदद करने की थी, इसलिए सारी जटिलताओं के बावजूद यह हमने निर्णय किया। विद्यालय सहायक भर्ती हेतु 33 हजार 493 की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें आनलाइन करीबन 7 लाख

(श्री वासुदेव देवनानी)

आवेदन प्राप्त हुए हैं। तत्पश्चात् न्यायालय निर्णय की पालना में आफलाइन आवेदन भी हमने प्राप्त किये, जिसमें करीबन 1 लाख और आवेदन प्राप्त हुए।

विद्यालय सहायक भर्ती प्रक्रिया में हमने सरकारी विद्यालय एवं शिक्षा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं यथा लोक जुंबिश, सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम, राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षाकर्मी बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड में किए गए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्य के अनुभव के बोनस अंक निम्नानुसार हमने निर्धारित किए : एक वर्ष से अधिक एवं दो वर्ष से कम-5 अंक; दो वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष से कम अनुभव-10 अंक; तीन वर्ष और इससे अधिक के अनुभव प्राप्त करने के लिए 15 अंक, जो हाई कोर्ट के निर्देश थे, इसके आधार पर हमने अंक तय किये।

माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा डी बी याचिका संख्या 8062/2015 रजनी पुरोहित व अन्य बनाम राज्य में राजस्थान विद्यालय सहायक सेवा नियम 2015 के नियम 25 के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यालय सहायक भर्ती प्रक्रिया में प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी में कार्य करने वाले कर्मियों को भी अनुभव के बोनस अंक दिए जाने का निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस एल पी दायर की गई, जिसमें स्टे के लिए निवेदन किया गया है। स्टे के लिए प्रथम पेशी 7.12.2015 को नियत की गई थी, लेकिन स्टे की आगामी तिथि निश्चित नहीं हुई है। आपने स्टेटस पूछा है, इसलिए बता रहा हूं।

फिर याचिका संख्या 9918/2015 राजूसिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार तथा 15 अन्य याचिकाओं में निर्णय दिनांक 8.12.2015 व याचिका संख्या 12584/2015 राजेन्द्र सिंह प्रसाद बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय 17.12.2015 के द्वारा नियम 25, जिसके द्वारा सरकारी स्कूलों/ परियोजनाओं से अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए बोनस के रूप में अतिरिक्त अंक प्रदान करने का प्रावधान किया है, को अल्ट्रावायरस, असंवैधानिक घोषित किया गया है तथा निजी विद्यालयों के...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह कल पढ़ दिया है आपने। आप बार -बार दुबारा क्यों पढ़ रहे हो इसी को?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपको पूरा स्टेटस बता रहा हूं। पूरा सुनना पड़ेगा। उत्तर तो पूरा आएगा। आपको स्टेटस तो पूरा बताना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछा है, प्रक्रिया क्या चल रही है; उसमें तो पूरा उत्तर आएगा।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): जब आपने जवाब सुन लिया है, तो बार-बार पूछ क्यों रहे हों आप?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप तो विराजो। पहली बार बन गए हों, निहाल हो गये आप तो।

मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है, मैंने सवाल पूछा था कि दो दिन पहले विद्यार्थी मित्र टंकी पर चढ़े...

श्री अध्यक्ष: यह दूसरा पूरक प्रश्न है?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पूरक नहीं, पहले वाले का जवाब मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। आप बैठिये। आप फिर से खड़े हो गये, आप बैठिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछ रहे हों?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पूरक बाद में पूछना। पहले इसका तो जवाब आ जाए पूरा...।

तथा निजी विद्यालयों के कार्मिकों को भी बोनस अंक देने के आदेश पारित किये हैं। इन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एस एल पी दायर की गई है, जो विचाराधीन है।

तीसरा, डी बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 11829/2015 गोविन्द प्रसाद व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में प्रेरकों को अनुभव लाभ एवं बोनस अंक दिए जाने के लिए याचिका माननीय उच्च न्यायालय ने तो खारिज की, जिसके विरुद्ध वे प्रेरक और बाकी लोग, डी बी पक्षकार द्वारा, एस एल पी उन्होंने दायर की है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नियम 25 (1) को असंवैधानिक घोषित किए जाने तथा प्लेसमेंट एजेंसी व निजी विद्यालय के कार्मिकों को बोनस अंक दिए जाने के कारण एस एल पी दायर करना आवश्यक हो गया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जवाब दो, साहब।

श्री अध्यक्षः आपने सवाल ही यह पूछा है कि प्रक्रिया बताओ, वे बता रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इन सारी परिस्थितियों में एस एल पी के निर्णय होने तक विद्यालय सहायक के पदों की प्रक्रिया शुरू करना सम्भव नहीं है। यदि एस एल पी नहीं लगती, तो ये विद्यार्थी मित्र इस सेवा में आने की स्थिति में नहीं हैं। इन विद्यार्थी मित्रों के हित में एस एल पी हमने दायर की है।

श्री अध्यक्षः विराजिए। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, 2008 में माननीय शिक्षा मंत्री आप ही थे। आपकी काबिलियत का ही यह नमूना दिख रहा है।

श्री अध्यक्षः बहुत बढ़िया लम्बा-चौड़ा जवाब दिया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ऐसे विद्यार्थी मित्र रखे हैं, बिना, मतलब, सोचे-समझे रखे हैं। इनका संशोधन इसलिए किया गया, आदर्श विद्या मंदिर में जो अध्यापक लगे हुए थे, उनकी योग्यता के नाम पर, उनको, मतलब, साल का बहाना बनाकर के उनके फार्म भरवाये गये। इसलिए ये विद्यार्थी मित्र की योजना अटकी है।

साथ ही मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोई आदर्श विद्या मंदिर के नहीं हैं। कोई भी आदर्श विद्या मंदिर के लोग नहीं हैं। यह मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा, माननीय अध्यक्षजी, सीधा सवाल है कि जो पानी की टंकी पर चढ़े और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी वहां गये थे, क्या आश्वासन दिया विद्यार्थी मित्रों को, जब टंकी पर से नीचे उतरे? आप स्पष्ट बात करें सदन में।

श्री अध्यक्षः विराजिए। माननीय मंत्रीजी, विस्तार से जवाब दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, मैं टंकी पर नहीं गया, न उनसे वहां बात हुई...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप नहीं गये, चिकित्सा मंत्रीजी गये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहले मेरी बात सुन लें। हमारे प्रशासन ने उतारा, उसके बाद वे लोग मिलने के लिए घर पर आये। मैंने उनको कहा, सरकार आपके प्रति संवेदनशील है; हम सबकी भी मंशा है कि आपकी मदद की जाए, लेकिन सारी न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत, उसके अधीन..। मैंने तो उसके पहले भी एक बार, राठौड़ साहब और जो उप-समिति है उन्होंने भी कहा था, आप भी कोई हमको न्यायिक सुझाव दीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कमेटी किस बात की बना रहे हों? आपकी बुद्धि की उपज हैं ये विद्यार्थी मित्र। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य का जवाब देने की जरूरत नहीं है।

पूरक प्रश्न। श्री फूलचंद भिण्डा।

नहीं, आप बैठिये। यह नहीं हो सकता। बार-बार कर रहे हों। एक बार कर लिया, तो ठीक है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनके पैराटीचर्स थे, 1,200 रुपये वाले थे, हमारी सरकार ने इनको रेगुलराइज किया है। आपकी सरकार ने तो 1,200 रुपये पर उनको बेहाल छोड़ दिया था।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कहां छोड़ दिया? हमने तो परमानेंट किया था।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। माननीय सदस्य, आपने जितना बोला था, मैं उसको एक्सपंज करवा दूंगा। बार-बार, तीन-चार बार उठ चुके हैं आप एक प्रश्न पर।

श्री फूलचंद भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, यह विद्यार्थी मित्रों वाला जो विषय है, लम्बे समय से इस सदन में, पिछली बार भी...

श्री अध्यक्ष: सीधा-सीधा सवाल कीजिए। इसका विस्तार से जवाब आ गया है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सीधा ही सवाल कर रहा हूं।

जब सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, और छह साल तक विद्यार्थी मित्र पढ़ाते रहे। उसके बाद कोर्ट ने क्या मालूम किस आधार पर उसको असंवैधानिक ठहराया। ऐसी स्थिति में उसके लिए एक तो अपील नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब असंवैधानिक टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

गई, तो उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की क्या स्थिति है? अध्यापकों की क्या स्थिति है? इसलिए इस सरकार ने उसकी अपील क्यों नहीं की? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जब भी कोई निर्णय कोर्ट के विचाराधीन होता है, उस पर कोई भी सरकार नेक्स्ट कदम उनके निर्णय होने पर ही उठा सकती है। जैसे ही कोई एस एल पी के निर्णय आ जाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। कोर्ट पर कोई टिप्पणी सरकार नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री शुभकरण चौधरी और तीसरा श्री मेवारामजी का होगा। उसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्पष्ट रूप से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इस एस एल पी के फैसले के बाद आप विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय सहायक बनाना चाहते हैं, या नहीं चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। बहुत छोटा-सा सवाल है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सरकार उनको विद्यालय सहायक बनाना चाहती थी, इसलिए हमने एडवरटाइज भी किया, आवेदन भी मांगे और उसके बाद यह न्यायिक प्रक्रिया में चली गई है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार उनको विद्यालय सहायक बनाना चाहती है।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मंत्री महोदय, चाहती थीं, नहीं; चाहती हैं या नहीं चाहती हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): चाहती थीं और चाहती हैं; लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के हल होने के बाद कर पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

तीसरा पूरक प्रश्न। श्री मेवारामजी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ये जो विद्यार्थी मित्र, जिन्होंने आत्महत्या की हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? उनके परिवार को रोजगार दे रही है? या क्या कर रही है? एक तो यह बताइये, और आखिर इन विद्यार्थी मित्रों या विद्यार्थी सहायकों को कब तक भर्ती करेंगे? यह स्पष्ट करें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह सरकार की जानकारी में नहीं है कि किसी ने आत्महत्या की है लेकिन साथ में यह जरूर कहूंगा ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार बहरी है क्या? गूंगी है क्या सरकार? इस गूंगी-बहरी सरकार से...(व्यवधान) यह जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। 11-11 विद्यार्थी मित्र आत्महत्या कर चुके हैं और सरकार सोयी हुई है। गूंगी-बहरी है क्या सरकार? 11-11 विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या कर ली। आप मुआवजा दो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ...(व्यवधान) एफ आई आर मंगवाओ। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ...(व्यवधान) 11-11 विद्यार्थी मित्र आत्महत्या कर चुके हैं; राजस्थान में टंकियों पर चढ़े हैं विद्यार्थी मित्र। मंत्री महोदय की जानकारी में नहीं है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपकी सरकार ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। यदि ऐसा ही था, तो 2008 से 2013 के बीच में उनको रेगुलराइज कर देते न। आपने क्यों नहीं रेगुलराइज किया 2008 से 2013 के बीच में? आप तो बैठे रहे। 2013 में जाते-जाते शिक्षा सहायक का पद करते हो। यह कोई तमाशा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। मंत्रीजी, बैठिये। अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो, बैठिये। अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

खनन घोटाले की लोकायुक्त से जांच

280. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में खनन घोटाले की जांच लोकायुक्त द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच के लिए लोकायुक्त ने अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है? यदि हां, तो क्या लोकायुक्त कार्यालय के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए अतिरिक्त स्टाफ का पदस्थापन किया गया है, व नहीं, तो क्या सरकार अतिरिक्त स्टाफ का पदस्थापन करने का विचार रखती है?

(3) क्या प्रदेश में खनन घोटाले के सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है? यदि हां, तो कब व किस-किस की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की फाइलें सी ए जी, लोकायुक्त व राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर जांच के लिए विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त जांचों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: पास-पास ही, सवाल-जवाब का समझौता कर लिया कि नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी पता लग जाएगा, साहब।

राज्य मंत्री, खान (श्री राज कुमार रिणवां): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.11.2014 से 12.01.2015 तक की अवधि में खनन पट्टा आबंटन हेतु जारी मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) एवं अन्य प्रकार के अनुज्ञापत्र की स्वीकृतियों के सम्बन्ध में लोकायुक्त से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आबंटन प्रक्रिया में अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए, सम्पूर्ण आबंटन प्रक्रिया की जांच, दोषियों की जिम्मेदारी तय करने एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुझाव देने के लिए लोकायुक्त से जांच का निर्णय लिया गया।

(2) जी हां। यह सही है कि लोकायुक्त सचिवालय ने उक्त जांच हेतु अतिरिक्त स्टाफ की मांग की थी एवं कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 27.1.2016 एवं 26.02.2016 को विभिन्न पदों के सृजन के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 से सम्बन्धित जांच के सम्बन्ध में किसी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कतिपय अन्य ए.सी.बी. प्रकरणों में कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है।

(4) उक्त प्रकरण की पत्रावलियां लोकायुक्त स्तर पर जांच हेतु विचाराधीन हैं। लोकायुक्त सचिवालय द्वारा जांच प्रारम्भ कर दी गयी है।

महालेखाकार, जयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में खान आबंटन के सम्बन्ध में निदेशालय, खान विभाग से जानकारियां चाही गयी थीं, जो उपलब्ध कराई गई हैं।

(श्री राज कुमार रिणवां)

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जांच हेतु एक पुनरावलोकन समिति का गठन किया गया था, जिसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर जांच लोकायुक्त को सौंपी गयी है।

अभी तक लोकायुक्त अथवा सी.ए.जी. से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है एवं वांछित पत्रावलियां लोकायुक्त सचिवालय को प्रेषित कर दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. 1 ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 1 नंबर ही?

श्री अध्यक्ष: दूसरा और करने दूंगा न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वाह! कृपा।

श्री अध्यक्ष: दो का अधिकार है आपका। मैं जानता हूं, आप अपनी इंटेलिजेंस से एक में दो-चार घुसेड़ देंगे, तो घुसेड़ दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, यह मेरी इंटेलिजेंस नहीं है। आप तो भगवान हैं; आपकी दया से, भगवान, यह सदन चलता है और इसलिए भगवान से, भगवान ने एक आदमी को कहा कि तू अंधा है, एक वर मांग ले; तो उसने कहा कि भगवान, मैं मेरे पड़पोते को मेरी आंखों से सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं।

श्री अध्यक्ष: और वहीं प्रक्रिया आप सवाल करने के लिए करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए एक में चार वर मांग लिये उसने। तो मैं कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष: वही प्रक्रिया आप पूरक सवाल के लिए भी करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए प्रश्न पूछ रहा हूं, उन्होंने ईमानदारी से सारी बात स्वीकार कर ली, लेकिन मेरे दो प्रश्नों का जवाब दीजिये। पहला यह कि आपने पुनरावलोकन समिति का गठन किस तारीख को किया? और पुनरावलोकन समिति के कौन मेम्बर थे? कितने दिन में रिपोर्ट दी? इस पुनरावलोकन समिति से पहले सी वी सी और सी ए जी के लोगों ने सरकार से पत्रावली मांग ली थी। पुनरावलोकन समिति ने जिन लोगों को दोषी पाया, जिस प्रक्रिया को दोषी पाया, उसमें केवल आपने लोकायुक्त को राय देने के लिए कहा; कार्यवाही करने के लिए नहीं कहा। सरकार ने विभाग के स्तर पर क्या कार्यवाही की?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा, आपने जो लोकायुक्त को फाइलें भेज दीं, उनको स्टाफ नहीं दिया। मेरे प्रश्न पूछने, 8.2 के बाद में आपने 26.2 को केवल पद सृजित किये हैं।

आपका लोकायुक्त के यहां मामला डालना, केवल इसलिए कि यह ठंडे बस्ते में चली जाए। इसके अलावा, लोकायुक्त ने उस पर अभी तक 'क' भी नहीं लिखा है। इसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान विभूति सम्माननीय भाई साहब का जब प्रश्न लगता है...

श्री अध्यक्ष: आपने इतनी तारीफ क्यों की?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): ...तो अच्छे-अच्छे लोग, मैं देखता हूं कि टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप तो नहीं आये न?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): हां, नहीं आया हूं। आप भगवती का ईष्ट रखते हैं और वे ही ईष्ट मेरे हैं। तो भगवती की कृपा इन पर भी है, और मेरे पर भी है, और इनकी विशेष कृपा है, इसलिए मैं कहीं कोई टेंशन में नहीं हूं। चूंकि मैंने 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु...' मैंने सत्यनिष्ठा से अपना काम किया है, काम को पूजा समझ कर किया है; तो दिल साफ होता है तो डरना क्या? मैंने कभी कोई इस तरह का कार्य नहीं किया कि मैं डरूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): मुझे जब इस बात का पता लगा, यह पहले एक प्रक्रिया चल रही थी आबंटन की, उसके बाद में जो घटना हुई शेर खान वाली, उसके बाद में पता लगा कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो तुरन्त ही हमने एक कमेटी बनाई पांच लोगों की। हमारे आई.ए.एस. हैं, भानूप्रतापजी अटरू के नेतृत्व में और उन्होंने बताया प्रारम्भिक जांच में कि इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं। तब हमने जो हमारे पास में कंप्लेंट्स आयीं, उन कंप्लेंटस को हमने अपनी तरफ से जो ए.सी.बी. के आई.जी. हैं श्री एम.एन. दिनेश साहब, उनके पास भेजीं कि इसमें आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है। तो उनकी तरफ से भी हमारे पास में

(श्री राज कुमार रिणवां)

यही आयी रिपोर्ट कि हमें भी लग रहा है, प्रारम्भिक जांच में इसमें लग रहा है कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं।

तो मैंने इस प्रकरण की तथ्यात्मक सारी बातें सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी को बताईं कि इस तरह से कुछ गड़बड़ियां लग रही हैं। तो सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इन सारों को आप निरस्त कर दो और मैं इसकी जांच लोकायुक्त से कराऊंगी, और उन्होंने सम्माननीय महामहिम राज्यपालजी से निवेदन किया कि इसकी जांच लोकायुक्त को दी जाए। तो उन्होंने लोकायुक्त से जांच के लिए आदेश कर दिये और लोकायुक्त उसकी जांच कर रहा है।

लोकायुक्त ने स्टाफ मांगा, सम्माननीय भाई साहब का आया तो मेरे को पता लगा...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यहां कोई भाई साहब नहीं हैं; यहां सब सदस्य हैं।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय सदस्य। सारी-सारी। नये आदमी हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें।

सम्माननीय सदस्य का जब प्रश्न लगा, तो मैंने जानकारी की। तो जितना भी स्टाफ दिया जाता है, हम भी अपने आफिस के लिए अगर स्टाफ लेते हैं तो वह डी ओ पी से लेते हैं; तो हमने डी ओ पी में पता किया, तो डी ओ पी ने कहा कि हमारे से लोकायुक्त ने बीस लोगों को नियुक्ति के लिए मांगा है। इसमें कुछ डेपुटेशन के, कुछ हम चाहते थे कि रिटायर हुए लोग भी मिल जाएं। तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की और लोकायुक्तजी की मीटिंग हुई, तो उन्होंने बीस की जगह फिर पच्चीस कर दिया कि ये पच्चीस लोग आप हमें उपलब्ध करवा दीजिये। पच्चीसों का आर्डर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि हमारी तरफ से स्वीकृति है, और वहां पर उनके आदेश डी ओ पी ने पच्चीस स्टाफ के दे दिये।

एक रिपोर्ट हमारे पास आयी कि एक आपके यहां से जो मानचित्र बनाते हैं, उसको आपके डिपार्टमेंट से भेजो। उसका भी हमने तत्काल आदेश कर दिया।

तो जो उन्होंने मांगे, वे सारे के सारे हमने उनको उपलब्ध करा दिये हैं। जो भी उन्होंने फाइलें मांगी, जो भी जानकारी मांगी, सारी उनको उपलब्ध करवा दीं। उसके बाद में उन्होंने कार्यवाही भी शुरू कर दी। हमारे कई लोगों के उन्होंने बयान भी लिये हैं, गवाही ली है। वह सब कार्यवाही चालू हो रही है

(श्री राज कुमार रिणवां)

उसके बाद में अब जो भी है, यह महालेखाकार साहब ने भी हमारे डिपार्टमेंट से भी कुछ सूचनाएं मांगीं। वे भी हमने उनको उपलब्ध करवा दी हैं।

तो इस तरह की स्थिति है; जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. 2 ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो गया कि विभाग ने सी ए जी को यह कहकर कि हमने सारी मूल पत्रावलियां लोकायुक्त को भेज दी हैं, आपके लिए हमारे पास पत्रावली उपलब्ध नहीं हैं। यह सारा प्रकरण उसी प्रकार का प्रकरण है, जिस प्रकार से कोल ब्लाक्स का आबंटन हुआ। पहले लोकायुक्त को भेजने का और निरस्त करने का, कोई अर्थ। इसलिए नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि गहलोत सरकार ने 19 हजार लोगों की फाइलों को निरस्त किया था, वे सब कोर्ट में जीत गये हैं। यह पीछे के रास्ते से इनको वापस फिर कब्जा कराने का तरीका है।

अगर सरकार की मंशा यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, तो जैसे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा; इस सारी की सारी जांच को सी बी आई को भेज दिया जाए और किसी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के न्यायालय में इसकी इंक्वायरी हो जाए और राजस्थान प्रधान मंत्रीजी की इस योजना का मूर्तिमान प्रतीक बने। मैं सरकार से चाहता हूं कि इसकी सी बी आई जांच की घोषणा करे।

यह लोकायुक्त तो दंतविहीन संस्था है। 7 साल से आज तक इस विधान सभा में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई, न कोई कार्यवाही हुई। इन्होंने मांगा क्या है; इन्होंने जवाब में लिखा है, लोकायुक्त से मांगा है कि आगे पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुझाव दें। सुझाव आप उनसे लीजिए, लेकिन आपने जांच करके प्राथमिक रूप से जिनको दोषी पाया, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की? यह जवाब दीजिए, और वे कौन-कौन हैं जिनके नाम आये हैं? इसके पहले इन्हीं अधिकारियों ने हाई कोर्ट में लिखकर दे दिया कि हमने सारी प्रक्रिया ठीक की है।

इसलिए सारा मिलाकर यह सरकार पर और हम सब पर एक प्रश्न चिह्न लग रहा है। यह प्रश्न चिह्न तब ही दूर हो सकता है कि इसकी जांच सी बी आई के माध्यम से हो और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश जांच करे, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, आज हम 7 हजार करोड़ के घाटे में जा रहे हैं और 40 हजार करोड़ का यह मामला है। हमारी माइन्स बिकना बंद हो गई हैं; माइन्स कोई लेने नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्षः विराजिए। विराजिए

माननीय मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे स्तर की बात थी, वह हमने की। हमारी सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने खुद लोकायुक्त को यह जांच दी। ए सी बी में चल रही है।

सी बी आई का जहां तक सवाल आता है, वह जांच कराने के लिए भी हमारे मित्र हाई कोर्ट में गये थे और हाई कोर्ट ने बिलकुल मना कर दिया कि इस प्रकरण में सी बी आई की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है; उच्च स्तर पर इसकी जांच हो रही है।

अगर लोकायुक्त का कोई महत्व नहीं है, अगर वह दंतविहीन है, तो मैंने तो देखा है कि लोकायुक्त के लिए सत्ता पलटी है। अन्नाजी का वहां पर जो आंदोलन हुआ, उसमें मूल प्रश्न अगर कोई था, तो वह यह था कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाये; आनरेबल डिपार्टमेंट समझ लीजिए। उसके लिए अगर हम यह कहें कि वह कुछ नहीं करता, तो मेरे अंदाज से तो फिर हिन्दुस्तान में इसको हटा देना चाहिये। लोकायुक्त क्यों बनें?

यह एजेंसी तो एक स्वतंत्र एजेंसी है; जो भी रिपोर्ट मांगती है, वह हम देते हैं। हमारी सारी फाइलें, जितनी भी इन्फोर्मेशन उन्होंने मांगी, हमने दी; स्टाफ मांगा, वह हमने दिया। हमारे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी, आपको पता है, डैड आनेस्ट हैं।

हम लोगों का तो एक ही है कि वास्तव में जो लोग गलती करते हैं, क्योंकि एक ऐसा भय व्याप्त हो जाता है कि उसके चलते काम नहीं हो पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, 1986 में बोफोर्स कांड हुआ था। बोफोर्स तोपें ठीक थीं ...

श्री अध्यक्षः आप अपना जवाब दीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, हाउस को वर्किंग आर्डर में लाया जाये और इस तरह बेकार बोलते हैं, बिना कारण से, बिना आपकी अनुमति के। उनको रोका जाये।

श्री अध्यक्ष: रमेशजी जो कुछ बोल रहे हैं, अंकित नहीं किया जाये। उनका जवाब तो आने दीजिए। बीच में डिस्टर्ब करने की जो आदत पड़ी है, मैं उसको रोकूंगा। (व्यवधान) आप भी विराजिए।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, हमें जब इसमें थोड़ी संदिग्धता लगी कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है; सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है, संसार विश्वास पर चलता है; डिपार्टमेंट, सरकारें भी विश्वास पर चलती हैं, अपने अधिकारियों पर विश्वास करना पड़ता है, पर जब हमें यह सूचना मिली कि इसमें कुछ अनियमितताएं हैं, हमने तत्काल हमारी मुख्य मंत्रीजी के आदेश से सारी फाइलें निरस्त करवा दीं। कहीं कोई बात नहीं है। सारे निरस्त करने के बाद में, यह सारा का सारा आन-लाइन काम कर दिया है कि जो भी काम होगा, वह आक्शन से होगा। उसमें कहीं भी कोई भी बिड आयेगी, करेगी, तो उसके हिसाब से काम्पीटिटिव रूप से इस काम को हम करेंगे। रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन से लेकर अलाटमेंट आक्शन तक सारा का सारा आन-लाइन काम हो रहा है। कहीं कोई एक परसेंट ट्रांसपेरेंसी में कमी नहीं है। उसके बाद भी अगर हमें विरोध करना है, बोलना है, तो बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। बस खतम कर रहा हूं। मैंने पूछा था, पुनरावलोकन समिति ने जिनको दोषी पाया है...

श्री अध्यक्ष: उसका जवाब आ गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं आया। पुनरावलोकन समिति ने जिनको दोषी पाया है, उनके नाम क्या हैं? उन पर कार्यवाही क्या हुई? और पुनरावलोकन समिति ने कौन-कौन सी अनियमितता पाई है? और इसकी जांच ...

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए। मंत्रीजी, आपके पास यह इन्फोर्मेशन हो तो दे दीजिए, हो तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह दे दीजिए, कौन-कौन दोषी हैं।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): पुनरावलोकन समिति का यह काम नहीं था, कौन-कौन दोषी हैं। क्या है, उसे तो यह जांच करने के लिए

(श्री राज कुमार रिणवां)

हमने कहा कि इसमें अनियमितताएं हैं क्या? तो हम कार्यवाही करें। पुनरावलोकन समिति ने हमें बताया कि हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि इसमें अनियमितताएं हैं। उस हिसाब से हमने तत्काल ए सी बी से जांच....

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। कैलाश वर्मा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है, दोषियों को जिम्मेदार माना गया। (व्यवधान) प्रश्न के जवाब में दिया है, दोषियों को जिम्मेदार माना गया।

श्री अध्यक्ष: यह जरूरी नहीं है, आप चाहे जैसा जवाब आये। यह कतई जरूरी नहीं है। सरकार ने जो अपने पास सामग्री थी, उस हिसाब से जवाब दे दिया। आप तो बहुत पुराने जानकार हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, नंबर तो मेरा है।

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं है। कैलाश वर्मा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने सबसे पहले दबाया।

श्री अध्यक्ष: सबसे पहले नहीं, मुझे बैलेंस करना पड़ता है। इधर आप खटाखट दबा देते हो, तो हरेक में दे दूं क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हरेक में नहीं, मैं पहली बार बोल रहा हूं। मैं पहली बार बोल रहा हूं। पिछले सदन में आपकी अनुमति से मैंने यह मुद्दा उठाया था, आपने अनुमति दी थी। इसलिए मेरा विषय है। आप अनुमति तो दो।

श्री अध्यक्ष: मैं दे रहा हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके बोलने की कोई दादागीरी है क्या? अध्यक्ष महोदय अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्यों बोल रहे हो?

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं बैठ जाऊं! अनुमति तो दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं देता। आप दवाब नहीं डाल सकते। नहीं देता। कैलाश वर्मा। आज नहीं दूंगा। यह कोई तरीका है? जरूरी है क्या? मुझे बैलेंस करना पड़ता है। 10-10 आ जाते हैं। सब इधर से ही इधर से दूंगा? कैलाश

(श्री अध्यक्ष)
वर्मा अपना सवाल पूछिये। (व्यवधान) नहीं दूंगा मैं। इधर का एक शब्द अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) मैं नहीं दूंगा। मेरा विवेक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: दबाया होगा, मेरा विवेक है। दबाने का मतलब नहीं है। श्री कैलाश वर्मा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप बैठ जाइए। डिक्टेट नहीं कर सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आज नहीं दूंगा मैं आपको। मेरा नंबर है। मेरा नंबर है। मेरा विवेक है। इधर से किसी को नहीं पूछने दूं क्या? कैलाश वर्मा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका एक शब्द नोट नहीं किया जाये। (व्यवधान) कैलाश वर्मा। कोई मोनोपोली है क्या इधर की? No. I will not allow the monopoly. बार-बार आप उठ जाते हैं। बार-बार उठ जाते हैं। बैठिए आप। कैलाश वर्मा।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जब हम किसी को भी खान अलाटमेंट करते हैं, उस समय इनकी लीज निर्धारित 200 मीटर, 300 मीटर या 400 मीटर होती है। उसके बाद में इसका दायरा ये लोग बढ़ाकर, इसके ऊपर कब्जे के आधार के ऊपर, कहीं 400, कहीं 600, कहीं 700 मीटर, ऐसे इसका दायरा बढ़ा लेते हैं। क्या सरकार इनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? विधान सभा क्षेत्र दूदू के पास बिचून, उसके पास प्रसिद्ध बंधे के बालाजी का मंदिर है ...

श्री अध्यक्ष: वह रेलेवेंट नहीं। आप दूसरा सवाल पूछिए।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): कोई भी अगर इस दायरे से बढ़कर काम करते हैं, तो इसके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्रीजी बताएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) प्रश्न के जवाब में सरकार के पैसे खर्च होते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) इनको कंट्रोल किया जाये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आसन से अमर्यादित व्यवहार करने पर इनको प्रताड़ित ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान) नहीं, मैं नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इनकी घोटाले की सरकार है। ये हमेशा घोटाला करने वाले हैं। सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज तो यूं लगता है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। जोधपुर के अन्दर पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार अपने रिश्तेदारों को खानों की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बंदरबांट की थी, इसी विधान सभा के इसी जगह पर उन्हें स्वीकार करना पड़ा, सारी खानें कैंसिल करनी पड़ीं। आज सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पारदर्शी तरीके से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लोकायुक्त में जांच सौंपी है, लोकायुक्त जांच कर रहे हैं, लोकायुक्त जैसी संस्था जांच करेगी, उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। आज इस राजस्थान के अन्दर प्रिंसिपल सैक्रेटरी स्तर का आदमी जेल में बैठा है, उन्होंने गड़बड़ी...; गड़बड़ी करेंगे वे जेल जाएंगे। हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम करती है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय, जवाब दे दीजिए उनका, जो भी है। वैसे इस सवाल से ईर्रलेवेंट है, तो भी दे दीजिए।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): बगरू से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने बताया कि जो लीज दी जाती है उससे ज्यादा दूरी में खनन कर रहे हैं। हमारे यहां नियम है कि अगर अपने लीज क्षेत्र से कोई भी आगे करेगा, तो उसके ऊपर हम दस गुना पेनल्टी लगाएंगे, और कोई भी इस तरह की बात है तो सूचना करिए। हमने बहुत कार्यवाइयां की हैं।

श्री अध्यक्षः श्री ज्ञानचंद पारख। पूरक प्रश्न नं. 2 । नहीं हैं।

श्री शुभकरण चौधरी। पूरक प्रश्न। रेलेवेंट होना चाहिए, इधर-उधर से नहीं।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलेवेंट ही बात करूंगा।

श्री अध्यक्षः हां, बिलकुल। आप विद्वान आदमी हैं।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्री महोदय से मात्र इतना जानना चाहता हूं कि खनन प्रक्रिया में हम लोग जो लीज देते हैं, उस संदर्भ में बजरी के मामले में आपके क्या मापदंड हैं ? क्या सरकारी भूमि या नदी के...

श्री अध्यक्षः नहीं, यह बजरी से सम्बन्धित नहीं है सवाल।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): खनिज से ही सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बजरी भी तो खनिज है। अध्यक्ष महोदय, जगह-जगह नदियों के पास बजरी का अवैध खनन हो रहा है, लोगों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ये इर्रेलेवेंट है। बैठिए आप।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): तो क्या खनिज पत्थर ही होता है?

श्री अध्यक्ष: हां, पत्थर ही होता है, अभी आज के सवाल के हिसाब से।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरा पूरक प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 01.05.2008 को इसी खनन मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई थी और यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस जांच में खान निदेशालय ने दोषी पाते हुए तीन करोड़ सत्तावन लाख इक्कीस हजार रूपये की अवैध खनन सम्बन्धी पेनल्टी निकाली थी। जो हमारे विपक्षी मित्र अभी वाक-आउट करके गये हैं, उन्होंने अभी तक इस राशि को ना वसूला और इसके बाद में उनको पूरी तरह से संरक्षण दिया गया। इसके बाद उनको बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया।

इसी के साथ दूसरा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक सवाल हो गया है। इसका जवाब आ जाए, वसूली करने का।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): 2008-09 की जांच है, उसका सम्माननीय एम.एल.ए. साहब बता रहे हैं। तो अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया है; हमारी नालेज में नहीं है यह बात, अगर उनका नहीं हुआ है, तो इसमें जो भी कार्यवाही करनी होगी वह करवाएंगे।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी का प्रश्न है, उसमें तीन करोड़ सत्तावन लाख इक्कीस हजार रूपये की पेनल्टी निकाली, लेकिन इसके बाद में एक करोड़ और चार लाख की और पेनल्टी निकाली है।

श्री अध्यक्ष: पूरी वसूली करेंगे। कह दिया है ना कि पूरा वसूल करेंगे।

श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन था कि खान विभाग से सम्बन्धित मैटर है, माननीय मंत्री महोदय हमारे बहुत गरीबों के प्रति अच्छी सोच रखने वाले, काश्तकारों के प्रति अच्छी सोच रखने वाले हैं; मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में पिछली सरकार ने अवैध खनन के रूप में...

श्री अध्यक्ष: यह रेलेवेंट नहीं है। आप दे दीजिए जवाब।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): निवेदन तो सुन लो, साहब। काश्तकार अपने खेत के पास में से पत्थर निकालकर अपने मकान नहीं बना सकते हैं। उसके लिए भी उस पर रायल्टी लागू कर दी। मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था...

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पाइंट ले लिया उन्होंने। इसका जवाब वे देंगे। शंकर सिंहजी, बैठिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उसको थोड़ा वापस लेने के लिए निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब क्या आएगा? कुछ नहीं। यह तो अलग सवाल है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हुक्म, आप दिला दो। मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा...

प्रश्न संख्या 281

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट। श्री फूल सिंह मीणा।

उचित मूल्य की दुकानों का जिला स्तर पर आबंटन

282. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया राज्य स्तर पर केंद्रीकृत है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रक्रिया से न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण राज्य प्रभावित होता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रिक्त/नवीन उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया जिला स्तर पर सम्पादित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रदेश में कितने वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन/रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन किन कारणों से नहीं हुआ ? यदि हां, तो कितनी दुकानों का व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में केरोसीन का आबंटन कम

(श्री फूलसिंह मीणा)

कर अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी नहीं। रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 09.02.2015 के बिन्दु संख्या 2 में विज्ञप्ति जारी करने सम्बन्धी प्रक्रिया जिला स्तर पर करने का प्रावधान है। यह प्रक्रिया राज्य स्तर पर केंद्रीकृत नहीं है।

वर्तमान में प्रक्रिया में माननीय न्यायालय द्वारा गाइडलाइन बाबत स्थगन दिए जाने की स्थिति में सम्पूर्ण राज्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि उचित मूल्य दुकान आबंटन सम्बन्धी दिशा-निर्देश सम्पूर्ण राज्य हेतु एक समान हैं।

नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 09.02.2015 के अनुसार विज्ञप्ति जारी करने सम्बन्धी प्रक्रिया जिला स्तर पर करने का प्रावधान है।

(2) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 23.01.2014 को निर्देश जारी कर नवीन उचित मूल्य दुकानों के आबंटन/प्राधिकार पत्र जारी करने पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई जाने के कारण विगत वर्षों में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन नहीं किया गया है। जारी निर्देश दिनांक 23.01.2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) माह दिसम्बर, 2015 में उदयपुर जिले में पी.डी.एस. केरोसीन लाभार्थियों की संख्या 3,75,331 थी। इसलिए माह दिसम्बर, 2015 तक उदयपुर जिले को 1,884 के.एल. पी.डी.एस. केरोसीन का आबंटन किया गया है। माह जनवरी, 2016 में उदयपुर जिले में पी.डी.एस. केरोसीन लाभार्थियों की संख्या 3,02,551 रहने के कारण मासिक कोटे में कमी करते हुए 1,164 के.एल. आबंटन किया गया।

जिलों में केरोसीन आबंटन किये जाने सम्बन्धी यह प्रक्रिया अपनायी जाती है कि जिले के कुल राशन कार्डों की संख्या में से राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की संख्या को घटाकर वास्तविक पी डी एस केरोसीन लाभार्थियों की संख्या ज्ञात की जाती है। भारत सरकार से प्राप्त आबंटन की उक्त गणनानुसार समानुपातिक मात्रा में जिलों को उप-आबंटन किया जाता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. 1 । फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम रह गया और यह आम जनता का मामला है।

श्री अध्यक्ष: पूछ लो आप। सवाल पूछ लो।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर सम्भाग में होली का त्योहार है और तीन दिन से सर्वर नहीं मिल रहा है; राशन की दुकानों पर भीड़ लग रही है। आप इस होली से पहले क्या उन गरीबों को राशन देने की मंशा रखते हैं ? कोई उपाय करके होली पर कम-से-कम राशन मिल जाए। तीन दिन से आदिवासी भाई.., और आज तो शहर में बंद है सर्वर। इसलिए इनको देने की मंशा रखते हैं? दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह पूरे राजस्थान का है, हुक्म।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): पूरे राजस्थान का विषय है, सर। होली पर तो कम-से-कम राशन दें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैं मंत्री महोदय से...(व्यवधान)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राशन कार्ड से दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: समय खतम हो जाएगा। आप बैठिए। फूल सिंहजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्री महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये, जवाब आ जाएगा; नहीं तो जवाब भी नहीं आएगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, इनकी जो शंका है; जो पूछना चाहें, मैं सबकी तैयारी में आया हूं; इन्होंने नया जो पूछा है, चूंकि यह राशन कार्डों का नहीं था, यह दुकान आबंटन से सम्बन्धित था, लेकिन ये पोस मशीन की बात रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया के तहत 18 हजार पोस मशीनें सारे राजस्थान में वितरित की गई हैं और उसके अन्दर कहीं नेटवर्क के कारण, या मोबाइल

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

टावर कम होने के कारण, तकनीकी खराबी आई, तो उसको दिखवा लेंगे और जांच करवा लेंगे।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय, इसमें नहीं है, मगर यह बहुत दु:खदायी प्रश्न है। इसलिए मैंने बोला है। बाकी मेरे प्रश्न को, यह मैंने लिखकर दिया है आपको। आपसे बात हो गई थी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सन् 2015 में...

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं। जिनको शंका है... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): इनकी सब पोस मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। (व्यवधान) पूरे राजस्थान में राशन नहीं मिल रहा गरीबों को। राशन की तैयारी मत करो, राशन वितरण की तैयारी करो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप बात नहीं सुन रहे। मैं जवाब दे रहा हूं ना। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इनकी जांच कराएं आप। मंत्री महोदय, इनकी जांच कराएं आप सबसे पहले। आपको इन नकली मशीनों की जांच कराने की जरूरत है। यह राजस्थान के आम नागरिकों के साथ गलत बात है। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप सुन लो। बैठो आप।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त। विराजिए।

(12.00 बजे)

अनुपस्थिति अनुमति

श्रीराम भींचर, श्री, को 13.3.2016 से 25.3.2016 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री श्रीराम भींचर, सदस्य, विधान सभा ने अपनी माताजी का निधन हो जाने के कारण दिनांक 13 मार्च, 2016 से 25 मार्च, 2016 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुपस्थिति रहने की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और चले आ रहे हैं। आसन पैरों पर है और चले आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आ जाइये, बैठिये। आप में से एक-दो को बोलना है, इसलिए आ गये। ठीक है। रमेशजी, आपको भी बोलना है; नहीं तो बाहर ही रह जाते।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर में नवगठित ग्राम पंचायत रामसर कुआ का मुख्यालय 8 किमी. दूर घोनरी नाड़ी के पास किये जाने से आम जनता को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में;
2. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जिला नागौर के थाना कुचामन के कांस्टेबल बालूराम को कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए किए गए प्रयास हेतु विशेष पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में;
3. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से राज्य सरकार द्वारा दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर द्वारा मुंडावर-नीमराना के दस गांवों की अवाप्त की जाने वाली जमीनों की मुआवजे की राशि कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
4. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से अधीक्षण अभियंता, फील्ड टैस्टिंग एवं गुण नियंत्रण (सतर्कता), वृत्त बीकानेर का स्थानांतरण सूरतगढ़ किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
5. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नवनियुक्त कार्मिकों को परिवीक्षा अवधि में पूर्ण वेतन नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में;
6. श्री पूरणमल चौधरी, सदस्य की ओर से शहरी क्षेत्र में चल रहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय को ग्राम पंचायत बबाई में स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में;

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में रीको द्वारा काटे गए प्लाटों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

8. श्रीमती सोनादेवी, सदस्या की ओर से खाटा बारानी एवं लखटीबा चकों का पुन: सर्वे करवाकर इनको सिंचाई हेतु गंग कैनाल से पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;

9. श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में डेयरी क्षेत्र में दूध में मिलावट एवं घी की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; एवं

10. श्रीमती गीता वर्मा, सदस्या की ओर से सिकराय में महिला महाविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामनारायण, श्रीमती सोनादेवी, श्री रमेश एवं श्रीमती गीता वर्मा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जोधपुर सम्भाग में बजरी की ओवरलोडिंग से राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों की रायल्टी के हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में;

2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रोबेशन अवधि में सरकारी कार्मिकों को पूर्ण वेतन-भत्ते नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

3. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में जीर्ण-शीर्ण सड़कों, बदहाल पार्क व जीर्ण-शीर्ण पुरानी सीवरेज लाइनों से निकल रह गंदे पानी की दुर्गंध से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में;

4. श्री ओमप्रकाश, सदस्य की ओर से रसीदपुर से समलेटी बाइपास का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में;

5. श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर की थाना से बिछीवाड़ा सड़क के निर्माण व चौड़ाईकरण के सम्बन्ध में;

6. श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यू आई टी द्वारा काटी गई कालोनियों में पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

7. श्रीमती अनिता कटारा, सदस्या की ओर से डूंगरपुर जिले में नरेगा योजना का ग्यारह वर्ष बाद भी जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलने के सम्बन्ध में;

8. श्री दलीचंद डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में;

9. श्री नंदकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से चूरू से सीकर की रेलवे लाइन के कार्य हेतु वन विभाग से स्वीकृति दिलाए जाने के सम्बन्ध में;

10. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतू में पेयजल की समस्या का समाधान किए जाने के सम्बन्ध में;

11. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने व इसे तहसील/पालिका स्तर पर लागू किए जाने के सम्बन्ध में;

12. श्री पब्बाराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सालय, फलौदी में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 18 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 45 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं :-

1. श्री फूलचंद भिण्डा, कालेज शिक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध में;

2. श्री हीरा लाल नागर, भंवरासा डैम के द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी कर हरिशचन्द सागर की पूर्व निर्मित नहरों तथा कनवास तहसील की लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में;

3. श्री केसाराम चौधरी, विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत इसाली एवं देसूरी पंचायत समिति में शौचालय स्वीकृति एवं भुगतान में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में; एवं

4. श्री अमृत लाल, विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के वन क्षेत्र के जंगली जानवरों द्वारा की जा रही जन-धन की हानि के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामनारायण।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, नम्बर है ही नहीं, काट दिया।

श्री अध्यक्ष: चार लेने हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): चार तो, सप्ताह में एक बार तो बोलने दो।

श्री अध्यक्ष: आज दो महिलाएं हैं, उनका लिया है। वे कभी नहीं बोलतीं। रामनारायणजी भी कभी नहीं बोलते, उनका लिया है। आप रोज-रोज बोल देते हो। इनको चांस नहीं दूं क्या?

श्री रामनारायण।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नसीराबाद में रीको द्वारा काटे गये भूखण्डों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय अध्यक्षजी, नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति श्रीनगर में रीको ने एरिया लेकर प्लाट काटे थे। छोटे उद्योग लगाने वालों ने प्लाट लिये, लाखों रुपये खर्च किये। उसके बावजूद भी आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। छोटे उद्योग लगाने वाले रीको के आफिस के चक्कर लगा-लगाकर थक गये, पर आज तक भी कोई नहीं सुन पाया। माननीय मंत्रीजी इस बात पर ध्यान दें।

साथ ही, देवन्या इण्डस्ट्रीज नसीराबाद में, करीबन 15 साल से इण्डस्ट्रियल एरिया है, फ्लोराइड का पानी है। आज तक बीसलपुर योजना से, 15 साल में भी, उसको नहीं जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: बातचीत नहीं। कृपया बातचीत नहीं।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): सड़कों का यह हाल है कि बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन में आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ट्रक वाले, माल ले जाने वाले, पैदल चलने वाले बहुत परेशान हैं।

माननीय अध्यक्षजी, इस बात के लिए माननीय मंत्रीजी को बताना है कि सरकार एक तरफ तो उद्योगपतियों को ला रही है और साथ ही जो छोटे-छोटे उद्योगपति हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है।

श्री अध्यक्ष: इस तरह खड़े मत रहिए।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): यह कहावत सही है कि घर के पूत तो कंवारे डोल रहे हैं और पड़ोसी के नौ फेरे हो रहे हैं।

इसलिए, माननीय मंत्रीजी, कम से कम छोटे उद्योगपतियों को राहत दिलायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

खाटा बारानी व लखटीबा चकों को गंग कैनाल से पानी की उपलब्धता

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 50 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र सीमावर्ती एरिया में आता है। मैं आज सरकार का और माननीय मंत्री महोदयजी का ध्यान जिस ओर आकर्षित करना चाहती हूं, वह उस क्षेत्र से सम्बन्धित है जहां किसान सीमा क्षेत्र के केवल चार किलोमीटर दूरी में ही निवास करते हैं। सर्वे सन् 1974-75 में किया गया था। यहां के किसानों की 8,533 एकड़ भूमि थी। सन् 1974-75 में इसका सर्वे किया गया। सर्वे किस तरह से किया गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो सर्वे किया गया, उसके 12 साल बाद मेरा जन्म हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे इस तरह से किया गया, सरकार को गुमराह किया गया, या सम्बन्धित अधिकारियों ने सिंचाई मंत्रीजी को गुमराह करने के लिए कि सीमावर्ती क्षेत्र से उसको, 40 पी एस चक है, उसके साथ-साथ का रकबा दिखाया गया, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र से 35 किलामीटर दूर है; जबकि हकीकत यह है कि वहां के किसान केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं यह भी निवदेन करना चाहूंगी कि वहां के किसानों ने देश भावना को ध्यान में रखते हुए सैनिकों के साथ, जब लड़ाई 1965 में हुई थी, देश को बचाते हुए उन सैनिकों के साथ थे।

(श्रीमती सोना देवी)

1974-75 में इनका रकबा बारानी क्षेत्र है, उसको सिंचित करने के लिए सर्वे किया गया। वह भी ऐसा सर्वे किया गया जिसमें इसको लिया नहीं गया। नानूवाला वितरिका, जो गंग कैनाल की है और साथ ही समेजक की है और भूमपुरा की माइनर है। इनके साथ-साथ जो यह क्षेत्र, बारानी इलाका है, उसके साथ-साथ केवल मात्र 12 किलोमीटर की दूरी में है, जबकि इसको 35 किलोमीटर की दूरी से दिखाया गया है।

इन किसानों को, यहां के क्षेत्र के निवासियों को लखा और खाटा माइनर के जो किसान भाई रहते हैं, जो 8,533 एकड़ भूमि, जो बारानी से वर्षा पर आधारित है, वह किसानों को पेयजल का जो पानी है, वह इनको 33 पी.एस.के. मोगे से मिल रहा है, जबकि यह नजदीक ही है; यह माइनर जो है, नानूवाला मेजर-माइनर नजदीक ही है। उनको यह पानी, अभी तक सिंचाई पानी में नहीं लिया गया।

मेरा तो मात्र इतना ही निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, वर्तमान में यह जो गंग कैनाल है, वह पक्की कर दी गई है। पहले तो चलो, ठीक था कि कच्ची नहरें थीं, रिसाव होता था, पानी चोस जाता था; जो बारानी इलाका है उसको सिंचित नहीं किया जाता था। अब तो यह पानी बच रहा है। जो मैं आपको यह जितनी एकड़ भूमि बता रही हूं, 375 मुरब्बे हैं, इनको सिंचित करने के लिए केवल मात्र 27 क्यूसेक्स पानी ही चाहिये। 27 क्यूसेक्स पानी अगर इन किसानों को मिल जाता है, तो यह भूमि सिंचित हो सकती है।

मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि यह आपसी चुटपुट से वे किसान क्यों कुट गये हैं। मेरा तो निवेदन है कि ऐसा नहीं हो। (व्यवधान) धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः आपने ध्यान आकर्षण कर लिया। अब किसान नहीं कुटेंगे।

श्री रमेश। उसके बाद लेंगे आपका।

डेयरी उत्पादों में मिलावट व घी की कालाबाजारी

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, राज्य में डेयरियों के द्वारा दूध, दही, घी, छाछ, मिल्क पाउडर, इनमें मिलावट हो रही है और राज्य की जनता के लिए, महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुएं हैं जो आम आदमी के काम आती हैं, इनमें मिलावट हो रही है; लोगों को जहर खिलाया जा रहा है।

(श्री रमेश)

इनमें सबसे पहले जो प्रोब्लम है, पानी मिला देते हैं, सिंथेटिक यूरिया मिला देते हैं, माल्टोस मिला देते हैं, नमक-चीनी मिला देते हैं दूध में। घी के जो टैंकर हैं, वे टैंकर के टैंकर गायब हो जाते हैं; मात्रा कम बता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि पहले हमारी आर.सी.डी.एफ. 30 करोड़ के लाभ में थी, अब 21 मिल्क यूनियंस 30 करोड़ के घाटे में है। जबकि जयपुर डेयरी को 13 करोड़ का घाटा पहली बार, और पहली बार भी ऐसे हुआ है कि पहले हमारा जो प्रोडक्ट था, बाहर भी जाता था, उनका बाहर बिकना बंद हो गया। इससे 16,368 टन पाउडर जमा हो गया। डेयरी का जो प्रबंधन है, न तो उनकी कोई पालिसी है कि किस तरह हम माल को बेचेंगे। वह माल इकट्ठा होता रहा और खराब होने की स्थिति में आ गया। तब इनको मजबूरी में बेचना पड़ा। उसके रख-रखाव पर भी लाखों रुपये खर्च करने पड़े। तो जो हमारी 200 रुपये किलोग्राम की लागत थी, उसको 140 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा गया, जिससे डेयरी को 4 करोड़ का घाटा हुआ। यही हमारा दूध पाउडर 325 रुपये से बेचा जा रहा था।

दीपावली जैसे त्योहार पर 'सरस' ने आम जनता को फायदा देने के बजाय, घी नहीं बिकने का कहकर, 10 हजार मीट्रिक टन घी डीलर्स को एक स्कीम के तहत पहले 50 रुपये लीटर सस्ता किया। फिर स्कीम निकाली और 600 टन पर 15 टिन, 1,200 टिन पर 40 टिन, 1,800 टिन पर 65 टिन फ्री रहने की स्कीम लांच की और उसके बाद में जैसे ही यह डीलर्स के पास घी गया, तो 40 रुपये महंगा कर दिया। इस प्रकार 120 रुपये प्रति टिन/लीटर डीलर्स को फायदा दिया गया। डीलर्स भी गिने-चुने हैं। वर्षों से वे ही डीलर्स चले आ रहे हैं। जयपुर में 5 डीलर्स हैं। ये ही टेण्डर के माध्यम से आ जाते हैं। टेण्डर्स करते नहीं हैं।

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में कोटा से आये हुए खराब घी को नये घी में मिलाकर बेच दिया। इस मामले की मंत्रीजी ने भी एक जांच कमेटी गठित की, जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी ने खराब घी का सैम्पल नहीं मिलने की बात कह कर, इसको क्लीन चिट दे दी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जिसको आपने ए.पी.ओ. किया, तो आगे उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? जो एम.डी. चण्डालिया था, उसने कमेटी को घी का सैम्पल उपलब्ध नहीं करवाया। तो उसके खिलाफ भी आप कार्यवाही बतायें।

(श्री रमेश)

इसी तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने काफी जगह पाली में, भीलवाड़ा में पशु आहार प्लांट लगाये। उसकी मशीनें पहले खरीद लीं, सिविल कार्य बाद में कराया गया। इससे भी लाखों रुपये का घाटा हुआ।

इसी तरह, छाछ की जो पैकिंग की मशीन आती है, उसका स्टैण्ड, वर्षों से एक ही मालिक है, उसकी दो फर्में हैं, वे ही काम कर रही हैं।

इस प्रकार प्रदेश में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या सरकार का अंकुश नहीं है।

कुछ ऐसे अधिकारी लिप्त हैं, एक रिटायर्ड उप-प्रबन्धक, जिस पर अनियमितताओं और गबन के अधिक गम्भीर आरोप लगे, जिसकी जांच भी चल रही है, लेकिन फिर भी पाली दुग्ध संघ में उसे पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी। आखिर इतनी गम्भीर अनियमितता, संदिग्ध अधिकारी पर इतनी मेहरबानी के क्या कारण हैं? क्या संघ ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अधिकारी करोड़ों की सम्पत्ति लेकर बैठा है, आखिर बहुत कम तनख्वाह पर काम करने को क्यों राज़ी है? क्या वह तथ्यों और सबूतों से छेड़छाड़ या समाप्त नहीं करेगा?

ऐसे अधिकारी भी दुग्ध संघों में, डेयरियों में बैठा रखे हैं, जो दूरी ज्यादा बताकर पैसा दुग्ध संघों को ज्यादा दे रहे हैं। या जो मिलावट हो रही है, जैसे दूध की फैट है 6 से 8, यहां पर जो हमें दूध मिलता है, बाजार में, 0 से 4 । वह फैट का जो अंतर है, क्रीम का, वह कहां जाता है?

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर पर्याप्त बोल लिया आपने।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो दूध में, घी में मिलावट हो रही है, उसको सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि इसमें मिलावट नहीं हो; आम आदमी को शुद्ध दूध मिले, घी मिले। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय डेयरी मंत्रीजी।

श्री रमेश (सपोटरा): जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, या दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही क्या करेगी, यह मंत्रीजी बतायें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब देंगे, तैयार हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि राजस्थान में डेयरी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

के माध्यम से मिलने वाले दूध में मिलावट हो रही है, आम जनता को मिलावट-युक्त दूध पीना पड़ रहा है, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

जयपुर डेयरी, प्रतिदिन 34 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट हम लोग कर रहे हैं, जो अब तक के इतिहास में सबसे पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में 13,617 रजिस्टर्ड मिल्क सोसायटीज हैं। इनमें 8,393 ऐसी डी.सी.एस. हैं जो अभी काम कर रही हैं। जयपुर का जहां तक प्रश्न है, 2,035 यहां की रजिस्टर्ड सोसायटीज में से 1,650 सोसायटीज यहां मिल्क प्रोक्योरमेंट का काम कर रही हैं। सीकर का भी विषय है, 550 में से 232 मिल्क यूनियंस यहां पर वर्किंग में हैं।

जहां तक प्रश्न अडल्टरेशन का है, सारे हमारे जितने भी बड़े संघ हैं, उन संघों के स्तर पर एफ.टी.-120, एक जांच करने का, अडल्टरेशन को जांच करने के लिए मिल्क स्कैनर हम लोगों ने लगा रखे हैं। सोसायटीज में अलग से, सभी सोसायटीज को, छोटे-छोटे यूनियंस को लेक्ट्रोस्कैन, एस.एल.-130, एक लेटेस्ट वैरायटी है जो हम लोगों ने उनको दे रखी है। सबसे पहले जब मिल्क पशुपालक से आता है, तो वह सोसायटी उसको जांच करती है। जांच करने के बाद, जब वह संघ में आता है, टैंकरों के माध्यम से जब वह आता है, तो इस एफ.टी.-120 के माध्यम से हम लोग, लेटेस्ट टेक्नोलोजी है, इसके माध्यम से जांच करते हैं। जांच में अमानक जो दूध पाया जाता है, उस दूध को ड्रेन कर दिया जाता है। उसको अन्दर एण्ट्री नहीं दी जाती है।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि दूध की जो मिलावट है, उसकी जांच करने के प्रावधान वैसे तो मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किये जाते हैं और फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट, 2006 जो बना हुआ है, इसके अन्तर्गत फूड इंस्पेक्टर्स के द्वारा दूध की जांच की जाती है। मैं तो इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी, 6 माह से लेकर 10 साल तक की सजा के प्रावधान भी इस एक्ट में दिये हुए हैं।

2012-13, 2013-14, 2015-16, तीन वर्षों में 21 यूनियंस में से अब तक 75 सैम्पल लिये गये हैं; 75 सैम्पल मेडिकल इंस्पेक्टर्स द्वारा लिये गये हैं, उनमें से मात्र 2 सैम्पल अभी अमानक पाये गये हैं; बाकी सारे सैम्पल, यानी, 73 सैम्पल सही पाये गये हैं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह भी प्रयास करते हैं, विजिलेंस टीमें भी हम लोगों ने गठित कर रखी हैं। 29.12.2015 को हम लोगों ने उसको रिव्यू किया है और रिव्यू करने के बाद, राज्य स्तर पर 4 ऐसी हमारी सतर्कता टीम हैं, उनके माध्यम से जी.एम. स्तर का एक अधिकारी होगा और उसके साथ में तीन और कर्मचारी होंगे; इस प्रकार चार लोगों की एक टीम यह करती है।

21 यूनियन्स में, माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 2015 और नवम्बर, 2015, 17,977 सैम्पल लिये गये और इनमें 81 अमानक पाये गये और नवम्बर, 2015 में 26932 में से 74 अमानक पाये गये।

तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपका विषय गम्भीर है और हमारा यही प्रयास होता है...

श्री अध्यक्ष: गम्भीरता से ही उठवाया है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): लेकिन दूध निजी क्षेत्र में भी कई प्रकार के, अन्य प्रकार की डेयरीज हैं, उनके माध्यम से भी होता है; प्राइवेट सेक्टर के भी लोग करते होंगे, लेकिन 'सरस' डेयरी जो है वह गुणवत्ता और विश्वसनीयता की प्रतीक है। हम लोगों ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि विदेशों में, आज सेना में भी टेट्रा-पैक मिल्क जो दिया जा रहा है, वह हमारे आर.सी.डी.एफ. के माध्यम से हम लोग सेना को भी मिल्क दे रहे हैं। यही नहीं, दुबई में भी मावा और पनीर का एक्सपोर्ट आज इसके माध्यम से गुणवत्ता-युक्त पाए जाने पर, विदेशों में भी आज इसका मार्केटिंग किया जा रहा है।

एक इनका जो मेन इश्यू था, घी के बारे में आपका एक प्रश्न था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि ये स्वायत्त-शासी संस्थाएं हैं। राज्य सरकार इन पर डे-बाई-डे कोई दखल नहीं करती है, लेकिन मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि डेयरी काफी लोस में चल रही है; मैं कहता हूं कि जयपुर डेयरी आज भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,486 प्रोफिट में हम लोग, अभी भी, आज की तारीख में चल रहे हैं। इसलिए यह लोस में अभी नहीं है।

जहां तक जिस घी का विषय आपने उठाया है, मैंने इसको गम्भीरता से लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यहां पर 2008 में

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जहां पर डीलर्स की संख्या मात्र 8 थी, वह इनके पूरे पांच साल तक इन्होंने उस संख्या को नहीं बढ़ाया। 2015 में हम लोगों ने इसको गम्भीरता से लिया और गम्भीरता से करने के बाद, जयपुर में 38 डीलर, प्रत्येक जोन-वार हम लोगों ने, अख़बार के माध्यम से हम लोगों ने उसकी एप्लिकेशन मांगी थीं, एप्लिकेशन आने के बाद उनकी नियुक्ति उनको दी गयी है। देने के बाद, वह हर जोन पर घी वितरण का काम किया जा रहा है।

जहां तक आपने कहा कि उसके भाव बढ़े, भाव को घटाकर, यह जुलाई, 2015 की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं; मुझे सूचना प्राप्त हुई, उसके माध्यम से मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि घी की अवधि जो है वह छह महीने तक होती है, उसके बाद घी खराब हो जाता है। इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में घी की उपलब्धता थी और घी की उपलब्धता होने के कारण से इन्होंने एक स्कीम निकाली और स्कीम निकालने के बाद 600 टिन पर इन्होंने, 199 टिन खरीदने पर 18 टिन इन्होंने उसको देने की बात कही है।

फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा और मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि हम लोग इसका प्रयास करेंगे, इस सारे प्रकरण को देखेंगे और इसमें किसी प्रकार की यदि अनियमितता पाई जाती है, यदि जन हित में, उपभोक्ता हित में यदि कहीं भी इस प्रकार का कुठाराघात किया जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं कार्यवाही कराने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गीता वर्मा। बढ़िया जवाब आ गया जानदार।

श्री रमेश (सपोटरा): दूध का जो टैस्ट होता है न, कि प्योर है, अन-प्योर है, कौनसे टैस्ट करवाते हो? अभी जो मोडिफाइड टैस्ट, जो लेटेस्ट चल रहा है, वह कौनसा चल रहा है?

श्री अध्यक्ष: बैठो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे को, जिन्होंने पूरे देश की एडवांस्ड मिल्क टैस्टिंग एंड रिसर्च लैबोरेटरी 8 करोड़ रुपये की लागत की जयपुर में हम लोगों ने इसी साल में स्थापना करके उसको चालू किया है। हमारा यह प्रयास रहेगा, हम लोग बिना

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सूचना के भी किसी भी जिले में, जहां पर एडल्टरेशन की हमें शिकायतें मिलती हैं, निश्चित रूप से, सैम्पल लेने का अधिकार तो हम लोगों को नहीं है, उसमें कार्यवाही करने का अधिकार भी हमको नहीं है, लेकिन हम इस बात के संकेत का पता लगाकर, मेडिकल विभाग को या सरकार के ध्यान में आ जाए कि कौन-कौन से जिले में एडल्टरेशन कर रहे हैं।

अब एडल्टरेशन में जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 42 प्रकार की जांच उसमें होती हैं। उसमें अभी पहले तक तो सिर्फ डिटर्जेंट देखा जाता था, नमक मिलावट देखी जाती थी, पानी मिलावट को देखा जाता था, लेकिन अब तो 42 प्रकार की जांच, जिसमें जेनोमेटिक डिजीज, इसमें आपके जितने भी कीटाणु हैं, उसकी भी जांच हम इसमें कर रहे हैं। यहां तक ही नहीं, हेपेटाइटिस-बी के कीटाणुओं की जांच अब इसमें हो रही है। मैं समझता हूं कि 42 प्रकार की जो जांच होंगी, कितना इसमें बी-काम्प्लेक्स है, कितने इसमें न्यूट्रिएन्ट हैं, ये सारी जांच इसके माध्यम से होंगी, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक नया प्रयोग होकर जनता को इसका लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गीता वर्मा।

रमेशजी, नहीं। रमेशजी, नहीं। अब जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): हमको वह बता देते कि यह कैसे करते हैं। आपने नाम ही नहीं लिया; आपने जनरल भाषण ठोक दिया, मंत्रीजी। चलो, कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं।

श्रीमती गीता वर्मा।

सिकराय में महिला महाविद्यालय का अभाव

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया की यह पहल है कि गांव-गांव व दूरदराज की बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके की योजनाएं बनाई हैं- गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, मुख्य मंत्री राजश्री योजना और मुख्य मंत्री सक्षम बालिका योजना। इन योजनाओं का बालिकाओं को सीधा लाभ तब ही मिल सकेगा, जब गांव के

(श्रीमती गीता वर्मा)

क्षेत्रों की बालिकाओं को स्टेप-बाई-स्टेप, प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय से कालेज स्तर तक के विद्यालय तक उनकी पहुंच तक हो, जिससे उन्हें वहां आने-जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े।

महोदय, मैंने गांव की बालिकाओं व उनके माता-पिता से रूबरू वार्ता करके यह निष्कर्ष निकाला है, आप इस बात पर गौर फरमाएं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चियों की संख्या से लेकर माध्यमिक तक किस तरह से बच्चियों की संख्या में प्रतिशत ड्राप आता है और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या से कालेज की बच्चियों की संख्या में सडन ड्राप आता है, एवं संख्या घटकर बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि आज माता-पिता अपनी बच्चियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूर विद्यालय, कालेज तक नहीं भेज सकते। यह मुख्य कारण पाया गया।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस समस्या का पूरे राजस्थान में सर्वे करवाइए व मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में शीघ्र ही एक महिला महाविद्यालय खोला जाए, जिससे बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें व गांव और राज्य का नाम रोशन करें; साथ ही, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा घोषित योजनाओं का पूर्ण लाभ ले सकें। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का तो हमेशा सिकराय से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप इन बच्चियों की समस्याओं पर गौर करते हुए, सिकराय पर, मेहरबानी करते हुए, आप एक महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें, या जैसे भी आपकी सुविधाएं उपलब्ध हों, आप किसी भी तरीके से सिकराय में महिला महाविद्यालय खोलें। सिकराय की जनता हमेशा आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना। श्री जोगाराम पटेल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना थी कि कल भी सदन रात 11.00 बजे तक चला। 295 अगर पढ़े हुए मान लिए जाएं; आज उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारी तरफ से भी 20 के लगभग माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। अगर आपकी कृपा हो तो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पढ़ने दो। पढ़ने दो। एक नाम तो पुकार दिया है।

श्री अध्यक्ष: बोलने की अनुमति होगी, यह व्यवस्था मैं दे चुका हूं। उस समय आपने आब्जेक्ट नहीं किया, तो your objection is not sustainable.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो उदारमना हों, आप तो मिनट-मिनट पर गौर करने वाले व्यक्तित्व हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब हो गया। अगली बार आपकी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उदारमना हमारे लिए हैं, आपके लिए नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: अगली बार।

हां, जोगारामजी पटेल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर सम्भाग में बजरी के ओवरलोडेड ट्रकों से कारित राजस्व हानि

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं जोधपुर सम्भाग व विशेषकर जोधपुर जिले में बजरी की ओवरलोडिंग से सरकार को हर वर्ष करोड़ों रुपये की रायल्टी के नुकसान के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि पिछले दो वर्षों से जब से बजरी का नया ठेका सिस्टम लागू हुआ है, तब से ओवरलोडिंग व रायल्टी वसूली का सिलसिला चल रहा है। पिछले 2 सालों में जोधपुर सम्भाग से सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की रायल्टी का नुकसान हुआ है व दिन-प्रतिदिन हो रहा है।

चूंकि खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने हर एल.ओ.आई. धारक को निश्चित टार्गेट दे दिया है और तद्‌नुसार ही रायल्टी की वसूली प्रारम्भ की गयी है, इस कारण उन्होंने ओवरलोडिंग वालों से रायल्टी लेनी शुरू कर दी है। शिकायत होने पर विभाग ने व एक जन हित याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसे रोकने, तुलाई के कांटे से तोलने व सी.सी. टी.वी./कैमरे

(श्री जोगाराम पटेल)

लगाकर खान विभाग को रोजाना मानिटरिंग करने के निर्देश दिये, परन्तु इसकी पालना विभाग ने आज दिन तक नहीं की है। रोजाना ही वाहन मालिक/ट्रांसपोर्टर ओवरलोड परिवहन कर रहे हैं, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से बचने के लिए अंडरलोड की रसीदें काटी जा रही हैं। उदाहरणार्थ 10 चक्का डम्पर में 14 से 16 टन बजरी भरी जा रही है, जबकि रायल्टी की रसीद मात्र 9 टन की ही काटी जा रही है। इससे 550 रुपये तो सरकारी खाते में जा रहे हैं, परन्तु इतना ही पैसा ठेकेदार व ट्रांसपोर्टर आपस में बांट रहे हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के जरिये ओवरलोडिंग को रोकने के जो आदेश पारित किये थे, उसे ट्रांसपोर्टर्स व ठेकेदारों ने अंडरलोड की रसीदें कटाकर हवा कर दिया है।

अनुमानतः जोधपुर में प्रतिदिन 800 ट्रक, बाड़मेर में 650 ट्रक, पाली में 300 ट्रक एवं जालौर में 200 ट्रक बजरी की खपत हो रही है, परन्तु इस अवैध धंधे को रोकने हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे न केवल हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, बल्कि सरकार को करोड़ों रुपये की रायल्टी का नुकसान भी हो रहा है, जिससे जनता के हितों पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अनेक बार शिकायतें करने, अखबारों में खबरें प्रकाशित होने के उपरांत भी विभाग इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। मिलीभगत से ओवरलोडिंग ट्रकों की अंडरलोडिंग रसीदें काटी जा रही हैं, जबकि ऐसा करना विधि-विरुद्ध है। ओवरलोडिंग वाहनों से अनेक दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

ऐसी स्थिति में इस गम्भीर व अति-आवश्यक विषय को मुझे इस सदन में रखने की अनुमति प्रदान की, उसके लिए आपका आभार।

श्री अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, 295 ।

परिवीक्षा काल में सरकारी कार्मिकों को पूर्ण वेतन एवं भत्तों की अप्रदायगी

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं अत्यन्त ही लोक महत्व के, प्रदेश के युवा वर्ग से सम्बन्धित एक गम्भीर मुद्दे की ओर राजस्थान सरकार एवं वित्त मंत्रीजी, जो कि स्वयं माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, से निवेदन करता हूं कि प्रदेश के वित्त विभाग ने दिनांक 13 मार्च,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

2006 को एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड में दो वर्ष तक फिक्स मानदेय देने के आदेश जारी किये। उक्त आदेश के जरिये विभिन्न पे-स्केल वाले कार्मिकों के लिए अलग-अलग फिक्स राशि मानदेय के रूप में निर्धारित कर दी थी। तत्पश्चात् उस फिक्स मानदेय की राशि में नाम मात्र की बढ़ोतरी भी की गयी। वर्तमान में क्लर्क-ग्रेड सेकण्ड को मात्र 8,910/- रुपये प्रति माह मिलते हैं।

मेरा विनम्र अनुरोध है माननीय मुख्य मंत्री महोदयाजी से कि आज के इस भारी महंगाई के युग में प्रदेश के युवा, जो नौकरी पाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी पाते हैं। कार्य भी दूसरे कर्मचारियों के बराबर ही उनसे लिया जाता है, तो फिर वेतन के मामले में उनके साथ भेदभाव क्यों? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने भी, जिसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, जुलाई 2015 में वित्त विभाग के 13 मार्च, 2006 के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं कि सभी प्रोबेशनर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान के साथ विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता सहित देय भत्ते एवं परिलाभ के साथ ही प्रोबेशन अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि एवं दूसरे कर्मचारियों के समान आकस्मिक अवकाश भी दिया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित करने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को पूर्ण वेतन एवं भत्ते देने के आदेश आज तक जारी नहीं किये गये, जिससे प्रदेश के हजारों की संख्या में परिवीक्षाकाल में चल रहे कार्मिकों में भारी असंतोष, निराशा एवं हताशा की भावना पनप रही है। महंगाई के इस युग में एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी की पूरी तनख्वाह से ही गुजारा मुश्किल से हो पाता है, तो फिर नाम मात्र के फिक्स मानदेय से परिवार का पालन-पोषण कर पाना बहुत ही दुष्कर है।

अतएव नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मेरी राज्य सरकार एवं माननीया मुख्य मंत्रीजी, जो वित मंत्री भी हैं, से पुरजोर शब्दों में प्रार्थना एवं मांग है कि प्रोबेशन पर चल रहे हजारों सरकारी राज्यकर्मियों को उनके परिवार के पालन-पोषण करने में सहायक बनते हुए,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उन्हें तत्काल प्रभाव से पूर्ण वेतन एवं भत्ते देने के आदेश आज ही जारी करने की महती कृपा करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर की जीर्ण-शीर्ण सड़कें, बदहाल पार्क एवं गंदगी की स्थितियां

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295, विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहर के अविलम्ब और जन हित से जुड़े हुए एक मुद्दे की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से कोटा शहर और कोटा शहर के विभिन्न वार्डों में काफी गंदगी फैलने लगी है, पार्कों की स्थिति काफी बदहाल हो चुकी है। कोटा शहर के नगर निगम एवं नगर विकास न्यास के पार्कों में विकास कार्य नहीं होने से ये पार्क सूनसान होने लगे हैं तथा इन पार्कों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। कोटा शहर के भ्रमण स्थल चम्बल गार्डन, डाल्फिन पार्क, भीतरिया कुण्ड, सी.वी. गार्डन आज उपेक्षा के शिकार हैं।

शहर के प्रमुख चौराहे, जिनका निर्माण करोड़ों की लागत से करवाया गया था, आज धूल खा रहे हैं।

कोटा शहर का सबसे खूबसूरत भ्रमण स्थल चम्बल गार्डन, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग भ्रमण हेतु आते हैं, वहां पर लक्ष्मण झूला टूटा हुआ है। सारे झूले खराब पड़े हैं। जगह-जगह पर गंदगी का आलम है। यहां बच्चों के भ्रमण के लिए ट्रेन की पटरी बिछाये हुए काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं चल पायी है। चम्बल गार्डन में पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारियों के लगने के बावजूद पार्क से गंदगी नहीं उठायी जाती है। साथ ही, यहां की मूर्तियां काली होकर अपना सौन्दर्य खो चुकी हैं। पार्क में लगा म्यूजिक सिस्टम खराब हो चुका है।

इसके साथ ही शहर के सी.वी. गार्डन में भी गंदगी और अव्यवस्था है।

साथ ही, कोटा शहर के सुभाष सर्किल, कल्पना चावला सर्किल, डाल्फिन पार्क, गोबरिया बावड़ी, घटोत्कच सर्किल की स्थिति काफी खराब हो चुकी है।

(श्री संदीप शर्मा)

कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र स्थित कई पार्कों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। पार्कों की टाइल्स टूटने के साथ-साथ ये पार्क काफी बदहाल स्थिति में हैं।

कोटा शहर की दादाबाड़ी, महावीर नगर, केशवपुरा, विज्ञान नगर, अनन्तपुरा, श्रीनाथपुरम्, आर.के.पुरम्, सुभाष नगर, दीनदयाल नगर, आदि कालोनियों में सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। साथ ही, नालियों का निर्माण नहीं होने से आमजन को गंदगी की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। नगर निगम, कोटा द्वारा सफाई अभियान के लिए बनाये गये कंट्रोल रूम में आमजन से प्राप्त समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। कोटा शहरों के बाजारों में पार्किंग के लिये लम्बी-लम्बी कतारें आए दिन देखने को मिल रही हैं। कोटा शहर के पार्कों के सौन्दर्यीकरण, इन बदहाल सड़कों की मरम्मत के प्रस्ताव कोटा शहर के जन-प्रतिनिधियों द्वारा नगर निगम और यू आई टी, कोटा को भेजे गये हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पा रहा है।

(12.36 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कोटा का सीवरेज सिस्टम काफी पुराना हो चुका है। सीवरेज लाइनें पुरानी होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं। ये सीवरेज लाइनें जगह-जगह से जाम हो चुकी हैं, जिससे सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। सीवरेज लाइनों के जाम होने के कारण गंदगी एकत्र हो जाने से कोटा शहर की कालोनियों में दुर्गन्ध की समस्या से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। इसलिए इस ओर ध्यान देकर कोटा शहर के सीवरेज सिस्टम में सुधार किया जाना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने पिछली बार भी आपको करेक्ट किया था। आपके जो इसमें लिखा हुआ है, अक्षरश: वह ही बोलेंगे। You are not allowed to deliberate on issues, which are not in print.

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा शहर के कचरा पाइंटों से कचरा संग्रहण समय पर नहीं हो पा रहा है, जिससे कचरा सड़कों पर फैला रहता है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थानों पर खुले में कचरा जलाया जा रहा है।

अत: मेरा आपके माध्यम से नगर विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी

(श्री संदीप शर्मा)

से निवेदन है कि कोटा शहर की जनता के हित में कोटा शहर की इन जीर्ण-शीर्ण सड़कों का निर्माण, शहर के इन प्रमुख चौराहों की हालत सुधारने और कोटा शहर के सीवरेज सिस्टम में सुधार करने और पार्क की स्थिति को बेहतर बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम प्रकाश हुडला।

रसीदपुरा से समलेटी बाइपास का निर्माण

श्री ओमप्रकाश (महुवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहूंगा कि महुवा जिला दौसा जयपुर-आगरा एन एच-11 पर बसा हुआ है। यहां से अलवर एवं हिण्डौन-करौली को भी सड़क जाती है, जिसके कारण महुवा कस्बे से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। यहां पर आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कस्बेवासियों को काफी परेशानी होती है।

रसीदपुर से समलेटी बाई-पास बन जाता है तो अलवर एवं जयपुर से आने वाले वाहन सीधे महुवा कस्बे में न जाकर, बाई-पास से निकल जावेंगे। इस बाई-पास के निर्माण का आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

महुवा के आमजन की सुविधार्थ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुरोध है कि रसीदपुर से समलेटी बाई-पास निर्माण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा। हम भेज देते हैं आपके पास में।

डूंगरपुर में थाना से बिछीवाड़ा सड़क का निर्माण एवं चौड़ाईकरण

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): नहीं, है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये डूंगरपुर जिले की थाना से बिछीवाड़ा सड़क का निर्माण एवं चौड़ाईकरण हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले की थाना से बिछीवाड़ा सड़क डूंगरपुर जिला मुख्यालय से पंचायत समिति मुख्यालय बिछीवाड़ा को जोड़ती है। वर्तमान में इस सड़क से मध्य प्रदेश एवं गुजरात के वाहन भी गुजरते हैं। यह काफी व्यस्त सड़क है। यह डूंगरपुर जिले की मुख्य सड़क है। यह सड़क नेशनल हाई-वे नम्बर आठ को भी जोड़ती है। यह सड़क टूट जाने से वाहन मालिक अपने वाहनों को 30 किलोमीटर घुमा कर आने-जाने को मजबूर हैं तथा राजस्थान रोडवेज की बसें भी यह रोड खराब होने की वजह से बार-बार खराब हो जाती हैं। यात्रियों को अपनी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। क्षेत्र की जनता में भारी रोष है तथा गुजरात एवं मध्य प्रदेश की जनता तथा क्षेत्र की जनता सवालिया निशान लगा रही है। इस बात को लेकर हमेशा जिला परिषद एवं पंचायत समिति की साधारण सभाओं में भी हंगामा होता रहा है। यह सड़क क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गयी है। इसलिए इस सड़क को प्राथमिकता देते हुए सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण किया जाये।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में यू आई टी द्वारा काटी गई कालोनियों में पेयजल समस्या

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये पानी की समस्या से राहत दिलाने के बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यू.आई.टी. द्वारा बनायी गयी कालोनियों में पानी की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन कालोनियों में पंचायत बैड़वास, भोइयों की पंचोली, मनवाका खेड़ा, तीतरड़ी, डाकन कोटड़ा, सवीना, देवाली, सिसारमा, बड़ी, बलीचा, काया, सोभागपुरा, भूवाणा और डीकली, ये सारी की सारी पंचायतें, उदयपुर के चारों ओर मेरे उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र का एरिया है और पंचायतों के पास विकास के लिए इतने संसाधन नहीं हैं। यू.आई.टी. कालोनी होने के कारण जो भी सरकार कर्मचारी यू.आई.टी. को

(श्री फूलसिंह मीणा)

देखकर प्लाट लेता है और लोन लेकर मकान बनाता है। जब मकान बना लेता है और निवास करता है, तो वह पानी बिना बहुत परेशान होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं, आप उदयपुर से जन-प्रतिनिधि रह चुकी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम यू.आई.टी. द्वारा जो कालोनियां काटी हुई हैं, उन कालानियों में पीने के लिए पानी आज की तारीख में 300 रुपये से 500 रुपये खर्च करके, हर तीन दिन में पानी का टैंकर डलवाना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाकर आम गरीब जनता को राहत प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष 2016-17 के बजट में कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे सभी पंचायतों को पानी मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

डूंगरपुर जिले में नरेगा योजना अन्तर्गत जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभ की अप्रदायगी

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत सदन में मुझे आपने आज अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि राजनीति में रहते हुए और समाज तथा आमजन के बीच में रहकर बहुत सारी वेदनाओं को अनुभूत किया है। आज वागड़ अंचल में निवास करने वाली गरीब जनता की वेदनाओं को व्यक्त करना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि आजादी के बाद अब तक इस क्षेत्र को इन वेदनाओं और दु:खों से मुक्ति नहीं मिली है और यहां की जनता का अन्तर-मन चीख-चीख का यह कह रहा है, we want freedom; we want freedom. ...। माननीय सदस्य, आश्चर्य ना व्यक्त करें। यह आजादी कुछ अलग तरह की है। यह आजादी जनता पर हावी अफसरशाही से है। वागड़ अंचल का आमजन आजादी मांग रहा है गरीबी, बेरोजगारी और शोषण-रूपी असुरों से, जो यहां के आम व्यक्ति को आगे बढ़कर और समाज की मूल धारा में आने से रोक रहे हैं।

अब मैं सदन को स्पष्ट करती हूं कि वागड़ अंचल के दोनों जिले, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अधिसंख्य निवासी गरीबी रेखा से नीचे हैं और दिनों-

(श्रीमती अनिता कटारा)

दिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार की योजनाएं उनकी मदद नहीं कर रही हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार की योजनाएं यहां बदस्तूर जारी हैं और उन पर सरकार से स्वीकृत पूरी-पूरी राशि भी व्यय हो रही है। सरकार तक योजनाओं की गलत तस्वीर पेश की जा रही है और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हम सबके रहते हुए भी हो रहा है।

मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2005 में डूंगरपुर जिले में लागू हुई नरेगा योजना का 11 सालों के बाद भी सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बात यह है कि हमारे अफसर इस स्थिति के बावजूद पूरे भारत में अव्वल रहने का पुरस्कार जरूर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है।

अभी हाल ही में डूंगरपुर में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक का हवाला देना चाहूंगी, जिसमें मेरे एक सम्माननीय विधायक साथी ने अपने विधान सभा क्षेत्र में दस पंचायतों के नाम गिनाते हुए, इन पंचायतों में पिछले वर्ष भर में नरेगा में एक भी काम स्वीकृत नहीं होने का मुद्दा उठाया। तो सम्बन्धित अफसरों ने वस्तु-स्थिति जांच कर बताने के नाम पर, बैठक में ही लीपापोती करते हुए मुद्दे को आया-गया कर दिया। प्रभारी मंत्री महोदय ने जिले के सारे भारत में अव्वल होने की टिप्पणी के साथ ऐसे हालातों को चिंतनीय बताया। तथापि, जिले के आला अफसरों ने अपनी इस कमी पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की।

आप, हम सब जानते हैं कि नरेगा योजना आम जनता को रोजगार देने का अधिकार देने वाली योजना है, परन्तु 11 साल बीतने के बाद भी जनता को उसके अधिकारों का पता नहीं है और विधायक को ग्राम पंचायतों में काम स्वीकृत नहीं होने को समीक्षा बैठकों का मुद्दा बनाना पड़ता है, सिर्फ, और सिर्फ हावी अफसरशाही के कारण।

मैं कहना चाहती हूं कि जनता के अधिकारों पर हावी ऐसी अफसरशाही से मेरे क्षेत्र की जनता आजादी पाना चाहती है। अफसरों के केबिन में पैर रखने से डरती है मेरे क्षेत्र की जनता। आजादी के इतने सालों बाद भी अफसरशाही से वागड़ क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी अफसरशाही चलाने वाली अफसरों पर लगाम कसी जाए।

(श्रीमती अनिता कटारा)

मैं इस सदन में अपनी बात रखते हुए कहना चाहती हूं कि सुनहरे सपने दिखाती अफसरशाही समाज को गर्त में धकेल रही है। विकास की दिशा में हर व्यक्ति को ले जाने के प्रयासों की सफलता के लिए, आप सभी का और सदन से सहयोग की आशा व्यक्त करती हूं। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि नकारात्मक मुद्दों को उठाकर भी, जन हित में सकारात्मक प्रयास की उम्मीद करती हूं। मेरी वाणी को आप अन्यथा नहीं लेंगे, ऐसी आशा करती हूं।

सदन में आप सब ने मेरे क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सुना, इसके लिए उपाध्यक्ष महोदयजी, आपका धन्यवाद और आप सभी का आभार।

श्री उपाध्यक्षः वैसे तो, मंत्री महोदय, आप अपने विभाग से इस 295 का विधिवत जवाब भिजवायेंगे, लेकिन माननीय सदस्या ने जिन दस ग्राम पंचायतों का नरेगा के सम्बन्ध में जिक्र किया है, यह वाकई में चिंताजनक है। तथ्यात्मक रिपोर्ट जरूर आप इसका अवलोकन कराएं। यह आसन की तरफ से आपसे निवेदन है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अभी जो मुद्दा उठाया है, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर के मैं माननीय सदस्या को सूचित कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्षः श्री दलीचन्द डांगी।

मावली में पेयजल समस्या

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में 62 पंचायतें एवं एक नगरपालिका क्षेत्र है। 30 ग्राम पंचायतों में पेयजल की भयंकर समस्या है, जिसका समाधान कराना अति-आवश्यक है। क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से पेयजल का संकट होने लगा है। हैण्डपम्प, ट्यूबवेल में भी पानी की आवक कम है एवं गर्मी में अधिकतर हैण्डपम्प सूख जाते हैं। पिछले वर्षों में पानी की कमी होने के कारण टैंकरों द्वारा जल परिवहन किया गया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों, ढाणियों में उपलब्ध पानी की जांच करवाकर, फ्लोराइड-युक्त पानी जहां-जहां भी है, वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, उसके लिए वृहत् पेयजल योजना बनाई जाये।

(श्री दलीचंद डांगी)

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पेयजल से वंचित रहे ढाणी, मजरों में स्थायी पेयजल की पुख्ता व्यवस्था नहीं है एवं क्षेत्र में कोई सतही स्रोत भी नहीं है। भू-गर्भ में जल की कमी के साथ पानी भी पीने-योग्य नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है, जो कि पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में आये दिन लीकेज तथा दूषित जलापूर्ति की स्थिति बनी रहती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले पानी से यहां की जमीन का पानी खराब हो रहा है। टयूबवेल तथा कुआं, आदि खुदवाने पर पीले रंग का पानी आता है, जिससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र उमरडा, झामर कोटड़ा, हिन्दुस्तान जिंक, गुडली, फतह नगर, सनवाड़, सुखेर के आसपास की पंचायतों में पेयजल की वृहत् योजना, आर.ओ., आदि लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मानसी वाकल से मावली विधान सभा क्षेत्र से होकर दरीबा जा रही हिन्दुस्तान जिंक की पाइपलाइन से क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में पेयजल योजना बनाकर आपूर्ति की जाये, ताकि पेयजल की आपूर्ति हो सके तथा आम जनता को पेयजल की राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र में पेयजल के स्थायी समाधान हेतु बागोलिया तालाब में फीडर के माध्यम से गुरुत्व प्रवाह द्वारा पानी का अपवर्तन उदय सागर बांध से किया जा सकता है, जिससे न केवल बागोलिया तालाब में 155 एम सी एफटी पानी अपवर्तित होगा, वरन् क्षेत्र के भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि होगी, एवं पेयजल के स्रोत यथा हैण्डपम्प, कुएं, बावड़ी, इत्यादि से गर्मी के दौरान भी आगामी वर्षों में पेयजल उपलब्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नंद किशोर महरिया।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर सिंह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नंद किशोरजी तो आंकड़े वाले जाल में फंस गये। उसके बाद आये ही नहीं।

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में संशोधन व इसे तहसील/पालिका स्तर पर लागू किया जाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान किराया अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या-1) कानून जिला स्तर पर लागू है। इस नियम के तहत जिला स्तर पर कोई भी दुकान मालिक किरायेदार से दुकान खाली नहीं करवा सकता है, सिर्फ नियमानुसार किराया ही बढ़ा सकता है; लेकिन तहसील स्तर पर लागू नियम के अनुसार दुकान मालिक किरायेदार से जबरन दुकान खाली करवा सकता है इसके कारण इन गरीब किरायेदारों की जिंदगी मुश्किल में है।

तहसील स्तर पर लागू नियम से ब्यावर जैसे शहरों में हजारों लोग परेशान हैं। इस नियम के तहत भू-माफियों द्वारा दुकान मालिकों से दुकानें खरीद कर गरीब दुकान किरायेदारों से जबरन दुकानें खाली कराई जा रही हैं। राजस्थान में तहसील स्तर पर 106 टी.पी. एक्ट लागू है। इस नियम के कारण ही ब्यावर जैसे शहरों में वर्षों से दुकान से रोजी-रोटी कमाने वाले दुकान किरायेदारों से दुकान मालिक दुकानें खाली करवा रहे हैं। ऐसे मामले ब्यावर में अत्यधिक होने लगे हैं, जिससे इन दुकान किरायेदारों के लिए रोजी-रोटी कमाने के लिए संकट खड़ा हो गया है।

अतः निवेदन है कि जिला स्तर पर लागू कानून को पूरे ही राजस्थान में तहसील स्तर, पालिका स्तर पर लागू करने की कृपा करावें, ताकि दुकान किरायेदारों को रोजी-रोटी के संकट से त्वरित निजात मिल सके।

श्री उपाध्यक्षः श्री पब्बाराम बिश्नोई।

फलौदी स्थित राजकीय चिकित्सालय में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से निवेदन है कि राजकीय चिकित्सालय, फलौदी 75 शय्यों के स्तर का था, जिसके तहत कनिष्ठ विशेषज्ञ के 5 पद, वरिष्ठ चिकित्सा

(श्री पब्बाराम)

अधिकारी का 1 पद एवं चिकित्सा अधिकारी के 5 पद स्वीकृत थे। उक्त स्वीकृत 11 चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध केवल 6 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। जबकि मुख्य पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतना, स्त्री रोग विशेषज्ञ) तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण चिकित्सालय में समुचित चिकित्सा व्यवस्थाओं का अभाव है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक: प-25(1)चिस्वा/ग्रुप-2/175/2013 दिनांक 3.05.2013 के द्वारा राजकीय चिकित्सालय, फलौदी में शय्याओं की संख्या 75 से 100 की गयी थी एवं बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में राजकीय चिकित्सालय, फलौदी को 150 शय्याओं में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई थी, किन्तु इस संस्थान में 150 शय्याओं के स्तर के अनुरूप वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं और न ही नर्सिंग कार्मिकों एवं अन्य सहयोगी चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं।

राजकीय चिकित्सालय, फलौदी जोधपुर जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इस चिकित्सालय की ओ पी डी करीब 500 मरीज प्रतिदिन है। यहां के निवासियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

राजकीय चिकित्सालय, फलौदी में 100 शय्याओं की स्वीकृति के अनुसार आवश्यक बजट एवं सुविधाओं में भी वृद्धि नहीं की गई है, जिससे इस क्षेत्र के सबसे बड़े चिकित्सालय द्वारा मरीजों को समस्त प्रकार की सुविधाएं देने में असुविधा हो रही है। इस संस्थान को सभी प्रकार की सुविधाओं एवं बजट आज दिनांक तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलौदी स्तर का मानते हुए ही आबंटित किया जाता है, जैसे सफाई बजट मात्र 30 हजार रुपये प्रति माह, जो कि शय्याओं एवं इस चिकित्सालय को देखते हुए बहुत कम है। इस तरह से अन्य बजट भी कम दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में राजकीय चिकित्सालय, फलौदी को 150 शय्याओं में क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन 150 शय्याओं के अनुरूप स्तर की किसी भी चिकित्सा व्यवस्था का विस्तार नहीं किया गया है।

(श्री पब्बाराम)

अत: इस सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजकीय चिकित्सालय, फलौदी में 150 शय्याओं के अनुरूप स्तरीय चिकित्सक, नर्सिंग कार्मिक, अन्य चिकित्सा स्टाफ एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाकर चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। डा. फूलचन्द भिण्डा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कालेज शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उच्च शिक्षा में सरकारी कालेजों का महत्व है। 195 के लगभग सरकारी कालेज हैं, जिनमें 49 परसेंट के लगभग विद्यार्थी पढ़ते हैं। 5 हजार के लगभग पूरा कैडर है; गजटेड कैडर है पूरा का पूरा। उसके वेतनमान 1973 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत रिकमंड होते हैं और सरकार उसके अनुरूप देती है। 5 साल तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसका पुनर्भरण भी करता है। लेकिन राजस्थान में 1986 के बाद जो रिकमंडेशन हुई, उसमें 2 ऐसी समस्याएं हैं जो कालेज शिक्षकों के सामने मुंह बायें खड़ी हैं। बार-बार सदन में भी आश्वासन मिला है लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हुई।

(13.00 बजे)

पहली समस्या है कि वर्षों तक टेम्पोरेरी लेक्चरर रहते हैं, आर पी एस सी होती नहीं। उसके बारे में पहली बार 1986 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि नियमित होने के पूर्व और अन्यत्र की गई सेवा, समान शर्तों और समान वेतनमान पर कहीं भी काम किया हो, अगर वह व्यक्ति प्रमोशन की स्थिति में आता है, तो पूर्व सेवा का लाभ, अन्यत्र सेवा का लाभ दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान में यह दिया नहीं गया। 1,300 के लगभग प्राध्यापक कोर्ट में चले गये, कोर्ट से फैसले हुए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने पूर्वाग्रह के आधार पर बार-बार उसको डिनाई किया। सिंगल बेंच में शिक्षक जीत गये, डबल बेंच में चली गई सरकार; डबल बेंच में जीत गये तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी चार-बार सरकार एस एल पी लेकर गई, चारों बार उनकी एस एल पी रिजेक्ट हुई। लेकिन अभी तक भी वह लाभ नहीं दिया गया।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इतना ही नहीं, उसमें महत्वपूर्ण भेदभाव यह किया गया कि अगर प्राइवेट कालेज में, गवर्नमेंट कालेज में अस्थायी सेवा की और विश्वविद्यालय में चला गया, उसको लाभ दे दिया गया; अगर वह प्राइवेट कालेज में चला गया तो प्राइवेट कालेज में लाभ दे दिया गया, लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए, सरकार में अस्थायी रहते हुए, सरकार में अगर वह परमानेंट हो गया, आर पी एस सी से चयनित हो गया, तो उसको पूर्व सेवा का लाभ अब तक भी नहीं दिया गया। दिया, केवल उनको दिया, जिनको कोर्ट ने निर्देशित किया। कोर्ट में एस एल पी निरस्त होने के बाद भी, सरकार ने फिर भी नहीं दिया। जब कोर्ट में मानहानि का दावा हुआ, या कोर्ट की अवहेलना हुई, उसका दावा जब दुबारा लाया गया, उसके आधार पर इंडिविजुअल रूप से दिया जा रहा है। यह एक तरह से मैं प्रशासन की हठधर्मिता ही मानता हूं कि इस प्रकार की स्थिति में शिक्षक बार-बार न्यायालय जाएं, अभी भी सैकड़ों रिटें कोर्टों में हैं।

ऐसा ही प्रकरण लगभग 20 राज्यों में था, लेकिन सब राज्यों ने, तीन-चार को छोड़कर सब राज्यों ने इसको स्वीकार किया और उनको लाभ 1986 से दिया गया। हमारे पड़ोस में गुजरात है, गुजरात में तो एक और किया गया कि पूर्व सेवा में उन्होंने ऐसा फार्मूला शिक्षकों के बीच में तय कर दिया कि अनुभव का लाभ 365 दिन के आधार पर निकालकर वर्षों में डिवाइड करके दिया गया। इस कारण से शिक्षकों में कोई विवाद नहीं हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के तीन-तीन मंत्रियों ने हमारे एक माननीय सदस्य को किडनैप कर रखा है और उनको आजाद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी-सी व्यवस्था फरमाएं। तीन मंत्रियों ने हमारे एक माननीय सदस्य को किडनैप कर रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, इनका किडनैप और मेरे जैसा अदना आदमी! यह सम्भव है?

श्री उपाध्यक्ष: वैसे उनका नाम भी 'गिर्राज' है, उनको कौन किडनैप कर सकता है। ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वे खुद किडनैप करने जैसे हैं। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में जो लाभ दे दिया गया, प्राइवेट कालेजों में दे दिया गया, इवन ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो किडनैप करने वाले अगर एक जगह बैठ जाएं, तो वह भी खतरनाक है। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नेता प्रतिपक्ष के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा आशय आपसे है, हुजूर। मेरा आशय आपके लिए है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरे जैसे भद्र पुरुष पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं। आप ज्ञानी हो सकते हैं, पर हमारी भद्रता भी प्रसिद्ध है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह भद्रता की ही टिप्पणी है, वरना अभद्रता तो दूसरा स्वरूप है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे टिप्पणी तो तीन मंत्रियों के लिए हुई थी, एक ही मंत्री ने जवाब क्यों दिया? बाकी दो मंत्रियों पर यह बात लागू होती है, या नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हुजूर, तिनका। (व्यवधान) दाढ़ी में तिनका है, हुजूर।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): भद्रता तो है या नहीं, लेकिन ब्रदरता जरूर है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से दूसरी समस्या है कि उच्च शिक्षा में और अधिक योग्यता प्राप्त करने पर उनको इंसेंटिव दिये जाते हैं, पीएच डी, एम फिल का लाभ 1986 से दिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने 2002 में एक मनमाना आदेश निकाला और कहा कि ए जी ने आपत्ति की है, दोहरा लाभ है। बाद में जब उसका स्पष्टीकरण दिया गया प्रिंसिपल के द्वारा, तो ए जी ने उस पैरे को निरस्त कर दिया। उसके बावजूद भी, देश के सभी राज्यों में दिया जा रहा है वह लाभ पीएच डी और एम फिल का, लेकिन वह यहां बंद कर दिया गया। राजस्थान में वही इक्विवलेंट कैडर मेडिकल में है और मेडिकल के डाक्टर्स को उसका लाभ, उच्च योग्यता का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कालेज प्राध्यापकों को बंद कर दिया गया।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से अभी 2010 में एक आदेश निकला राजस्थान सरकार का कि विश्वविद्यालय में 1997 के बाद अगर किसी ने पीएच डी की है तो उसको लाभ दिया जाएगा। गवर्नमेंट कालेज से, पता नहीं, क्या दुश्मनी है प्रशासन की कि विश्वविद्यालय में हो, तो दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से, प्राइवेट कालेजों में लाभ ले लिया और वह गवर्नमेंट कालेजों में आ गये; पिछली सरकार का अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय था कि जो एडेड लोग थे उनको भेज दिया गया कालेजों में; वे लाभ लेकर आये हैं। प्रिंसिपल से भी व्यक्ति ज्यादा प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार की विसंगति पैदा हो गई है।

इस कारण से इन दोनों विषयों में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों विषय, पीएच डी और एम फिल का बेनिफिट दुबारा चालू किया जाए। जो मनमाने तरीके से दोहरा लाभ मानकर; दोहरा लाभ की स्थिति यह है, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूर्व स्केल है उसी के कारण से दूसरे स्केल में लाभ हो, तो दोहरा लाभ होगा, वरना उसमें लाभ है ही नहीं। दूसरी ग्रेड में जाता है, उससे पहले वह विलुप्त हो जाता है। इस कारण से यह विशेष समस्या है टीचर्स की और इसके कारण से अभी सैकड़ों केस कोर्ट में हैं, मैं आपके माध्यम से...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक के बैठे हुए, उप मुख्य सचेतक कार्यवाही में कोई भाग लेकर, आसन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वैसे यह बात सब अपने-अपने स्तर पर ध्यान रखें, तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इस कारण से मैं इन दो समस्याओं, जो वर्षों से, 1986 की रिकमंडेशन में थीं और उसमें बार-बार मुख्य मंत्रियों के द्वारा भी और शिक्षा मंत्रियों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया शिक्षकों को, वे पेंडिंग हैं। इस कारण से आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इसका मंत्रीजी आश्वस्त करें और शिक्षकों की जो लम्बे समय से मांग चल रही है, उसका समाधान करे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो समस्याओं के बारे में जिक्र किया है। मैं बताना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं

(श्री कालीचरण सराफ)

द्वारा पूर्व में की गई अस्थायी सेवा के लाभ के सम्बन्ध में उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालयों एवं कुछ प्रकरणों में निजी महाविद्यालयों में अस्थायी सेवा का लाभ माननीय न्यायालयों के आदेशों की पालना में दिया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में की गई अस्थायी सेवा को भी माननीय न्यायालय की पालना में अस्थायी सेवा के साथ जोड़कर, उन्हें वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान का लाभ कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत दिया गया है। जिन व्याख्याताओं ने अस्थायी राजकीय सेवा का लाभ दिए जाने हेतु माननीय न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की, उनको अस्थायी सेवा का लाभ देने हेतु विभाग द्वारा प्रकरणों का परीक्षण करवाया जाएगा।

दूसरी आपने समस्या उठाई पीएच डी योग्यताधारी व्याख्याताओं को दी गई अग्रिम वेतन वृद्धियों के सम्बन्ध में। तो मैं बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पांचवें वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजस्थान शिक्षा सेवा के पीएच डी, एम फिल डिग्रीधारक शिक्षकों को इंसेंटिव प्रदान किए जाने का प्रावधान वित्त विभाग के परिपत्र 19.2.2001 के बिन्दु संख्या 3 के नियम 11 में किया गया है। तदनुसार पीएच डी, एम फिल डिग्री-धारक शिक्षकों को अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई। वित्त विभाग की अधिसूचना एफ-13(2)/एफडी/रूल्स/98 दिनांक 6.5.2000 द्वारा उक्त नियम के 11 के प्रावधानों को विलोपित किया गया।

कार्यालय महालेखाकार ने कालेज व्याख्याताओं को नियुक्ति के समय या सेवा काल में पीएच डी लाभ प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ स्वीकृत किए जाने की स्थिति में चयनित वेतनमान स्वीकृति के समय पुन: अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ स्वीकृत किए जाने को दोहरा लाभ माना है। फलस्वरूप दोहरा लाभ प्राप्त व्याख्याताओं से वसूली करने हेतु कालेज प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है। दोहरे लाभ वसूली के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण से व्याख्याताओं को स्टे मिला हुआ है।

वित्त विभाग ने चयनित वेतनमान प्राप्त शिक्षकों को पुन: अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है ताकि प्रकरण का पुन: परीक्षण किया जा सके। पीएच डी, एम फिल योग्यताधारी व्याख्याताओं

(श्री कालीचरण सराफ)

को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.2.2001 के प्रावधान के अनुसार पुन: अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त किया जाएगा तथा वित्त विभाग से तदनुरूप प्रकरण का पुन: परीक्षण करवाया जाएगा। तब तक कालेज व्याख्याताओं से की जाने वाली वसूली को स्थगित रखा जाएगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

झालावाड़ की हरिशचन्द सागर परियोजना का सिंचाई तंत्र

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में, चाहे वह झालावाड़ जिला हो, कोटा जिला हो, बारां, बूंदी हो, वर्षा ऋतु में जितना पानी इस पूरे क्षेत्र में आता है और मध्य प्रदेश से जो नदियां निकलती हैं, वह चम्बल हो, पार्वती हो, कालीसिंध हो, परवन हो, सारी नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं; आज हम आजादी के 69 साल बाद भी उन नदियों पर परियोजना बनाकर उनके पानी का समुचित उपयोग नहीं कर पाये हैं। यह विडम्बना तब है जब हमारे पास देश के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भूभाग है और मात्र 1.06 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। इस स्थिति में इस बात की बड़ी आवश्यकता भी है। हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में परवन सिंचाई परियोजना, जो 4,825 करोड़ की है और 700 करोड़ का बजट प्रावधान करके जो घोषणा की है, उसके लिए तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बहुप्रतीक्षित हाड़ौती के किसानों की लम्बित महती परियोजना की घोषणा भी की और इसे बजट में सम्मिलित किया गया।

झालावाड़ जिले में माननीया मुख्य मंत्री के पूर्व कार्यकाल में 2003 से 2008 के अन्दर जो कालीसिंध वृहत् परियोजना थी, जिसकी डी पी आर बनायी गयी और डी पी आर बनाकर मंजूरी के लिए प्रयास किया गया, लेकिन उस समय उसमें जो अड़चनें थीं उनके कारण से वह मंजूर नहीं हो पायी और उसके कारण उसके निर्माण में देरी भी हुई। परन्तु उसके बाद जो सरकार आयी, उस परियोजना में जो क्षेत्रफल लिया गया था, उस मूल परियोजना में 323 मीटर की ऊंचाई थी, जिसे घटाकर 316 मीटर कर दिया गया। उसके कारण झालावाड़ क्षेत्र ही नहीं, झालावाड़ का पाटन हो, असनावर हो, खानपुर हो, या मेरे विधान सभा क्षेत्र की सांगोद तहसील हो, कनवास तहसील हो, यहां की

(श्री हीरालाल नागर)

जो सिंचाई की परियोजनाएं थीं, वे प्रभावित हुईं और उसके कारण से प्रथम चरण में बांध का निर्माण हुआ 316 मीटर, उससे जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, किसान उस लाभ से वंचित रहे। इस कारण से आज स्थिति यह है कि उन किसानों में असंतोष है और यह प्रयास निश्चित रूप से किया जाना चाहिए कि द्वितीय चरण जो इस कालीसिंघ का है, उसकी भी घोषणा इस बजट सत्र में की जाय और उसके प्रयास किये जाय, तो यह नहर से वंचित जो क्षेत्र बचा है उसको भी लाभ मिल सकेगा।

पहले चरण के इस बांध के निर्माण में, जो 316 मीटर की ऊंचाई थी, उसके अन्दर हरिशचन्दसागर परियोजना, जो पूर्ण निर्मित क्षेत्र है, उसमें पूरी सिंचाई परियोजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन उसमें मात्र बरसात के समय ही पानी आता है और रबी के समय जब नदी में फ्लो नहीं रहता, तो वह पूरा नहरी तंत्र सिंचित नहीं हो पाता है। उस समय किसानों को बिजली व ट्यूबवेल पर आधारित होना पड़ता है। बड़े खर्च के बाद भी किसान को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। उसके कारण से किसान पर्याप्त सिंचाई करने से वंचित रहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि प्रथम चरण में परियोजना क्षेत्र में जो गांव थे और हरिशचन्दसागर परियोजना का क्षेत्र भी उसमें था, लेकिन पूर्व की सरकार ने 2009 में अपने एक सरकारी आदेश से 2.9.2009 को एक आदेश निकाला और हरिशचन्दसागर का पानी था, उस पानी को कालीसिंघ थर्मल के द्वितीय चरण के लिए, 37.38 मिलियन घन मीटर पानी उसके लिए रिजर्व कर दिया। उसके कारण से हरिशचन्दसागर बांध परियोजना का क्षेत्र था, वह इस पानी से वंचित है और उसको प्रथम चरण में भी पानी नहीं मिल पा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से इन किसानों को वंचित किया है, किसानों की जितनी उपजाऊ भूमि है हाड़ौती की, उसका लाभ मिलना चाहिए।

द्वितीय चरण में, मेरा अनुरोध है सिंचाई मंत्रीजी से भी और माननीया मुख्य मंत्रीजी से, कि द्वितीय चरण में हरिशचन्दसागर के पूर्व नहरों के तंत्र को भी विकसित किया जाय और द्वितीय चरण में कनवास तहसील और झालावाड़ के असनावर व झालरापाटन क्षेत्र हैं, उनको भी पानी का प्रावधान किया जाय, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दोनों बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिलेगा और किसानों के साथ-साथ, इस क्षेत्र में पेयजल का भी विकास किया जा सकेगा।

(श्री हीरालाल नागर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध से जो प्रस्तावित क्षेत्र था, असनावर क्षेत्र के 12 गांवों के 2,022 हेक्टेयर को पानी दिया जाना था; झालावाड़ क्षेत्र के, झालरापाटन तहसील के 25 गांवों के 1,671 हेक्टेयर को पानी दिया जाना था; और खानपुर तहसील के 21 गांवों के 7 हजार हेक्टेयर में पानी दिये जाने का प्रावधान था। उसी के साथ, मेरे विधान सभा क्षेत्र के 40 गांवों को, सांगोद विधान सभा क्षेत्र की सांगोद तहसील में 10,500 हेक्टेयर को सिंचित किया जाना था और कनवास तहसील के 40 गांवों के 10,500 हेक्टेयर को सिंचित किया जाना था। कुल मिलाकर 31,693 हेक्टेयर का प्रावधान इस कालीसिंध डैम के माध्यम से झालावाड़, झालरापाटन, खानपुर, कनवास और सांगोद तहसीलों को लाभ होना था। द्वितीय चरण की इस योजना को निश्चित रूप से चालू किया जाता है, तो यह सारा लाभ भी मिलेगा।

इसके साथ-साथ, पूर्व निर्मित क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाय, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने इस कमाण्ड क्षेत्र से निकालते हुए अलग कर दिया और किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया है।

इसी के साथ मेरा अनुरोध है कि द्वितीय चरण का डैम निर्मित हो, उसमें से एक लिफ्ट परियोजना बनायी जाय और लिफ्ट परियोजना के माध्यम से मात्र 150 क्यूसेक्स पानी छोड़ दिया जाता है, तो कनवास तहसील की वर्तमान परियोजना में जितना बड़ा खर्चा करके, बड़ा पुल बनाकर, 475 करोड़ की योजना को डी पी आर में सम्मिलित किया गया है, उसकी जगह मात्र 3 जगह पर, जहां पूर्व में एनिकट निर्मित हैं, वहां नदी के फ्लो से पानी छोड़ दिया जाय, 150 क्यूसेक्स पानी भी छोड़ दिया जाता है, तो तीन नहरें बनाकर 10,500 हेक्टेयर का कनवास तहसील का क्षेत्र है उसको भी लाभ दिया जा सकता है; सांगोद तहसील के 10,500 हेक्टेयर को भी दिया जा सकता है और खानपुर, झालरापाटन, असनावर को भी पानी दिया जा सकता है।

इसके माध्यम से इस योजना को इसी बजट सत्र के साथ-साथ, अगर प्रावधान किया जाता है, तो निश्चित रूप से हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक बड़ी परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन के इसाली व देसूरी में शौचालय निर्माण में अनियमितताएं

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पर्ची के माध्यम से मैं ऐसे विषय को उठा रहा हूं, भारत सरकार की गांवों में स्वच्छ भारत की कल्पना किये हुए हर घर में शौचालय बनाने की कल्पना है, उसको साकार करने का हमारा लक्ष्य है, किन्तु जिस तरह से निचले स्तर पर सरपंचों और विकास अधिकारी, जे ईएन की मिलीभगत से बिना निर्माण किये भी भुगतान किये जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को भी भुगतान किया जा रहा है, ऐसे पुराने बने हुए शौचालयों का भी भुगतान उठाया जा रहा है, एक ही नाम पर दो-दो बार भुगतान लिया जा रहा है। ऐसा पंचायतों में हो रहा है। मेरे प्रश्न के जवाब में देसूरी पंचायत समिति की 7 पंचायतों में जो स्वीकृतियां हुईं, उनमें एक पंचायत में बताया कि 20 नामों की स्वीकृतियां, पुनारावृत्ति होने के कारण 20 नाम निरस्त किये गये हैं। यह मैंने प्रश्न उठाया, तब उन 20 नामों को निरस्त करके यह सूची भेजी। पहले उनको भुगतान हो चुका था, फिर भी उनकी स्वीकृतियां जारी हुईं।

दूसरा, मारवाड़ जंक्शन में भी विकास अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है कि शौचालय निर्माण हेतु 847 आवेदन प्राप्त हुए, 847 की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, 32 परिवारों को दोहरी स्वीकृतियां जारी हो जाने से निरस्त की गयीं। इसके पहले जो ये सूचियां दी गई हैं, इन सभी लोगों के शौचालय बन चुके हैं और उनको भुगतान कर दिया और दुबारा वापस 32-32 और 20-20 नाम सूची में आना बहुत ही दु:खद है।

इससे सरकार की जो मंशा है कि गांव साफ-सुथरा हो, गांवों में कोई भी बाहर व्यक्ति शौच नहीं करे और इसके लिए शौचालय बनाने के लिए जो 4,600 रुपये दिये जाते थे, उसके स्थान पर 12 हजार रुपये देकर सरकार शौचालय बना रही है। मैं निश्चित दावे से कह सकता हूं कि मेरे हिसाली पंचायत में पूर्ववर्ती सरकार ने 64,600 जिला परिषद् से शौचालय मद में प्राप्त किये और 101 तो 4,600 रुपये से तथा 500 शौचालय 12 हजार से, जबकि शौचालय 100 ही थे और 100 की जगह 1 शौचालय, न मालूम कैसे, चैक से पैसा उठ गया और उस पैसे का भुगतान उठा लिया। उसी तरह से 60 लाख 8 हजार 600 रुपये के तो शौचालय हो गये और उनमें से 3 लाख 72 हजार का गबन है, उन पैसों में से, और न मालूम, वह पैसा कहां है? विकास अधिकारी

(श्री केसाराम चौधरी)

ने जांच की और जांच में उसने 25 हजार 800 रुपये पूर्व सरपंच से वसूल किये और रिकवरी करके एक आदेश निकाला कि पूर्व सरपंच के खिलाफ में पंचायत का मुंशी मुकदमा दर्ज कराये। उस मुंशी ने कहा कि भले ही मुझे घर भेज दो, मैं तो मुकदमा दर्ज नहीं कराता। जबकि यह बिलकुल स्पष्ट हो चुका है कि तीन नामों को, शिवलाल/कानाराम मेघवाल को डबल पेमेंट किया; यह मेरे पास पुख्ता न्यूज है और दो-दो बार चैक देकर उनका भुगतान उठाया गया। जोगाराम/मघाजी गाड़ोलिया लुहार का डबल भुगतान उठाया गया; अपली/बालाराम मेघवाल का डबल भुगतान उठाया गया, और 100 की लिस्ट की जगह 101 आदमियों का भुगतान उठाकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत पंचायत राज मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके, देसूरी की 7 पंचायत और मारवाड़ जंक्शन की एक पंचायत हिसाली की जांच करवाई जाए और विकास अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करके दण्ड दिया जाए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो 'स्वच्छ भारत मिशन' में देसूरी पंचायत समिति की 7 और मारवाड़ जंक्शन की हिसाली पंचायत के सम्बन्ध में सदन में ध्यान आकर्षित किया है, उसमें मैं आपसे निवेदन करूं कि आज से पहले न तो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत थी; न किसी ने कोई अनियमितता की शिकायत की, न किसी ने कोई भुगतान उठाने की शिकायत की, और न किसी प्रकार की कोई अनियमितता की हमारे पास जानकारी थी। माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जो-जो स्पेसिफिक आपने बताया कि इन-इन का दोहरा भुगतान हुआ है और इन-इन में गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी मैं एस डी एम, मारवाड़ जंक्शन से जांच करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करूंगा और जो भी इसमें गड़बड़ झाला हुआ है और गड़बड़ किया है, तो उसके खिलाफ विधि-सम्मत कार्यवाही भी करूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। पहले भी केसारामजी ने एक आटे का घोटाला उठाया था, बहुत जबरदस्त घोटाला हुआ था और वे बिलकुल तथ्यों के साथ आये थे। आज फिर इन्होंने एक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

घोटाला उठाया है। ये बहुत मेहनत करते हैं। तो आप ए सी बी जांच का आदेश करो। एस डी एम क्या जांच करेगा? ए सी बी से जांच कराओ, तब जाकर पता लगेगा कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरह के घोटाले खोल रहे हैं राजस्थान के अन्दर। ए सी बी के आदेश करो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृत लाल।

सलूम्बर में वन्य जीवों द्वारा कारित जन-हानि

श्री अमृत लाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र और उदयपुर के जंगलों की बात, जंगली जानवरों की सुरक्षा और मुआवजे को लेकर बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। 14.3.2016 को ग्राम पंचायत सराड़ी, गांव पानी कोटड़ा में जंगली शेर और शेरनी ने 4 स्थानीय नागरिकों को बहुत गम्भीर घायल कर दिया, जिन्हें उदयपुर हास्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दूसरी बात, डेढ़ साल पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिंगटवाड़ा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक 12 वर्षीय अपनी मां की गोद में साथ सोयी हुई थी और जंगली शेर उस बच्ची को उठाकर डेढ़ किलोमीटर दूर ले गया। रात्रि को गांव के सभी लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन वह बालिका नहीं मिली। सुबह करीब सात बजे डेढ़ किलोमीटर दूर मिली। उसका पूरा शरीर खा गये थे; आधा शरीर मिला।

वह बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सेसपुर गांव में 2012 में 8 लोगों को जंगली जानवर शेर ने घायल किया था; 8 माह पहले नठारा में भी कई बकरियों को मारा; जयसमंद घातोड़ में बकरियों को चराने वाले को घायल किया, बकरियों को मारा; भैंसों को मारा गामड़ी में। तो मेरा यह कहना है कि मैंने जब 14 तारीख को जैसे-तैसे करके वहां जो डी एफ ओ वी. हिरणी है, इतनी बड़ी 12 बजे घटना हो जाए और मौके पर 7 बजे तक जिला अधिकारी वन का नहीं पहुंचे। दो दिन तक संघर्ष करते रहे, उस पानी कोटड़ा में पूरा गांव परेशान रहा। उस बात को लेकर मैंने हमारे माननीय वन मंत्रीजी से शाम को सम्पर्क किया और बताया कि जब से वह महिला वी. हिरणी वहां आई है, कई बार सूचना करने के बाद भी....। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20-30 पंचायतें जंगली क्षेत्र में आती हैं, उनमें केवड़ा, सिंगटवाड़ा, बारोलिया, नेवातलाई, पालड़ा, नठारा, परसाड़, डेलवास, खरबर, निम्बोदा, डांगीवाड़ा, बलुवा, टोकर, गुढासर, भोराई और इधर जयसमंद, पिलाधर, घातोड़,

(श्री अमृत लाल)

अदवास, वगरूआ, जावद हैं। जो घटना घटी है, वह जयसमंद के अन्दर वाले हिस्से पानीकोटड़ा में हुई है।

तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि चार रेंज आफिस पड़ते हैं उस एरिया में, तो वहां रेस्क्यू टीम की, सलूम्बर बड़ा होने के नाते, स्थापना की जाए ताकि हर वर्ष जो किसी न किसी रूप में घटना घट रही है, उससे बचा जा सके। बच्ची को घर से उठा ले गया; परसों 14 तारीख को 4 लोगों को घायल कर दिया; साल भर पहले 8 लोगों को घायल कर दिया; कई गाय-भैंस-बकरियों को उठा ले जा रहे हैं। तो यह सारा बहुत गम्भीर विषय है। मेरा यही आपसे निवेदन है। वैसे भी पूरा एरिया गोगुन्दा से लेकर झाड़ोल, कोटड़ा, खैरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, सराड़ा, सलूम्बर, धरियावद, लसाड़िया और झलारा, यह पूरा एरिया घने जंगल का है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए और जंगली जानवरों की कुछ व्यवस्था की जाए।

विशेषकर जो रोजड़ों की बात है, सारा सदन भी परेशान है। हम वैसे ही परेशान हैं, रोजड़ों से तो हैं ही, लेकिन शेर-चीतों से भी परेशान हैं। मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार का मैंने मंत्रीजी को भी कहा, पालों का हाका डलवाकर, घेरा डलवाकर, इतनी भारी समस्या हो गई है कि घेरा डलवाकर, उनको मरवाने का काम हम करेंगे। यह मैं आपको सदन को कहना चाहता हूं, क्योंकि हर साल जब उसके बच्चों को उठा ले जाये; बकरियां सुरक्षित नहीं रह सकें, भैंसें-गाय सुरक्षित नहीं रह सकें, सुरक्षित इंसान नहीं रह सकता है। तो हमारा जनजातीय एरिया है, उन लोगों को सम्भालना, उनको काबू में लाना बड़ा टेढ़ा काम है। दो दिन बाद भी, वह शेर कहां गया, कहां नहीं गया, अभी तक कोई पता नहीं है। मौके पर जिला अधिकारी पहुंचा ही नहीं। रेंजर्स और उनका भरोसे करते रहे और चार लोग उसमें संघर्ष करते रहे। उसमें जंगलात विभाग का एक वनरक्षक भी घायल हुआ है और तीन ग्रामीण हुए हैं। 2012 की घटना आठ व्यक्तियों की; साल भर पहले क्यारी की घटना हुई, एक व्यक्ति गम्भीर घायल हुआ। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इस मौके पर वन मंत्रीजी उस क्षेत्र के इस प्रकार के भयंकर जंगली जानवरों के बारे में और मुआवजे के बारे में क्या कह रहे हैं और किस प्रकार करेंगे। यह बात सदन के सामने रखी है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिन्द।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो, तो मैं निवेदन करूं?

हमारा पूरा उदयपुर जिला ही इस बात से पीड़ित है और वन मंत्री, खनन मंत्री भी हैं, तो हमारे यहां पर माइन-ओनर्स हैं, वे ओवरबर्डन रोड्स पर छोड़ जाते हैं। उसके कारण उनमें पैंथर्स आकर बस गये हैं। वह ओवरबर्डन वाली गुफाएं बन गई हैं एक तरह से पैंथर्स की। उसमें छिपे रहते हैं और वहां ग्रामीण इलाके के आसपास इन्होंने तो...। आप खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि ओवरबर्डन जितना भी पड़ा हुआ है रोड्स पर, उसको हटायें, क्योंकि उससे भी पैंथर्स की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है और खूब ज्यादा लोग हमारे वहां पर उस एरिया में हताहत कर रहे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो, तो एक सवाल पूछ लूं? एक लाइन बोल दूं, साहब?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका इससे क्या लेना-देना? ये शेर और शेरनी की बात हो रही है। नहीं, आप कहां आ रही हैं उसमें? कहां शेर हैं वहां?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वन क्षेत्र में मेरी रामपुर पंचायत है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब इसलिए आई हैं, बीच में। वे शेरनी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये शिकार की बात हो रही है। इन माननीय सदस्य ने मांग उठाई है शेरनी के शिकार की और आपके माननीय सदस्य आपको शेरनी कह रहे हैं। ये आपको शेरनी कह रहे हैं और ये शेरनी के शिकार की बात कर रहे हैं। ये ऐसे भलेमानस रखते हों आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वही शेरनी की बात कर रही हूं। यह तो अच्छी बात है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये शिकार होने वाली शेरनी नहीं है; शिकार करने वाली शेरनी हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आठ-दस पंचायत सरिस्का जोन में लगती हैं। ये सच्चाई कह रहे हैं कि हमारी अगर बकरी चली जाये या भैंस चली जाये, तो हमको जमानत कराकर लानी पड़ती हैं। शेर या पैंथर हमारी गाय, भैंस, बकरी को मार देता है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नाथूसर लाज में छह महीने से यही वाली कंडिशन हो रही है कि वे आकर बाड़े के अन्दर से गाय और भैंस को ले जाते हैं। इंसानों को भी बहुत खतरा बना हुआ है। हम बार-बार सूचना देते हैं।

तो हम भी सदन के माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि जिनके पशुओं को ये खाते हैं, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जंगली सूअर तो इतने 100-100 के झुंड में जाकर फसल को एक रात में ही बिलकुल उलट कर देते हैं। तो सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, किसान को।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14 मार्च को सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के पाणीकोटड़ा गांव में एक पैंथर के अटैक से तीन ग्रामीण और एक फोरेस्ट गार्ड घायल हो गये। सम्माननीय विधायक महोदय का मेरे पास फोन आया। मैंने तुरन्त ही अपने डी एफ ओ से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वहीं पर उपस्थित हूं; स्टिचिंग करवा रहा हूं, जिनको चोट लग गई है। उनमें तीन तो ग्रामीण हैं और एक अपना फोरेस्ट गार्ड है। हम लोगों ने खूब प्रयास किया है, उसके बावजूद भी ट्रेंकुलाइज हो नहीं सका; वह भाग गया।

ये घटनाएं उस क्षेत्र में उदयपुर क्षेत्र में होती रहती हैं। वहां पर पहाड़ और खूब घने जंगल हैं। बड़ी दु:खद बात है। यह प्रकृति का एक इस तरह का है, जैसे उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि पैंथर्स के अटैक से भी और दूसरे जानवरों के अटैक से पशुओं की भी कई बार जान चली जाती हैं। ग्रामीणों पर भी हमला होता है।

हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, मैंने देखा है, जब से मैं मंत्री बना हूं कि कोई भी सूचना होने के तत्काल बाद हमारे अधिकारी इतनी तत्परता से काम करते हैं। घटना को रोक तो नहीं सकते, पर उसके बाद में जो भी उनकी ड्यूटी है, उसको पकड़ने की चेष्टा करना है। यह एक केस है।

कल आपने देखा होगा कि सीकर के पास में भी आ गया था। उसको तत्काल चेष्टा करके, ट्रेंकुलाइज करके पकड़ते हैं। उनके प्रति भी हमारा दायित्व है। प्रकृति में ही उनकी रक्षा करने के लिए भी है। हम उनका शिकार तो कैसे कर दें? पर हमारा पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, हमारी तरफ में तो नहीं हैं, लियोपार्ड और पैंथर्स नहीं हैं; हमारे क्षेत्र के अन्दर सांप हैं, बांडी हैं,

(श्री राज कुमार रिणवां)

गोयरा हैं। मैं देखता हूं, किसानों की उस क्षेत्र से ज्यादा कैजुअलिटी इधर में, ये घटनाएं होती रहती हैं, पर हमने निश्चित रूप से मुआवजे का सिस्टम बना रखा है। अगर कोई आदमी की डैथ हो जाये, कोई घायल हो जाये, अपाहिज हो जाये, तो बाकायदा सारी की सारी लिस्ट हमने बना रखी है और हमने उन मुआवजे को देने में लेट नहीं हो, उसके लिए उप वन संरक्षक को यह अथोराइज कर दिया है कि आप अपने स्तर पर तुरन्त ही जो नियमावली है, उसके हिसाब से कर दीजिये; प्लस, हमारा यह भी पूरा प्रयास चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा फेंसिंग करवायें, दीवारें करवायें। काम खूब हो भी रहा है। जगह-जगह जंगलों में और कोई पानी का तालाब है, अभी जल स्वावलम्बन में भी काफी एनिकट बन रहे हैं।

तो हमारा पूरा प्रयास है। जो घायल हुए हैं, उनके प्रति भी हमारी बहुत ही संवेदना है। हमें बड़ा दु:ख है कि उनको अटैक से हुआ है। उनके साथ में हमारा एक गार्ड भी था। वह कल उनको अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। मैं बराबर पूछ रहा था। तो हमारी तरफ से, और कोई भी इनको मुआवजे की बात है, इनकी एप्लिकेशन देते ही दो दिन में हम मुआवजा दिलवा देंगे। और पूरा प्रयास है कि फेंसिंग का और वहां पर तालाब, वगैरह बनवाने का।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कैलाशजी चौधरी सात दिन से पैंथर से जूझ रहे थे बायतू के अन्दर, वह पैंथर अभी मिला नहीं। उसको ढूंढा जाये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): यह छिपकर रहने वाला प्राणी है। आपको पता है, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत चेष्टा कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जितना हैंडसम और लम्बा-चौड़ा मंत्री भी नहीं पकड़ सकता है, तो फिर किससे आस करें?

एक माननीय सदस्य: ये कितने पकड़ते हैं, साहब; कितने पकड़ते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनको तो मंत्र पढ़ने आते हैं। इनको मंत्र पढ़ने आते हैं और मंत्रों से अगर पकड़ा जायेगा, तो निश्चित तौर पर पकड़ लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतना गम्भीर आरोप लगाया

(श्री गोविन्द सिंह डोटसरा)

है आप पर। आपको मंत्र पढ़ने आते हैं, और कोई काम करना नहीं आता। देखो, राठौड़ साहब ने कितना गम्भीर आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री भागीरथ चौधरी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किशनगढ़ में खेल सुविधाओं के विकास हेतु स्टेडियम की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में खेल सुविधाओं के विकास हेतु स्टेडियम की स्थापना के सम्बन्ध में युवा मामले एवं खेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जायें। पहले मंत्री का जवाब आ जाये।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नानुसार है:-

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आधारभूत खेल संरचनाओं का निर्माण करवाये जाने हेतु समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 को संशोधित कर समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम, 2015 लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सम्भाग, जिला, तहसील, पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराई जा रही हैं। उक्त कार्यक्रम के प्रावधानानुसार तहसील स्तर पर 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबाल, वालीबाल, खो-खो/कबड्डी मैदान, कार्यालय भवन, दर्शक दीर्घा एवं जिम्नेजियम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नियत प्राथमिकता के अनुसार करवाया जा सकता है।

उक्त कार्यक्रम के प्रावधानानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई किया जाना सम्भव हो सकेगा।

भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राजीव गांधी खेल अभियान के अन्तर्गत राज्य के समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर इण्डोर एवं आउटडोर खेल मैदानों का निर्माण करवाये जाने की योजना है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण 'मनरेगा' योजना के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर खेल स्टेडियम के निर्माण अथवा उच्चीकरण हेतु स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं, निजी सहयोग अथवा माननीय सांसदों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा राशि उपलब्ध करवाने पर राज्य सरकार द्वारा भी 10 लाख रुपये तक की मैचिंग ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है। +++

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयजी ने कहा कि यह योजना है, यह होने ही वाली है, परन्तु मेरा यह मानना है कि आज पूरे राजस्थान में यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनको सुविधा देने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय जी बता रहे थे कि ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जबकि ऐसी कोई योजना तो है परन्तु अभी तक उसकी कोई क्रियान्विति नहीं हुई है।

मेरा यह मानना है, मेरे किशनगढ़ शहर की बात करूं, तो 15-20 वर्षों में किशनगढ़ के आर्थिक-सामाजिक विकास की विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप यहां तीव्र गति हुई है। आज पूरे प्रदेश में बीस जिला मुख्यालयों से बड़ा उपखण्ड है और मेरे किशनगढ़ शहर की जनसंख्या है। वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वहां की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम निखार सकें। वहां सुनियोजित सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, पेयजल आपूर्ति, स्टेडियम, आदि का पूर्ण विकास आज तक नहीं हुआ है।

इसलिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, मंत्री महोदयजी, मेरे शहर में तो कोई खेल स्टेडियम की व्यवस्था हो जाए ताकि प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय। मेरा आपसे यह आग्रह है कि ये अंतिम पंक्ति जो मंत्री महोदय की थी +++ यह अपलिखित की जाए।

अब आप जवाब दें।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आपके जरिये अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे विभाग की जो प्रायोरिटी है स्टेडियम्स के प्रति, वह है कि हमारे जो पुराने स्टेडियम हैं, जो आउट-आफ-एक्शन हैं, जो टूट रहे हैं, जहां पर, मतलब, बहुत एज हो गई है, उनके ऊपर हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनको हम तैयार करें।

मैंने माननीय सदस्य को मेरे जवाब में बता दिया था कि राजीव

(श्री गजेन्द्र सिंह)

गांधी खेल अभियान का जो बजट आएगा इण्डोर और आउटडोर स्टेडियम का, तो चूंकि पंचायत समिति आपकी किशनगढ़ है, शहर से सटी हुई आपकी जो नीयरेस्ट पंचायत है, आप उसको चूज कर लें, तो यह स्टेडियम का फायदा आपको आटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके अलावा, दानदाता, एम एल ए; एम पी-लैड फंड, यह आपको मिल जाता है, तो हम आपकी हमारे विभाग से भी मदद कर देंगे।

अभी हमारी जो खेल नीति के नई गाइडलाइंस बनी हैं 2015 के अन्दर, उसके अन्दर यह प्रावधान है कि स्टेडियम हो, चाहे हमारी सरकारी जमीन हो, उसके ऊपर प्राइवेट पार्टी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है और तीस साल तक हम उनको, पी पी पी मोड पर वे अपना निवेश लगाकर उसका उपयोग करें और पे-एण्ड-प्ले की फैसिलिटीज हों, जिससे उनको इन्कम भी मिले, यह भी आपके पास एक विकल्प है।

आखिर में मैं माननीय सदस्य से यही कहूंगा कि आपकी विधान सभा किशनगढ़ है, वह एक पत्थर की, मार्बल की बहुत बड़ी मंडी है। बूंद-बूंद से सागर बनता है; यदि हम भी आपको कुछ पैसा दें और आप एक बास्केटबाल कोर्ट एक कोई उद्योगपति से बनवा लें, एक आप, मान लो, फुटबाल ग्राउण्ड किसी से बनवा लें। यह बैठकर, अपन सब मिलकर के एफर्टस कंबाइंड करेंगे, तो यह आपका स्टेडियम का जो आपका सपना है, यह आपका हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजय सिंह।

नावां की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

श्री विजय सिंह (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का मेरी नावां तहसील की क्षतिग्रस्त सड़कों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में-

(1) नावां-मारोठ-सौलाया-श्यामगढ़ से सुरेरा की ओर सीकर जिले में दांतारामगढ़ को जा रही सड़क 24 किलोमीटर है। इस सड़क के किमी 0/0 से 16/0 तक पैच रिपेयर किया गया है तथा सड़क यातायात के लिए सुरक्षित है। किमी 16/0 से 24/0 तक संवेदक की दोष-निवारण-अवधि में है, जिस पर समय-समय पर पैच कार्य करवाया गया, किन्तु कार्य संतोषजनक रूप से नहीं

(श्री युनुस खान)

किया गया है। इसके लिए संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस दिया गया है। सड़क के महत्व को देखते हुए, पूर्ण लम्बाई में चौड़ाईकरण व नवीनीकरण का प्रस्ताव सी आर एफ योजना में 2,812 लाख का भिजवाया गया है।

(2) चितावा से घाटवा वाया जिजोट जाने वाली सड़क दोष-निवारण-अवधि में है, जिस पर संवेदक द्वारा सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण पैच रिपेयर का कार्य करवाया गया, किन्तु कार्य संतोषजनक नहीं होने के कारण संवेदक को ब्लैक-लिस्ट करने का नोटिस दिया गया है। चितावा-नालोट-जिजोट लाम्बा गांवों के आबादी क्षेत्र में पानी भराव के कारण सड़क क्षतिग्रस्त है। वर्तमान में विभाग द्वारा ग्राम लाम्बा व जिजोट, जो संवेदक की दोष-निवारण-अवधि में नहीं हैं, में सी सी ब्लाक व नाली निर्माण का कार्य करवाने के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

(3) कुचामन सुरेरा जाने वाली सड़क दोष-निवारण-अवधि में है। वर्तमान में सड़क पर संवेदक द्वारा पैच कार्य करवाया गया है, किन्तु कार्य संतोषजनक नहीं होने के कारण संवेदक को ब्लैक-लिस्ट करने का नोटिस दिया गया है। भावता व इन्दौखा गांवों के आबादी क्षेत्र में पानी भराव के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हैं, जो संवेदक की दोष-निवारण-अवधि में नहीं हैं। अतः उक्त आबादी क्षेत्रों की सड़क मरम्मत के लिए 60 लाख रुपये की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के वितीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(4) चितावा-अड़कसर-लालस सड़क का नवीनीकरण पूर्व में पी एम जी एस वाई योजना में वर्ष 2008 में करवाया गया था। वर्तमान में विभाग द्वारा पैच कार्य करवाया गया है तथा सड़क को पूर्ण रूप से यातायात योग्य बनाया गया है। घाटवा से हुडील सीकर सीमा तक सड़क संवेदक की दोष-निवारण-अवधि में है। संवेदक द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं करने के कारण संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस दिया गया है।

(5) कुचामन से पदमपुरा सड़क पर नवीनीकरण का कार्य आर आई डी एफ-20 में करवाया जा चुका है एवं लिचाणा से गौगोर सड़क के नवीनीकरण का कार्य आर आई डी एफ-21 में स्वीकृत है। चौसला से गुढासाल्ट जाने वाली सड़क पर चौसला गांव में पानी भराव से सड़क क्षतिग्रस्त थी, जिस पर डब्ल्यू बी एम का कार्य करवाया गया है। सौलाया से भिण्डा सड़क पर विभाग द्वारा पैच कार्य करवा दिया गया है। जिलिया से शिव एवं परेवडी से

(श्री युनुस खान)

भीमा, जो नान-पैचेबल की श्रेणी में हैं, जिनकी लम्बाई क्रमश: 10 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर है, इन सड़कों पर नवीनीकरण के कार्य के लिए रुपये 150 लाख एवं 75 लाख की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(6) नावां शहर से होकर जाने वाली सड़क पर 43 करोड़ की स्वीकृति वर्ष 2012-13 में प्राप्त हुई, जिसमें नावां शहर में सी सी सड़क का निर्माण करवाया गया था, जो वर्तमान में पूर्ण रूप से ही है। 4 करोड़ की स्वीकृत राशि में से 3.47 करोड़ खर्च किए जाकर कार्य स्टेट हाइवे प्लान योजना में दिए गए स्कोप के अनुसार पूर्ण किया गया है। वर्तमान में इस मद में बजट न होने के कारण कोई व्यय किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री विजय सिंह (नावां): ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: सैटिस्फाइड?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी एडजोइनिंग कांस्टिट्युएंसी है। मेरा भी प्रश्न है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब मैंने पहले भेजा था, उसके बाद में कुछ सैंक्शंस हमने और निकाली हैं, जो माननीय सदस्य को अलग से हम दे देंगे।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो, तो एक प्रश्न मेरा भी है इसी विषय पर।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो एक विधान सभा क्षेत्र विशेष का प्रश्न है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): एडजोनिंग है, हुकुम। एक ही सड़कें हैं हमारी दोनों की।

श्री उपाध्यक्ष: आपको अपना वक्तव्य रिकार्ड पर लाना है, या काम कराना है?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं केवल मंत्रीजी से इतना-सा जानना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: यह रिकार्ड पर आ रहा है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं इतना-सा पूछना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि संवेदक ने काम ठीक नहीं किया, संतोषजनक नहीं किया,

(श्री निर्मल कुमावत)

उसको ब्लैकलिस्ट के नोटिस इश्यू किये गये हैं। कृपया केवल इतना-सा बता दें कि संवेदकों को केवल नोटिस ही जाते हैं, या वाकई में विभाग ब्लैकलिस्ट करता भी है, या नहीं करता? अगर किया है, तो भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं हों, उसके लिए हो, और ब्लैकलिस्ट जरूर हों, ऐसे जो व्यक्ति हैं। इतना-सा मैं पूछना चाहूंगा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह मैं आपकी परमिशन से ही बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी इच्छा है। अगर आप बोलना चाहें, तो आप बोलिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बहुत सारे संवेदक जो हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करते, जिसके कारण सड़कें कई बार खराब मैटीरियल यूज लेने की वजह से टूट जाती हैं। उनकी जांच होती है और उस संवेदक के खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नोटिस दिया है। मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी, और इससे पहले भी विभाग में समय-समय पर इस तरीके के प्रकरण संज्ञान में आये हैं, तो उन पर कार्यवाही की है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री हबीबुर्रहमान।

समिति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (क्र.सं. 1)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2015-16 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भीमाभाई।

याचिका

कुशलगढ़ में कतिपय स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कतिपय स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 । श्री गजेन्द्र सिंहजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42–उद्योग की प्रस्तुति

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,24,74,87,000/- (तीन अरब चौबीस करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 42 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां।

मांग संख्या 43–खनिज की प्रस्तुति

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज

(श्री राजकुमार रिणवां)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,42,49,93,000/- (पांच अरब बयालीस करोड़ उनचास लाख तिरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 43 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस मांगों पर चर्चा हो रही है, वे दोनों मांगें ऐसी हैं जो प्रदेश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का भी सबको पता है। अगर अर्थव्यवस्था में सुधार करना है, तो बिना उद्योग लगे यह हो नहीं सकता, और खनन में भी हमको जो लीकेज है उसको रोकना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैसी हालत है राजस्थान में उद्योगों की और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसका भी आकलन हमको करना होगा। अगर हमने यहां सही वातावरण बनाया होता, जो उद्यमी इच्छुक हैं राजस्थान की धरती पर अपना उद्योग खड़ा करने के लिए उनसे अगर दोस्ताना व्यवहार किया होता, तो शायद राजस्थान का आज जो स्वरूप हमको दिख रहा है उससे बहुत भिन्न स्वरूप हमको देखने को मिलता। बात करते हैं हम बेरोजगारी की, जो हमारे प्रदेश की सबसे भयावह समस्या है। बिना औद्योगिक प्रगति हम इस समस्या से मुक्ति नहीं पा सकते। सरकार चाहे अपने जितने भी खाली पद हैं न, उनको भरने की बात भी अगर कर ले, तो भी लाखों लोग हमारे यहां बेरोजगार रह जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि देश में जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, उनमें बहुत-बड़ी संख्या राजस्थानियों की है। फिर क्या हो गया? अपना उद्योग यहां नहीं लगाकर, बाहर जाकर उद्योग स्थापित किया। कभी कारण ढूंढा इसका कि यह नौबत क्यों आयी? अगर कारण ढूंढते और उस कारण का निवारण कर लेते, तो शायद हमारी कई समस्याओं से हमको मुक्ति मिल जाती।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और गुजरात की कितनी है? पड़ोसी प्रदेश है। गुजरात आज समृद्ध हुआ, तो प्रमुख कारण है, वहां के उद्यमियों को दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं। मुझे बहुत खुशी है यह कहते

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हुए कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रयास किया, उससे बहुत आशा इस बार प्रदेशवासियों के मन में जगी है और उसका परिणाम भी बहुत जल्दी राजस्थान में दिखने लग जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है हमारी सरकार की शुरुआत की और हमारी मुख्य मंत्रीजी की पहली प्राथमिकता कि राजस्थान की धरती पर ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि बाहर जो उद्यमी हैं, उनको इस बात का विश्वास हो जाए कि राजस्थान में उद्योग लगाना हमारे लिए फायदे का सौदा होगा; हमारी पूंजी पर कभी संकट नहीं आएगा; हमारा उद्योग कभी बीच में बंद नहीं होगा और हमारे जितने भी सरकारी काम हैं वे भी सहजता से यह सरकार करेगी, और यह विश्वास पैदा हुआ, उसका परिणाम भी आया। मैसर्स होण्डा कोर्प्स ने एक हजार करोड़ का निवेश कर अपने कार के निर्माण संयंत्र की स्थापना टपूकड़ा में की, जहां एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। मैसर्स हीरो मोटर कोर्प्स द्वारा नीमराणा अलवर में टू-व्हीलर निर्माण इकाई, ग्लोबल पार्ट सेन्टर की स्थापना और इसमें 543 करोड़ का निवेश; इसमें भी लगभग 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका भी उद्‌घाटन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सन् 2014 में ही कर दिया। सेंट गोबिन जो फ्रांस की अति-प्रतिष्ठित कम्पनी है, कैरानी भिवाड़ी में भी एक हजार करोड़ का उसका निवेश। यह सारा विश्वास पैदा किया तब हुआ और उसका भी उद्‌घाटन हुआ है। हजार लोगों को वहां भी रोजगार मिलेगा और मैसर्स जे.सी.बी. लिमिटेड द्वारा पांच सौ करोड़ का निवेश; हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उसका भी उद्‌घाटन किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक सुविधा दी न, तब कहीं बाहर के उद्यमियों को विश्वास जगा और यहां निवेश के लिए आगे बढ़कर वे आ रहे हैं, और कैसा प्रयास; आज हम अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं और जो भी संकट उद्योग पर आ रहा है, सरकार उन संकटों से उद्यमों को मुक्ति दिलाने के लिए लगातार अपनी ओर से प्रयास...। पहले राजस्थान में कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाने का दुस्साहस नहीं करता था और कैसा सरकारी तंत्र था; उद्यमी उद्योग लगाने का प्रस्ताव करे, पता नहीं, उसका उद्योग कब स्थापित होगा, लेकिन उस दिन से ही उसकी जेब कटनी चालू हो जाती थी। पता नहीं, कितने चक्कर लगाने के बाद में उसको अपना उद्योग लगाने की स्वीकृति मिलती थी, और एक बार लग गया, तो उसके बाद में कितनी अड़चनें, उसकी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पीड़ा वह ही जानता है, वह ही बता सकता है। सैकड़ों चक्कर के बाद और भारी राशि खर्च करने के बाद भी कोई संतुष्ट नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद में जो दोस्ताना सम्बन्ध हमने उद्यमियों के साथ बनाया, जो दोस्ताना व्यवहार किया हमारे अधिकारियों ने, हमारे राजनेताओं ने, तो उसका परिणाम जनता के सामने है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेश को प्रोत्साहन देने, बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने, राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास को गति देने एवं लोगों में आर्थिक समृद्धि लाने के उद्देश्य से 19-20 नवम्बर, 2015 को जयपुर में जो रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट, 2000 का आयोजन किया था, वह इस बात का गवाह है कि हमारी सरकार के प्रति बाहर के उद्यमियों में, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के हों, उनमें एक विश्वास जगा है और कितना सफल रहा है वह समिट, 470 एम ओ यू हुए 3.38 लाख करोड़ के और जब यह धरातल पर आएगा न, तो यह जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, उससे हमारा प्रदेश मुक्त हो जाएगा। और शुरुआत भी बहुत शानदार रही। अभी हमारी कैबिनेट ने भी अब तक 11,000 करोड़ के 22 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिये; मतलब, हम अपनी ओर से स्वीकृति दे चुके हैं। गेंद अब उद्यमियों के पाले में है, जो बहुत जल्द अपना काम चालू कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके की सहायता, सहयोग, आवश्यकता, जिस-जिस प्रकार के उद्योग को देनी है, हमारी सरकार आने के बाद में हमने उससे भी ज्यादा देने का प्रयास किया। हर काम समय पर हो जाए, बिना कोई लेन-देन हो जाए, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की।

(14.00 बजे)

ऋण के मामले में तो हमने अपने खजाने खोल दिये। कोई भी उद्यमी ऋण लेना चाहे उद्योग लगाने के लिए, तो पहले से भी कम ब्याज दर में हम उसको ऋण दिलाने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को सरकार से, रीको से जमीन चाहिये, तो हमने प्रदेश की धरती पर बहुत बड़ा एक लैंड बैंक तैयार कर दिया; जो भी उद्योग लगाना चाहे, हम जमीन हाथों-हाथ देने को तैयार हैं। वरना, पहले कोई लगाना चाहे, तो जमीन नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी वे चीजें हैं जो इस प्रदेश को बहुत कम समय में बहुत उन्नति के शिखर में ले जायेंगी।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस शहर से आता हूं, वह औद्योगिक नगरी है। पूरे देश में वह प्रसिद्ध है। हां, एक बात और है, प्रदूषण का दाग भी उस पर लगा हुआ है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रदूषण का दाग भी उस पर लगा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां टैक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, वहां प्रदूषण होगा। यह सच्चाई है इसको कोई मना नहीं कर सकता, पर हमारी सरकार ने जो-जो प्रयास किये, मैं किन शब्दों में यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूं। अगर वे उद्योगों को संरक्षण नहीं देतीं, हमारे उद्योग मंत्री उद्योगों को संरक्षण नहीं देते तो पाली का उद्योग एक बार पालनपुर की ओर आकर्षित हो गया था। (व्यवधान) धन्यवाद दे रहा हूं; आपको बहुत बार धन्यवाद आयेगा। आप चिंता क्यों करते हो? देखो, हाथी के पांव में सबके पांव; अगर मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे दिया, उसमें सारा मंत्रिमण्डल वैसे ही शामिल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रदूषण की समस्या है, इसका समाधान यह नहीं कि हम उद्योगों को बंद करवा दें। समाधान क्या है, वह हमारी सरकार ने जब-जब आवश्यकता पड़ी, वे किये। आवश्यकता यह है कि उद्योग भी चले और प्रदूषण पर भी नियंत्रण हो। मेरा शहर पाली इसमें कभी पीछे नहीं रहा। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि हम पूरी तरीके से सफल नहीं हुए, पर मैं यह सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि हमारे उद्यमियों ने जो प्रयास किये, वे और शहरों की तुलना में ज्यादा रहे। देश का सबसे पहला कामन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट 3.7 के एल डी का 1997 में पाली में; देश का, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं; कहीं न कहीं प्रदूषण की समस्या से मुक्ति चाहते थे, इसलिए कंट्रिब्यूट करके देश का पहला प्लांट पाली की धरती पर लगा। यह भी हमारे यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत का प्रयास था; कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रयास उन्होंने किया। उसके बाद 1994 में भैरोंसिंहजी शेखावत के प्रयासों से चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, पाली की प्रदूषण की समस्या से पाली के किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए। उसमें दो सी ई टी पी पाली शहर को हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने दिये, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, जिसमें एक की क्षमता थी 8.40 एम एल डी और दूसरे की क्षमता 9.8 एम एल डी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली में जो चौथा ट्रीटमेंट प्लांट बना, वह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री के पूर्व काल की देन है, उनका तोहफा है; 2008 में उसकी स्वीकृति हुई और

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

12 एम एल डी का और ट्रीटमेंट प्लांट पाली शहर को इस प्रदूषण की समस्या को समाप्त करने के लिए मिला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पाली इस मामले में सबसे आगे है, यह मैं कह सकता हूं; हम प्रदूषण की समस्या से मुक्त नहीं हुए, पर आगे हम हैं।

पाली में कांग्रेस के शासन में दो और नई तकनीक के ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति हुई; कांग्रेस के शासन में उनका काम भी चालू हो गया, पर बीच में बंद हो गया। स्वीकृति केन्द्र सरकार ने दे दी, स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी, हुआ क्या; जो अनुदान की राशि वहां देनी थी, वे दी नहीं और वे प्लांट बीच में ही अधूरे बंद कर देने पड़े। बाद में जब हमारी सरकार आई, हमने यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया, तो उससे बहुत बड़ी राशि हमको वहां से मिली।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मन में एक संकल्प था कि चाहे सरकारी सहायता में कुछ विलम्ब हो जाये पर पाली को प्रदूषण से मुक्त करना, तो उद्यमियों से बात की और उनसे 13 करोड़ का योगदान लिया। राशि मिलनी थी केन्द्र सरकार से, जो कम मिली; राशि मिलनी थी राज्य सरकार से, जो पूरी नहीं मिली; लेकिन हम रुके नहीं, उनसे बात करके, 13 करोड़ रुपया इकट्ठा करके, 6 नंबर के काम को चालू किया, पूर्ण किया और 8 महीने पहले उसको नई तकनीक के साथ पाली के उद्यमियों ने शुरू किया। इसमें पानी रंगहीन और गंधहीन हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री पर संकट पहले भी आया है, पर जब-जब हमारी सरकार थी तो संकट का समाधान हमारी सरकार ने निकाला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2004 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से पाली की कृषि भूमि पर या आबादी भूमि पर 250 से ज्यादा इकाइयां चल रही थीं, उनको बंद करने के आदेश आ गये। यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से बात की कि 250 से ज्यादा यूनिट हैं, लगभग 15 हजार श्रमिक वहां काम करते हैं, आप कुछ मदद करें। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कैबिनेट की सब-कमेटी बनाई, हमारे सदन के सदस्य सम्माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में, जिसमें उद्योग मंत्री नरपत सिंह जी राजवी भी थे, सिंचाई मंत्री सांवरलालजी जाट भी थे। वह कमेटी पाली आई, क्षेत्र को देखा, श्रमिकों से, उद्यमियों से बात की और बात करने के बाद यह तय किया कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जो कृषि भूमि या गैर-औद्योगिक क्षेत्र में चलने वाली इकाइयां हैं, उनको हम व्यवस्थित ढंग से नया इंडस्ट्री एरिया बनाकर वहां स्थापित करवायेंगे, और पूनायता गांव में 600 बीघा में एक नया औद्योगिक क्षेत्र हमारी सरकार की वहां बहुत बड़ी सौगात है। वहां फिर हमारी सरकार ने 12 एम एल डी का एक ट्रीटमेंट प्लांट भी दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अगर मदद में नहीं आती, तो, पता नहीं, कितनी इकाइयां बंद होतीं और कितने ही हमारे श्रमिक बेरोजगार हो जाते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो सालों से वापस हमारी सरकार है। मैं कांग्रेस के पिछले पांच साल का जो काला काल रहा पाली के उद्योगों के प्रति, वह भी सदन में रखना चाहूंगा। उन पांच सालों में उद्यमी को जिस तरीके से जलील किया गया, अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया, जिस तरीके से उसको डराया गया, धमकाया गया और जिस तरीके से उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया, इसकी गवाही पाली का हर उद्यमी देने को तैयार है। भय के वातावरण में पाली का उद्यमी जी रहा था और पाली के उद्यमी ने उस समय पालनपुर जाकर अपने उद्योग लगाने का विचार बना लिया था; कुछ लोगों ने वहां भूखंड तक ले लिये थे। यह तो सुखद रहा, भूखंड लिये, और सरकार आते ही हमने उनको विश्वास दिला दिया कि आपको यहां हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आप वहां अपना उद्योग स्थानांतरित मत करो।

पहले वाली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री थीं, वे हमारे खुद के जिले की थीं, उसी क्षेत्र की थीं, जहां पोल्यूशन से प्रभावित इलाका है, पर प्रयास नहीं हुआ उनके माध्यम से। हां, जो कुछ उनको करना था, वह कर दिया। उनको कोई मतलब नहीं कि इंडस्ट्री चले, या नहीं चले, उनका काम चलना चाहिए। उन्होंने चलाया, खूब जमकर चलाया। कभी सप्ताह में चार दिन तक ही चलाओगे, आदेश जारी कर दिये, तीन दिन बंद रखोगे; कभी सप्ताह में तीन दिन चलाओगे, चार दिन बंद रखोगे। तरह-तरह के तुगलकी आदेश उस कार्यकाल में जारी हुए और पाली का उद्योग लगभग-लगभग समाप्ति की ओर आ गया।

जब सुराज संकल्प यात्रा के दौरान हमने इस समस्या का माननीया मुख्य मंत्रीजी से जिक्र किया, तो बाकायदा भरी मीटिंग में उन्होंने वादा किया था कि ना तो उद्योग धंधों को बंद होने देंगे और न ही हम किसानों की

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जमीनों को बरबाद होने देंगे; सरकार अपनी ओर से ऐसी व्यवस्था करेगी कि उद्योग-धंधे भी चलें और किसानों की भूमि को नुकसान भी नहीं पहुंचे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही हमारी सरकार आई, हमने जो-जो भी समस्याएं हमारी मुख्य मंत्रीजी को बताईं, हमारे उद्योग मंत्रीजी को बताईं, ऐसा रुख, हमसे कुछ उम्मीदें कीं उन्होंने कि आपको ये-ये करना होगा; हमको भी पाबंद किया उन्होंने, इससे ज्यादा, इससे आगे आप नहीं बढ़ोगे। सरकार की ओर से जो भी सहयोग चाहिए था, वह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे उद्योग मंत्रीजी ने दिया। आप तो खुद इस बात के गवाह हो कि इसी सदन में पिछले बजट के दौरान हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पाली के लिए जेड.एल.डी. की घोषणा की थी, इसी सदन में, और वापस इस बजट में इसमें राशि की भी घोषणा की है और मैं कहना चाहूंगा कि 6 नंबर प्लांट की स्वीकृति माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी के प्रयासों से हमको मिली। पाली के उद्यमियों ने उसमें 15 करोड़ की राशि अब तक हस्तांतरित कर दी, केन्द्र सरकार ने भी अपने हिस्से की 9 करोड़ की राशि उसमें जारी कर दी और आगामी एक-डेढ़ महीने में, जिस जेड.एल.डी. की कल्पना हमारे क्षेत्र के उद्यमी और किसान कर रहे थे, उसका काम पाली की धरती पर चालू होने की स्थिति में आ जाएगा और एक साल में हम उसको खतम भी कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल कहना चाहूंगा पूरे सदन को कि मुखिया कितना चिंतित रहता है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने दिल्ली भी चक्कर लगाये हैं। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री, सेंट्रल ने पहले यह कह दिया कि हमारे पास इस साल के बजट में इससे ज्यादा राशि का प्रावधान नहीं है; हम आपकी और स्वीकृतियां जारी नहीं कर सकते; आपका नंबर अगले वर्ष आएगा। हम रुकने की स्थिति में नहीं थे। मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की जानकारी दी, बात की फाइनेंस मिनिस्टर से; टैक्सटाइल मिनिस्ट्री में बजट बढ़ाया और बात की बाद में टैक्सटाइल मिनिस्टर से, और पाली को एक साथ एक नहीं, दो, पांच नंबर और छह नंबर को जेड.एल.डी. में क्रमोन्नत करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के टैक्सटाइल मिनिस्टर से दिलवाई। एक का पैसा मिल गया; एक की सैद्धांतिक स्वीकृति, और जिस दिन दिल्ली से स्वीकृति जारी होती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का फोन मेरे पास आता है बधाई के लिए कि ज्ञान जी, आपके दो जेड.एल.डी. मंजूर हो गये

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

और जब वापस मुख्य मंत्रीजी को मेसेज करता हूं कि पाली के उद्यमी आपको धन्यवाद देने के लिए, पाली के किसान आपको धन्यवाद देने के लिए, आपसे मिलने के लिए जयपुर आना चाहते हैं, मैं मेसेज करता हूं उनको, तो वापस मेसेज आता है, it is our duty. Thank's to you. धन्यवाद की भी उनको आवश्यकता नहीं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही प्राब्लम है। मुख्य मंत्रीजी मिल ही नहीं रही हैं इनसे, धन्यवाद लेने के लिए नहीं मिल रही हैं, तो समस्या के समाधान के लिए कैसे मिलेंगी?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अरे, आप बैठो। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): आप क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं क्या बाहर बैठकर ?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सदस्य, आपको बता दूं, मुख्य मंत्रीजी एक नहीं, अनेकों बार मिली हैं, जब-जब चाहा है तब मिली हैं और मैं ही नहीं, पाली के उद्यमियों और किसानों ने जब-जब मिलने की बात की, तो वे मिली हैं और सब की समस्या सुनी है। पाली के उद्यमियों से पूछ लो, भई। उनको उम्मीद नहीं थी कि माननीया मुख्य मंत्रीजी उनके लिए इतना वक्त देंगी। पूरी बात सुनी और जो कहना था, उनको कहा भी है। आप इतना उत्तेजित मत हों, भाई। सुनने की ताकत भी रखो आप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पता है, इन दो, पांच और छह के जेड.एल.डी. होने से पूरा समाधान नहीं निकलेगा। हमको खुद को पता है। फिर निवेदन करेंगे मुख्य मंत्रीजी से। हमारे दो, तीन और चार प्लांट नंबर; राजस्थान में कहीं इतने प्लांट नहीं हैं, जितने हमारे यहां हैं; दो, तीन और चार को भी जेड.एल.डी. में परिवर्तन करने के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे और मुझे पता है, मुख्य मंत्रीजी जितनी कृपालु हैं, दयालु हैं और जितनी इस समस्या को लेकर गम्भीर हैं, आगामी साल में शायद दो और दे देंगी, तो निश्चित रूप से यह जो 60 साल पुरानी समस्या है, जिसको लेकर उद्यमी और किसान दोनों दुःखी, दोनों परेशान, दोनों आमने-सामने झगड़ रहे, इससे पाली को मुक्ति मिल जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इतना ही नहीं, हमने अपने स्तर पर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भी पाली के जो उद्यमी हैं, ट्रस्ट हैं, जो हमारे शासन आने के बाद चेंज हुआ, उनको भी इस बात के लिए लगातार प्रेरित किया कि जब सरकार आपकी इतनी मदद कर रही है, तो आप भी कुछ एक्स्ट्रा काम करके इस समस्या के समाधान में अपना योगदान दें, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि उन्होंने पूरा योगदान दिया। पहले 13 करोड़ की राशि 6 नंबर प्लांट को पूरा करने के लिए और अभी 15 करोड़ रुपये की राशि जेड.एल.डी. के लिए और उसके अलावा, ज्यों ही हमारी सरकार आई, तो जो ट्रीटमेंट प्लांट दयनीय स्थिति में थे, नाम मात्र के चल रहे थे; सरकार ने इतनी सहायता दी, तो सरकार ने हमसे उम्मीद भी रखी कि आपके ट्रीटमेंट प्लांट ठीक करो। तो हमने उद्यमियों से बात करके, हमारे चारों ट्रीटमेंट प्लांट 21 दिन के लिए बंद करवाकर, जो वर्षों से साफ नहीं हुए थे, उनकी पूरी सफाई करवाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे दूं, जहां जिन टैंकों में, जिन हौदों में पानी ट्रीट होता है, बनने के बाद कभी उनको पूर्णत: साफ नहीं किया गया। 18 फीट की गहराई है तो 15 फीट के लगभग वहां मलबा था; मात्र तीन फीट पानी रोटेशन में आता था; वह पूरा साफ करवाया। कई लोग कहते थे कि इतना गहरा है, साफ कैसे करोगे, पर मैं धन्यवाद दूंगा हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कि वह कहीं से, बाहर से मशीनें मंगवाकर भी उसका तल प्रशासन को, सबको दिखा दिया कि हमने पूरा साफ किया है और जहां-जहां जो -जो कमी थी, आवश्यकता थी, वह ठीक की। उसके बाद पैरामीटर सुधरे। दो साल पहले हालत यह थी आये दिन अखबारों में इस आशय की खबरें छपती थीं कि सड़क पर पानी फैल रहा है, या बिना ट्रीटमेंट के पानी सीधा नदी में छोड़ा जा रहा है। दो साल के समाचार पत्र उठाकर देख लो, मुश्किल से दो-तीन बार, जो सप्ताह में दो-तीन बार छपती थीं, वह दो साल में मुश्किल से दो-तीन बार अनट्रीडेड पानी नदी में छोड़ा गया, या सड़कों पर फैला। हो सकता है, जितने पानी को ट्रीट करना था, उतना नहीं हो पाया; पैरामीटर के अनुरूप पानी ट्रीट नहीं हुआ, लेकिन प्रयास पूरे किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना भी कह दूं, अभी भी हम अपने स्तर पर, पाली के स्तर पर ही और क्या-क्या प्रयास किये जा सकते हैं, उसमें लगे हुए हैं। दो-तीन और चार नंबर के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो पुराने हैं, जिनके अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, उनकी डी.पी.आर. बनाकर हमने आर.पी.सी.बी. को भेज दी और उस पर जो भी खर्चा आएगा, 25-30 करोड़

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

का, पाली के उद्यमी उसको देने के लिए सहमत हो गये कि अपग्रेडेशन में जो भी खर्चा आएगा; अपनी ओर से देंगे। राज्य सरकार से और केन्द्र सरकार से चूंकि मदद मिलती नहीं है, उसके भरोसे हम नहीं बैठे रहेंगे और जिस दिन आर.पी.सी.बी. उस डी.पी.आर. को अप्रूव करके भेज देगी, निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी उनको भी कर देंगे।

उससे भी बढ़कर, चूंकि समस्या गम्भीर है, हमारे पाली के उद्यमियों ने जापानी कम्पनी से बात की। उस जापानी कम्पनी का प्रतिनिधिमण्डल तीन बार इस काम के लिए पाली आया, सारे ट्रीटमेंट प्लांट देखे, पानी की क्वालिटी देखी। कैसे समाधान किया जा सकता है, उस पर एक्सरसाइज की और बाद में उन्होंने अपना प्रस्ताव वहां भी दे दिया और यहां आर.पी.सी.बी. में दे दिया। उसको आर.पी.सी.बी. एग्जामिन करा रहा है। जिस दिन आर.पी.सी.बी. उसको एग्जामिन कराकर ओ.के. कर देगा, ज्यादा पैसा लगेगा, पाली के उद्यमी देने को तैयार हैं। हम वहां पर जापानी कम्पनी की नई तकनीक के माध्यम से भी इस समस्या का समाधान करवाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने वहां सख्ती भी की है। कोई अनुशासनहीनता नहीं करें, जो नियम तय किये हुए हैं उनमें कोई उल्लंघन नहीं करें, उसके लिए कइयों को बंद कराना पड़ा तो बंद भी करवाया है। जिस तरीके से वर्तमान ट्रस्ट अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभा रहा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

मैं सदन को यह बताना भी चाहूंगा कि कितने बेहतर परिणाम हमारी सरकार के कार्यकाल में रहे। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक पोल्यूटेड पानी को ट्रीट करने के बाद में जो स्लज कलेक्ट होता था, उसकी साल भर की मात्रा 2,762 मैट्रिक टन थी। इतना स्लज, मतलब पानी कम ट्रीट किया जाता था, उसमें स्लज रह जाता था, उसके बाद अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक 6,218 मैट्रिक टन स्लज निकली है; लगभग ढाई गुणा। इसका मतलब है कि पहले से पानी ज्यादा बेहतर ट्रीट किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अप्रैल 2015 से फरवरी, 2016 तक इसमें कमाल हो गया, स्लज बढ़कर 10,422 मैट्रिक टन हो गई। इसका मतलब पहले से हम बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पानी को ट्रीट कर रहे हैं ताकि स्लज वहां न जाए; पानी जो ऊपर से जाए, वह ठीक-ठाक जाए। गंधहीन तो नहीं हो सकता है, पर ठीक-ठाक जा रहा है पानी।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार कोई न कोई प्रयास पाली के उद्यमी भी कर रहे हैं, वहां का सी.ई.टी.पी भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है। जब ये प्रयास धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से प्रदूषण की वर्षों से चली आ रही समस्या है उसका समाधान मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल तो धीमी गति के समाचार रेड़ियो पर भी बंद हो गये। फिर भी अपने सदन में चल रहे हैं धीमी गति के समाचार।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरी प्रार्थना थी। एक सेकण्ड, ज्ञानचन्द जी। मेरी प्रार्थना थी कि हमारा जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है, ये जान-बूझकर बीच में इंटरवेंशन करते हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे माननीय सदस्य जब भी अपना वक्तव्य दें, अपनी बात कहें, बीच में इंटरवेंशन नहीं करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह हमारा धर्म है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने आसन से की है। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आसन से की है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारी मशीनरी ने कितना बड़ा योगदान दिया, कितनी राहत दी। पाली में टैक्सटाइल इंडस्ट्री लगे हुए 50-60 साल हो गये, लगभग 600 के करीब टैक्सटाइल यूनिट पाली में हैं, 550 यूनिट को 60 साल में बार-बार आवेदन करने के बाद भी कंसेन्ट-टू-आपरेट कभी जारी नहीं की गई। पहली बार सारी की सारी इकाइयों को कंसेंट-टू-ऑपरेट जारी की गई। पहले सारी की सारी यूं ही चल रही थीं। पहले 50 के. एल. डी. से कम पानी को, यूनिट को अपनी कंसेंट-टू-आपरेट में जयपुर आना पड़ता था। वहां क्षेत्रीय कार्यालय को उसका अधिकार दे दिया कि आपको वहीं मिल जाएगी, ताकि छोटे उद्यमियों को जयपुर के चक्कर लगाकर पैसा व्यर्थ नहीं करना पड़े। पहले क्या नियम था कि उद्योग धंधा लगाना है और बिजली का कनेक्शन लेना है, तो कंसेंट-टू-एस्टेब्लिश लो, उसके बाद बिजली का कनेक्शन बिजली विभाग जारी करेगा। हमारी सरकार के आने के बाद इसको हटा दिया। बिजली का कनेक्शन बिना कंसेंट-टू-एस्टेब्लिश मिलेगा। यह प्रयास किया। परसों अख़बार में पढ़ा होगा, 36

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इकाइयों को, 36 तरह के उद्योगों को हमने व्हाइट कैटेगिरी में डालकर उनको इस झंझट से पूरी मुक्ति दे दी है।

हमारे रीको ने कितना काम किया। हमारे यहां की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त थी; जितना पैसा चाहा, रीको ने हमको दिया। हमारे यहां के बहुत सारे केसेज संविधान परिवर्तन; हस्तान्तरण के सारे के सारे प्रकरणों का निस्तारण कर दिया। किसी इण्डस्ट्री में छोटा-मोटा कोई अतिरिक्त कार्य हो गया, तो उसका भी नियमन कर दिया। कोई कमी नहीं रखी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, वाकई में हम कुछ नहीं करते, हमारी सरकार कुछ नहीं करती, तो एन.जी.टी. हमारे प्रति कभी ऐसा रुख नहीं रखती। हमारे प्रयासों को एन.जी.टी ने भी माना है। बालोतरा को 6 महीने के लिए बंद किया, पर पाली को उससे मुक्त रखा। पाली के प्रयासों को उन्होंने संतोषजनक माना। जोधपुर की हर इकाई पर 5-5 लाख की पेनल्टी लगाई, पर पाली के ऊपर कभी पेनल्टी नहीं लगाई, जबकि पाली का केस सबसे ज्यादा कठोर पैरवी के साथ है। प्रयासों से ऊपर, उन्होंने माना है, और हम कह रहे हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लूणी से आने वाले विधायक बहुत चिंतित हैं, क्योंकि मेरी नदी है वह आपके यहां भी आती है। बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मैं पांच मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा। बिलकुल मैं भी चिंतित हूं, वह मेरा क्षेत्र है। जो गांव प्रभावित है, संजोग से उसमें अधिकांश मतदाता हमेशा मेरा साथ देते हैं। इसलिए मैं भी चिंतित हूं।

इस बार पहली बार हमने प्रयास किया नेहड़ा बांध भरने के बाद कि इस नेहड़ा बांध के पानी का पूरा का पूरा उपयोग सिंचाई के लिए यहां के काश्तकारों को हो जाना चाहिए। काश्तकारों के साथ बैठकर हमने मीटिंग ली; उन्होंने जो भी हमको निर्देश दिये, किये; यहां रोका लगवाना है ताकि पानी नहीं आये; सिटी सीवरेज का पानी भी नहीं आये; प्रयास किया। काश्तकारों ने सरकार से मांग की थी कि सरकार खाद भी उपलब्ध कराये। सरकार खाद उपलब्ध करा नहीं सकती, तो एसोसिएशन से बात की, चूंकि यह जमीन आपकी वजह से थोड़ी खराब हुई है तो आप कुछ योगदान दो। मुझे सदन के माध्यम से धन्यवाद देना है कि उन्होंने रोके की बात भी स्वीकार करके, डेढ़

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

करोड़ रुपया रोके पर खर्च किया। उसके बाद 50 लाख की खाद भी एसोसिएशन ने अपनी ओर से वहां के किसानों को उपलब्ध करायी। उसका परिणाम मैं नहीं, यह चार्ट उसका परिणाम है; गिरदावरी रिपोर्ट है दस दिन पहले की, इस नेहड़ा बांध के कमांड क्षेत्र की। कुल मिलाकर 13,411 हेक्टेयर में अलग-अलग तरह के जिंस की बुवाई हुई, जिसमें गेहूं, चना, रायडा भी है, जीरा जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक होता है; तारा मीरा भी है। 13,411 हेक्टेयर सिंचित और असिंचित भूमि में बुवाई हुई। यह गिरदावरी रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि 13,411 बीघा में पूरी की पूरी फसल पकी है। मैं यह टेबल कर दूंगा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट नहीं है, सरकार की रिपोर्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अन्य कमांड क्षेत्र में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ, उसकी तुलना में हमारे क्षेत्र में लगभग डेढ़ा उत्पादन इस बार हुआ, प्रति हेक्टेयर भी।

हमारे उद्यमियों ने तो इतना विश्वास दिलाया है कि जो जमीन अब तक खराब हुई है, उसके लिए भी यदि कोई योगदान देना होगा, हम निश्चित रूप से, जो भी सरकार कहेगी, या प्रशासन कहेगा, वह सारा का सारा योगदान देने के लिए तैयार हैं। जो जमीन खराब हो गई, उसको ठीक करेंगे। इस बात का मैं सदन में आपको वादा करता हूं कि हम उनसे ठीक करवाएंगे।

प्रदूषण की समस्या का बता दिया कि 5-6 नम्बर स्वीकृत हो गया, तो यह भी समस्या का समाधान हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ मांगें माननीय उद्योग मंत्रीजी से जरूर रहेंगी। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपको याद होगा, जब पिछला बजट सत्र था, हमने और पाली के उद्यमियों ने आपसे निवेदन किया था, एन जी टी के आदेश हैं, जो खुले नाले हैं उनको बंद करके, क्लोज्ड कंड्यूस पाइप; मुझे पता है, आपके रीको की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, पर मीटिंग में आपने 'हां' भरी थी। कोई बात नहीं, आप मेहरबानी करके आधे पैसे हमको दिलवा दो; पूरे पैसे मत दिलवाओ, आधे पैसे दिलवा दो, यह मेरा आपसे आग्रह है। बाकी आपने बहुत काम किए। सारी सड़कें आपने बनवा दीं, आफिसों के काम थे आपने सारे कर दिये। क्लोज्ड कंड्यूस का पाइप, क्योंकि एन जी टी ने आदेश दे रखा है और इण्डस्ट्री वालों ने अपने हिस्से की 6 करोड़ 62 लाख की राशि भी रीको में जमा करवा दी है; अगर आधी शेष राशि आप दिलवा दो ना, तो यह काम हो जाएगा।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चूंकि आज विषय इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है, हमारा आर.पी.सी.बी. में तो बहुत काम पड़ता है, माननीय पर्यावरण मंत्रीजी बैठे हैं, है तो उद्योग से सम्बन्धित, पर बैठे हैं, इसलिए मैं दो निवेदन करूंगा कि आपने पिछली बार 50 के.एल.डी. की इकाइयों को तो छूट दे दी कि क्षेत्रीय कार्यालय में अपने कंसेंट-टू-आपरेट लें; मेरा निवेदन है, आप उसको 50 से बढ़ाकर 100 कर दो, जिससे आपके यहां भी भार कम पड़ जायेगा और छोटी इकाइयों को वहीं कंसेंट-टू-आपरेट मिल जायेगी। वे जयपुर में धक्के खाने से बच जाएंगे। एक तो मेरा आपसे यह आग्रह है।

एक मेरा आपसे आग्रह है, अभी आपने 200 के.एल.डी. से ऊपर की जो बड़ी इकाइयां हैं, उनको अपना खुद का जेड.एल.डी. लगाने के आदेश आपने जारी किये हैं। माननीय पर्यावरण मंत्रीजी, ये सारी इकाइयां बहुत पुरानी हैं। उनके पास अब इतनी जमीन नहीं बची है कि वे अपनी उसी जमीन में कोई नया ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगा सकें। कोई जमीन बची नहीं उनके पास। जब पाली में पांच नम्बर और बन रहा है और हमारी कैपेसिटी 52 से ज्यादा हो जायेगी और डिस्चार्ज 35 से ज्यादा नहीं, तो एक बार आप इसको मेहरबानी करके वापस दिखवा दो। अगर हमारे ट्रीटमेंट प्लाण्ट की क्षमता 52 है, अगर डिस्चार्ज 35 से ज्यादा नहीं है, तो आप इस 200 के.एल.डी. वाली यूनिट को खुद का लगाने का सी.ई.टी.पी. या जेड.एल.डी. है, उसमें आप छूट दे दो।

अन्तिम निवेदन, कि आपके यहां जो सब्सिडी की छोटी-मोटी राशि पड़ी है, ज्यादा राशि आपने दे दी, उसको भी आप थोड़ा जल्दी निकलवा दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42-उद्योग और मांग 43-खनिज पर चर्चा हो रही है। पाली से आने वाले मेरे योग्य साथी ने उद्योग से सम्बन्धित आपको महत्वपूर्ण बातें बताईं, आपको जानकारी दीं। उसका मैं भी निवेदन करूंगा।

सबसे पहले मैं मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा। किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, वह अनेक कारणों में से, सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि के बाद अगर कोई है, तो वह अर्थव्यवस्था को गतिमान

(श्री जोगाराम पटेल)

रखने के लिए उस देश और प्रदेश का खनिज उद्योग कैसा है, किस तरह से उसको काम में लिया जा रहा है, कितना उसको गतिमान रखा जा रहा है और उस देश व प्रदेश के विकास में जितना अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए खनिज का महत्व है, उससे अधिक महत्व और किसी का नहीं है। विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रदेशों में अनेक तरह के खनिज पाये जाते हैं, खनिज की उपलब्धता भी अनेक देशों और प्रदेशों में अलग-अलग है, खनिजों का दोहन भी विभिन्न देशों और प्रदेशों में अलग-अलग हो रहा है, लेकिन हमारे यहां ऐसे कुछ खनिज हैं जिसके उत्पादक एक मात्र हम हैं, या जिनका स्टाक एक मात्र हमारे पास ही है। चाहे वह लैण्ड जिंक हो, वोलेस्टेनाइट हो, केलासाइट हो, सेलेनाइट हो, जयसपार हो, यह शत-प्रतिशत ही हमारे यहां से निकलता है। अब इसका दोहन हम कितना कर सके हैं, या नहीं कर सके हैं, यह अलग विषय हो सकता है। सिल्वर, जिप्सम, राक फास्फेट, इसका स्टाक, हम ही इसके उत्पादनकर्ता हैं, या हमारे पास ही ये खनिज हैं। अब इसका भी हम दोहन कितना कर पायें, कितना नहीं कर पायें, यह अलग विषय हो सकता है, लेकिन अन्तरराष्ट्रीय पहचान भी हमको, चाहे वह सैण्डस्टोन है, चाहे वह ग्रेनाइट है, चाहे वह कोटा का कोटा स्टोन है, चाहे वह संगमरमर है, इन्होंने हमको अन्तरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है।

जोधपुर का सैण्डस्टोन है, जिसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि वह एक बहुत बड़ा उद्योग है, हालांकि वह संगठित उद्योग नहीं है, अनेक क्षेत्रों में, जैसे-जैसे लाइसेंस क्वैरी, खान एरिया डिक्लेयर हुआ, वैसे-वैसे माइनिंग आपरेशन हो रहे हैं, लेकिन आज उसकी अन्तरराष्ट्रीय पहचान है। रोजाना हजारों ट्रक निकलते हैं, रोजाना उसका एक्सपोर्ट भी होता है। वर्तमान में यह उद्योग इतना पनप गया है कि अनेक प्रकार की मशीनरी उसमें उपयोग हो रही है और रोजगार भी लाखों लोगों को मिला हुआ है। उस उद्योग को सपोर्ट की आवश्यकता है। आज सैण्डस्टोन का उद्योग है वह बहुत क्राइसिस में चल रहा है। अनेक कारण हैं, मंदी का कारण भी हो सकता है, एक्सपोर्ट के विषय भी हो सकते हैं, माइनिंग लीज, वगैरह की जो हमारी पालिसी आ रही है उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन सैण्डस्टोन आज बहुत क्राइसिस में है। सैण्डस्टोन को सपोर्ट की आवश्यकता है। हम अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था में इसका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान भी है। जहां वर्ष 2012-13 में करीब 2,838 करोड़ के आसपास का

(श्री जोगाराम पटेल)

रेवेन्यू जो हमें एक्चुअल में प्राप्त हुआ, वह बढ़ करके 2013-14 में करीब 3,088 का हो गया, 2014-15 में 3,635 करोड़ का रेवेन्यू हुआ।

(14.36 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

अभी उद्योग विभाग का जो प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 का प्रस्तुत हुआ है, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, कृपया उसको थोड़ा दिखवायें। आपका जो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है, उसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपका टार्गेट जो पहले 3,566 था, उसको बढ़ा करके 5,000 किया। 5,000 करने के बाद में, आपने अपने प्रगति प्रतिवेदन में दो जगह फरवरी, 2016 तक 3,093.86 का रेवेन्यू अर्जित करने का कथन किया, लेकिन सेम उसी में, उसी पेपर में जहां पर आपके साइन हो रहे हैं, उसी पेपर में दूसरी जगह फरवरी, 2016 तक 2,866.37 का ही रेवेन्यू हुआ। तो एक साथ दो फिगर सम्भव ही नहीं हैं। बहुत ज्यादा फर्क है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 3,093 का रेवेन्यू अर्जित हो गया, दूसरी तरफ कहा, 2,866 का रेवेन्यू अर्जित हो गया, वह भी फरवरी, 2016 तक का। इसी प्रगति प्रतिवेदन में, इसी विधान सभा में प्रस्तुत हुआ। इसीलिए कृपया माननीय मंत्री महोदय जांच करावें। यह गलत फिगर किस तरह से है, या इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण है?

मेरा दूसरा निवेदन जो है, वह इस सम्बन्ध में यह भी है कि जो हमारे खनिज क्षेत्र हैं, अनेक तरह के खनिज क्षेत्र हैं, आप जैसलमेर में जाएंगे तो अलग तरह का मिलेगा; आप बाड़मेर में जाएंगे, अलग तरह का मिलेगा; आप जोधपुर में आएंगे, अलग तरह का मिलेगा; आप कोटा में जाएंगे, या सिरोही में जाएंगे, अलग तरह के मिलेंगे; हम इन खनिज क्षेत्रों को किस तरह से और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

यह खनिज पालिसी की जो बात आ रही है, बार-बार, अनेक बार समाचार पत्रों में, आपके वक्तव्य में यह बात बार5बार आ रही है कि खनिज पालिसी हम ला रहे हैं, खनिज पालिसी हम ला रहे हैं, पर यह आपकी खनिज पालिसी आखिर में आयेगी कब? उसकी वजह से हमारे इस खनिज क्षेत्र में लगे हुए अनेक व्यक्तियों को भारी तकलीफ हो रही है। स्पेशियली, सैण्डस्टोन में लगे हुए जो हमारे उद्यमी हैं, या ग्रेनाइट और संगमरमर में लगे हुए हमारे

(श्री जोगाराम पटेल)

उद्यमी हैं, उनको इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी तकलीफ है। इसका रीजन भी है। वर्ष 1950-51 में प्रधान खनिजों में जो पट्टे आपके सिर्फ 50 थे, वे होकर के 3,752 हो गये। इतना आपका अंतर आ गया है। जहां अप्रधान खनिजों में आपके सन् 1950-51 में 95 पट्टे थे, वे आज 11,926 के लगभग हो गये हैं। जहां आपके क्वारी लाइसेंस 1950-51 में 1,200 के लगभग थे, वे क्वारी लाइसेंस आज 18,000 से भी एक्सीड कर गये हैं। इसलिए एक निश्चित पालिसी अगर आ जाए, तो उद्यमी, या खनन कार्य में लगे हुए लोग उससे यह पता लगा सकें कि हमको इस तरह से खनन करना है, या हमारी यह लिमिटेशन है, या हम इस क्षेत्र में काम करें, या नहीं करें; कितना नफा है, कितना नुकसान है; कहां एप्लाई करें, कब एप्लाई करें, और कितना उनको मुनाफा हो रहा है।

मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्व अर्जन का विषय है, वह सिर्फ अकेला इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका सोशल सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं विशेष निवेदन भी करना चाहूंगा, सोशल सेक्टर में अगर हम इसका इंवेस्टमेंट नहीं करें और जो पैसा आपका कानून के अनुसार एन्वायरनमेंट मैनेजमेंट जो फंड है, एक समाचार पत्र के अनुसार 7 करोड़ से ज्यादा आपका फंड जमा है, लेकिन विधान सभा में जब मैंने प्रश्न लगाया और आपने जो जवाब दिया, उसके अनुसार 12 करोड़ रुपये, 12 करोड़ 34 लाख 47 हजार 575 रुपये आपके पास जमा पड़े हैं। आप अनुमान लगा लीजिए, माननीय सभापति महोदय, जो पैसा उस सेक्टर में लगना था, उस एरिये में लगना था, सोशल वेलफेयर के लिए लगना था, एन्वायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए लगना था, वह 12 करोड़ रुपये की राशि, सन् 2012 में यह स्कीम शुरू हुई, तब से लगाकर आज दिन तक ऐसे ही पड़ी है। तो मैं आज निवेदन करूंगा मंत्री महोदय, यह जो एन्वायरनमेंट मैनेजमेंट फंड (ई.एम.एफ.) जो है, उसको जिस प्रयोजन के लिए आपने इकट्ठा किया, उस प्रयोजन पर आप उसको लगाएं। हजारों ट्रक्स रोज निकल रहे हैं; सड़कें नहीं, वहां पर आदमी पैदल भी नहीं चल सकता, फिर भी 7 टन, 10 टन, 40 टन लेकर उस ट्रक को निकलना पड़ता है; उस एरिया में पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है; सड़कों की व्यवस्था नहीं है; पर्यावरण की कोई व्यवस्था नहीं है; पेड़-पौधे नहीं हैं; जो वेस्ट मैटेरियल है, वह जगह-जगह सड़कों पर डाला जा रहा है, उसका कोई स्थान नहीं है। तो मेरा जो पहला निवेदन आपसे है कि आपकी जो 19.06.2012 की

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिसूचना के द्वारा आपकी जो ई.एम.एफ. की स्कीम है, उस स्कीम के तहत आपको जो यह 12 करोड़, आज आपके हो सकता है कि 15 करोड़ हो गया होगा, वह पैसा आप लगाएं।

मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया था और पत्र द्वारा भी निवेदन किया था कि साहब, खनिज सड़कों की हालत खराब है, हमारी ये दो सड़कें या तीन सड़कें आप बनवा दें। आपने प्रयास किया, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है।

मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आपका यह सोशल वेलफेयर के लिए जो फंड है, उसको आप तुरन्त लगाएं।

दूसरा मेरा जो विशेष निवेदन है, वह यह है कि वर्तमान में अनेक क्षेत्रों में बजरी के ठेके हो गये हैं। अब बजरी के ठेके, उस सम्बन्ध में क्या विवाद है, वह मैं आपसे अलग से निवेदन करूंगा, अभी मैंने निवेदन आज किया भी है 295 के माध्यम से, लेकिन लूणी क्षेत्र में छह महीने से एक फाइल आपके पास अटकी हुई है। टेंडर हुआ, टेंडर में कोई विवाद हो गया और विवाद होने की वजह से वह फाइल किस रिकमंडेशन के लिए, अनुमति के लिए, या किस वजह से आपके पास आई है, वह छह महीने से फाइल आपके आफिस में अटकी हुई पड़ी है। रोजाना वहां पर, चूंकि वहां पर कोई ठेका है नहीं; मर्जी आए, वह बजरी ले जाते हैं, अवैध भी ले जाते हैं, ओवरलोडिंग भी होती है। रोज पुलिस पीछे भी पड़ती है। कभी-कभी माइनिंग विभाग वाले भी जाते हैं, पर इनकी तो पूरी मिलीभगत ही है। ऐसी स्थिति में वह जो भी आपको निर्णय लेना है, उस निर्णय को आप तुरन्त लें और लूणी क्षेत्र के जितने लोगों के पास जो रोज की तकलीफ है, उनको रोज पुलिस से जूझना पड़ता है। घर के अन्दर, कि घर का काम करूं, एक अगर 10 टन भी या 2 टन भी या 1 टन भी या 50 किलो भी बजरी लाऊं, तो वह पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अगर वहां पर टेंडर हो जाएगा, तो मैं जैसे भी नियम-कायदे से अपनी बजरी लाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह आप उसका तुरन्त निर्णय करें और आपके आफिस में जो फाइल पेंडिंग है, उसका आप निपटारा करें।

मेरा यह भी कहना है कि जहां अब बजरी के टेंडर हो रखे हैं, उन बजरी के टेंडर्स में ओवरलोडिंग की जो प्राब्लम है, जिसमें हाई कोर्ट ने, जैसा मैंने आपसे पहले 295 के माध्यम से निवेदन कर दिया कि जो ओवरलोडिंग

(श्री जोगाराम पटेल)

की जो प्राब्लम है, उसकी वजह से सरकार को अनेक प्रकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपकी ओर से भी आदेश हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया, उसकी पालना नहीं हो रही है। न तो सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाये जा रहे हैं और न इंस्पेक्शन किया जा रहा है और जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि 10 चक्का डम्पर का जो है, जिसका वज़न, 14 से 16 टन बजरी भरी जा रही है, जबकि रायल्टी रसीद सिर्फ 9 टन की ही काटी जा रही है। वास्तव में वह जो डम्पर है, जो ट्रक है, उसके अन्दर 16 टन के लगभग बजरी भरी जा रही है, लेकिन रसीद वह दोनों की मिलीभगत से 9 टन की ही काटी जा रही है। इसलिए ये तीन नुकसान होते हैं- आपको राजस्व का नुकसान हुआ; हमारे पी.डब्ल्यू.डी. की जो रोड है वह बिलकुल हमेशा समाप्त हो गयी; और एक्सिडेंट अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए मेरा दूसरा निवेदन है कि इस तरह के जो नुकसान हो रहे हैं, उनकी ओर भी आप ध्यान दें।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि आपकी इस पालिसी का जो मामला पेंडिंग है, खनिज नीति का जो मामला पेंडिंग है, एक एकड़ की आप अपने खेत में देंगे, पांच हेक्टेयर की देंगे, दो हेक्टेयर की देंगे, या जो एग्जिस्टिंग में जो चल रहे हैं उनकी ही देंगे; और एन्वायरनमेंट विभाग की ओर से जो 50 साल से खान का काम कर रहे हैं, 20 साल से खान का काम कर रहे हैं, उनको जो परेशान किया जा रहा है, उस सम्बन्ध में भी जब तक आपकी पालिसी फाइनल न होती है, तो उसको भी परेशानी हो रही है। इसीलिए यह खनिज नीति तुरन्त लाएं।

लूणी का आपका जो ठेका का मामला पेंडिंग है, उसको तुरन्त निपटाएं; आपका एन्वायरनमेंट मैनेजमेंट का फंड है उसका तुरन्त निस्तारण करें; अवैध खनन को रोकें।

अंत में मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वर्तमान में सैंड-स्टोन की जो क्वारीज हैं, चाहे वह बालेसर हो, चाहे जोधपुर के 9 क्षेत्र हों और चाहे और कोई क्षेत्र हो, उसका जो वेस्ट मैटेरियल है, उसको डालने की कोई जगह नहीं है। यह इतनी ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। आपके रूल्स में यह लिखा हुआ है कि अगर खान पूरी खनन योग्य नहीं रहेगी, पूरा उसमें जितना मैटेरियल है, जितना स्टोन है, वह निकल जाएगा,

(श्री जोगाराम पटेल)

तो उसको फिर पाटा जाएगा, लेकिन कोई भी खान पाटी नहीं जा रही है। उससे हमारा जो नेचुरल फ्लो आफ वाटर है, वह पूरा का पूरा रुक रहा है और उससे पानी की समस्या भी दिनोंदिन हो रही है।

अभी माननीय सदस्य ने आपके सामने जो विषय रखा था और यहां पर और किसी माननीय सदस्य ने भी बताया था कि वह जो खनन क्षेत्र में बड़े-बड़े खड्डे हैं, उनके अन्दर शेर भी छुप जाता है, और मुझे सम्भावना ऐसी लग रही है कि वहां से शेर भगाया, तो कहीं मेरे यहां पर नहीं आ जाए। इसलिए आप इसको भी तुरन्त प्रभाव से, इसका निस्तारण करें। यह मेरा आपको निवेदन है।

विशेष रूप से जोधपुर में यह जो सिलिकोसिस की बीमारी है, इस सम्बन्ध में भी, हालांकि आपने खूब प्रयास किये हैं, इस बीमारी को आइडेंटिफाई भी किया है और जो इसके रोगी हैं, उनको आपने सहायता भी दी है, उनका रजिस्ट्रेशन भी किया है और करीब 13-14 करोड़ का इंवेस्टमेंट आपने उन लोगों पर किया है और कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इसमें बहुत कमी है। क्योंकि लाखों व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं और जो मजदूर इस क्षेत्र में करीब 15 साल, 12 साल, 10 साल काम कर लेता है, उसको धीरे-धीरे जाकर यह बीमारी हो जाती है और वर्तमान में जिस तरह से कटिंग मशीन के द्वारा यह काम हो रहा है, उससे तो उसकी एज और भी कम हो रही है। इसीलिए सिलिकोसिस की या एस्बेस्ट्रोसिस की जो बीमारी है, उसका और अधिक इंवेस्टिगेशन करवाएं, उसकी कोशिश करें कि वह बीमारी हो नहीं। बीमारी होने के बाद, उसका इलाज करना और उसको सहायता देना अलग विषय है, लेकिन वह बीमारी हो ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। उसका सामूहिक बीमा का जो है, वह पूरा इफेक्टिव नहीं है और सामूहिक बीमा की आपकी जो योजना है, उसको भी तुरन्त प्रभाव से सही तरीके से लागू किया जाए। यह भी मेरा आपसे निवेदन है।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करूंगा कि आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए अनेक तरह के लोग आपके विभाग में हैं, वे मात्र लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही लोगों को भी परेशान कर लेते हैं। लक्ष्य प्राप्त करना अच्छी बात है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लाना अच्छी बात है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो किसी तरह से अवैध खनन नहीं कर रहा है, अपने नियमों

(श्री जोगाराम पटेल)

और अपनी मर्यादा में खनन काम कर रहा है, उसको आप परेशान करें। अवैध खनन कर रहा है, उसको तो आप करें, इसके लिए हमारा कोई एतराज नहीं है, पर अवैध खनन का जो विषय आया है, तो मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि राजस्थान का जितना रेवेन्यू आज जो हम असेस कर रहे हैं, अगर आप अवैध खनन को रुकवा दें, तो इतना-इतना रेवेन्यू राजस्थान को और मिल सकता है। हमारे विधान सभा की एक कमेटी अभी उधर अलवर में जाकर आई; मैं जोधपुर से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, आप अपने क्षेत्र में भी व्यक्तिगत रूप से परिचित होंगे; जितना अवैध खनन के द्वारा राजस्व का नुकसान राजस्थान सरकार को वर्तमान में हो रहा है, उतना नुकसान शायद कभी भी नहीं हुआ होगा। पूरे के पूरे पहाड़ अवैध रूप से काटे जा रहे हैं। इससे अवैध खनन माफिया पनप रहे हैं, बड़े-बड़े गिरोह पनप रहे हैं, बड़े-बड़े मुकदमे हो रहे हैं, कानून-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और इससे एक्सिडेंट भी हो रहे हैं।

इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो अवैध खनन का बहुत ही गम्भीर विषय है, यह कोई एक दिन की बीमारी नहीं है, लेकिन इसे रोकना बहुत जरूरी है; इस बारे में गम्भीरता से विचार करना भी बहुत जरूरी है। मेरा आपसे निवेदन भी है कि यह अवैध खनन को आप एक मिशन के रूप में लेवें और चाहे भले सभी को एक साथ नहीं करें, एक जिला लें, एक तहसील लें या पर्टिकूलर एरिया लें। आपने अवैध खनन को रुकवा दिया, तो मैं मानकर चलूंगा, रोजाना जोधपुर-जोधपुर का आप लेवें तो 800 ट्रक रोज वहां से निकल रहे हैं, जो अवैध की काउंटिंग में आये हैं और करीब 200 ट्रक जालौर से निकल रहे हैं और करीब 700 ट्रक बाड़मेर से निकल रहे हैं और इन सबको यदि हम रुकवा देवें, ऐसे ट्रक राजस्थान में अनेक निकलते होंगे, तो हमारा रेवेन्यू भी आएगा, अवैध खनन भी नहीं होगा, पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो विषय है, वह उद्योग से सम्बन्धित है। मैं उद्योग के सम्बन्ध में इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि जो विषय आपने रखा है, वह सही है, सरकार खूब प्रयास कर रही है, सीईटीपी प्लांट लगा रही है, सीईटीपी प्लांट जोधपुर में भी एक लगा हुआ है, जिसमें 50 एम एल डी का प्लांट बताया जा रहा है दस साल पहले का, लेकिन उसमें सिर्फ 10 एम एल डी दिखावे के रूप में पानी शुरू हो रहा है। सालावास में जो

(श्री जोगाराम पटेल)

लगाया है सीवरेज का, वह 50 एम एल डी सन् 2008 में लगा है, आज भी उसमें सिर्फ 20 एम एल डी पानी ट्रीट हो रहा है। तीसरा 2008 में सैंक्शन हुआ है, वह आज भी अंडर-कंस्ट्रक्शन है; और नांदड़ी में जो 50 एम एल डी का बताया है, उसमें सिर्फ 10 एम एल डी हो रहा है। मुझे पाली की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, पर मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा, सभापति महोदय, उद्योग लगें, उद्योग पनपें, जिससे हमारा आर्थिक विकास भी होगा, यह जरूरी भी है, लेकिन किसान की कीमत पर नहीं होना चाहिये। किसान की हत्या कर, उसकी खेती की जमीन की हत्या कर, जीव और जन्तु की हत्या कर, उसको बरबाद कर; आप कभी फील्ड में जाकर देखें, लूणी नदी के किनारे-किनारे देखें, जोजरी नदी के किनारे देखें, सूकड़ी और बाड़ी नदी के किनारे चलकर देखें और स्पाट पर चलकर देखें, आपके पेपर क्या बोलते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप वहां किनारे चलकर देखें, समाचार पत्रों की कटिंग देखें, मौके पर जाकर देखें कि कितनी हजारों बीघा जमीन उस काश्तकार की खराब हो गयी है। उसने क्या बिगाड़ा था? वह यह नहीं कहता कि उद्योग नहीं लगें, लेकिन क्या उसकी खेती की जमीन, जो हमेशा-हमेशा के लिए बरबाद हो गयी है, वह जमीन सरकार वापस दिलाएगी? क्या उस कुएं का जो पानी मिलने वाला था, हजारों सालों से वह कुएं से खेती कर रहा था, क्या वह पेयजल वापस सरकार उपलब्ध कराएगी? खेती योग्य पानी वापस उपलब्ध कराएगी? जो बंजर हो गयी है लाखों बीघा जमीन; हजारों बीघा जमीन नहीं, बल्कि लाखों बीघा जमीन जो बंजर हो गयी है और बंजर हो रही है, क्या सरकार उसको वापस दिलाएगी?

आपके इस प्रदूषित पानी से, अन-ट्रीटेड पानी से, काले पानी से, जो लूणकेश्वर महादेव मंदिर के नाम का बहुत बड़ा मेला मार्च के फर्स्ट वीक में इसी साल लगा हुआ था, वह पानी जो आया, वह मेला पूरा बह गया। आप अनुमान लगावें कि वह पूरा मेला बह गया। रात को प्रशासन लगा, एस डी एम गया, तहसीलदार गया, आपके विभागीय अधिकारी गये, उनको जे सी बी से उठा-उठाकर बाहर निकाला।

क्या आप यह मानते हैं, पेपर में यह बता देना कि साहब, यह इस तरह से हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन आप स्पाट पर चलें। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आपका क्षेत्र है, आप वहां के प्रभारी भी हैं, कभी एक दिन के लिए मौका मुआयना तो करें। आपको मौका मुआयना

(श्री जोगाराम पटेल)

करने पर पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता जब आप देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हजारों-लाखों बीघा किसानों की जमीन बरबाद हो गयी है। अनेक रात और दिन अवैध फैक्टरियां पनप रही हैं। जो उद्योग सही लग रहे हैं, उनको यों ही बदनाम किया जा रहा है। मैं उनको कतई बदनाम नहीं करना चाहता, वे अपनी मर्यादा में अपना काम कर रहे हैं; वह जितना चाहता है, उसको ट्रीट भी करते होंगे, लेकिन इसके अलावा हजारों अवैध फैक्टरियां हैं, जो बीठूजा में या बालोतरा में एन जी टी के आदेश से जो बंद हुईं, वे 6 महीने बाद में ही उनमें से 50 परसेंट फैक्टरियां सारी की सारी जोजरी नदी के किनारे आकर रातों-रात खेतों में लग गयीं।

लूणी नदी के किनारे आपने मेरड़ा बांध की बात की है, मेरड़ा बांध उससे बहुत दूर रह जाता है। आप लूणी नदी के अन्दर चलें, पूरा का पूरा पानी नदी के रूप में बह रहा है। वह पानी आता कहां से है? वह काला पानी है। आप 100 फीट, 500 फीट, हजार फीट, लाख फीट नीचे चले जाइये, वह नीचे का पूरा का पूरा पानी काला हो गया है। वह पानी पी नहीं सकते।

अभी यहां सिवाना के माननीय विधायक बैठे नहीं हैं, उस दिन खड़े होकर बोले थे कि मेरे यहां पूरा का पूरा क्षेत्र खराब हो गया है। आज यहां पचपदरा के विधायक यहां बैठे नहीं है, उनका भी पूरा का पूरा क्षेत्र खराब हो गया है। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय यहां बैठे नहीं है, उनका भी पूरा का पूरा क्षेत्र खराब हो गया है।

वह पानी आया कहां से? अगर यह पूरा का पूरा पानी ट्रीट हो रहा है, पानी बिलकुल सही है तो फिर वह पानी आया कहां से? हम सिर्फ यह कहते हैं कि हमारा खेत खराब नहीं हो, हम सिर्फ यह कहते हैं कि हमारी खेती बरबाद नहीं हो, हम यह चाहते हैं कि हमारा पीने का पानी खराब नहीं हो। हम कहते हैं, उद्योग और पनपें, रात और दिन पनपें, इसमें हमारा सहयोग भी तैयार है, लेकिन सिर्फ यह कह देने मात्र से, कि खेती की जमीन बरबाद होगी, उसको कम्पन्सेट कर देंगे, वह कभी नहीं हो सकता। यह धरती मां है। किसी की मां मरने के बाद मां वापस नहीं लाई जा सकती। आप अनुमान लगाओ उन किसानों के साथ क्या बीती होगी! मेरा निवेदन है, माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप इसको गम्भीरता से लें।

मेरा यह भी निवेदन है कि बोरोनाड़ा का जो औद्योगिक क्षेत्र है, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2007-08 में यह कह दिया था कि

(श्री जोगाराम पटेल)

हमको इस जमीन की आवश्यकता नहीं है, यह जमीन हम नहीं लेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद में सरकार में परिवर्तन हो गया और सरकार में परिवर्तन होने के बाद में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस जमीन को लेने से मना कर दिया कि काश्तकार के हित में जमीन नहीं लेंगे; वही जमीन राजनैतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से ली गयी और यह अवार्ड जाते-जाते अन्त में, 2013 में वह अवार्ड कर दिया। काश्तकार आपसे भी अनेक बार मिले, माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी अनेक बार मिले और मैं आज आपसे पुन: निवेदन कर रहा हूं कि उनकी जो जमीन ली जा रही है, वह कौड़ियों के भाव ली जा रही है। अगर बाजार में उसका भाव 50-60 लाख रुपये बीघे का है, वह दो लाख-तीन लाख रुपये बीघे में ली जा रही है। उस गांव का अस्तित्व खतम हो रहा है। आप उस बात को विजुअलाइज करें। जिस सरकार ने उस जमीन को सन् 2008 में लेने से मना किया था कि नहीं चाहिए, उसी को राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सत्ता परिवर्तन के साथ लिया गया। हम उसके बारे में विचार करें।

इसी तरह काकाणी और खाराबेरी पुरोहितान की जमीन काकाणी में 10 लाख बीघे वाली को 3 लाख रुपये बीघे दिया। आप मार्केट वेल्यू असेस करें। आपका रीको कामर्शियल बिजनेस करने वाली संस्था है। वह कोई फोकट में जमीन नहीं देता। वह जैसी आयेगी, उसमें भाव जोड़कर आगे उद्यमियों को बेचेगा। इसलिए काश्तकारों के हित भी आप देखें। काश्तकार को उसकी जमीन की कीमत भी नहीं मिले; काश्तकार का गांव हमेशा-हमेशा के लिए खतम हो जावे; उसको कोई देखने वाला नहीं हो।

ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि बोरोनाड़ा की जमीन के बारे में भी आप विचार करें। खाराबेरा पुरोहितान और काकाणी की जमीन के बारे में भी विचार करें।

आज मैं, चूंकि यहां सब विराजे हुए हैं, इसलिए आपसे कानून में निवेदन भी करूंगा कि यह लैण्ड एक्वीजिशन 2013 का आया है, इसका सेक्शन-24 है। उसको अवार्ड हुए 2 वर्ष से अधिक का अर्सा हो गया है, उसका पेमेंट आज दिन तक नहीं हुआ है। यह एडमिटेड पोजीशन है। उसका पजेशन नहीं लिया गया है, आज भी यह एडमिटेड पोजिशन है। इसका प्रोविजो यह कहता है- "Provided that where an award has been made and compensation in respect of a majority of land holding has not been deposited in the accounts of the beneficiaries, then all beneficiaries specified in the notification for acquisition under section 4 of the said Land Acquisition Act, shall be entitled to com-

(श्री जोगाराम पटेल)

pensation in accordance with the provisions of this Act." तो इसमें कोई टाइम बाउण्ड नहीं है। सेक्शन 24(2) में तो टाइम बाउण्ड है, अगर कोई लैण्ड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स को लेप्स करना है तो फाइव यीअर का टाइम होना चाहिये और कम्पंसेशन पेमेंट नहीं होना चाहिये, लेकिन जहां ओनली कम्पंसेशन का इश्यू हो, इस केस में कम्पंसेशन का इश्यू है, और कम्पंसेशन के इश्यूज में अगर आपने कम्पंसेशन नहीं दिया है, तो बेनिफिशरी जो है, जिसकी लैण्ड गयी है, वह इस सेक्शन 24(2) के प्रोविजो के अनुसार, इस नये एक्ट के अनुसार कम्पंसेशन पाने का अधिकारी है। कृपया आप इसको दिखवावें। आप कम्पंसेशन इसको न्यू एक्ट के अनुसार दे देंगे, तो, हो सकता है, काश्तकार इससे संतुष्ट हो जाएंगे; हो सकता है, आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आप कम्पंसेशन भी नहीं देंगे, जबरदस्ती लैण्ड लेने का प्रयास करेंगे, तो इसमें विवाद की बात रहेगी। मेरा यह भी निवेदन है।

साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जो बोरोनाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस बोरोनाडा इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने आपसे लिखित में भी निवेदन किया था कि उसकी थोड़ी हालत ठीक नहीं है। आपने मुझे रिटर्न में यह

(15.00 बजे)

भेजा था, रोड के सम्बन्ध में, रोड लाइट के सम्बन्ध में, सफाई के सम्बन्ध में, पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में, तुरन्त कार्यवाही करेंगे, लेकिन करीब डेढ़ साल का अरसा बीत जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि बोरोनाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के सम्बन्ध में, चाहे वह सफाई से सम्बन्धित हो, चाहे पेयजल समस्या से सम्बन्धित हो, रोड लाइट और रोड से सम्बन्धित हो, उसमें आप तुरन्त कार्यवाही कराएं। बोरोनाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की जो रोड है, यह पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। सबसे बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया है, व्यवस्थित इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योगपति भी अपना काम कर रहे हैं, पर उनको सहयोग की जरूरत है। यह भी मेरा निवेदन है। उनके पेयजल की भारी समस्या भी है और पेयजल की समस्या की वजह से उन्हें अनेक तरह की परेशानियां भी हो रही हैं।

लास्ट में मैं निवेदन करूंगा, माननीय उद्योग मंत्रीजी, जिसके सम्बन्ध में आप स्वयं बहुत सक्रिय हैं। कोई भी उद्योग तभी पनपेंगे जब एयर कनेक्टिविटी होगी और एयर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उद्योगों के लिए बहुत

(श्री जोगाराम पटेल)

परेशानी होती है। अभी वर्तमान में जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वह बहुत छोटा है और सिर्फ 12 एकड़ में बना हुआ है। 12 एकड़ के एयरपोर्ट में मात्र 9 हजार फीट की एयर पट्टी है। उसमें रन-वे पर एक हवाई जहाज भी साथ नहीं चल सकता और डेढ़ सौ से ज्यादा यात्री नहीं आ सकते; दो या तीन विमान से ज्यादा पार्किंग नहीं हो सकती, जबकि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। आज ट्यूरिस्ट पर्पज के हिसाब से; वहां जो एजुकेशन हब बना हुआ है, आज 6 विश्वविद्यालय जो बने हुए हैं, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, चाहे पुलिस की यूनिवर्सिटी हो, अनेक यूनिवर्सिटी भी हैं। तो एजुकेशन हब के रूप में भी है, ट्यूरिस्ट पर्पज है। यहां सबसे ज्यादा ट्यूरिस्ट जोधपुर और जैसलमेर आते हैं। उस लिहाज से भी लो, बड़ा शहर होने के नाते लो, पापुलेशन के नाते भी लो और उद्योगों के नाते भी लो, तो जोधपुर के एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं पहले से ही मानता हूं कि आप इसमें अपनी क्षमता से अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह जल्दी करने की आवश्यकता है। जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी, जो 37 एकड़ का जमीन का मामला है, अगर उसको आप जल्दी निपटा देंगे, तो 15 विमान की लैण्डिंग हो जायेगी, 600 यात्रियों का एक साथ हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय को भी, एयर कनेक्टिविटी को भी तुरन्त प्रभाव से बढ़ाना आवश्यक है। क्योंकि जयपुर में, या जोधपुर से भी ज्यादा उदयपुर में व्यवस्था है। उदयपुर में करीब 9 हजार फीट की रन-वे पट्टी है और 600 यात्री रह सकते हैं, जबकि जोधपुर में 150 यात्री ही रह सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उद्योग की व्यवस्था, उद्योगों को बढ़ाने के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना भी जरूरी है। अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, लेकिन मैंने जो निवेदन आपके समक्ष किया है, उसकी ओर भी विशेष ध्यान देवें।

माननीय खनिज मंत्रीजी से मेरा विशेष निवेदन है कि यह जो हमारा फंड जमा पड़ा है, चाहे वह रोड के सम्बन्ध में हो, चाहे वह पर्यावरण व्यवस्था के सम्बन्ध में हो, चाहे हमारे जो उद्यमी काम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में हो, कृपया उसका तुरन्त डिस्पोजल करें। हमारी लूणी के ठेके का मामला, जो आपके पास फाइल लम्बे समय से पेंडिंग पड़ी है, उसका निर्णय हो, उसका निर्णय करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज जिस चर्चा में हम भाग ले रहे हैं, वे हैं डिमांड नम्बर 42 और 43 । पहले मैं उद्योग पर, जो 42 नम्बर डिमांड है, उस पर बोलूंगा; उसके बाद माइंस पर।

माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी की चर्चा इस सदन में बार-बार आयी है और उन्होंने राजस्थान में उद्योगों को बढ़ाने के लिए और साथ में उद्योग मंत्रीजी, जो भी उनके साथ रहे हैं, उनका भी विशेष योगदान रहा है; वर्तमान उद्योग मंत्रीजी का भी, और पूर्व का भी, क्योंकि एक टीम के साथ काम होता है और उस टीम में माननीया मुख्य मंत्रीजी का और उद्योग मंत्रीजी का लगातार साथ रहता है।

अभी 'रिसर्जेंट राजस्थान' का हवाला आया, 3 करोड़ 28 लाख तक के एम.ओ.यू. अब तक हो चुके, जैसी मुझे अधिकृत सूचना मिली है, और मैं चूंकि अलवर जिले का हूं और यह सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि अलवर जिले में सबसे ज्यादा एम.ओ.यू. हुए हैं। वैसे भी अलवर जिले में इस समय 18 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख भिवाड़ी, खुशखेड़ा, टपूकड़ा, तिजारा, नीमराना, गिलोट, शाहजहांपुर, बहरोड़, इत्यादि-इत्यादि हैं। अब इन सब उद्योगों में आज की स्थिति यह है कि वहां जमीन ही नहीं है। जमीन को रीको एक्वायर कर रहा है और रीको ने भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जमीन को एक्वायर करने में, अवाप्त करने में पूरी मदद दी है; 9,641.39 एकड़ भूमि अवाप्त की गयी है एवं 2,415.42 एकड़ भूमि विकसित की गयी है। रीको ने यह काम किया है। रीको ने और भी बहुत सारे काम किये हैं, जैम्स एण्ड ज्वैलरी के लिए, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी के लिए, नीमराना के निकट गिलोट में 750 एकड़ भूमि में सिरेमिक और ग्लास के विशेष औद्योगिक क्षेत्र की औपचारिक शुरुआत 9 दिसम्बर, 2014 को की गयी है।

अब यह जो अलवर जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, इसका श्रेय स्वर्गीय महामहिम माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत को जाता है। हरियाणा की बार्डर पर यह भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, जो पहले भिवाड़ी ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के नाम से बसाया गया और बाद में डवलप होते-होते और वहां पर बड़े से बड़े उद्योग लगे हैं और वे बड़े से बड़े उद्योग आज भी लग रहे हैं, इन सारे औद्योगिक क्षेत्रों में। चूंकि हरियाणा की बार्डर पर है और साथ में गुड़गांवा, जो एक हब बन गया है आज इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों का और बाकी सब का, और

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

दिल्ली के नजदीक है, फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र के भी नजदीक है। इसलिए भिवाड़ी में आने के लिए लोग बड़े लालायित हुए।

'रिसर्जेंट राजस्थान' में जो बहुत बड़ी सफलता मिली, वह इसलिए ही हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिली। इसमें जो बी.आई.पी., ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ने भी बहुत बड़ा काम किया और सी.एस.आर. ने भी काम किया। इसमें माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी ने पूरे देश और दुनिया में, जापान, सिंगापुर, कुआलालमपुर और कहीं-कहीं जाकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रियल घरानों से, कॉरपोरेट घरानों से सम्पर्क किया; और सम्पर्क ही नहीं किया, राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए, बहुत बड़ा योगदान देने के लिए किया, और इस योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते।

हमारे अपोजिशन के माननीय सदस्यों को मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि आप पूरी गम्भीरता से इस बात को लें कि अगर औद्योगिक विस्तार हो रहा है, औद्योगिक प्रमोशन हो रहा है और औद्योगिक प्रमोशन में आपका योगदान चाहिए, आपके द्वारा प्रशंसा चाहिए कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इतना सहयोग किया और राजस्थान को इस ढंग से आगे बढ़ाया। उसमें वित्त निगम का, रीको का, उद्योग के आयुक्तालय का, सब का योगदान है और महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस सम्बन्ध में हैं और हजारों-हजार करोड़ का नवाचार हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये उद्योग तो लगें और बड़े-बड़े उद्योग लगें, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से, माननीय सी.एम. साहब से भी निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, यह भी सच है, ये जितने उद्योग लग रहे हैं ये वर्कर ओरिएंटेड नहीं हैं। इनमें हजारों-हजार करोड़, लाखों-लाख करोड़ तो लगेगा, लेकिन ये वर्कर ओरियंटेड नहीं हैं।

हमको चाहिए रोजगार। अब रोजगार के लिए स्टार्टअप्स योजना जो चली, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने चलाया, स्टार्टअप्स योजना में, उसमें तीन साल में कोई टैक्स नहीं, तीन साल की पूरी छूट होगी एक्साइज की; सेल्स टैक्स की या इन्कम टैक्स की या बाकी भी जो टैक्स लगते हैं, उन सबकी; और किसी तरह का जुर्माना भी उन पर नहीं होगा। तीन साल तक न टैक्स, न जुर्माना; छोटे फार्म के जरिये रजिस्ट्रेशन हो जायेगा; 90 दिन के अन्दर-अन्दर स्टार्टअप्स के लिए एग्जिट की भी व्यवस्था होगी; और पेटेंट फीस में, पेटेंट जो वर्ल्ड में आई.एस.ओ.-वन, टू, आई.एस.ओ.-थ्री, फोर, उस नाते से हम लोग जो

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)
स्टैन्डर्ड मानक मांगते हैं और पेटेंट करवाते हैं, उस पेटेंट में भी 80 परसेंट की छूट होगी। यह भी इस स्टार्टअप्स योजना में है। सरकारी एवं सार्वजनिक खरीद में भी छूट होगी और लाइसेंस का राज भी खतम होगा। यह माननीय जेटलीजी ने घोषणा की, यह केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने यहां घोषणा की, स्टार्टअप्स की योजना में।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने निवेदन किया कि उद्योग तो बड़े-बड़े लगेंगे लेकिन उन उद्योगों में वर्कर ओरियंटेड इंडस्ट्री लगें और वर्कर ओरियंटेड इंडस्ट्री टैक्सटाइल है, सीमेंट है, इंजीनियरिंग है, पेपर मिल्स हैं। ये सब ऐसी इंडस्ट्री हैं, जिनकी तरफ ध्यान अगर हमारे अधिकारियों का, माननीय उद्योग मंत्रीजी का जायेगा, तो इसमें हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

साथ में यह भी सच है कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कि पिछले 1 वर्ष, 3 वर्ष से या 5 वर्ष से बंद पड़े हैं। ऐसे कुछ स्थानों की मैं पूरी स्टडी करके आपके सामने सदन में निवेदन करना चाहता हूं, इन सब उद्योगों को अगर हम लोग प्रारम्भ करेंगे, तो हमारे हजारों नहीं, लाखों श्रमिकों को, टेक्निकल लोगों को, आई टी आई, डिप्लोमा, डिग्री-होल्डर, बी.टेक. या एम.टेक., इन सबको इनमें सर्विस मिलेगी।

सभापति महोदय, इसमें मैं अलवर को सबसे पहले लेता हूं, क्योंकि मैं अलवर का रहने वाला हूं। अलवर में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में, भिवाड़ी में, लगभग 790 इंडस्ट्री बंद हैं। बहुत बड़ी टैक्सटाइल मिलें बंद हैं। इनको प्रारम्भ करने के लिए अगर कोई योजना हमारे उद्योग आयुक्तालय से हो, तो बहुत अच्छा होगा। इन उद्योगों में बहुत बड़ी योजना बनाकर हम लोग आगे काम कर सकते हैं।

उसके बाद, बीकानेर। बीकानेर में तिलम संघ की इकाई बंद पड़ी है। सरकार की अनदेखी से करोड़ों रुपयों की मशीनरी धूल चाट रही है। अब यह कब से चाट रही है? फिर मैं हमारे अपोजिशन के माननीय सदस्यों पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन वह तब से बंद पड़ी है। वर्तमान में तिलम संघ की जो इमारत है, वह लीज पर, किराये पर दे रखी है। अगर तिलम संघ शुरू होता है, तो इसमें सैकड़ों श्रमिकों को पुन: काम मिलेगा।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इसी प्रकार से, भीलवाड़ा; भीलवाड़ा हमारा मैनचेस्टर है। जैसे इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का मैनचेस्टर रहा, ऐसे ही भीलवाड़ा को टैक्सटाइल की दृष्टि से मैनचेस्टर कहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके सानिध्य में निवेदन करना चाहता हूं कि गुलाबपुरा में बहुत बड़ी स्पिन मिल, टैक्सटाइल मिल पिछले कुछ समय से बंद पड़ी हैं। बहुत सारे पावरलूम टैक्सटाइल के वे भी बंद पड़े हैं। उनकी तरफ ध्यान दिया जायेगा, तो वहां पर, भीलवाड़ा जो मैनचेस्टर है टैक्सटाइल का, लंदन की तरह से प्रसिद्ध हुआ, सिंथेटिक का, पी वी स्टेबल का, काटन यार्न का, नायलान का, इस तरह के सारे उद्योग वहां पर हैं; इन पर पूरा ध्यान दिया जायेगा, तो निश्चित रूप से भीलवाड़ा में सैकड़ों श्रमिक लगेंगे। क्योंकि मुख्य रूप से हमारी जो इस समय तलाश है, वह बेरोजगारों को रोजगार की है।

मैं माननीय श्रम मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में धन्यवाद दूंगा कि श्रमिकों के लिए बहुत वेलफेयर का काम किया है। इसके बारे में आगे और बोलूंगा।

कोटा में सेमटल इंडिया, इसकी एक इकाई भिवाड़ी में भी है, सेमटल इंडिया जो टीवी की टयूब बनाती है, पिछले कुछ समय से बंद पड़ी है। इसमें, माननीय उद्योग मंत्रीजी, 2 हजार श्रमिकों का समावेश हो सकता है और पुन: थोड़े से प्रयास से यह चालू हो जायेगी।

मैं लगभग 2 दशक श्रमिक नेता भी रहा हूं और ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा हूं। इसलिए एक-एक इंडस्ट्री का बहुत बारीकी से अन्दर जाकर उसके प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी और उसके डिसिप्लिन के सम्बन्ध में मैं पूरी जानकारी रखता आया हूं।

इसी प्रकार से भरतपुर में बिड़लाज की सिमको फैक्टरी, वह अब टीटगढ़ हाउस ने ली है। बिड़ला की जो सिमको फैक्टरी थी, उसमें लगभग 5-6 हजार मजदूर काम करता था और उसके साथ में ये ऐसे उद्योग हैं, माननीय उद्योग मंत्रीजी, जो बंद पड़ी मिलें हैं, इनके साथ एन्सिलियरी इंडस्ट्रीज, छोटे-छोटे उद्योग भी काम करते हैं। इस विषय को शायद बहुत कम माननीय सदस्य छूते हैं। मैं चूंकि इस बात का जानकार हूं, इसलिए आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, 5-6 हजार लेबर काम करते थे वहां, अगर पूरी यूनिट चले, तो, और इस समय सिर्फ 6 सौ श्रमिक काम कर रहे हैं। 10 परसेंट वहां पर सुपरवाइजरी स्टाफ है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इसी प्रकार से, वहां डालमिया डेयरी थी। डालमियाजी के द्वारा स्थापित डेयरी, प्राइवेट डेयरी, बहुत अच्छी डेयरी थी; क्वालिटी की डेयरी थी; सपन घी, उसका बनता था, प्रोडक्शन। आर.पी. मोदी साहब की वहां पर जी डब्ल्यू डी फैक्टरी थी; रेलवे का वायर और रेलवे का क्रासिंग वहां बनता था, आज वह बंद है। यह थोड़े से प्रयास से चल सकती है। मैं भरतपुर लगातार जाता रहता हूं; अलवर के पड़ोस में होने के कारण से। इन उद्योगों को चालू करने में अपना योगदान हो, तो हजारों श्रमिकों को भरतपुर में रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से जोधपुर में पाइप बनाने वाली एल्को प्रबंधन की अव्यवस्था के कारण से बंद है। डर्बी टैक्सटाइल मिल, जहां लगभग 3 हजार मजदूर थे, वह बंद पड़ी है, प्रबंधन की अव्यवस्था के कारण से। खाद्य तेल उद्योग पड़ोसी राज्यों की अच्छी व्यवस्था के कारण से इस समय बंद पड़े हैं। पड़ोसी राज्य का मतलब, गुजरात से है। गुजरात में वे चले गये हैं। तेल उद्योग वहां बंद पड़ा है।

उसके बाद सवाई माधोपुर में लें। सवाई माधोपुर में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग, जयपुर उद्योग, जो सीमेंट फैक्टरी थी, वहां प्रत्यक्ष 8 हजार श्रमिकों को और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 हजार लोगों को रोजगार मिलता था, लोडिंग और अनलोडिंग का। अब यह बंद पड़ी है। यह 2 घरानों के, 2 उद्योगपति घरानों के विवाद के कारण बंद पड़ी है। एक तो उसमें विवाद करने वाले हैं, गेनन डंकल और कम्पनी के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद को अगर हम लोग सुलझा लें टेबल टाक करके, माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप और माननीया मुख्य मंत्रीजी, तो यह जयपुर उद्योग चल सकता है। इसमें प्रत्यक्ष 6 से 8 हजार श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और एन्सिलियरी इंडस्ट्रीज उसके साथ चलेंगी, तो 20-25 हजार लोगों को सवाई माधोपुर में रोजगार मिल सकता है। यह आनर्स के आपसी विवादों में बंद पड़ी है। इसलिए इसको टेबल टांक करके हम लोग चला सकते हैं।

इसके बाद, ब्यावर। ब्यावर को जिला बनाने की बात भी हमारे माननीय विधायक कहते हैं। आप लोग आश्चर्य करेंगे, सभी माननीय सदस्य, कि ब्यावर मंडी वूलन प्रोसेसिंग के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। यहां आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन और स्विटजरलैंड, आदि से वूलन प्रोसेसिंग

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

के लिए आता है। अब इसको अगर ढंग से डवलप करें और वूलन का क्लस्टर बनाकर के विकसित किया जाये, तो ब्यावर में हजारों लोगों को और भी रोजगार मिल सकता है। वह एरिया ऐसा है जहां पर खेती भी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत बेरोजगार युवक हैं जो इधर-उधर भटकते हैं, कहीं गुजरात या महाराष्ट्र में जाते हैं। ब्यावर में वूलन का क्लस्टर बनाकर के हम लोग डवलप कर सकते हैं।

इसी प्रकार से, पाली। पाली के, माननीय सभापति, आप स्वयं हैं। आप जानते हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पाली जिले में फालना कस्बा, माननीय उद्योग मंत्रीजी, फालना में छाते बनते थे। 1953 में छाता बनाने की इकाइयां लगीं और अच्छे छाते बनते थे; क्वालिटी के छाते थे। इसकी सप्लाई पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक होती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि चीन से आने वाला छाता, उसकी स्पर्धा में फालना के छोटे-छोटे उद्योगपति, लघु उद्योगपति, स्माल स्केल इंडस्ट्री वाले, कुटीर उद्योग वाले, मुकाबले में टिक नहीं पाये। इसलिए उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इसमें आगे और कहूंगा कि चीन के उत्पाद को, जो छोटे-छोटे उत्पाद हैं; बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, तो कोलेबोरेशन हो सकता है चीन से, जापान से, कोरिया से; कोरियन जोन भी हमारे यहां है, हमारे भिवाड़ी और नीमराना में जापानी जोन भी है; लेकिन ये छोटे-छोटे जो उत्पाद हैं, जिनके कारण इस देश में हमारे गरीब मजदूरों को, गरीब कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों में जो रोजगार मिलता है, ये न छिने, इसलिए चीन के उन उत्पादों को कम से कम देश में नहीं, तो राजस्थान में आने पर बैन किया जाये, प्रतिबंध किया जाये। यह छाता उद्योग जो फालना का है, उसके बारे में निवेदन किया।

सभापति महोदय, उसके बाद पाली में टैक्सटाइल के बारे में आप स्वयं बहुत कह चुके यहां पर चर्चा में। पाली में टैक्सटाइल का बहुत बड़ा काम है। वहां पर अब ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हैं। जब वर्ल्ड में समुद्र के खारे पानी को मीठा किया जा सकता है, तो वहां बड़े से बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगे। ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत माननीय भैरोंसिंहजी ने की थी। मैं उन स्वर्गीय महामहिम को याद कर रहा हूं, क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत निकटता रही, लेबर लीडर होने के कारण से भी और बाद में उनके साथ विधायक भी था। जब हम लोग 33 विधायक थे, आपकी तरह ही, लेकिन हम लोग सदन को हाथों में उठाकर

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रखते थे; दंगा नहीं करते थे, चर्चा करते थे, कि सदन कैसे ढंग से चले। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं, वास्तव में सही मायने में संसदीय विरोध करते थे। ऐसे माननीय भैरोंसिंहजी के साथ में काम करने का मौका मिला।

सभापति महोदय, अब मैं सीकर जिले की चर्चा लूंगा। यहां की लघु सीमेंट फैक्टरियां बड़ी मिलों की स्पर्धा में सरकार की अनदेखी के कारण बंद हो गईं। लेकिन एक उद्योगपति ने, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसने राक स्टोन के नाम से फिर हिम्मत की। सारी सीमेंट फैक्टरियां छोटी-छोटी बंद हो गईं, लेकिन एक उद्योगपति ने हिम्मत की, कहीं से पैसा जुटाया, या स्वयं का पैसा था, राक स्टोन के नाम से फैक्टरी चालू की; वह चल रही है। सीकर में बहुतायत है सीमेंट के स्टोन की और लाइम स्टोन की, और वहां पर सीमेंट फैक्टरियों को बढ़ावा दें, तो शेखावाटी में जो डेजर्ट है, लगभग डेजर्ट है, पूरा तो नहीं है, जैसलमेर, बाड़मेर की तरह। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर भी बहुत डवलप हो गये; हमारी राजस्थान कैनाल, तथाकथित इंदिरा गांधी कैनाल; राजस्थान कैनाल, तथाकथित इंदिरा गांधी कैनाल, जब से वहां गई है, तब से वहां काफी डवलपमेंट हुआ है।

इसी प्रकार से टोंक में; टोंक में जब मैं खुद मजदूर नेता था तो टैनरीज का बहुत बड़ा काम था, चमड़ा उद्योग का, और चमड़े के बहुत बड़े उत्पाद भी बनते थे। उस समय हमारे जनरल सेक्रेटरी थे भारतीय मजदूर संघ के, जिसमें मैंने काम किया लेबर लीडर ट्रेड यूनियन्स के नाते से, वे उसको विशेष रूप से देखते थे और टैनरीज के लिए जेनेवा के आइ एल ओ के इन्टरनेशनल सेमिनार में गये टैनरीज की ओर से रिप्रजेंट करने के लिए, भारतीय मजदूर संघ की ओर से। अब टैनरीज उद्योग इस समय बंद पड़ा है, चमड़ा उद्योग बंद पड़ा है। चमड़े के बहुत बड़े उत्पाद देश और दुनिया को पसंद आते हैं। सिर्फ शूज ही नहीं आते हैं, चमड़े के पर्स और बटुए से लेकर बहुत सारी चीजें बनती हैं। यह टैनरीज उद्योग जो बंद पड़ा है, आप अगर ध्यान देंगे, माननीय उद्योग मंत्रीजी, तो निश्चित रूप से टोंक को इससे काफी फायदा होगा।

इसी प्रकार से किशनगढ़, अजमेर में आदित्य टैक्सटाइल्स मिल्स था बिड़ला का और वहां हैंडलूम, लगभग 1 लाख हैंडलूम और 1 लाख पावरलूम, इतना बड़ा उद्योग। अब क्यों ठप हो गया, किसकी अनदेखी थी, हमने नहीं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

ध्यान दिया, पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन किशनगढ़ इस समय बरबाद हुआ पड़ा है। टैक्सटाइल और हैंडलूम सबको मिलाकर इसको आप देखेंगे और ध्यान देंगे, माननीय उद्योग मंत्रीजी, तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। बंद मिलों की तरफ बहुत कम ध्यान हमारे माननीय सदस्यों का जाता है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट में रखा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उद्योगों में महिला उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। भू-रूपांतरण की सीमा 50 फीसदी से घटाकर 100 फीसदी का इनको लाभ मिला है। इसी प्रकार से एम्प्लायमेंट जनरेशन सब्सिडी को बढ़ाया गया है, 30,000 से 35,000 रुपये। कोटा में महिला आई टी आई भवन का निर्माण, इसमें कौशल विकास के डवलपमेंट की तरफ विशेष ध्यान होगा।

इसी प्रकार से खनन श्रमिकों के लिए भी 150 करोड़ रुपये दिये हैं बजट में। आगे खनन के बारे में बोलूंगा मैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रमोशन टू आनलाइन एक्टिविटीज, यह भी उद्योगों को बढ़ाने में पूरा योगदान देगा। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब सेंट्रल रिफंड के माध्यम से आनलाइन रिफंड दिया जाएगा, जिससे उद्योगों में, व्यापार में, भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने और सरलीकरण करने में क्रय प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में राज्य को तीसरा स्थान मिला है। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। सभी टैक्सेज के लिए एक ही यूनिफाइड फार्म दिया जाएगा और जी एस टी लागू करने के लिए राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग में सैल बनाया जाएगा।

मोबाइल का एक विशेष एप्प उद्योगपतियों के लिए और उद्योगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। अन्य करों जैसे एंट्री टैक्स है, सम्बन्धित मामले भी एप्प से होंगे। एंट्री टैक्स, लक्जरी टैक्स में आनलाइन सुविधा दिया जाना भी प्रस्तावित है। यह भी उद्योगों में है। इसी प्रकार से वैट का है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा अपना जो बजट का लाभ है, वह हमारे गरीबों को मिला है।

इसी प्रकार से 2015-16 में की गई घोषणा के अनुसार रीको द्वारा बनाए गए 6,800 हेक्टेयर भूमि में लैंड बैंक के लिए...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, क्या ये बोल रहे हैं अनुदान मांगों पर? आज ये इतनी धीमी गति के समाचार, अनलिमिटेड समय है? यह इसलिए दिया जा रहा है कि खान पर कोई चर्चा नहीं करे? उद्योगों पर कोई चर्चा नहीं करे? इसलिए दिया जा रहा है अनलिमिटेड समय, माननीय सभापति महोदय?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ऐसा है, आपने हमारे मदनजी को कहा था कि आप योग्य नहीं हैं। आपने तो बड़ा हल्का शब्द प्रयोग किया था। आप मुख्य सचेतक हैं कांग्रेस के, आप योग्य नहीं हैं क्या? आप, मुख्य सचेतकजी, बैठ जाइए। कोई आपका माननीय सदस्य खड़ा होता, तो समझ में आता? आप क्यों बार-बार टोकते हैं हम लोगों को? आप आराम से बैठे रहिए; अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करिए; कृपया शांत रहिए; यही आपको कहना काफी है। इससे भी ज्यादा डांट लगाता आपको, लेकिन आज डांट नहीं लगा रहा; प्यार से कह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतकजी, इनको लम्बा अनुभव है। इण्डस्ट्री को लेकर आप वर्षों तक श्रमिक नेता रहे हैं। आप उनके अनुभवों का लाभ लो। (व्यवधान) कितने अच्छे सुझाव इन्होंने दिये हैं। सदन इनको सुनना चाहता है और आपको आपत्ति हो रही है! पूरा सदन सुनना चाहता है इनको। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष में 10 हजार हेक्टेयर तक लैंड बैंक बढ़ाया जाना, यह भी एक अच्छी योजना है। रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के रामगढ़, गोविन्दगढ़ में हमारे रीको के लैंड बैंक बनाने के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में, रामगढ़ में, माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पांच कस्बे हैं, वहां पर आपका आशीर्वाद मिल जाए, वहां रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। पर्याप्त जमीन है; पर्याप्त हमारे यहां पानी है और पर्याप्त सुविधाएं हैं; तीन तरफ से हाइवे हैं; एक हाइवे शाहपुरा से होकर रामगढ़ नौगांवां होकर दिल्ली तक बनने का हमारा प्रस्ताव केन्द्र से मंजूर है। तीन-तीन तरफ से हाइवे हैं; पानी है, पर्याप्त आप वहां पर बिजली देते हैं, बिजली की कोई कमी नहीं है और वहां पर पांच कस्बे हैं और पांचों के पास सैकड़ों, हजारों बीघा जमीन सिवाय चक भी है और चरागाह की भी है; इस जमीन का उपयोग हो जाए, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार से और बन जाए।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी सफलता जो केन्द्र सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के सहयोग से, माननीया वसुन्धरा राजेजी की विशेष हम पर कृपा है, ...(व्यवधान) उनके सहयोग से, वह है डी एम आई सी। आपको समझ में आ रही है क्या, मैं क्या कह रहा हूं, डी एम आई सी? भारत सरकार के सहयोग से डी एम आई सी, यानी दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर, यह सौभाग्य से दादरी से प्रारम्भ होकर राजधानी दिल्ली से होकर, हमारे क्षेत्र अलवर से भिवाड़ी और नीमराना को जोड़ेगा और इसमें और आगे जाकर गुजरात और महाराष्ट्र तक जाएगा। इतना ही नहीं है, इसमें खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, और भी इस तरह के होंगे; आगे जाकर के जोधपुर, पाली, मारवाड़ का रीजन औद्योगिक क्षेत्र होगा। अजमेर का किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन होगा और राजसमंद, भीलवाड़ा होगा और इसमें जयपुर और दौसा होंगे। इतना बड़ा डवलपमेंट हो रहा है। इस डवलपमेंट के, जो आप समझें, अच्छी तरह से, डी एम आई सी, इसमें डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर की पट्टी को दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, और ग्रीन बेल्ट भी होगा, इसमें किसी तरह की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राजस्थान का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए इस डी एम आई सी को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाकर स्वागत किया है। इस पर माननीय केन्द्र के हमारे राष्ट्रीय, हमारे देवता-पुरुष, महापुरुष, राष्ट्र-पुरुष, माननीय नरेन्द्रजी मोदी और माननीया वसुन्धरा जी का विशेष योगदान है। यह भी आपको ध्यान में रखने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे माननीय सदस्यों को यह एक बात जो अंत में कह रहा हूं आपके सुकून और चैन के लिए, वह यह है, माननीय उद्योग मंत्रीजी, ये जो उद्योग हैं, अधिकारियों से भी निवेदन है और सदन के सामने कहना चाहता हूं कि हम लोग थ्री-एम का ध्यान रखें। इण्डस्ट्री सब, उद्योग सब, मशीन और मनी से नहीं चलतीं, उसमें मैनपावर भी चाहिए और उसमें थ्री-एम का विशेष योगदान रहता है। इसलिए कहा गया, मैन, मशीन और मनी, ये थ्री-एम। साथ ही ध्यान रखें थ्री-एच का भी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चौथा 'एम' मूछों का। वह भी बता दो साथ ही।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): तनै चैन कोनी आ रह्यो, भाई? (व्यवधान) छोटे भाई, माननीय सदस्य, मुख्य सचेतक महोदय, तनै चैन कोनी आ रह्यो?

थ्री-एम के साथ में मजदूर का, श्रमिक का विशेष ध्यान रखें। (व्यवधान) कोई बात नहीं, हीरालालजी। इनकी आदत है। बात बहुत प्यार से करते हैं। मेरे छोटे भाई हैं।

इसी प्रकार से थ्री-एच और है, हैड, हार्ट और हैण्ड। इन सबका भी उद्योग...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक और है, हाफ मेंटल।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बैठ जाओ। आपको बहुत सुन लिया। अब खामख्वाह अपनी हंसी उड़वा रहे हो। और कुछ नहीं है।

थ्री-एम का ध्यान रखें और साथ में थ्री-एच का ध्यान रखें। सारे उद्योगपति जो उद्योग लगा रहे हैं, वे थ्री-एच का ध्यान रखें। अधिकारीगण भी उनको यह बात समझाएं, इस बात का ध्यान रखें कि अपने दिमाग से, दिल से और हाथों से गरीब श्रमिकों का भला करें। क्योंकि मैंने कहा कि मैं श्रमिक नेता रहा हूं, इसलिए मैं उसके बारे में एक बार फिर बोल रहा हूं।

मैं इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि जो भी उद्योग लगें, वे जल, पर्यावरण, पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले उद्योग लगें। यह विशेष ध्यान देने की बात है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड का तथा हमारी ओजोन परत में छेद हो रहा है, वैज्ञानिक बराबर हमको चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल और जल, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखें। साथ में, जो भी बड़ा उद्योगपति आये, कम से कम गुजरात माडल पर 10 गांवों का इस नाते विकास का ध्यान रखे, वह 10 गांवों का पूरा विकास करेगा।

चीन का मैं फिर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएं।

साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि उद्योग तो हमारे यहां खूब लगे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि वहां लोकल मजदूर को, लोकल आई टी आई को, लोकल डिप्लोमा को, लोकल डिग्री को, बी टेक या एम टेक को नौकरी नहीं देते। इसलिए माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, यह भी प्रावधान रखें।

माइन्स के बारे में थोड़ा-सा बोलूंगा, ज्यादा नहीं। माइन्स की आज मांग संख्या 43 है। आरोप लगाये बड़े-बड़े, फोटो-कापी लेकर आया हूं, कांग्रेस

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और भारतीय जनता पार्टी ने एक-दूसरे पर अवैध खनन को लेकर, कोई आई ए एस पकड़ा गया, कोई अधिकारी पकड़े गये। मैं इतना ही कहूंगा ''गलत काम करने वाले चले गये जेल में और बाकी गलत काम करोगे, तो बैठ जाओगे जेल की रेल में।'' यह बहुत ध्यान रखने की बात है। (व्यवधान)

मैं माइन्स मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आपने अवैध खनन को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता); अधीक्षण खनिज अभियन्ता (सतर्कता); अधीक्षण खनिज अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा में खनिज अभियन्ता (सतर्कता) के 12 पद; और सहायक खनिज अभियन्ता के 19 पद, पता नहीं, कितने विजिलेंस के अधिकारी आपने नियुक्त किये हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अवैध खनन नहीं रुका। मेरे क्षेत्र का मैंने कई बार आपको निवेदन किया है, मैं आज सदन में फिर निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में भी और अलवर जिले में भी अवैध खनन का बहुत बड़ा काम है, जिसको रोका जाना चाहिए। इतने बड़े अधिकारी आपने लगाये हैं; हजारों, लाखों, करोड़ों अवैध खनन को रोकने के लिए खर्च होते हैं, अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है। उसके कारण भी मैं आपको गिना रहा हूं। अवैध खनन के विरुद्ध कई विभागों ने भागीदारी निभायी, बात जस की तस और निजात नहीं मिली। लिहाजा खान विभाग को करोड़ों नहीं, अरबों की हानि हुई है। पूर्व में भी माननीय सदस्य कह चुके हैं। साथ में, भ्रष्टाचार पनपने का पर्यावरण पर भी असर हुआ है। उसका कारण क्या है, कारण है नम्बर एक, लीज मंजूरी लम्बी एवं कठिन प्रक्रिया, जो अवैध खनन का बड़ा कारण है; कानूनों की भरमार और अधिकारियों की अनभिज्ञता...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अलवर जिले में देवता में अवैध खनन का बड़ा कारण क्या है? बताना। अलवर जिला है आपका, देवता में जो अवैध खनन हो रहा है, उसका क्या कारण है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इतनी काम की बात कर रहे हैं और आप इस तरह कर रहे हो!

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उन कानूनों की अधिकारियों को जानकारी नहीं है। अधिकारी विमुख, कर्मचारी साधनहीन-अधिकारी विमुख, अपने आफिस में बैठकर सारा अवैध खनन रोकना चाहते हैं, और कर्मचारी साधनहीन हैं। विरोधाभासी नियम, कानून और कायदे; खातेदारी की व्यवस्था; किसानों को

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नियम की जानकारी नहीं; सातवां है विकास, और आवश्यकता बनी मजबूरी। हम चाहते हैं विकास हो और आवश्यकता इसकी समझते हैं, यह मजबूरी नहीं है, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। परिवहन; अवैध स्टाक में अस्पष्टता। पुलिस, माइन्स अधिकारी, फोरेस्ट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारियों की मिलीभगत के कारण भी यह अवैध खनन हो रहा है। एन जी टी की अनदेखी भी अवैध खनन का कारण है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माइन्स मंत्री महोदय, आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माइन्स का राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा महत्व है। हमारा सौभाग्य है कि 79 अलग-अलग मिनरल्स हमारे यहां पाये जाते हैं, जिनमें प्रधान और अप्रधान दोनों तरह की खानें हैं। लगभग 79 अलग-अलग ऐसी खानें हैं, उन सबका मार्बल से लेकर, पता नहीं, कितना बड़ा जखीरा है; कोई 90 परसेंट निकलता है, कोई 100 परसेंट निकलता है; उसका पूरा उपयोग हो।

आप समझदार खान मंत्री हैं, इस समझदारी का उपयोग करते हुए, अपने इस राजस्थान को दूरगामी आयाम देने का प्रयास होगा। माननीया मुख्य मंत्रीजी का माइन्स पर विशेष ध्यान है। माइन्स का रेवेन्यू व उद्योग का रेवेन्यू, दो रेवेन्यू मिलाकर हम लोगों को, राजस्थान को, चार चांद लगाएंगे और पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान नम्बर एक पर होगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे और सभी विभाग अवार्ड के साथ खड़े होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम।

श्री सभापति: श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आज हम पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्य मांग संख्या 42, 43, उद्योग और खनिज पर सार्थक चर्चा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन यह अवधारणा बदली है, परिस्थितियां बदली हैं और इस आधुनिक युग में पूरी अर्थव्यवस्था उद्योगों के ऊपर निर्भर हो गई है। अगर हम अतीत को देखें, तो आजादी के बाद जब देश की हुकूमत की बागडोर पं. जवाहरलाल जी नेहरू के हाथ में आयी, नीतियां बनने लगीं, प्राथमिकताएं तय होने लगीं, तब लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई

(श्री भवानी सिंह राजावत)

पटेल ने नेहरूजी से कहा था कि पहली प्राथमिकता कृषि को, खेती-बाड़ी को दी जाय। नेहरू जी ने सरदार पटेल को कहा, मैं मानता हूं कि कृषि भारत की आत्मा है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मैं देश में कल-कारखाने खड़े करूं। दुनिया के दूसरे देश जिस तरह उन्नत हुए हैं, प्रगतिशील हुए हैं, उनका आधार कृषि के साथ-साथ उद्योग है। इसलिए मैं कल-कारखाने खड़े करना चाहता हूं और ये कल-कारखाने आधुनिक भारत के मंदिर होंगे, जिनमें उत्पादन के साथ-साथ रोजगार सृजन होगा, कुटीर उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, आजीविका चलेगी। नेहरूजी ने उस जमाने में कल-कारखाने खड़े करना शुरू किया। उद्योग नीति बनी, 1948 में डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने उद्योग नीति बनायी, जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थे, लेकिन उस जमाने में शैशवावस्था में ये उद्योग भारत में थे। गुजरात में सूती उद्योग, बंगाल में जूट उद्योग, असम में चाय उद्योग, बिहार और उड़ीसा में कोयला या इस्पात उद्योग। इसके अलावा जितने उद्योग उत्पाद वस्तुओं के थे, उनमें विदेशियों का कब्जा था।

माननीय सभापति महोदय, नेहरूजी ने जो सपना संजोया था कि पूरे हिन्दुस्तान की धरती पर कल-कारखाने खड़े हो जाएं, आधुनिक भारत के मंदिर खड़े हो जाएं, लेकिन मेरे सामने बैठे लोगों ने आजादी के बाद में 50 साल तक इस हिन्दुस्तान की धरती पर राज किया परन्तु नेहरूजी के सपनों को साकार नहीं कर पाये, कल-कारखाने खड़े नहीं कर पाये। हमारे बाद में जापान कई बार लड़खड़ा कर गिर गया और खड़ा हो गया। जापान, चीन, रूस, अमेरिका, ये हमसे बहुत आगे निकल गये। लम्बी अवधि तक सत्ता में रहने के बाद भी, इस हिन्दुस्तान की धरती से दुनिया के छोटे-छोटे देश आज उद्योगों के क्षेत्र में, औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ गये। बात सच है कि आज हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में आत्मनिर्भर हो गये, बड़े-बड़े उद्योग हमने स्थापित कर लिये, लेकिन अभी भी हिन्दुस्तान की धरती पर, राजस्थान की धरती पर जो औद्योगिक क्रांति आनी चाहिए, उसका अभाव है। उस अभाव का कारण है कि हम आधारभूत ढांचा इतना मजबूत नहीं कर पाये, कनेक्टिविटी इतनी नहीं कर पाये; न हवाई सेवा, न ट्रेन सेवा है। अब जाकर कहीं राजस्थान की धरती पर आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ है। लेकिन पचास साल राज करने वाले लोग अगर आधारभूत ढांचा खड़ा कर देते राजस्थान की धरती पर, हिन्दुस्तान की धरती पर, तो आज हम भी जापान होते, आज हम भी फ्रांस

(श्री भवानी सिंह राजावत)

होते, आज हम भी चीन होते; आर्थिक रूप से मजबूत होते, समृद्धि की वर्षा होती।

मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को कहना चाहूंगा, मेरे से पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि उद्योग रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उद्योग बन्द हो जाते हैं और हुकूमत में बैठे लोग ध्यान नहीं देते, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। जब व्यक्ति के हार्ट अटैक होता है तो ओपन हार्ट सर्जरी की उसी समय आवश्यकता होती है; उद्योग जब बन्द होता है, जब उसको रिवाइवल पैकेज की आवश्यकता होती है, उसको आर्थिक सम्बल की आवश्यकता होती है, उस समय हुकूमत में बैठे लोग आंखें बन्द कर लेते हैं। उद्योग बन्द हो जाता है, हजारों मजदूर दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए, उद्योग मंत्री जी, मैं कोटा की बात बाद में करूंगा, जो औद्योगिक पतन हो गया; अभी ज्ञानदेवजी आहूजा बता रहे थे कि राजस्थान की धरती पर सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी आंदोलन में, आंदोलन एक साल चला, मैं एक-एक महीने बन्द रहा अलवर जेल में, भरतपुर जेल में, टोंक जेल में, लेकिन सहायता नहीं मिली, और सामने बैठने वाले लोगों की सरकार थी। इन उद्योगों को पुनर्जीवित करना भी आवश्यक है। हम नये उद्योग लायें, लेकिन जो उद्योग चल रहे हैं, वे अगर कहीं न कहीं संकट में आ गये, तो उस संकट की घड़ी में उनको आर्थिक सम्बल देना जरूरी है। इस राजस्थान की धरती पर आज भी हजारों उद्योग बन्द हैं, रुग्ण हो गये, सरकार को उनकी भी सुध लेनी चाहिए, उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि वे कैसे संचालित हो सकें।

आप देखें कि 25 वर्ष की लीज पर रीको भूमि अलाट करता है उद्योग के लिए, लेकिन 25 वर्ष बाद भी, 50-50 साल तक वह रेगुलराइज नहीं होती। हम तमिलनाडू का देखें, तो 25 साल बाद स्वत: ही उसको मालिकाना हक मिल जाता है। तो हमें भी अपनी नीतियों में सरलीकरण करना चाहिए। औद्योगिक क्रांति तो हम लाना चाहते हैं, लेकिन उद्यमों को जब तक हम राहत नहीं देंगे, तब तक राजस्थान में औद्योगिक क्रांति नहीं आ सकती। कई सारे ऐसे नियम हैं। अगर फैक्टरी में मजदूर कहीं गिर जाता है, मजदूर की कहीं दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उस फैक्टरी के मालिक के खिलाफ धारा 304, गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वह भगता रहता है, जाता रहता है, सबके जाकर अनुनय-विनय करता है कि मैंने नहीं मारा, और वास्तव में नहीं मारा; अगर दुर्घटना हो गई, गिर गया, मर गया, तो फैक्टरी

(श्री भवानी सिंह राजावत)

मालिक की क्या गलती है? उसके खिलाफ 304 का मुकदमा! माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि इसके ऊपर विचार किया जाए। वह दुर्घटना है, दुर्घटना में मुकदमा दर्ज हो और उद्यमी के खिलाफ 304 में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज उद्योग जगत में सबसे बड़ी आवश्यकता एक बड़े उद्योग के अप-स्ट्रीम एवं डाउन-स्ट्रीम में उद्योग लगाने की है। किसी भी फैक्टरी की स्थापना के साथ उसी के साथ अप-स्ट्रीम, यानी, उसे कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले तथा डाउन-स्ट्रीम, यानी, फैक्टरी के तैयार माल का उपयोग करने वाले छोटे-बड़े उद्योगों की भी स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोटा में काफी समय पूर्व श्रीराम रेयंस के पास एक लाख टन कार्बाइड वेस्ट इकट्ठा हो गया था और इस कचरे के निस्तारण के लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। इतने बड़े वित्तीय भार से यह फैक्टरी ही बन्द हो जाती, लेकिन सूझ-बूझ से काम लेते हुए कम्पनी ने डाउन-स्ट्रीम में उद्योग खड़ा किया और काबाइड वेस्ट से सीमेंट बनाया और उसमें वह सफल हो गया। तो यह मेरा सुझाव है, जो आप उद्यमियों को दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जहां तक स्थिति है, राजस्थान में लघु और मध्यम श्रेणी के लगभग 1 लाख 24 हजार उद्योग हैं और 316 बड़े उद्योग हैं। राजस्थान में अभी भी जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, जितना बड़ा राजस्थान है, उसमें ये उद्योग बहुत कम हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में उद्यमी नहीं हों; राजस्थान के उद्यमी, चाहे बिड़ला हो, चाहे मून्दड़ा हो, चाहे बांगड़ हो, चाहे स्टील किंग एल.एन. मित्तल हो, ये बड़े-बड़े उद्योगपति आज पूरी दुनिया में स्थापित हो गये, इनका आधिपत्य स्थापित हो गया, राजस्थान में क्यों नहीं आये? राजस्थान में नहीं आये, तो मेरे सामने बैठे कांग्रेस के लोगों की वजह से नहीं आये। ऐसा आधारभूत ढांचा खड़ा नहीं कर पाये और इसलिए अपनी जन्म भूमि को छोड़कर कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैण्ड चला गया, कोई चाइना चला गया या कोई राजस्थान के बाहर दूसरे प्रदेश में चला गया। लेकिन अब 2003 में जब राजस्थान की सत्ता की कमान राजस्थान की लोकप्रिय

(श्री भवानी सिंह राजावत)

जननायिका आदरणीया वसुंधरा राजेजी ने सम्भाली, वसुंधराजी का एक विजन है, वसुंधराजी केन्द्र में लघु उद्योग राज्य मंत्री रही हैं, उनका एक दृष्टिकोण है कि कैसे उद्योगों को स्थापित किया जाए, कैसे उद्यमियों को आमंत्रित किया जाए, कैसे औद्योगिक घरानों को प्रेरित किया गया। उस 2003 से 2008 तक के शासन में जब 'रिसर्जेंट राजस्थान' आयोजित किया, पहली बार राजस्थान की धरती पर, वह एक शुरुआत थी। उसमें 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए एम ओ यू हुए। लेकिन उसके तत्काल बाद जब सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन होने के बाद में, हुकूमत में बैठे लोगों को इसमें राजनीतिक दुर्भावना नहीं पालनी चाहिए। देखना चाहिए, तो प्रदेश का भला किसमें है, प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, वह देखना चाहिए। पांच साल तक हुकूमत में बैठे रहे अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांगेस के लोग, लेकिन पांच साल तक जितने भी एम ओ यू करने वाले, जितने भी निवेश करने वाले जो उद्यमी थे, वे राजस्थान की धरती पर आये तो देखा कि सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है और वो टूटे-फूटे इस ढांचे को, चरमराये इस आधारभूत ढांचे को देखकर पलायन कर गये, वापस चले गये। लेकिन अब जो क्रांतिकारी सूत्रपात हुआ, जो अभी हाल ही में 'रिसर्जेंट राजस्थान' हुआ है, देश और दुनिया के लोग जिस तरह से राजस्थान की धरती पर आये, 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए एम ओ यू हुआ। चकित हो गया पूरा देश और दुनिया, कि क्या यह वह ही राजस्थान है, यह वह ही धोरों की धरती है, जिस पर अब उद्योगों की फसल उपजेगी!

मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर अब राजस्थान में विकसित हुआ है, 20,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, फोरलेन बन रहे हैं, सिक्स लेन बन रहे हैं, मेगा हाइवे बन रहे हैं, ऐसी कनेक्टिविटी राजस्थान की हो रही है, आने वाले दो साल में राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा, जहां पर सड़क नहीं होगी। ट्रेनों की बाढ़ आ रही है। पूरे हिन्दुस्तान के लिए ट्रेनें राजस्थान की धरती से हैं। हवाई पट्टियां सब जिलों में बन रही हैं। सब जगह, जहां पर भी हवाई अड्डे हैं, हवाई सेवाएं पूरे हिन्दुस्तान के लिए यहां से मिलेंगी। यह है नीति, यह है विजन, कि कैसे राजस्थान की धरती पर उद्योग आयें।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

माननीय सभापति महोदय, मैं कोटा से आता हूं। कोटा किसी जमाने में हिन्दुस्तान का दूसरा कानपुर था, जहां बड़े-बड़े कारखाने थे। राजस्थान में और कहीं भी नहीं थे, कोटा में थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए दु:ख होता है, कोटा का औद्योगिक पतन हो गया। हम भी जिम्मेदार हैं, ये भी जिम्मेदार हैं। आज कोटा की लगभग जितनी फैक्टरीज बंद हैं, औद्योगिक पतन जिनके बंद होने से हुआ, प्रीमियर केबल इण्डस्ट्री; नागपाल वेफर्स मिल; माचिस फैक्टरी, गोपाल मिल; ओरियंटल पावर केबल लिमिटेड, जो बहुत बड़ी फैक्टरी थी, कम से कम 600 बीघा में थी; कोटा प्रीमियम बोर्ड; जे.के. जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग था, जे.के. फैक्टरी; केशोरायपाटन शुगर मिल; सेमटेल ग्लास, जिसकी बात आहूजा जी कर रहे थे; 20 राइस मिल; 18 दाल मिल; 12 पोहा मिल; 5 सोया प्लांट; और 250 स्टोन इण्डस्ट्रीज, ये कोटा की धरती से बंद हो गईं और उसके बाद कोटा का औद्योगिक पतन हो गया। लेकिन आज आवश्यकता है।

अभी हाल ही में आई.एल., इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा में भारत सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम है, वह बंद हो गया, जिसमें हवाई जहाज के इन्स्ट्रूमेंट भी बनते हैं, मिसाइल के इन्स्ट्रूमेंट भी बनते हैं, पावर प्लांट्स के इन्स्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं, और वह भारत सरकार ने अभी राजस्थान सरकार को कहा कि हम नहीं चला सकते, आप इसको चलाओ। यही नहीं, केरल का भी एक इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का प्लांट था, उसके लिए केरल सरकार को कहा, केरल सरकार ने उसको कहते ही ले लिया। हमारा जो इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा का है, वह 10,000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां उसके पास हैं और उसको पैसे कितने देने हैं, केवल 600 करोड़ रुपये। केवल 600 करोड़ रुपये का भार है। मैंने माननीय उद्योग मंत्रीजी को निवेदन किया था, इससे बढ़िया सौदा और क्या हो सकता है? 10,000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति आपको मिल रही है और जिनकी देनदारियां केवल 600 करोड़ रुपये की हैं, वे देनदारियां आप दे दो और इतना बड़ा संस्थान है, उसको आप संचालित करो, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी आग्रह करना चाहूंगा और माननीय उद्योग मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे उद्योगों का पतन मत होने दो। उद्योगों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाओ और कोटा के इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को राजस्थान सरकार ले और कोटा के

(श्री भवानी सिंह राजावत)

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को चालू करे, ताकि वहां के हजार-पांच सौ जितने भी मजदूर हैं, उनके भूखे मरने की नौबत नहीं आये, और सरकार इसमें फायदे में रहेगी; सरकार घाटे में नहीं रहेगी।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि कोटा में फिर भी पानी है, चम्बल का वरदान है; कोटा में बिजली है, पावर हब है; हाइड्रोलिक पावर भी है, थर्मल पावर भी है, एन टी पी सी गैस प्लांट भी है, और सब तरह के चार-पांच थर्मल प्लांट कोटा में खड़े हो गये। बिजली की कमी नहीं; पानी की कमी नहीं; ट्रेन पूरे हिन्दुस्तान के लिए कोटा से है; दो-दो नेशनल हाइवे कोटा से हैं। अब भी लोग चाहते हैं कि कोटा में उद्योग लगायें, लेकिन कोटा में उद्योगों के लिए जमीन नहीं है। रीको हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। लोगों को जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। कोटा के आसपास फोरेस्ट की हजारों बीघा जमीन है। लैण्ड-फोर5लैण्ड में फोरेस्ट को दूसरी जगह देकर वहां पर उद्योगों के लिए जगह दे देनी चाहिए।

लेकिन मुझे यह भी कहते हुए दु:ख होता है कि औद्योगिक क्रांति कैसे आएगी, माननीय सभापति महोदय? मुख्य मंत्रीजी की दृढ़ इच्छाशक्ति है कि औद्योगिक क्रांति आये, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं रीको में, जो अधिकारी बैठे हैं उद्योग विभाग में, वे निकम्मे हैं। मेरे यहां कोटा का बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान था, जिसका हजारों करोड़ रुपयों का टर्नओवर है, और वह आया, रीको की कोई महिला है अध्यक्ष, वीनू गुप्ता नाम है, उसके पास गया। दो घंटे बाद तो पर्ची देने के बाद बुलाया और बुलाने के बाद उसने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, तो उसको कहा, नहीं, खड़े रहो। पानी पिलाना तो दूर, उसको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट लेकर, प्रपोजल लेकर आया था।

तो इस तरह के अगर अधिकारी रहें, तो औद्योगिक क्रांति तो, गजेन्द्रसिंह जी, आ नहीं सकती, और मुझे तो यहां तक पता है कि गजेन्द्रसिंह जी कोई किसी बात के लिए रिकमंड करते हैं, तो उस कागज को उठाकर फेंक देती है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी से, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई मंत्री की बात की अगर अवहेलना करता है, कोई भी अधिकारी मंत्री की बात की अगर अवहेलना करता है, उस अधिकारी को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। मंत्री का अपमान किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं हो सकता।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

माननीय सभापति महोदय, मैं सिलवासा गया था, दमन के पास सिलवासा है, सैकड़ों किलोमीटर में औद्योगिक क्षेत्र सिलवासा में, मैं देखकर चकित रह गया कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहां पर विकसित कैसे हुआ! बाद में बताया गया कि यहां पर उद्यमियों के लिए सेल्स, इन्कम टैक्स माफ है; कर मुक्त है यहां पर उद्योग लगाना। तो मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को आग्रह करना चाहूंगा; गजेन्द्रसिंह जी, आपको आग्रह करना चाहूंगा कि आप सिलवासा जाओ, सिलवासा जाकर वहां देखो औद्योगिक क्रांति को और उसके बाद में तय किया जाये कि राजस्थान में भी कहीं एक जगह सिलवासा बने, और उसके लिए अगर उपयुक्त कोई जगह है तो औद्योगिक नगर कोटा है। तो सिलवासा की तरह वहां करमुक्त करके....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जब अधिकारी मानेंगे ही नहीं, तो सिलवासा जाने से क्या फायदा है?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ''कोटा के उद्यमियों की आशा, कि कोटा बने सिलवासा।'' और इसलिए कोटा को सिलवासा सरकार अगर बनाती है, तो मैं समझता हूं कि यह भी औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा सूत्रपात राजस्थान की धरती पर होगा।

खनिज पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा खनिज मंत्रीजी को, बार-बार अख़बार रंगे आते हैं। अवैध खनन को रोको। अवैध खनन माफिया, लेकिन विचार करो। मेरे भी विधान सभा क्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी खानें चलती हैं और उस मजदूर का चूल्हा तभी जलता है जब वह खनन में मजदूरी करने जाता है। अवैध खनन की इतनी ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अवैध खान के अभियान की जगह खनन नीति को ऐसा सरलीकरण बनाओ कि ऐसे लोगों को, बेरोजगारों को खनन आबंटित हों। आज भी राजस्थान में अथाह खनिज सम्पदा है। अभी एक-तिहाई भी दोहन नहीं हो रहा है। नीति ऐसी बनाओ, अवैध खनन अपने आप बंद हो जायेगा। लोगों को खानें आबंटित करो; कमजोर व्यक्ति को भी करो, सबको करो; खानें आबंटित करो। अवैध खनन के अभियान के ऊपर पुनर्विचार करो। जेल भेज देंगे, पांच लाख रुपया जुर्माना कर देंगे, आप किस पर कर रहे हो? किसी लखपति-करोड़पति पर नहीं होगा, गरीब मजदूर के ऊपर वह जुर्माना होगा। वह जेल में मर जायेगा। वह आपका जुर्माना नहीं चुका पायेगा। इसलिए इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रमेश।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य ने हार्ट-टचिंग वक्तव्य दिया है, तो दिल ही परिवर्तन हो जाएगा दोनों मंत्रियों का।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है। सर्राफा व्यवसायियों की आभूषणों के अन्दर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के कारण पूरे राजस्थान में हड़ताल हो रही है और हमारे भीलवाड़ा में सात दिन से सारे सर्राफा व्यापारियों की दुकानें बंद हैं। मैं सदन के माध्यम से... मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत इन्फोर्मेशन दे दी, अब बैठो आप। ठीक है ना।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक मेरे यहां जहाजपुर में उलेला के अन्दर दो महीने से जनता जल का बिल जमा नहीं हुआ, कनेक्शन कट गया। तो किसान और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।

श्री सभापतिः पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में कोई तत्काल ऐसी घटना की ओर सदन का या सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात है। सर्राफा व्यापार वाली तो पुरानी बात हो गई। नयी बात थोड़े ही है। आज आप ला रहे हों यह बात। आप बैठो ना। पता है आपको।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): भीलवाड़ा में इकट्ठा होकर पुतला जलाया है। इसलिए वहां आंदोलन चल रहा है। भीलवाड़ा में आज आंदोलन चल रहा है अभी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के जरिये वही सूचना दी जाती है जो तत्काल कोई डवलपमेंट हुआ है। बैठो आप।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और मांग संख्या 43 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आज उद्योग और खनिज पर चर्चा हो रही है। माननीय हमारे सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। आज हमारे प्रदेश के जो उद्यमी हैं, उन्होंने देश ही नहीं, बल्कि विदेश तक में भी उद्योगों में परचम लहराया है। अपनी कुशाग्र बुद्धि से और विश्वसनीयता से आज लोग राजस्थान के लोगों को जानते हैं कि कैसे उद्योगपति हैं

(16.00 बजे)

(श्री रमेश)

और कहां से कहां तक आज पहुंच गये हैं, लेकिन आज हमारे राजस्थान की जो स्थिति है, हम निवेश लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, परन्तु जो निवेश आना चाहिए वह निवेश नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले निवेश का जो वातावरण होना चाहिए कि निवेश कैसे आएगा, उसके लिए हमें सबसे पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना होगा और जो भी निवेशकर्ता आएगा उसको बिजली, पानी, सड़क, रॉ मैटेरियल, सारी सुविधाएं सरकार टाइम-बाउंड उपलब्ध कराये, तो निश्चित रूप से उद्योग लगाने वाला निवेशकर्ता जरूर आएगा।

जो हमारे प्रदेश की स्थिति है कि जो भी उद्योगपति, अभी 'रिसर्जेंट राजस्थान' में हमारा एक मिलने वाला आया था, उसने यहां एम ओ यू किया टूरिज्म का, तो वह आया और उस एम ओ यू के बाद में जस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि अभी तो एम ओ यू हुआ है, आप एक महीने बाद पधारें। उसके एक महीने बाद वह फिर गया, तो कहा, कि आप कलक्टर से मिलिये। फिर नेक्स्ट वह कलक्टर से मिला। कलक्टर ने कहा कि आप तहसीलदार और उसके बाद पटवारी से मिलें और उसके बाद मेरे से सम्पर्क करें। तो इस तरह आदमी दर-दर ठोकर खायेगा और जब तक सरकार के सिस्टम में नहीं आएगा, तो परेशान होकर क्या वह निवेश लायेगा? कैसे निवेश आयेगा?

तो इस पर भी सरकार का सोचने का विषय है, इस तरह का हम वातावरण बनायें। आज हमारी सरकार कहती है, आपकी रही, चाहे हमारी रही, कि नीमराना में, भिवाड़ी में उद्योग आ रहा है। दिल्ली में उद्योग नहीं लग रहा है, वहां प्रतिबंधित जगह है, तो दिल्ली के पास में अलवर जिला पड़ता है, यहां लोग आ रहे हैं। अपने-आप आ रहे हैं। आपकी सरकार के कहने से, या हमारी सरकार के कहने से नहीं आ रहे हैं वे।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक निवेश का वातावरण नहीं बनेगा, निवेश के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वे हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तब तक निवेश नहीं आएगा।

दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि आप बात तो कर रहे हैं निवेश लाने की, लेकिन जो आज हमारे राजस्थान में, पानी की भी जरूरत पड़ती है उद्योग लगाने के लिए, पानी की क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य का 70.78 परसेंट भू-भाग डार्क जोन में शामिल हो चुका है

(श्री रमेश)

और 243 ब्लाक्स में से 172 ब्लाक्स डार्क जोन के रूप में आ गये हैं और खतरनाक स्थिति अपने राजस्थान की है। राजस्थान के 35 ब्लाक्स हैं 162 में से, जो दूसरे नम्बर पर हैं। तो हमारे यहां पानी नहीं है। और हम उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस गम्भीर विषय पर भी सरकार को सोचना होगा।

आज हमारे प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की बात करें, तो एक्यूरेट तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि विभाग भी सही जानकारी अभी तक दे नहीं पाया। हम कभी क्वेश्चन के मार्फत पूछते हैं कि राजस्थान में उद्योगों की कितनी इकाइयां हैं? तो सवाल का जवाब आता है कि बहुत लम्बा प्रश्न है। तो उसको अग्राह्य कर दिया जाता है। फिर भी मेरा जो आइडिया है, साढ़े तीन लाख से चार लाख के करीब छोटी और बड़ी इकाइयां होंगी, जिनमें तीस परसैंट इकाइयां तो बंद ही पड़ी हैं। सिर्फ अलाटमेंट हो गया, जमीन उनके नाम है।

आज स्थिति यह है, अपन बात करें बिजली की, तो हमारी बिजली की दरें भी बढ़ रही हैं। तो वह भी एक सोचने का विषय है।

आज अभी इन दो सालों में रीको के द्वारा जो भूमि अवाप्त की गयी है, वह 35,410 बीघा लगभग अवाप्त की गयी है; गैर-सरकारी, सरकारी, जो भी है, ओवरआल इंक्लूडेड है, जबकि 31 दिसम्बर, 2014 तक 8,378 भूखण्ड रिक्त हैं और इनके आबंटन, उत्पादन और प्रारम्भ करने की जो तिथि थी, वह निकल चुकी है। तो रीको का काम केवल भूखंडों पर क्या अच्छी दर पर बेचने का रह गया है? क्योंकि हमारी जो रीको है, वह एक उत्प्रेरक के रूप में नोडल एजेंसी है जो निवेश को लाये, निवेश का वातावरण बनाये और निवेश लाने का प्रयास करे, लेकिन जिस प्रकार यह नोडल एजेंसी सरकार में काम कर रही है, वह ऐसा लगता है कि इसके सामने नियम, कानून, कायदे कुछ मायने नहीं रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो सरकार में हमारे मंत्री विराजमान हैं, कि किसी चीज का कोई नियम, कानून, कायदा बनता है, तो उसको तोड़ा क्यों जाता है? यदि तोड़ना है, तो उसके लिए नियम-कायदे क्यों बनाये जाते हैं? फिर तो मर्जी आये, उसको आप...। जिस नियम के आधार पर आप उसको भूमि अलाट करो, आप उसको उद्योग लगाने पर छूट दो, यह आपकी मर्जी, लेकिन आपने नियम बना दिये और एक तरफ आपने आई डी सी, इंफ्रास्ट्रचर डवलपमेंट कमेटी बना दी, हाई पावर कमेटी, कि

(श्री रमेश)

किसको उद्योग लगाना है, किसको नहीं लगाना है, किसको क्या बेनिफिट देना है, किसको कितनी छूट देनी है, तो यह कैसे चलेगा?

जो उद्योग नहीं लगा पाये हैं आज तक और जिनकी भूमि या जिनको भूखण्ड कह रहे हैं वे पड़े हुए हैं और वह इंतजार कर रहा है कि जमीन की अच्छी रेट आ जाएगी, तो उसको बेचूंगा। उसने पूरे पैसे भी जमा नहीं कराये हैं; उसने प्रोसेसिंग फीस है, या पेनल्टी है, वह भी नहीं जमा करायी। फिर उसके बाद में हमारे विभाग के अधिकारी, कोई बाहर की कम्पनी आ जाए विदेश की, तो वे कह देते हैं कि वह भूखण्ड वहां पड़ा हुआ है, उस भूखण्ड के मालिक से आप बात कर लो। भूखण्ड के मालिक से बात हो जाती है और वह आई डी सी में चला जाता है नीचे से रीको के माध्यम से और वहां तय हो जाता है कि बड़ा निवेश आने वाला है। सारी चीजें माफ कर दें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसको सीधा-सीधा, जिसने पच्चीस रुपये की रेट में, या दो हजार की रेट में, या पन्द्रह सौ की रेट में, पर-मीटर में जो भूमि ली और उसका 5,500 या 6,000 या 10,000 वर्ग मीटर की दर से बेचान हो जाता है। पैसा भी सामने वाला भर देता है, उसको बेनिफिट मिल जाता है। ऐसी मिलीभगत करके हमारे रीको के अधिकारी और जो उद्यमी बैठा है जमीन लेकर, वे दोनों फायदा उठाते हैं। तो किस प्रकार हम आशा करें कि हमारे इस राजस्थान में उद्योगों में निवेश आएगा?

तो इस तरह की जो व्यवस्था है, और यह चलती रही तो ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये उद्योग धीरे-धीरे खतम हो रहे हैं, आने वाले समय में कोई मिलेगा नहीं, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी ही समिट कर लेना, कितनी ही 'रिसर्जेंट राजस्थान' मना लेना। जब तक आपके नियम, कानून, कायदे और एक विचार नहीं होगा कि दिल से हमें काम करना है...। एक फार्मेलिटी करनी है। सरकारें आती हैं, सरकार जाती रहती हैं।

मंत्री हमारे, अभी लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य भवानीसिंहजी कह रहे थे कि मंत्रीजी को कोई पूछता ही नहीं है; मंत्रीजी की चलती नहीं है। तो मैं तो यह कहता हूं कि आप लोग कहते हो कि हम देशभक्त हैं, मातृभूमि के लिए जीने-मरने के लिए तैयार रहते हैं और भारत मां की जय बोलते हों, तो ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आप नहीं बोलते? (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैं तो मेरी जगह पर हूं। अगर मैं कहीं गलत करता हूं, तो मैं इस विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, रामहेत

(श्री रमेश)

जी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर गलत काम करता हूं, तो इसके लिए आप जांच करा लें। लेकिन जो हमारे बेबस मंत्री इस लालबत्ती की आड़ में यहां बैठे हैं और उनके साइन से गलत काम हो रहा है, या उनकी नजर में गलत काम हो रहा है, या अधिकारी नहीं सुनता है, उनकी तो कितनी बड़ी शर्म की बात है यह। उस मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): ...(व्यवधान) राजस्थान में तीन लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट लाये हैं, यह गलत नीति है क्या?

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान) आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य शब्दों का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। अगर मंत्री बेबस है, तो कोई उदाहरण रखें न सामने। बोल रहे हैं, फ्लोर उनके पजेशन में है, तो बताइये न। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): उदाहरण अभी रखेंगे न।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री रमेश (सपोटरा): मुझे बोलने दो न। मेरा काम है। मैं जो बोल रहा हूं, उसका उदाहरण भी रखूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बेबस कौन है? आप बेबस हो। एक परिवार की गुलामी करते हो।

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: आप सरकार को अच्छे सुझाव दो, प्रतिपक्ष के नाते।

श्री रमेश (सपोटरा): सुझाव ही दे रहा हूं। माननीय सदस्य अभी कह कर के गये हैं। उसी बात को तो मैंने रिपीट किया है।

श्री सभापति: ऐसी बातें जिनका कोई तुक नहीं है, क्या मतलब है सदन में लाने से? आप सरकार को अच्छे सुझाव दो, प्रतिपक्ष के नाते।

श्री रमेश (सपोटरा): सुझाव ही तो दे रहा हूं, और यह क्या कर रहा हूं? अभी वह भी बोलूंगा और सदन में विशेषाधिकार का हनन हुआ है, वह भी बताऊंगा। मंत्रीजी कह रहे हैं, नियमों में ही बात करेंगे हम आपसे। ऐसी क्या बात है?

श्री पब्बाराम (फलौदी): 3 लाख 25 हजार करोड़ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आइए ना ...(व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): जो मर्जी आए, टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): तो मेरा आपसे निवेदन है...। आप बैठ जाइए। आपको क्या जानकारी है? आप तो पीछे से आ गये। दुबारा सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाएंगे। इनसे बात करने दो, मंत्रीजी से।

मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि नियम तोड़ना, नियम बनाना और किसको उद्योग लगाना है, किसको नहीं लगाना है, किसको भूमि आबंटन करनी है; तो एग्जाम्पल के तौर पर, एक इटली की कम्पनी थी उसको भूमि इन्होंने दी। नियमों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय का नियमन श्रीराम केबल्स कम्पनी को किया गया। उद्योग नहीं लगाना, जमीन को महंगी दर पर बेचना, यह सारा सिस्टम इस विभाग का हो गया है। इस पर मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो मामले हो रहे हैं, इनकी आप जांच करायें।

एक तरफ सरकार कहती है कि हम उद्योग लाएंगे, निवेश लाएंगे और 'रिसर्जेंट राजस्थान' भी मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहां सांगानेर प्रिंट का जो उद्योग है उस पर संकट आ रहा है और उसको बचाने के लिए प्रदूषित जल के उपचार का जो संयंत्र है वह नहीं ला पा रही है यह सरकार। इस उद्योग से सालाना 600 करोड़ का व्यवसाय होता है। तो सरकार इसके बारे में भी सोचे। यहां के लोगों को भी उद्योग की जरूरत है; जो चल रहा है, उसको चलाने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा बिन्दु यह है कि रिफाइनरी की यहां चर्चा हुई, रिफाइनरी की बातें भी बहुत हो चुकी हैं कि हमें ब्याज-मुक्त चाहिए, एच पी सी एल से हम यह नहीं करेंगे, हम वह नहीं करेंगे; जब हमारे पास क्रूड आयल भारतवर्ष में सबसे अधिक मात्रा में यहां राजस्थान में मिल रहा है 1.70 लाख बैरल, तो यहां रिफाइनरी की आवश्यकता है, आप रेट कम

(श्री रमेश)

कर लें, अपने हिसाब से अगर यह कम्पनी नहीं है तो आप किसी दूसरी से अनुबंध करें और इसके लिए आपने एक कंसल्टेंसी और बिठा दी। अब सरकार के पास एक नया फ़ार्मूला आ गया, इन अधिकारियों के मार्फत कोई भी काम करना है, कंसल्टेंसी बिठा दो और कंसल्टेंसी से सर्वे करवा लो, उसका एस्टिमेट बनवा लो, सारे काम उसके जो भी प्रोजेक्ट हैं उसका काम पूरा करा लो। इसमें भी भ्रष्टाचार है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि रिफाइनरी नहीं लगाएंगे, तो रिफाइनरी इस प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक चीज है, यह रिफाइनरी इस प्रदेश में लगनी चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा है, हमने तय कर लिया कि रिफाइनरी नहीं लगाएंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कालीसिंध की इकाइयों को जो भी लेगा, उसको बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, भूमि भी देंगे और कोयला भी देंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हों, सारी कंडिशनों में शर्त है और दूसरी तरफ आप रिफाइनरी क्यों नहीं लगाना चाहते? इस सरकार की मंशा क्या है? मंत्रीजी जब जवाब दें, तो इसका भी जवाब दें। इस पर गोलमोल जवाब नहीं, इस पर स्पष्ट जवाब दें। यह प्रदेश के लिए बहुत ही गम्भीर मसला है और गम्भीर विषय है कि हमारे प्रदेश में रिफाइनरी लगे।

उसके बाद महेन्द्रा सेज की बात आती है। इस पर कल भी चर्चा हो गई है, पहले भी चर्चा हो गई है और इसकी अखबारों में भी बहुत आ चुकी है। महेन्द्रा सेज 14 हजार करोड़ का निवेश और डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देने का जो एम ओ यू हुआ था, उसका 2005 से आज 2015 हो गये और आज तक कोई इतना बड़ा निवेश नहीं आया, 25 परसेंट निवेश भी नहीं आया। आज मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि 10 हजार लोगों को रोजगार मिल गया है, लेकिन साढ़े छह और सात हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिला है।

आपने दूसरा जो काम किया है, उसने जमीन को पटके रखा। जमीन, जो नान-प्रोसेसिंग एरिया की जमीन थी, जिसको आप नियमों के आधार पर दे नहीं सकते, क्योंकि केन्द्रीय सेज का जो नियम है उसका आपने खुला उल्लंघन किया और 500 एकड़ जमीन आपने महेन्द्रा सेज को दे दी। जो यह नान-प्रोसेसिंग एरिया की फैसिलिटीज थीं, रेजिडेंशियल यूटिलिटी परपज की जो जमीन थी, उसको आपने नियमों को दरकिनार करते हुए महेन्द्रा सेज को पर्सनल फायदा पहुंचाया है। इससे पांच हजार करोड़ का हमारे राज्य हित में नुकसान हुआ है। इसको भी आप कर नहीं पा रहे हैं। आप बोल नहीं पाये, हमारे जो संसदीय मंत्रीजी हैं, इनसे जब पूछा पत्रकारों ने, तो इतना जरूर कहा

(श्री रमेश)

कि मैं तो अदना-सा मंत्री हूं, इस बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। जब ये कह रहे हैं कि हमने लैंड यूज चेंज नहीं किया, तो आप फिर किस मोडिफिकेशन के लिए, किस चेंज के लिए केबिनेट में ले गये? और केबिनेट में ले गये, तो वित्त विभाग और विधि विभाग से कंसल्ट क्यों नहीं किया? सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि आपका जो केन्द्रीय सेज का नियम है, उसका खुला उल्लंघन किया है। आप इस बहुमत में इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो यह ठीक बात नहीं है।

इसके अलावा भी आपने महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी को लीज राशि, करीब 322 करोड़ रुपये का जे डी ए ने जो नोटिस दिया था, उलटा सरकार ने उसे डांटा है कि तुमने किस आधार पर, किससे पूछकर के यह नोटिस दिया? उस पर पेनल्टी बनती है, तो वह जमा कराये। उसके अलावा भी एक उपकार और कर दिया, कि 322 करोड़ तो वह जमा करायेगा या नहीं करायेगा, लेकिन जे डी ए ने भी उसको 88 बीघा जमीन और दे दी। यह क्या है? इस प्रदेश को लुटाने का विचार है सरकार का? कुछ ऐसे भी अच्छे लोग बैठे हैं, हमारे माननीय उद्योग मंत्री हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी, कि ईमानदार हैं, बेईमान नहीं हैं, लेकिन इस सरकार में माननीय मंत्रीजी कुछ नहीं कर सकते। हमारे गज्जू जी को कह दिया जाए, कम-आन, इधर साइन करो, और फैसला फाइनल।

इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं...। माननीय सभापति महोदय, मैं पहला व्यक्ति हूं, बीस मिनट और पच्चीस मिनट की बात नहीं करें। चाहे मैं अकेला ही बोल लूंगा।

सीएसआर का जो पैसा है, जो हम उद्योगपतियों से वसूल करते हैं, इस पैसे का, जो उद्योग जहां लगे हैं और वहां से प्रभावित लोग हैं, जो परेशान हैं, जहां की बस्तियां हैं, वहीं इस पैसे का सदुपयोग किया जाए। मेरा निवेदन है कि इस पैसे का सदुपयोग वहीं हो, जहां बस्ती उससे प्रभावित हैं। वहां पर कहीं ट्यूबरक्लोसिस है, कहीं सिलिकोसिस से सम्बन्धित है, कहीं अन्य बीमारियां, जहां सीमेंट फैक्टरी हैं, या अन्य इण्डस्ट्रीज हैं। तो इस सीएसआर के पैसे का वहीं पर सदुपयोग हो, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी को कौन कहता है, कम-आन, गज्जूजी? क्या राजेन्द्रजी राठौड़ साहब कहते हैं?

श्री रमेश (सपोटरा): इसी तरह से आपने सीमेंट कम्पनियों के लिए नीलामी के लिए कंसल्टेंसी नियुक्त की। नीलामी में तो कोई नहीं आया, लेकिन आपने लाखों-करोड़ों रुपये का जो मिस-यूज किया, उस पर भी सरकार विचार करें।

राजस्थान में 79 तरह के खनिज मिनरल्स हैं, इनमें से 57 का व्यावसायिक दोहन किया जाता है। राजस्थान देश का 9 परसेंट खनिज उत्पादन करता है और हमारे प्रदेश में 34,991 लीज होल्डर हैं, जिनमें से 3,403 मेजर लीज और 11,861 माइनर लीज होल्डर हैं। वर्ष 2013-15 में खनिज से आय 3,088.66 करोड़ रही, जबकि क्रूड आयल से आपकी इसी वर्ष में 5,953 करोड़ की आय हुई, और इस वर्ष आपकी घटते-घटते आय 2,866 करोड़ पर रह गई। राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर, 2016 को 601 आबंटित खानें निरस्त कीं और इसकी जांच आपने लोकायुक्त को सौंप दी। इसका आज भी सवाल लगा था, लोकायुक्त को आपने लिखा उत्तर में, उन्होंने मांग की कि हमें कुछ कर्मचारियों की जरूरत है और आपने कहा, पद सृजन करेंगे। कब तक पद सृजन करेंगे? आपकी अगर मंशा सही है, तो डेपुटेशन पर..., आप अन्य कमेटियां भी बनाते हों, अन्य काम भी करवाते हों, तो इसका भी तुरन्त प्रभाव से इन 601 खानों का निस्तारण हो जाए। कौन इसमें नियम से आया था, कौन नियम विरुद्ध था। इसमें कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं, जो बिलकुल नियमों से उनका आबंटन हुआ है और 601 की चपेट में वे अच्छे लोग भी आ गये होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि इसकी एक कमेटी बनाकर, लोकायुक्त के बारे में तो सांगानेर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं; इसकी आप कोई ऐसी जांच करायें, जो सरकार पर कलंक लगा है, वह धुल जाये। हम यह चाहते हैं। मंत्रीजी आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं और आज यह भी कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वह भी ईमानदार है। मंत्रीजी, फिर मुझे यह बताना कि इसमें बेईमान कौन है? इसमें अनियमितताएं किसने कीं? यह तो बताओ आप कि इसमें बेईमान कौन है? क्या ऊपर का खेल चल रहा है या फिर नीचे में मंत्रियों के या अन्य के परिवारजन शामिल तो नहीं हैं? मंत्रीजी, यह भी खुलासा करें।

दूसरी बात, अभी हमारे माननीय संसदीय मंत्रीजी बीच में खड़े हो गये

(श्री रमेश)

कि यह बात नहीं करोगे। मंत्रीजी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसी सदन में जब 600 खानों की बात आई थी, तो मंत्रीजी ने कहा कि मैंने साइन नहीं किये। इसी सदन में मंत्रीजी ने तो 'नहीं' कहा; गुलाबचंदजी कटारिया यहां बैठे हुए थे, हमारे सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इनके पास तो फाइल ही नहीं आती थी। इन्हें क्या पता? एक मंत्री सदन में यह कह रहा है कि इनके पास तो फाइल ही नहीं आती थी। फिर बाद में मंत्रीजी के साइन दिखे, तो मंत्री जी ने कहा और मंत्रीजी ने सदन में यह भी कहा कि जो भी मैंने काम किया है, वह नियमों में किया है। अब खुलासा हो गया। इन्हीं खानों के चक्कर में अब एक बड़ा अधिकारी तो जेल में बैठा है और आप कह रहे हों, बिलकुल सही काम हुआ है।

हमारे मंत्रीजी इस सदन में असत्य बोल रहे हैं, तो विशेषाधिकार हनन सदन का हुआ है और मंत्रीजी कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, कुछ नहीं हुआ: ऐसे नहीं बोल सकते आप। मंत्री जी बतायें मुझे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको टोकना नहीं चाहता। शायद राजस्थान के इतिहास में पहला यह मामला हुआ होगा, सरकार ने आगे बढ़कर खुद ही लोकायुक्त को जांच दी है, उसके बाद टर्म्स आफ रेफरेंस बनाये हैं, और लोकायुक्त की जांच के बाद उसके परिणाम सामने आयेंगे। माननीय सदस्य, आपको मालूम है, लोकायुक्त की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट सदन में रखी जाती है; वह कोई छिपती नहीं। आपको धन्यवाद देना चाहिये, इतनी बड़ी मछली आज जेल में है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पांच साल की रिपोर्टों पर आज तक क्या कार्यवाही की सरकार ने? सात साल से लोकायुक्त की रिपोर्ट आ रही है, संसदीय कार्य मंत्रीजी एक पर भी सरकार ने एक्शन लिया क्या आपने दो साल में? आप बता दो, एक पर भी? यह तथ्य छुपाने के लिए, गोलमाल करने के लिए, घालमेल में कोई आये नहीं, इसके लिए कर रहे हों। वरना सी बी आई से जांच कराओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने आज तक सवाल खड़ा किया क्या? लोकायुक्त की रिपोर्ट के बारे में कभी सदन में कोई बात पूछी क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किया है, आज ही किया था कि सी बी आई की जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम आपकी तरह नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) रिपोर्ट पर कहां है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जायेगा राजस्थान में, अगर सी बी आई से जांच कराओगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप भूल गये, आप इधर बैठते थे हम उधर बैठते थे, इसी सदन में जोधपुर में कोटचा माइन्स का मामला उठा था। बगले झांक रहे थे आप। आपको कैंसिल करनी पड़ीं। माइन्स कैंसिल करनी पड़ीं आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सवा दो साल हो गये, कराओ ना जांच। कराओ जांच। सवा दो साल हो गये, क्या किया आपने? एक नोटिस भी दिया क्या उन लोगों को? वे सारे कोर्ट से जीते हैं। आपकी छाती पर मूंग दल रहे हैं। वे हाई कोर्ट से जीते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) मैं हाई कोर्ट की वह टिप्पणी पढ़कर सुनाऊं जो तत्कालीन सरकार पर थी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर इस खनन घोटाले की सही जांच कराओगे, तो बहुत बड़े लोग अन्दर, नेता भी अन्दर जायेंगे, अधिकारी भी अन्दर जायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिसका दामन साफ दागदार हो ना ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) वह तो शेर खान का मामला था। इस खनन घोटाले की जांच कहां कराई आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) शीशे के महल में बैठने वालों दूसरों पर पत्थर मत फेंको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने आप पर थोड़े ही फेंका है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासराजी, आपके राज में भी यह बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा था, उस समय आपने तो जांच नहीं कराई।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

हमारे यहां तो शिकायत मिली, जांच कराई। (व्यवधान) जेल में रखा। इतनी बड़ी कार्यवाही हुई। आपने क्या कार्यवाही की?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य सचेतक महोदय, आप तो जो भी बोलो, पढ़ कर, लिख कर बोलो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप तो अपने राज में बताओ कि हमारे राज में कौनसी कार्यवाही हुई थी? जितनी शिकायतें मिलीं, उनमें। एक भी कार्यवाही आपने की?

श्री रमेश (सपोटरा): कालू जी, बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। सो जाओ थोड़ी देर। क्यों परेशान हो रहे हों?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो जगाने के लिए आया हूं। सोने के लिए तो आप हो। अब जिंदगी भर सोते रहोगे और आगे भी सोते ही रहना। हम तो कभी नहीं सोये और न सोयेंगे। आपके बार-बार सोने- सोने कहने से कोई बहुत सोना मिल रहा है क्या आपको? कैसे पागलपन की बातें करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप क्यों घबराते हों? सोना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सोता रहूंगा, सोऊंगा और सो के दिखाऊंगा। कह दो आप।

श्री मदन राठौड (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, एक बात है कि जब ये रमेशजी बोलने खड़े होते हैं, तो डोटासरा जी उनको टोकते हैं। यह इनके काम्पीटिशन का मामला है। यह यहां सदन में तो कम से कम मत करो; घर पर ही कर लेना।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, बोलने का कोई मैटर नहीं होता, तो केवल ...(व्यवधान) आप यह बोलते हैं, तभी सोना-सोना ज्यादा क्यों करते हों? इसका मतलब, आपके और इनके बीच में दुश्मनी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके चैम्बर में कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब रिपोर्ट है, कितने बजे से कितने बजे तक सोते हो, इसलिए यहां दावा मत कर देना कि मैं नहीं सोता हूं, वरना पोल खुल जायेगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी जिस तरह से जोर-जोर से बोलकर हमारे विपक्ष को दबाने का प्रयास

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कर रहे हैं। आप यह कह रहे थे, हम इधर थे, आप उधर थे, आपने उस समय खान घोटाले की बात की थी, आपने ढाई साल में वह जांच करा ली क्या? बताओ आपने क्या किया? अब आप कराओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप तो इधर थे ना। आप तो खुद ही इधर थे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक बार इधर, एक बार उधर। फिर इस राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का क्या होगा? यह बताओ आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पर आप बीच में ही रहोगे हमेशा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इस तरह कह रहे थे कि आपने यह किया, आपका दामन दागदार है। तो आपने कौनसी ढाई साल में जांच करा कर किनको जेल में डाला? बताओ तो सही हमको।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनमें कई फाइलें तो ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात को अब सीमित करने का प्रयास करना।

श्री रमेश (सपोटरा): सीमित ही है। अब ज्यादा नहीं है।

श्री सभापति: सीमित करने का प्रयास करना।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ही दिन में बाबू से लेकर मंत्री तक के हस्ताक्षर हो गये और खान का सिस्टम पूरा हो गया; एक ही दिन में बाबू से लेकर मंत्री तक। हमारे माननीय संसदीय मंत्री जी हैं, ये आज खान विभाग में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसकी भी जानकारी हम कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, उसको भी पटल पर लायेंगे; बजरी, खान, सब हमें जानकारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि खान की बात हो रही है, तो खान मंत्री जी से ही बात करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के 250 से अधिक राजनेता और अधिकारियों के पास राज्य की 494 से अधिक खानें हैं। इनको भी किसी ने नियम से ली हैं, किसी ने बिना नियम से ली हैं। यदि सरकार की मंशा साफ है, तो चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे आपकी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्यवाही हो और ये खानें निरस्त हों। यह मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निरस्त नहीं करो, तो जिनके नहीं हैं, उन सबको दो फिर। जो नियम विरुद्ध हैं उनको निरस्त करो और जिनके नहीं हैं, उन सबको दो। कोई फैसला तो करो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको सबसे पहले देंगे। निरस्त होते ही पहले इधर आबंटन होंगी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की खनन नीति आने के बाद अब राज्य सरकार को भी अपनी नीति बनाना आवश्यक हो गया। अब नीति का प्रस्ताव बनाया है, उसमें लगभग ऐसा लग रहा है जैसे 100 परसेंट ही एफ डी आई वाली नीति बनाने का विचार किया जा रहा है। उनमें आने वाले बड़े निवेशकों ने साफ कह दिया है कि जो छोटी-छोटी 5 किलोमीटर की खानें हैं उनमें हमारी रुचि नहीं है। यदि हमें देना है, तो 50 किलोमीटर, स्क्वायर मीटर की खानें चाहिये।

यह भी इसमें महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है कि जब तक, राजस्थान की जो खनन नीति लाना चाह रहे हैं, उससे पहले-पहले 600 खानों की जांच का निस्तारण हो। किसकी निरस्त होगी, किसकी रहेगी, इस प्रकरण का भी निपटारा हो। यह पेंडिंग पड़ा है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम जीरो टोलरेंस की अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं और हम भ्रष्टाचार बरदाश्त नहीं करते; पारदर्शिता की बात करते हैं। अब तो इस राज में ऐसा लगने लग गया है, हमारे धीरज जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इस पार्टी को आडवाणीजी और अटलजी के नाम से जाना जाता था और आज अडाणी जैसे उद्योगपतियों के नाम से इस सरकार को जाना जा रहा है। (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो नवीन नीति लाई है, निचले स्तर का तकनीकी कर्मचारी खनन में अनियमितता पर तब तक कोई कदम नहीं उठा सकता, जब तक कि ए एम ई, ए एम ई उस साइट तक स्वयं वेरिफाई नहीं कर ले। इस तरह से जो इंजीनियर पहले से ही भ्रष्टाचार के लिए सबसे अधिक कुख्यात हैं, उनको आप पूरा मौका देंगे और वह अपने स्तर पर ही मनचाहा भ्रष्टाचार करेंगे। तो इस तरह की जो पालिसी ला रहे हैं, इस पर ध्यान दें, इसमें रिवाइज करें।

राजस्थान माइंस एण्ड मिनरल्स को ट्राइबल एरिया में जो रिजर्वेशन दिया गया था, उसको भी रिव्यू करने की बात इसमें आपने कही है। कई

(श्री रमेश)

महत्वपूर्ण खनिज जो राज्य सरकार के पास होने चाहिए, उनकी भी मांग के नाम पर सभी के लिए खोले जाने की कोशिश प्रारम्भ हो गई है। यदि मूल भावना में बड़े व्यावसायिक घरानों को, किसी को हद तक जाकर लाभ देना है, तो इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है।

बजरी की छोटी लीज दी जाती है, उसको भी बड़े स्तर पर देने की योजना बनाई जाएगी। यानी, हर स्तर पर छोटे व्यापारी को बाहर करने की कोशिश हो रही है। अब राज्य की जो खातेदारी भूमि है उस पर भी बजरी लीज देने जा रही है, जिससे उसका अंधाधुंध दोहन प्रारम्भ हो जाएगा।

राज्य सरकार माइनिंग और क्वारी लाइसैंस की जो लाक-इन-पीरियड की शर्त को समाप्त करने जा रही है, सीधा-सा अर्थ है, ऐसे किसी के नाम से खान ली जाएगी और तुरन्त बाद उसका हस्तांतरण कर दिया जाएगा। सक्षम व्यापारिक घरानों का कोई भी सक्षम व्यक्ति ले लेगा, ट्रांसफर करा लेगा; जितना चाहे, उस पर माइनिंग करेगा। उस पर कब्जा कर लेगा।

राज्य में खनन के क्षेत्र में विजिलेंस की कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि अवैध खनन रोक लें, ओवरलोड को रोक लें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): एक हमारे नीमकाथाना में पाटन में अवैध खनन हो रहा है। एक हमारा पूर्व विधायक चार बार एफ.आई.आर. दर्ज करा चुका है और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं हो रही है। अवैध खनन हो रहा है। उसका घर टूट गया, परेशान है, लोग उसको धमका रहे हैं।

इसी तरह पूरे राज्य में जो रवन्ना अनपेड अवैध रूप से चल रहा है। इसकी सरकार कोई रोकथाम नहीं कर पा रही है। अवैध रवन्ने के माध्यम से राज्य सरकार को बड़े स्तर पर चूना लगाया जा रहा है।

श्री सभापति: आप बैठें। आपको पर्याप्त समय दिया है।

श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं आधा सेकंड।

श्री सभापति: आपकी बात अंकित नहीं होगी।

श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 43–खनिज पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका ह्रदय से आभारी हूं।

मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुंधरा राजे और हमारे यशस्वी उद्योग मंत्री आदरणीय गजेंद्र खींवसरजी को बधाई देता हूं कि राजस्थान के नौजवान को रोजगार कैसे मिले, राजस्थान की उन्नति कैसे हो, उसकी सारी बात को ध्यान में रखकर, 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से देश भर के और विदेश के सभी उद्योगपतियों को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया और उसका परिणाम हुआ, 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट 295 एम.ओ.यू. के माध्यम से राजस्थान में होगा और उसमें भी अलवर जिले को महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा उद्योग लगाने का; वहां के नौजवानों को नौकरी करने के अवसर मिलेंगे। मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी का ह्रदय से आभारी हूं।

मैं इस बात के लिए भी माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय उद्योग मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के कोटकासिम में एयरपोर्ट अथोरिटी बनने का, जिससे एयरपोर्ट आथोरिटी की डी.पी.आर. बनाकर, आने वाले समय में 20 हजार करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट होगा। मैं इस बात के लिए भी माननीय उद्योग मंत्री जी को मेरी जनता की ओर से, किशनगढ़ बास के नागरिकों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इनका सुनकर फिर जाओ आप। यह नियम नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज पहली बार अक्ल की बात की है आपने।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): कांग्रेस के उप नेता ने कहा कि दिल्ली में उद्योग बंद हो गए, इसलिए भिवाड़ी (अलवर) में आने ही थे। ये उद्योग आज बंद नहीं हुए, दस साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से...।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): जो पीड़ा होगी, वह बाहर और अन्दर कुछ नहीं है। चिंता मत करो। आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। मैं तो आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री थे, आपने कितने प्रयास किये उद्योगपतियों को लाने के लिए? (व्यवधान) मैं

(श्री रामहेत सिंह यादव)

आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। आप चूंकि उप नेता हैं प्रतिपक्ष के, आपको सरकार के खिलाफ बोलना है, लेकिन जो बात, राज्य सरकार ने अच्छे काम किये हैं उद्योग के मामले में, उसकी तो कम से कम आपको तारीफ करनी चाहिए थी। पहले आप कह रहे थे, 'रिसर्जेंट राजस्थान' के होने से पहले कि इनवेस्टर नहीं आएगा, ये देश-विदेश में घूम रहे हैं, और जब 295 एम.ओ.यू. हो गये, फिर कहा कि ये तो वैसे ही फर्जी तरीके से हुए हैं, और जब वह टेबल पर वर्क होने लग गया और जब आपको लगता है, तो आप कहते हो, यह तो दिल्ली से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, वे तो आने ही थे। ऐसी बात नहीं है। इसमें राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक पहल की गयी है और उद्योग मंत्रीजी और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने अथक प्रयास करके राजस्थान में रिसर्जेंट...। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बात सुनो उनकी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपकी बात से भी हमारा ज्ञान बढ़ा है। ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य, इसको विपरीत परिभाषा में मत समझें। आपने जो बात कही, उससे हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं दो-तीन बात कहना चाहता हूं। जिस तरह से अलवर को, औद्योगिक नक्शे पर अलवर जिले का नाम 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से बढ़ा है, निश्चित रूप से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अच्छे उद्योग लगेंगे, कोरियाई जोन हो, चाहे जापानी जोन हो, और बहुत बड़े उद्योगों के लिए हमारे करौली और जो भिवाड़ी में पड़ता है, उसके लिए ग्रीनफील्ड, इलैक्ट्रोनिक, मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 122 एकड़ और हौंडा वाइंडर के लिए सिलारपुर में 50 एकड़ भूमि रिजर्व की है। आने वाले समय में हमारे नौजवानों को भी अपना लघु उद्योग लगाने का अवसर मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जब उद्योग लगाने की चर्चा होती है, उद्योग विभाग अपनी एक्सरसाइज करता है, तो मेरा सुझाव है, उस समय न तो उद्योगपति उसमें होता है, जिसको उद्योग लगाना है; न ही जिस किसान की भूमि जाती है उसका कोई रोल रहता है; और न ही उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं उनकी भूमिका होती है। इसलिए जो भी औद्योगिक नीति बने, उसमें

(श्री रामहेत सिंह यादव)

सब पहलुओं का आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उसमें जो प्रभावित किसान हैं उनकी भी चिंता हो; उसमें उद्योगपति आने वाले हैं, जिनके बारे में है, उनको उतनी फैसिलिटी आप दे रहे हैं या नहीं; या उसके होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी अगर पहले विचार करें, तो मैं समझता हूं, आज जो सार्थक चर्चा हुई है, उसमें जो विषय निकलकर आये हैं, चाहे पोल्यूशन का हो, चाहे एम्प्लायमेंट का हो, या मुआवजे का हो। इन सब बातों का भी हमको, पहले से इस बात पर गहनता से विचार कर लें। मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं, आज भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हिन्दुस्तान के नक्शे पर है, लेकिन जिन नौ-दस गांव की जमीन उसमें गई थी, उन गांवों की स्थिति क्या है, उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। वहां के बच्चों के लिए स्कूल है या नहीं। कल तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र में एक राजकीय सीनियर सेकण्डरी स्कूल है। वहां टेक्निकल कालेज भी होना चाहिए, वहां आई.टी.आई. भी होनी चाहिए, और जो गांव हैं उनका विकास प्रोपर हुआ या नहीं हुआ, चिकित्सा व्यवस्था है या नहीं, शिक्षा व्यवस्था है या नहीं, उसकी चिंता हम पहले सोचते। बेसिकली गंदे पानी की निकासी की भी व्यवस्था प्रोपर रूप से नहीं की गई। चाहे चौपानकी हो, चाहे खुशखेड़ा हो, चाहे भिवाड़ी हो, 3-4 औद्योगिक क्षेत्र आपस में मिले हुए हैं, लेकिन गंदा पानी कहां जाएगा, उसकी चिंता अगर हम पहले करते, तो आज वह दुर्दशा नहीं होती।

मेरा विधान सभा क्षेत्र भिवाड़ी से लगता हुआ है। सभापति महोदय, लगभग 35 गांव मेरे ऐसे हैं जो पोल्यूशन से प्रभावित हैं। फसल खराब होती है; कुओं, हैण्डपम्प, बोरिंग में पानी है, वह पानी खराब हो गया है। विशेषकर अस्थमा और स्किन की बीमारी लोगों को आये दिन होती रहती हैं। उसका कारण है कि हमने उस पानी की व्यवस्था नहीं की। वहां पर 6 एम एल डी का सी.ई.टी.पी. प्लांट लगा हुआ है, वह पर्याप्त नहीं है। हरियाणा ने उसको बंद कर दिया है। वह पानी पाइप के द्वारा हरियाणा बोर्डर पर जाना था लेकिन हरियाणा ने अपनी साबी नदी में उस गंदे पानी को डालने से मना कर दिया। इसी सदन में जब पूर्ववर्ती सरकार थी, तो मैंने उस विषय को रखा; उद्योग मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाये; तत्कालीन सदन के नेता ने मुझको आश्वस्त किया था कि उसका उपाय करेंगे। उसके बाद तीन साल राज करने के बाद चले गये, लेकिन वह हरियाणा का मसला नहीं निपटा।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

भिवाड़ी से, खुशखेड़ा की बात करें, तो खुशखेड़ा से नंदरामपुरा होकर हमने धारूहेड़ा को अपनी कोस्ट पर जोड़ा है, इस सड़क को हाइवे से। रीको ने हमारी सड़क बनाई है, आकेड़ा गांव है जहां से भी हमने एन एच 8 को जोड़ा है। भिवाड़ी मोड़ पुराना कहलाता है, वहां से सीधा, हरियाणा में होंडा मोटरसाइकिल का प्लांट है वहां पर, उसको जोड़ा है। न्यूताउडू, हमने हमारे संसाधनों से वहां सड़कें बनाई हैं।

लेकिन हमारे पानी को हरियाणा ने नहीं लिया, यह हमारे लिए एक संकट की स्थिति है। आने वाले समय में अगर हमने उसमें प्रोपर उपाय नहीं किया, हमारे इस प्लांट की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, तो हमारे इलाके में इस बात का दुष्प्रभाव होगा। मैं चाहता हूं कि जब भी औद्योगिक नीति बने, तो जो गांव प्रभावित होते हैं वहां पर भी उसकी चिंता होनी चाहिए।

जहां तक मुआवजे की बात है, हमारे करीमपुर, कारोली, भुरेडा आदि खुशखेड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया है। रीको यह चाहता है, किसान को नकद चाहिए तो नकद ले लेता है। पहले यह नियम था कि वह अपनी जमीन को, 15 परसेंट डवलप्ड ले सकता है, या जो भी नियम है, 25 परसेंट का। मैं यह चाहता हूं कि उद्योग लगने से पहले उस किसान को नकद राशि के रूप में, या भूमि के रूप में मुआवजा दिया जाना तय हो जाता है, तो वह उद्योग लगने से पहले शुरू हो जाना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो होंडा कम्पनी है वह 2006 में लगी थी, लेकिन वहां के काश्तकारों को आज तक भी, जिसने कैश ले लिया अपना मुआवजा वह तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने जमीन लेने का सहमति पत्र दिया था, आज तक भी ऐसे कई काश्तकार हैं, करमपुर के सुरेन्द्र विजय को मैं जानता हूं, 2006 से आज 2016 हो गये, दस साल हो गये, अपनी जमीन उन्होंने रीको को सरेंडर की थी, उनको 15 परसेंट डवलप्ड लैंड मिलनी थी, उस पर आज तक कब्जा नहीं मिला। कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय उद्योग मंत्रीजी से आग्रह है कि ऐसे प्रकरण हों, उन पर हमको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

यही नहीं, हमारे अलवर जिले में भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र को अगर राजस्थान के अन्दर से होते हुए नीमराना से जोड़ते हैं, तो जो आये दिन हरियाणा में परेशानी होती है, वहां के लोगों के द्वारा सड़क बनवाते हैं, तब तो कुछ नहीं कहते, उसके बाद बैरिकेड्स लगा देते हैं, गार्टर लगा देते हैं, वेल्ड कर

(श्री रामहेत सिंह यादव)

देते हैं। हमारे उद्योगपतियों को, ट्रकों को नहीं निकलने देते। इसलिए मेरे क्षेत्र कोटकासिम से होते हुए, मुंडावर होकर, अजरका होकर एक रोड निकलना था, उस रोड के लिए नोटिस भी जारी हुए थे डी.एम.आई.सी. के, लेकिन आज तक उसमें एक्विजिशन की कार्यवाही नहीं हुई।

शाहजहांपुर के आसपास जमीनें एक्वायर हुई हैं। मेरा आग्रह है, एक काश्तकार को तो 90-95 लाख रुपये बीघा के हिसाब से मिलता है, उसके साथ अगर दूसरा काश्तकार बगल में रहता है तो उसको 15-16 लाख रुपये मिलते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि अगर सड़क की है, तो छोड़ दीजिए। सड़क के अलावा जिस प्लान में गई है, तो सामूहिक रूप से बराबर रूप से उसको राशि मिलनी चाहिए। चूंकि डी.एल.सी. रेट की बात हो जाती है, हमारा सब-रजिस्ट्रार आफिस है, डी.एल.सी. रेट तो वह अपने हिसाब से तय करता है। जहां जमीन रोज बिकती हैं, रोज खरीदी जाती हैं, वहां की डी.एल.सी. बढ़ जाती है। जमीन अच्छी है, या खराब है; अच्छी जमीन है, उपजाऊ है, उसमें कोई खरीद बेचान नहीं होता, तो वहां की डी.एल.सी. अक्सर बढ़ती नहीं है। इसलिए जिस प्लान के लिए खरीदी जाए, समान रूप से उस काश्तकार को मुआवजे मिलना चाहिए और रीको पजेशन ले, उससे पहले उसको मुआवजे का पेमेंट करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था प्लानिंग करते समय होनी चाहिए।

अभी माननीय उप नेता ने सी. एस. आर. बजट की बात कही कि उद्योगपतियों को, वहां के इलाके के लोगों के लिए कुछ सामाजिक संकल्प, कुछ सुधार के काम; स्कूल, सड़क, औषधालय के, या जो आवश्यक हैं, वे काम करना चाहिए, बिलकुल अच्छा काम है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, एस आर ए फैक्टरी हमारे मटीला के अन्दर है, जो तिजारा विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। वहां के उद्योगपति, कभी गैस लीकेज हो गया, जेसे भोपाल में कांड हुआ था, उससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से वहां के मैनेजमेंट को बधाई देता हूं, वहां के आसपास के 5 गांव हैं, कोई भी नौजवान पढ़ जाता है, तो उसको वह उद्योगपति जैसी उसकी शिक्षा है, उसको उस हिसाब से नौकरी देता है। जितने भी ट्रांसपोर्ट का काम है, लोकल लोगों को बता देते हैं कि हमें 100 ट्रक चाहिए, 200 ट्रक चाहिए, आप अपनी लोकल आर.सी. बता दीजिए, उसी हिसाब से काम मिलता है। लगभग 25-30 साल हो गये उस फैक्टरी को लगे हुए, एक बार भी कोई न्यूसेंस, आंदोलन, झगड़ा-फसाद नहीं हुआ। कोई ऐसी दिक्कत होती है, तो सामूहिक रूप से गांव के लोग

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इकट्ठा होते हैं और उद्योगों का संरक्षण करने का काम करते हैं। उद्योग में वे अपना शेयर मानते हैं। इस तरह की पालिसी अगर अन्य उद्योगपति अपनाएंगे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट रुकें आप।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, अक्सर जो उद्योगपति हैं, वे उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते। माननीय मंत्री महोदय, ऐसी व्यवस्था करें, हमारे एम्प्लायमेंट आफिस सब जगह हैं, भिवाड़ी, अलवर में भी हैं। उद्योगपति के लिए जरूरी है कि जितनी वैकेंसी हैं, उसकी सूचना एम्प्लायमेंट आफिस को देनी चाहिए, लेकिन वह सूचना नहीं देता है। कौन-कौन वहां से आई टी आई, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, कितने क्वालिफाइड हैं, उनकी भी वहां से एप्लिकेशन नहीं मंगाता है, ना उनको साक्षात्कार में शामिल करता है। विशेष रूप से ठेकेदारी प्रथा जब से हुई है कोई भी मैनेजमेंट का आदमी आता है, हल्द्वानी से आया तो वह अपने ठेकेदार को ले आता है; दूसरी जगह से गया, वह अपने ठेकेदार को ले जाता है। लोकल लोगों का वहां शोषण होता है। उनको फैक्टरी में रेगुलर नौकरी नहीं मिलती। इसलिए जहां फैक्टरी एक्ट है उसका सख्ती से पालन हो। गार्ड के लिए आप ठेकेदारी व्यवस्था में ला सकते हैं; वहां पर कोई लान है तो गार्डनिंग के लिए ला सकते हैं; सफाई के लिए, लोडिंग-अनलोडिंग के लिए ला सकते हैं; लेकिन जो रैगुलर वर्क है, फैक्टरी का है, उसके लिए आप ठेकेदार के लोगों को रखते हो। लोकल लोगों को वहां नौकरी नहीं देते हैं। इस बारे में भी अपने को विचार करना चाहिए।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इसके साथ, लोकल लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो औद्योगिक क्षेत्र डवलप होने वाला है, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यादव साहब, एक सेकण्ड। मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं, आज खान विभाग पर भी चर्चा है। सिर्फ उद्योग पर ही बात हो रही है। खान पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): बोलेंगे। वहां जो स्थानीय गांव हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पक्का बोलोगे?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): हां, बोलूंगा। बिलकुल, 100 परसेंट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके विधान सभा क्षेत्र के बारे में भी ज्ञानवर्द्धन करना।

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): सब जगह की बोलूंगा। मैं आपके विधान सभा क्षेत्र की भी बोलूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे यहां तो है ही नहीं माइनिंग। किशनगढ़ बास के लिए...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी ना। मुझे भी खान.....

श्री सभापति: कौनसा माननीय सदस्य क्या बोलेगा, उससे आपको क्या लेना-देना है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माइनिंग में बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: क्या मतलब आपको? दोनों विषयों में से माननीय सदस्य की जो इच्छा होगी, वह बोलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन में ज्ञानवर्द्धन तो होना चाहिये माइनिंग के बारे में।

श्री सभापतिः नहीं, आप बैठें। आप बैठें। आप टोकें नहीं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अपनी मर्जी होगी, इच्छा होगी, बोलेंगे। इच्छा हो, जो बोलेंगे। जबरदस्ती।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर खैरथल औद्योगिक क्षेत्र ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आपको तो जो बोलना है, वही बोलो आप। किसी को कहने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको तो जो तय किया है, वही बोलो।

श्री सभापतिः जो आपकी इच्छा हो, वही बोलो। इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है आपको।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): नहीं, मैं इनके दबाव में भी बोलूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने दबाव बना दिया ना कि मुझे भी माइन्स चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मैंने नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अभी कहा ना, माननीय सदस्य ने कि जिनके...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कभी न तो फार्म भरा है, न जिन्दगी में भरूंगा; न ली है, न लूंगा। मैं तो आपकी....

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): तो किसको, अभी जो आप कह रहे थे...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अभी आप कह रहे थे कि हमको भी दो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने तो आप सत्ता पक्ष वालों के लिए कहा था। मैंने तो मेरे लिए नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने यह कहा, कैंसिल करो और दूसरों को दो। दूसरे के बदले आप खुद के लिए चाह रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं चाहिये। हमारा राज था पांच साल। लेनी होती, तो ले लेता। न जिन्दगी में ली है, न लूंगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): बहुत-बहुत धन्यवाद सुझाव के लिए। और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, खान सत्ता से नहीं मिलती, वह नियमों से मिलती है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मंत्रीजी ने अभी बहुत बढ़िया नियम लागू कर दिये थे। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैरथल एक बहुत छोटा औद्योगिक क्षेत्र है, 1980 से पहले वह औद्योगिक क्षेत्र बना था, उसमें पिछले 25 साल से 100 प्रतिशत उद्योग लगे हुए हैं। उसके एक्सटेंशन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि रवा एक जगह है, हमारे सिवाणा पाटन गांव के पास, उसमें लगभग 400 बीघा सरकारी जमीन है। मैंने माननीय मंत्री महोदय के यहां भी लिखकर दिया हुआ है। अगर उसका एक्सटेंशन, सेकण्ड फेज अगर वहां बना दिया जाये, और इसके अलावा मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में 3,700 बीघा जमीन बिरसिंगपुर में है। मैं चाहता हूं, वहां नदी-नाले हैं, उपजाऊ नहीं है, सरकारी भूमि है। माननीय डोटासराजी की सरकार थी, तो उस समय कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर बहुत सारी जमीन को अपने नाम अलाट करा लिया। उसी तरह से उस पर कब्जा हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि वहां पर भी आप नया औद्योगिक क्षेत्र बनायें, तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और आपको मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसका परीक्षण करा लें। निश्चित रूप से अगर आपके औद्योगिक नार्म्स के हिसाब से बैठती है, तो आपकी सरकार की जमीन है, उसको एक्वायर कर लें। रीको सरकार से अपने नाम चढ़वा कर उसकी फेंसिंग कर लें, प्लानिंग बाद में हो जाये, लेकिन उस जमीन को बचाया जा सकता है।

इसके अलावा, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, मांग संख्या 43-खनिज, मैं खनिज के मामले में कहना चाहता हूं। माननीय डोटासराजी हंस रहे हैं। पांच साल कांग्रेस का राज था, जिस तरह से तिजारा में बंदरबांट खनिज की हुई, अवैध खनन हुआ, खुद हमने भी उसको देखा है। पहले भी खूब राजस्थान की विधान सभा में उठाया। पूरा नेशनल हाई-वे आठ बजे बाद जाम हो जाता था। हमारा राज आने के बाद अवैध खनन पर रोक लगी है, लेकिन पर्याप्त रोक नहीं है, इसको मैं भी मानता हूं, सख्ती की और आवश्यकता है। माइन्स विभाग और पुलिस विभाग को मिल करके इल्लीगल माइनिंग होती है।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

मैं माननीय खनिज मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं, खनिज की रोकथाम तब ही होगी, जब आप नियमों में संशोधन करेंगे, स्थानीय लोगों को वहां खनिज अलाट करेंगे, चाहे गांव की सोसायटी बनाकर सोसायटी को दें; विशेष रूप से वन क्षेत्र में जो अवैध खनन होता है, वहां पर और फोरेस्ट चौकियां लगाकर अवैध खनन को रोकेंगे, ताकि हमारी सड़कें भी ठीक रहें, और हमारे इलाके में जो अवैध खनन का काम होता है उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 43, खनिज और उद्योग पर आज यहां पर चर्चा हो रही है। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।

मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं जहां पर कोटा स्टोन का अपार खनन है। देखते ही देखते वर्तमान स्थिति यह बन चुकी है कि आज के समय में कोटा स्टोन एकदम से दम तोड़ता नजर आ रहा है। स्थितियां कैसे बनीं, उनके क्या कारण रहे, इसके बारे में न बताते हुए, सीधे अपनी बात पर आना चाहूंगी।

मैं बताना चाहती हूं कि कोटा स्टोन जो हमारा है, वह इस कोटा में ही नहीं, इस प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विश्व में भी विख्यात है। उसके बावजूद भी जो स्थिति बनी, उसके बारे में कहीं न कहीं हमारी सरकार को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और मनन भी करना पड़ेगा कि अगर हम इस कोटा स्टोन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा करके हम लोगों को वहां पर दिखाना पड़ेगा, ताकि वहां का व्यापारी सक्षम बने, वहां का मजदूर सक्षम बने, वहां के श्रमिकों को मजदूरी मिलती रहे। इन सारी बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि विगत समय तो हमारा बीतता चला गया है, लेकिन 4-5 साल बाद हमारे रामगंजमण्डी के क्या हालात हो जाएंगे, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि जो कोटा स्टोन रामगंजमण्डी की धरती से निकलता है और उसके बाद जितना भी वेस्ट मैटेरियल, जो आज पहाड़ों के रूप में रामगंजमण्डी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

के आसपास की जमीनों पर देखने को हम लोगों को मिलता है, जिस तरह से चाहे चरागाह की जमीन हो, चाहे सिवाय चक हो, चाहे किसानों की जमीन हो, इतने बड़े पहाड़ के पहाड़ वहां पर बन चुके हैं, लेकिन आज तक हम उसके निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं बना पाये हैं। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी; वैसे हमारी मुख्य मंत्री महोदया भी बड़ी चिंतित हैं और 'रिसर्जेंट राजस्थान 2015' के माध्यम से जिस राजस्थान की धरती पर उन्होंने विकास की पहल की, जो शुरुआत की, उससे हमें भी लगता है कि कहीं न कहीं हमें भी कुछ न कुछ सम्बल मिलेगा। मैं कहना चाहती हूं कि आने वाले समय में, 4-5 साल के बाद, हम लोगों ने अगर इससे पहले ही विचार नहीं किया, तो आने वाले 4-5 साल में इस रामगंजमण्डी की धरती से पूरा कोटा स्टोन समाप्त हो चुका होगा। मात्र इतना-सा स्टोन हमारे पास बचा हुआ है। हम चाहते हैं कि जो वेस्ट मैटेरियल हमारा पड़ा हुआ है, कहीं न कहीं उसका उपयोग हो। वहां पर सीमेण्ट उद्योग लगें; वहां पर किसी भी तरह के कोई हमारे कुटीर उद्योग लगें; जो हमारी पालिश कोटा स्टोन से निकलती है, उसको भी हम किसी न किसी रूप में यूज करें। कहीं न कहीं, चाहे टाइल्स बनें, चाहे किसी और तरह की चीज बने, लेकिन उसका निस्तारण हो जाये। अगर ऐसा हमने किया, तो कम से कम 50 हजार हमारे मजदूर, जो रामगंजमण्डी की धरती पर रहते हैं, उन्हें आने वाले पांच साल बाद कहीं पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

मैं कहना चाहूंगी कि कोटा स्टोन का जो वेस्ट निकलता है, उसके पुन: उपयोग के लिए बहुत सारे हमारे विभिन्न उत्पाद बनाने के उद्योग भी लग सकते हैं। मात्र सरकार को थोड़ा-सा प्रोत्साहन देने की जरूरत है, थोड़ा-सा अनुदान देने की जरूरत है। इसके बारे में भी हम लोग सोचें।

मैं कहना चाहूंगी कि कोटा स्टोन के वेस्ट निस्तारण के लिए हम लोगों को कामन फैसिलिटी सेण्टर की भी आवश्यकता है। अगर इस तरह का कुछ होता है, तो मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां की जनता के लिए रहेगा और बहुत बड़ा अहसान वहां की जनता इस बात के लिए मानेगी।

मैं कहना चाहती हूं कि कोटा स्टोन की नगरी है। इतना खनन निकलता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा रायल्टी हम लोग देते हैं, लेकिन उसके

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बावजूद भी जो वहां की सड़कें हैं, किन हालातों में पड़ी हैं। मैंने सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया को भी पत्र से अवगत करवाया है और माननीय मंत्रीजी ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी, कहीं न कहीं सड़कों को बनाने के लिए भी जो रायल्टी की राशि आती है, कहीं न कहीं हम लोगों को देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सिडेंट्स हमारे होते हैं, उन दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी। यह मैं आपसे कहना चाहती हूं।

(17.00 बजे)

मैं मेरी इस मांग के मार्फत कहना चाहूंगी कि हमारी पंचायतों को जो हम लोग राशि देते हैं, उस राशि को भी हम लोग 2 परसेंट से बढ़ाकर, उस रायल्टी की राशि को भी अब 5 प्रतिशत पंचायतों को देना तय कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम वहां पर हो सकता है। अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि यह जो हमारी सी.एस.आर. स्कीम है, जो सामाजिक सरोकार के लिए उद्योगों को इंवेस्ट करना पड़ता है, उसके अन्दर भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ समय से इस तरह से हुआ है, पहले भी हम लोगों ने देखा था, कुछ न कुछ पंचायतों को हमारी इंडस्ट्रीज गोद लिया करती थीं, वहां पर विकास के काम करवाने का भी प्रयास किया करती थीं, लेकिन कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, अभी भी मैंने देखा कि हम लोगों ने, जो हमारी शौचालय वाली स्कीम चली स्वच्छता में, उसके लिए भी हम लोगों ने लोगों पर जबरदस्त इतना दबाव बनाया कि कैसे न कैसे हम इसमें भी हमारी पंचायतों को ओ.डी.एफ. करें। वहां पर पठारी एरिया है, तो 12 हजार रुपये में हमारे टायलेट्स नहीं बन पा रहे थे। हम लोगों ने मंगलम वालों से बातचीत की, इंडस्ट्रीज वालों से, और लोगों से भी चर्चा की, और जैसे-तैसे हम लोगों ने बना लिये। उन्होंने कहा कि दो-तीन हजार रुपये प्रति शौचालय का भुगतान हम लोग भी करेंगे, ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन बाद में ये हालात हो गये, जब हम लोगों ने चर्चा की, माननीय जिलाधीश महोदय ने, कोटा हमारा रेलवे स्टेशन है, वहां पर कुछ विकास कार्य करवाने के लिए उन लोगों को पाबंद किया है।

मैं कहना चाहती हूं कि जहां कहीं भी उद्योग लगे, वहां की धूल-मिट्टी हमारी स्थानीय पंचायतों की जनता खाती है। उन्हें कितनी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। हमारे किसानों की जमीन ली जाती है। वर्षों होने के बावजूद भी,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आज तक भी किसानों के नाम से जमीन बोलती है। आज किसान कहीं भी, क्योंकि वह जमीन उन्हीं किसानों के नाम से लगातार बोलती आ रही है, इस वजह से अगर वह किसान कहीं भी लोन लेने के लिए भी जाए, तो उसे किसी भी तरह का लोन भी नहीं मिलता। ऐसे में अगर स्थानीय लोगों को हम लोग रोजगार नहीं दिलवाते हैं, तो मैं यह मानती हूं कि यह बहुत बड़ा कुठाराघात हम उस जनता के साथ कर रहे हैं। जहां कहीं भी इंडस्ट्रीज हमारी लगें, लेकिन हमें उस गांव की पंचायत का, उसके आस-पास के गांवों का, वहां के आस-पास के लोग, जो हमारे बेरोजगार भाई रहते हैं, उन सबको रोजगार दिलाने की भी पहल हम लोगों को करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि रामगंजमण्डी के खनन क्षेत्र में जो हमारे माइनिंग इंजीनियर और फोरमैन एवं अन्य भी बहुत सारे पद हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगी और मैं यह कहना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में काफी समय से खनिज विभाग में विभिन्न पदों की भर्तियां नहीं होने के कारण जो हमारे माइनिंग इंजीनियर, फोरमैन के काफी पद रिक्त पड़े हैं, जिसमें विभाग का, मैं कहना चाहती हूं कि जिससे विभाग का इतना कार्य प्रभावित हो रहा है कि एक व्यक्ति के पास दो-दो, तीन-तीन पदों का कार्यभार होने की वजह से जो सम्बन्धित हमारे अधिकारी हैं, वे उक्त कार्यभार का बहाना बनाकर जनता और खनन मालिकों को भी परेशान करते रहते हैं, और यह खुद मैंने देखा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें, ये हालात मैंने रामगंजण्डी की धरती पर देखे हैं और विगत सात साल से देख रही हूं कि जो वहां के एम.ई. हैं, उन एम.ई. साहब की तो यह हालत है कि हमारे जो फोरमैन हैं, उनकी इतनी दादागीरी कि उनको कुर्सी तक भी नहीं बैठने देते। मैंने खुद ने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया और उन्होंने उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया, मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देती हूं। वरना वर्षों से, वहां के लोग हमारे इतने परेशान थे; मतलब, जो उनका व्यवहार था फोरमेन का, मैं तो कहना चाहती हूं कि समय-समय पर हम स्थानांतरण भी करते रहें; जो वर्षों से एक ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको भी हम लोग बदलते रहें, ताकि जनता को न्याय मिलता रहे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि रामगंजमण्डी का जो खनन क्षेत्र है, अवैध तरीके से जो रायल्टी वहां पर वसूली की जाती है, कहीं न कहीं हमें उस पर भी रोकथाम करनी पड़ेगी। प्रदेश में खनन क्षेत्र में होने वाली

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

रायल्टी ठेकेदारों द्वारा, लगातार अवैध वसूली की शिकायतें प्रति दिन प्राप्त होती हैं। ठेकेदारों द्वारा लगातार, चाहे गणेशजी के नाम से लें, चाहे हनुमानजी के नाम से लें, चाहे माताजी के नाम से लें, या चाहे भैरूंजी के नाम से लें, इस तरह से रसीदें बना-बनाकर अवैध तरीके से रायल्टी की चोरी भी करते हैं। यह मैंने खुद ने देखा है। अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों के सामने आया कि लगातार इतनी, अगर कुछ बोल भी दे कोई, तो इतना धमकाना कि आम जनता और छोटे-मोटे खनन उद्योगपति तो उनका कुछ, मुझे लगता है कि उनसे सामना भी नहीं कर सकते। इन सारी बातों की ओर हमें कुछ न कुछ एक नई पहल करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि इस पर भी हम लोग रोकथाम कर पाएंगे।

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि खनन क्षेत्र में जो हमारे कार्यरत मजदूर हैं, उनकी सुरक्षा, साधन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। मैं कहना चाहती हूं कि रामगंजमण्डी और पूरे प्रदेश में जो स्थिति खनन क्षेत्र में काम करने वाले, जो खानों में हमारे काम करने वाले मजदूर हैं, उनके परिवार हैं, उनकी दुर्दशा से हम सब भली-भांति परिचित हैं। हम लोगों ने देखा है कि विभाग और खान मालिक नियम बने होने के बावजूद भी, इतने नियम होने के बावजूद भी, उन मजदूरों को न किसी तरह की चिकित्सा की व्यवस्था वहां पर होती है, न किसी तरह से आवास की व्यवस्था वहां पर होती है, न शिक्षा की व्यवस्था होती है, ईवन जो हमारे खनन क्षेत्र में मजदूर रहते हैं, आज यह हालात हैं कि उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता। तो इस ओर भी हमें कुछ न कुछ पहल करनी पड़ेगी और ऐसा किया, तो उन मजदूरों का हम लोग बहुत बड़ा फायदा कर सकते हैं।

मैं साथ ही साथ आपसे कहना चाहती हूं कि जो हमारे कोटा में, मैं तो कहूंगी कि पूरे विश्व में विख्यात हमारी कोटा नगरी, लेकिन वर्तमान में जो हालात बने हैं, उन हालातों को अगर हमने हाथ में नहीं लिया और सुधारात्मक कदम नहीं उठाये, तो इस कोटा के लिए बहुत बड़ा कलंक साबित होगा। इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूं कि लगातार जो हमारे उद्योग वर्षों से चल रहे थे, आज सारे उद्योग बंद पड़े हैं और उन उद्योगों को अगर हमने चालू करने पर भी कोई विचार नहीं किया, या हम चालू करें या नहीं करें, लेकिन नये उद्योग अगर हम लोगों ने नहीं लगाये, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों को हो सकती है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आज हम आई.एल. की बात कर रहे थे, मेरे से पूर्व सम्माननीय भवानी सिंहजी भी बोल रहे थे, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी, राज्य सरकार का बिलकुल ध्यान आकर्षण मैं इस बात के लिए करना चाहूंगी, कोटा शहर के अविलम्बनीय और जन हित से जुड़े हुए इस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि जो 1960 के दशक से लेकर 1990 तक पूरे भारत में औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी विशेषता और पहचान रखता था, लेकिन कोटा के कई उद्योग एक के बाद एक लगातार करते-करते बंद होते जा रहे हैं। इसका हम लोग रोज देख रहे हैं कि जनता सड़कों पर है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और मैं मानती हूं कि कहीं न कहीं प्रदेश के आर्थिक विकास में भी यह रुकावट पैदा करेंगे। तो हमें कहीं न कहीं ऐसी पहल करनी चाहिए जिस तरह केरल की सरकार ने किया, वहां पर भी आई.एल. की तरह ही एक उद्योग हमारा हुआ करता था, उसको चलाने का जो कदम वहां की सरकार ने उठाया, उसी प्रकार हमारी राज्य सरकार को भी कहीं न कहीं ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो सैकड़ों की संख्या में हमारे वहां के मजदूर हैं, उन मजदूरों को कुछ संबल हम लोग दे सकें। मैं तो कहूंगी कि इतनी जमीन वहां पर आई.एल. की पड़ी हुई है और उस 10 हजार करोड़ की जमीन को, अगर उसमें से कुछ जमीन को हम लोग बेच दें, तो उस कर्जे को भी हम लोग चुका सकते हैं और राज्य सरकार को एक बहुत बड़ा उद्योग मिल सकता है। वह चलायें, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा; बहुत अच्छा काम कोटा के लिए हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे रामगंजमण्डी के अन्दर जो फतेहपुर इंडस्ट्रीज एरिया था, जहां की जमीनों को, जो हमारे किसानों की जमीन थी, उसको रीको ने लिया है। जो किसानों की जमीन ली, उन लोगों को भी अगर आज की तारीख में, आज के समय में जो हमारी डी.एल.सी. रेट है, उसके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वहां के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है।

इसके साथ ही साथ जो कोटा के आस-पास की जितनी भी हमारी वन विभाग की जमीन पड़ी हुई है, अगर हम चाहते हैं कि कोटा में इंडस्ट्रीज कायम हों, तो हमें लैण्ड-फार-लैण्ड कन्वर्ट करवाकर, जमीन के बदले जमीन देकर, कोटा के आस-पास की, जो हमारा रानपुर वाला एरिया है, उसमें अगर हम लोग उद्योग लगाएं, तो मैं मानती हूं कि यह कोटा के हित की बात होगी, और यह हमें करना भी चाहिए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही साथ, जो हमारे कोटा में जितने भी बंद उद्योग हैं, चाहे हमारी ओ.पी.सी. हो, चाहे जे.के. उद्योग हो, चाहे हमारा सेमकोर हो, चाहे गोपाल मिल हो, चाहे सुदर्शन हो, चाहे हमारी गत्ता फैक्टरी हो और चाहे केशोरायपाटन की शुगर मिल हो, इन सारी फैक्टरियों को हम लोग अगर चालू करने हेतु प्रयास करते हैं, तो मैं मानती हूं कि वहां की जनता हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतना गुणगान करेगी, मुझे लगता है कि उसे कभी भूल नहीं सकती। और मैं कहूंगी कि कहीं न कहीं इसके लिए भी हमें पहल करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग कौशल विकास की बात कर रहे हैं, स्किल डवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं और अगर ऐसे में हमारे वहां के नौजवान बंधु इतने शिक्षित होने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, सड़कों पर घूमते हैं, बेरोजगारी की ओर वे लोग दौड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है यह अच्छी बात नहीं है। इसकी भी हम लोग एक पहल करें, एक शुरुआत करें।

मैं कहना चाहती हूं कोटा स्टोन के लिए कि हमारे जितने भी कोटा स्टोन की इंडस्ट्रीज हैं रामगंजमण्डी में, आप देखिये, सारे हमारे कोटा स्टोन का व्यापार करने वाले बंधु बरसों से डम्पिंग यार्ड हेतु जमीन के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, क्या कारण हैं, सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब कोटा पधारीं तो उन्होंने वहीं पर कहा कि तुरन्त इसके लिये कार्यवाही की जाए, लेकिन न जाने क्या व्यवधान पैदा हो रहा है कि आज तक हम डम्पिंग यार्ड हेतु जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाये। मुझे लगता है कि अगर यह भी हमने नहीं करवाया, तो पूरा हमारा रामगंजमण्डी, हमारा नेशनल हाइवे 12 है, उसके आस-पास कोटा स्टोन का इतना वेस्ट मैटेरियल रोज हमारे व्यापारी बंधुओं द्वारा मजबूरी में डाला जाता है और जब हम लोग सड़कों से गुजरते हैं तो पाउडर की तरह कोटा स्टोन की स्लरी उड़ती है कि हम आंख भी नहीं खोल सकते। तो इसके लिए भी अगर हमने जल्दी से जल्दी प्रयास किया, तो मैं मानती हूं कि बहुत बड़ा काम हमारे लिए हो सकता है। साथ ही, जो मैं उद्योग की बात कर रही हूं, अगर यह हमने लगा लिया जो कोटा स्टोन का वेस्ट मैटेरियल हमारा पड़ा हुआ है, मैं मानती हूं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि वहां की जनता की रहेगी।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय से आपके

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल

माध्यम से। सी.एम. साहिबा तक भी आवाज पहुंचे कि वे वहां की जनता के बारे में सोचें और सोचकर विचार करें। जितनी भी सुविधा स्टेट गवर्नमेंट उनको दे सकती है, जितनी भी सब्सिडी के आधार पर हम लोग और भी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, तो मैं मानती हूं कि बहुत अच्छा काम हम लोग करेंगे।

मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 43-खनिज पर इस सदन में चर्चा हो रही है। उद्योग जगत के अन्दर, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, उद्योग लगाना सरकार के लिए अति-आवश्यक है, क्योंकि देश की और प्रदेश की तरक्की तब ही हो सकती है कि हमारे यहां पर औद्योगिक वातावरण अच्छा हो।

इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीमराणा, गिलोट, शाहजहांपुर और डी एम आई सी, अब सबसे पहले बहुत लम्बे समय तक विभाग से भी चर्चा, माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन और माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन किया। हम डी एम आई सी लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने इसमें 42 गांवों को चिह्नित किया और ये सारे 42 गांव मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में लगते हैं। अभी आपने 10 गांवों की भूमि अधिग्रहण की है और 10 गांवों की भूमि अधिग्रहण करने के बाद में, आज तक वहां का किसान चिन्तित है कि यह मुआवजा आप कब देंगे और इस मुआवजे की राशि कितनी-कितनी उनको मिलेगी। क्योंकि यह सन् 2012 से इस जमीन पर मुआवजे की कार्यवाही चल रही है और आज 2016 आ गया है, इस 2016 तक न वे अपनी जमीन बेच सकते हैं, और न ही उस पर किसी योजना के रूप में काम कर सकते हैं।

ऐसे में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि आप जमीन लीजिए, जमीन वहां लेने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और करते रहे हैं, लेकिन जिन किसानों की पहले जमीन गयी हुई है, जिन्होंने 25 परसेंट जमीन आज तक मांगी, उनको आपने गिलोट में नहीं दी, उनको आपने कोलीला में नहीं दी और अभी आप जिन 10 गांवों की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं, उसमें आपने जमीन को चिह्नित नहीं किया कि आप यह 25 परसेंट जमीन, जिन्होंने एप्लिकेशन लगायी है, उनको कहां देना चाहते हैं। अब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। वहां पर जब तक वहां के किसान को आप साथ बिठाकर, उनसे बातचीत नहीं करेंगे मुआवजे की राशि के बारे में और जमीन के बारे में, तब तक यह योजना आपकी कामयाब होने में बड़ी भारी दिक्कत पैदा होगी।

अब 32 गांवों में, जिनका अभी आपका कोई लेना-देना ही नहीं, उन 32 गांवों में भी किसान की कोई योजना, अगर वह कहीं मंजूर कराने जाता है, तो डी एम आई सी पहले आ जाती है। जब आपके 10 गांव की जमीन पर अभी कोई कार्यवाही की नहीं, तो बाकी के 32 गांव हैं, वे कब तक आपका इन्तजार करेंगे कि कब आप इस योजना में जमीन भूमि अधिग्रहित करेंगे और कब उनकी जमीन का मुआवजा मिलेगा। आज वह किसान बहुत चिन्तित है। वह कहता है, क्योंकि 42 के 42 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, हम आपका पूरा सहयोग करने के लिये तैयार हैं और ऐसे में जब हम उस किसान के पास जाते हैं तो वह कहता है कि मुआवजा कब मिलेगा? क्योंकि उसने भी आगे कोई जमीन खरीदी हुई है, वह भी आगे उस जमीन का पेमेंट करना चाहता है। उनको हम कहते हैं कि मार्च में पेमेंट हो जाएगा, फिर कहते हैं कि अप्रैल में पेमेंट हो जाएगा।

तो आज आपका उत्तर देंगे, तो उस उत्तर में बतायें कि जमीन का मुआवजा कब तक मिल जाएगा और आगे बचे हुए गांवों की जमीन के बारे में, इसमें क्या योजना आपकी है। उस योजना के बारे में जब आप बताएंगे, तो उस क्षेत्र के 42 गांवों की जनता, जो किसान हैं, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो इतनी बड़ी स्कीम है, इसको पूरा करने में, और वहां के किसान का भी सहयोग लेंगे और इस जमीन के बारे में आप यहां पर खुलासा करेंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में गिलोट भी आता है। गिलोट में भी आपने जमीन नहीं दी और वहां पर जो पैसा खर्च किया अब तक, वहां पर जो सड़क बनायी थी, आज वहां पर सड़क नाम की चीज नहीं है। वहां पर जो मिट्टी भराई का काम किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। वहां पर जो नालियां बनीं, साइड में नाले बनाये, वे छोटी साइज के बना दिये। अब एक अफसर को वहां से बदल

(श्री धर्मपाल चौधरी)

दिया। जांच चल रही है, कब जांच पूरी होगी? कब दोषियों को सज़ा मिलेगी? आज वहां पर आप कोरिया और जापानीज को ले जाना चाहते हों। वह वहां पर जाकर देखता है कि आज यह हालत है। तो कौन बाहर का आदमी आकर उद्योग लगाएगा? इसलिए आपसे यह भी निवेदन है कि इसकी जांच कराइये और उन किसानों को, जिनकी जमीन गयी है, जिन्होंने राशि कैश नहीं लेकर, 25 प्रतिशत जमीन आपसे चाही है, उनको जल्दी से जल्दी जमीन आप उपलब्ध करायें।

इसके साथ ही, इससे पहले जो जमीन हमने एक्वायर की थी, उस जमीन का पेमेंट जिन्होंने ले लिया, उन्होंने तो ले ली और बकाया कोलीला जोगा और कोलीला की जो जमीन गयी है, कुछ जमीन रीको ने ली है, कुछ जमीन हाउसिंग बोर्ड ने ली है, उन लोगों को भी आज तक जमीन वहां पर चिह्नित करके नहीं दी। तो क्या चाहते हैं आप वहां के किसान से? एक तरफ दिल्ली के नजदीक...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप हमें क्यों धमका रहे हों? हमारा राज थोड़े ही है। (व्यवधान)...

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपको कौन धमका रहा है, साहब? और कहां धमकी में आते हों आप? (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): परफोर्मेंस अच्छी बताओ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): परफोर्मेंस अच्छी ही बता रहे हैं।

वहां पर हमने औद्योगिक वातावरण बनाया; वहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वे कामयाब हों, इसके लिए हमने वहां पर ट्रक यूनियन को तोड़ा। आज जिस तरह से दो लाख का ट्रक वहां पर करोड़ों रुपये का माल लेकर जाता था और वहां पर जिस तरह से जो फैक्टरियां हैं, वे चलती रहें, क्योंकि कुछ फैक्टरियां ऐसी हैं कि जिनमें कम्पीटिशन बहुत ज्यादा है, किराया ज्यादा होने के बाद वे नहीं चल सकतीं, उसका काम हमने किया है।

अभी गिन्नी के यहां फैक्टरी में चार मजदूर वहां पर मर गये थे। हमने बीस लाख रुपया एक मजदूर को दिलाकर, चार मजदूरों को 80 लाख रुपये का मुआवजा उस जगह फैक्टरी मालिक से दिलवाया। फैक्टरी मालिक से; सरकार से नहीं। सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, फैक्टरी मालिक ने दिया। वह धागे की फैक्टरी है, 750 मजदूर अन्दर काम कर रहे थे। अगर वहां कोई

(श्री धर्मपाल चौधरी)

भी हादसा हो जाता, तो जिस तरह से खुशखेड़ा और वहां पर जो झगड़ा हुआ, वहां पर यह झगड़ा होता। उसको मिटाने का हमने काम किया है और वहां पर उनको मुआवजा दिलवाया।

सबसे बड़ा, जो अवैध अतिक्रमण वहां पर कर रखा है, नीमराना के अन्दर जो पार्क हैं उन पार्कों में बिहार के और दूसरे प्रदेशों से जो लेबर आयी हुई है, पार्कों में ही अतिक्रमण कर रखा है और 'स्वच्छ भारत' का सपना जो हमने ले रखा है, वे लोग वहीं पर लैट्रिन जाते हैं और जो प्रदूषण का पानी फैक्टरियों से निकलता है वह उन पार्कों में जमा है। रीको की जमीन पर, सड़कों पर अतिक्रमण हो रखा है। एक दफे सी.एम. साहब गयी थीं, तब उस पूरे अतिक्रमण को हमने हटवा दिया था। उसके बाद दोबारा वे लोग अतिक्रमण करके वहां बैठे हैं। उनको हटाने का काम करेंगे। जो फैक्टरियों की लेबर है, उन फैक्टरी मालिकों को कहकर वहां पर अवैध तरीके से कब्जा करके जो मजदूर रह रहे हैं उनको हटाने का काम करेंगे, जिससे 'स्वच्छ भारत' का जो सपना है, वह नीमराना में भी पूरा हो सके।

अब माननीय सपोटरा से आने वाले विधायक जी कह रहे थे, चोरी, अवैध, बहुत-सी बातें कहीं। मैं पहले आपको कह रहा था ...

श्री रमेश (सपोटरा): इधर ध्यान मत दो, दिल्ली की तरफ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): दिल्ली की तरफ तो ध्यान है। पहले मैं कह रहा था कि शीशे के महल हैं, तो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मंडरायल के अन्दर जो जमीन पर अवैध कब्जे हैं, माननीय मंत्रीजी, आप उनकी भी जांच कराकर कि कौन, किसने कब्जा कर रखा है...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): जांचें करवाओ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपका तो नाम नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आज ही करवाओ। आपको गलत सूचना दी है किसी ने।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं यह कह रहा हूं, मैंने आपका कोई नाम नहीं लिया।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, नाम लो, या मत लो...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपने कहा, चोरी और ...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): चोर की दाढ़ी में तिनका। काहे के लिए खड़े हों? आपका नाम ही नहीं लिया।

श्री रमेश (सपोटरा): यह कह रहा हूं, जांच करवाओ। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): किस की? आपकी?

श्री रमेश (सपोटरा): आपकी करवा लो। फैक्टरी की, किसी की ही करवा लो। मेरी करवा लो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): काहे के लिए खड़े हुए बीच में? बीच में बोलते क्यों हों, बिना बात ही? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जांच करवा लेंगे आपकी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना सहयोग है, वह वहां की जनता और किसान देना चाहते हैं, लेकिन जो उनका हक है, उन्होंने 25 परसेंट जो जमीन मांगी है, अगर उस जमीन को आप सही जगह पर दे देंगे, तो आपको पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी और उन लोगों को जमीन भी मिल जायेगी। लेकिन यह विश्वास इसलिए खतम हो चुका कि पहले दो जगह जो जमीन एक्वायर की, उसमें किसान को आज तक जमीन नहीं दी। आप वहां पर जितनी मदद चाहेंगे, क्योंकि उस औद्योगिक क्षेत्र को हम पनपाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां से ज्यादा हरियाणा में जो बार्डर क्षेत्र है, वहां पर उद्योग इसलिए आ रहे हैं कि उनको वहां पर औद्योगिक वातावरण ठीक मिल रहा है। उसके बगल में लगता हुआ हमारा क्षेत्र है। जो चीज किसान का हक है, अगर हम देंगे, तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और जो योजना है डी.एम.आई.सी. की, वह पूरी हो जायेगी। बाकी जगह भी जो जमीन आपने एक्वायर की है, जहां पर आप जापानी और कोरियन को लाना चाहते हैं, हम एक ऐसा वातावरण चाहते हैं, एक ऐसा वातावरण वहां है जहां पर अभी भी कोई भी गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं होती।

(17.24 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह महज इसलिए कि हम सब जन-प्रतिनिधि मिलकर, कि वहां पर ऐसा वातावरण नहीं बने जिससे वहां पर निवेश नहीं हो। अगर वहां पर निवेश

(श्री धर्मपाल चौधरी)

करना चाहते हैं, वहां पर आप जो सपना लेकर चले हैं, वह तब ही पूरा होगा जब किसान को उसका हक मिलेगा।

अब खनिज विभाग के ऊपर भी अपने दो शब्द कहना चाहता हूं। राज चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बी.जे.पी. का हो, कांग्रेस के राज में हमारे यहां के जो मंत्रीजी थे, वे उस क्षेत्र से आते थे जहां पर अतिक्रमण, पांच-पांच हजार ट्रक रोज अवैध खनन होता था और जिसके कारण से हाई-वे भी बंद रहता था। पूरे जिले में अवैध खनन होता था। आज हमारी सरकार बनने के बाद में उसको रोकने की कोशिश की है, उस ओर कदम बढ़ाया है। आज हम यह नहीं कहते कि बिलकुल नहीं होता, लेकिन जो पहले हो रहा था, उसको हम काफी हद तक ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक खानों की बात है, वहां पर उस समय किन-किन लोगों को खान मिली, क्योंकि वे यहां पर सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहता; अगर उसकी जांच करा लेंगे, तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी, एक राष्ट्रपति का पद हमारा सर्वोच्च पद होता है, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर नीचे तक, आपके राज में, जो एम.एल.ए. भी नहीं थे, जिनको रामगढ़ वाले माननीय विधायकजी ने हराया था, उन तक लेकर, सब की कितनी-कितनी खानें हैं और आपके अशोक गहलोतजी ने कितनी खानें अलाट कीं, उनको कैंसिल ...

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्षः असंसदीय शब्द को निकाला जाए, या इनको निकाला जाए?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: +++

इसको अपलिखित कर दीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: गलत बात क्या है इसमें?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा दोनों ही माननीय सदस्यों का आपस में इस प्रकार का कोई ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: चलिये, आज उस जीव पर भी महत्वपूर्ण बहस हो गयी; नहीं तो उनको कहां यह अवसर मिलता होगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य। जो सदस्य हमारी बगैर अनुमति से बोले हैं, उनका नाम तो अंकित होगा कि नहीं होगा। उनका वक्तव्य तो अंकित होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो बार-बार आसन की अवहेलना करते हैं, उनको मैं यह भी समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि बहुत कुछ अंकित आपका न हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो

(श्री धर्मपाल चौधरी)

खान महकमा है, इसमें कांग्रेस के राज में जो इन्होंने खानें अलाट कीं, उसमें कितनी-कितनी खानें अपने आदमियों को अलाट कीं, उसकी तो लिस्ट है।

आपने तो खूब चार्ज लगाया था मुख्य मंत्रीजी पर, माथुर आयोग बनाकर, क्या हुआ आपका? रोज बैठकर के कहते थे कि 5 हजार करोड़ खा गयीं, 50 हजार करोड़ खा गयीं, क्या निकला उसका परिणाम? जांच चल रही है और रिकार्ड में है जिनके पास भी खान हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि शीशे के महल हैं, इसमें आपस में बैठकर के हम कहें कि आप चोर हो, आप कहो हम चोर हैं, और दूसरे लोग देख रहे हैं। वे मजा ले रहे हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि जिसका मौका लगा, आपका मौका लगा तो आपने दे दी। लेकिन इस बार जो हमारा राज चल रहा है, जो अफसर जेल में हैं, वे आपके राज में भी इसी पद पर रहे हुए हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि अफसर कहां लगें और कहां नहीं लगें। अफसर की पोस्टिंग तो होती है, चाहे कांग्रेस का राज आये और चाहे बी जे पी का राज आये। यह तो है नहीं कि कोई आई ए एस अफसर बना है, तो उनके रिकार्ड में लिखा है कि यह कांग्रेस के राज में लगेंगे, बी जे पी के राज में नहीं लगेंगे। ये सब बातें नहीं, हम सार्थक बहस करें। बीच-बीच में, ठीक है, हंस-बोल लेते हैं।

हमारी सरकार बनने के बाद में, आपने कहा कि मंत्रीजी भाग रहे थे, कहां भाग रहे थे? मंत्रीजी तो यहीं बैठे हैं। अब अख़बार वाला कोई गलत बात पूछे और उसको जवाब नहीं देना चाहें, तो नहीं दें। यह कोई जरूरी थोड़े ही है कि कोई आपसे पूछें और आपको उस बात का जवाब देना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, जो दोनों मांगें हैं, इनकी जितनी भी राशि है, वह स्वीकृत की जाये। उसका समर्थन करता हूं। दोनों मंत्री महोदय, सबसे ज्यादा उद्योग मंत्रीजी से, क्योंकि हमारा उन 42 गांवों में जाना-आना है; यह इतनी बड़ी समस्या है, आप इसमें स्पष्ट कर दो कि आपने 42 गांवों में से 10 गांव लिये हैं, आप कितने गांवों में मुआवजा देना चाहते हो? और बचे हुए गांवों को कब दोगे? नहीं तो, इन बाकी बचे हुए गांवों को आप डी एम आई सी से मुक्त कीजिये, जिससे कि किसान को राहत मिल सके। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती राजकुमारी।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42 और 43 पर सदन में सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपनी बात को रखा। दोनों ही जो मांगें हैं, वे मेरे जिले के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारे करौली जिले में खनन क्षेत्र 3 तहसीलों में आता है, हिण्डौन, करौली और सपोटरा, जिसका लाल पत्थर पूरे राजस्थान में ही नहीं, देश के कोने-कोने में और विदेशों तक जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रही हूं, मैं पैदा भी उसी क्षेत्र में हुई हूं। भाई रमेशजी सपोटरा से सदस्य हैं और ये दूसरी बार वहां से चुनकर आये हैं। सबसे बड़ा खनन एरिया इनके क्षेत्र में आता है। जब ये बोल रहे थे तो मैं इनका भाषण सुन रही थी। ये पूरे राजस्थान और देश की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने विधान सभा क्षेत्र सपोटरा का जिक्र नहीं किया। मैं जब भी देखती हूं, तो यह राजस्थान की और देश की बात करते हैं। जिस जनता ने इनको यहां चुनकर के भेजा है, जब ये ब स पा से चुनाव जीतकर के आयें, तो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, इनके विधान सभा क्षेत्र में बुगडार गांव में मेरा मायका है...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज मायका के और सबकी पूरी बात बता दो।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): उस क्षेत्र में पूरे ही खनन मजदूर रहते हैं। आसपास के एरिये में जो खनन मजदूर रहता है, उसकी व्यथा मैं यहां बयान कर रही हूं। मैं उस तबके से हूं, जो एस सी, एस टी के लोग ज्यादातर वहां खनन मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं। आज भी जब मैं हिण्डौन से विधायक हूं, तो मेरे पास उनके फोन आते हैं कई बार। हमारे इस क्षेत्र में सिलिकोसिस नाम की बीमारी चल रही है, जिसके लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में भी प्रावधान किया है। इस सरकार ने काफी संख्या में लोगों को बीमारी होने के बाद में मुआवजा दिया है। वे लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं। मैं रमेशजी भाई साहब को कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों की भी मदद करें। राजस्थान की चिंता बाद में करें, अपने क्षेत्र की चिंता पहले करें, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि आज उस क्षेत्र के अन्दर 30 और 40 साल की उम्र में महिलाएं विधवा हो जाती हैं। आप सर्वे करवा लीजिये, मेरी बात में सत्यता मिलेगी। ऐसे पचासों गांव हैं उस क्षेत्र में इनके

(श्रीमती राजकुमारी)

विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, जिनमें 20, 25, 30 साल की विधवा महिलाएं 70 परसेंट मिलेंगी। आपके सेक्रेटरी महोदय से पूछ लीजिये, उन्होंने एक गांव में दौरा किया, तो वे मुझे बता रहे थे कि बहनजी, मैं आपके एक क्षेत्र में गया था, जिसमें सारी महिलाएं, 80 परसेंट उस गांव में विधवा महिलाएं देखीं। उस क्षेत्र में जितना विकास किया जाये, उतना ही कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई चीजों का जिक्र करना चाहूंगी। मेरा गांव है बुगडार, जब मैं जिला प्रमुख थी, तो वहां मैंने पी एच ई डी की एक योजना सैंक्शन करायी, आप जांच करा लीजिये पी एच ई डी के माध्यम से, वह योजना आज 10-12 साल से बंद पड़ी हुई है, लेकिन हमारे एम एल ए साहब ने कभी उसके बारे में जिक्र नहीं किया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सुन लो आज पूरा। आज पूरी जन्म पत्री आयेगी।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): इन्होंने जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ये उस समय सत्ता में एम एल ए रहे, कांग्रेस की सरकार में संसदीय सचिव रहे, उस योजना को चालू नहीं करा पाये। आज उस गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, मैंने सपोटरा का जिक्र इसलिए किया है कि जिले का सबसे ज्यादा खनन एरिया सपोटरा और करौली में आता है, हिण्डौन में बहुत कम आता है, लेकिन करौली, सपोटरा इस क्षेत्र से जुड़े हुए एरिये हैं। हिण्डौन जो शहर है, इसमें इस क्षेत्र से जो खनिज निकलता है, उसकी बहुत बड़ी मंडी है। हिण्डौन एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां जिले के जितने व्यापारी हैं वे यहां हैं और जितनी भी फैक्टरियां हैं वे हिण्डौन के अन्दर हैं।

उद्योग मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में जो इतना अधिक लाल पत्थर निकलता है, दिल्ली में जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं और जयपुर की बिल्डिंगों में भी जो लगा हुआ है, वह करौली का पत्थर लगा हुआ है। इसके बारे में कभी भी किसी सरकार ने नहीं सोचा। हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने उद्योगों के विकास के लिए, राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों में लाने के लिए अभी बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें देश-विदेश के उद्योगपतियों ने भाग लिया।

मैं कहना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे करौली जिले में

(श्रीमती राजकुमारी)

कोई ऐसी फैक्टरी खोली जाये जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। हिण्डौन जो शहर है, वह बड़ी लाइन, दिल्ली-मुम्बई लाइन से जुड़ा हुआ एरिया है। तो यहां हमारे इस जिले का विकास हो सकता है। यहां कोई बड़ी फैक्टरी लग जाए, तो निश्चित रूप से इस एरिया के लोगों में जो बेरोजगारी फैली हुई है, यहां का आदमी मजदूरी करता है, लेकिन उद्योगों से वंचित है; वह मजदूरी करके अपना पेट पालन करता है। उनको भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वह समस्या क्या है, जैसे कि खनन मजदूर पत्थर की खान पर काम करता है और उस पीरियड में वन विभाग द्वारा उसको परेशान किया जाता है। कई बार वन विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी उठाकर उनको थाने में बंद कर देते हैं और वहां उनको नाजायज परेशान किया जाता है। इसलिए मैं वन मंत्रीजी को भी यहां कहना चाहूंगी, मांग में, इन्हीं के पास यह डिपार्टमेंट है, कि इस तरह के जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनको स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए कि जो जिस विभाग का काम है वही उस विभाग को करे। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी अननेसेसरी खान मजदूरों को थानों में बंद कर देते हैं और उनसे चौथ-वसूली करते हैं। सरकार कोई भी हो, लेकिन यह हमेशा से वहां चलता आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में जो मैंने जिक्र किया कि महिलाएं 25 साल की उम्र में विधवा हो जाती हैं और उनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, चार-चार, पांच-पांच बच्चे उनके पीछे होते हैं, उनको कोई रोजगार का साधन नहीं होता। उन महिलाओं की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे अपनी रोजी-रोटी के लिए बहुत बुरी तरीके से मोहताज हो जाती हैं। तो उन महिलाओं के लिए भी जो पेंशन सुविधा है, वह जो भी महिला विधवा होती है, उसकी एक तो पेंशन बननी चाहिए। नियमों में कई बार ऐसी बात होती है कि 18 साल के बच्चे के कारण उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। तो इस क्षेत्र के खनन एरिये में जो मजदूर सिलिकोसिस बीमारी से खतम हो जाते हैं और वे अपने बच्चों को अनाथ छोड़ जाते हैं, ऐसे परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का भी प्रावधान होना चाहिए।

इसी तरीके से, हमारे हिण्डौन के अन्दर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फैक्टरियां हैं, जैसे पाइप की फैक्टरियां हैं,

(श्रीमती राजकुमारी)

स्लेट की फैक्टरियां हैं, स्लेट की फैक्टरियां हमारे हिण्डौन में जो हैं, वह पूरे देश में सप्लाई होती है और देश ही नहीं, विदेशों में भी उसका काफी लम्बे समय से निर्यात होता है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अभी हमारी तरफ सरकार का ध्यान कभी नहीं रहा कि कोई बड़ा उद्योग यहां लग सके।

अभी कंटेनर डिपो हिण्डौन में बना है, उसके लिए भी बहुत सारे किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि उसके बारे में भी विचार करें कि जिन किसानों की जमीन इस कंटेनर डिपो में ली गई है, उनको पूरा मुआवजा अभी तक क्यों नहीं मिला है? जो रेट है उस जगह, करोड़ों रुपयों की जमीनें हैं, जिनकी बहुत कम मुआवजा राशि दी जा रही है। बहुत सारे किसानों ने तो यह मुआवजा लिया ही नहीं है। इसकी आपके डिपार्टमेंट से आप जानकारी कराएं कि इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग के बारे में मैं कुछ और बातें कहना चाहूंगी। डिमार्केशन के कारण वहां का जो मजदूर वर्ग है, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फोरेस्ट डिपार्टमेंट तो कहता है कि यह जमीन हमारी है और खनिज विभाग कहता है कि जमीन हमारी है। वहां से जो पत्थर निकल रहा है और जो गाड़ियां माल से भरकर जाती हैं, रास्ते में वे रात को निकालते हैं, तो रात में उन गाड़ियों को रोक दिया जाता है और अननेसेसरी उनसे पैसा वसूल किया जाता है। यह काफी लम्बे समय से इस क्षेत्र के लोगों की प्रोब्लम चली आ रही है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि ऐसे क्षेत्र में डिमार्केशन कराया जाए; फोरेस्ट का जो एरिया है और खनिज का जो एरिया है, उसका डिमार्केशन निश्चित रूप से होना चाहिए, जिससे वहां के मजदूरों को राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जब खनिज विभाग इनको रवन्ना अलाट कर देता है और रवन्ना अलाट करने के बाद जब गाड़ी माल लेकर आती है, तो उन पर रवन्ना होने के बावजूद भी उनका चालान कर दिया जाता है। वह किस नियम के तहत यह डिपार्टमेंट कार्यवाही करते हैं? इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। इसके कारण वहां बहुत बड़ी प्रोब्लम है, क्योंकि वहीं के लोगों की वहां खानें हैं।

अभी जो खनिज नीति बनाई गई है, उसमें केन्द्र ने जो भी प्रावधान

(श्रीमती राजकुमारी)

किये हैं, उनको हमारी राजस्थान सरकार को भी लागू करना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और मांग संख्या 43 पर आज मुझे मेरी अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, निवेदन करना चाहूंगा, जैसे इस बार सदन की नेता और प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट 2016-17 में सबसे प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है और अंकित ही नहीं किया, उसको इस तरह से व्यक्त किया है कि वह बजट का सबसे महत्वपूर्ण अंग था; उसको विभिन्न नामों से भी पुकारा है और लिखा है, 'रिसर्जेंट राजस्थान, उसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक सवाल है, हमने बहुत गहराई से इस बात को सोचा भी, उसमें लिखा है, 'रिसर्जेंट राजस्थान', में कि प्रदेश में जब तक उद्योगों की स्थापना नहीं कर पाएंगे तब तक प्रदेश का चहुंमुखी विकास सम्भव नहीं है। साथ ही यह भी लिखा कि देशी ही नहीं, इस प्रदेश के लोग ही नहीं, विदेश के लोग भी यहां निवेश के लिए आ रहे हैं। हम सारे प्रदेशवासियों को पता है, माननीया मुख्य मंत्रीजी की बहुत बड़ी चिंता थी, चुनाव होने के तुरन्त बाद बहुत-बहुत दिनों तक विदेशों की यात्राएं महज इसलिए उनको करनी पड़ी थीं कि निवेशकों को बुलाया जाए इस प्रदेश में। बार-बार गये, परेशानी भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी, खर्चा निश्चित ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी करीब ढाई सौ, तीन सौ करोड़ रुपये का खर्चा 'रिसर्जेंट राजस्थान' के प्रोग्राम पर किया। होता ही है, जब हमारे घर में भी कोई मेहमान आते हैं, तो उनकी व्यवस्था में भी पैसा खर्च तो होता ही है। यह तो बहुत बड़ी बात थी, राजस्थान प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और उद्योग धंधों की स्थापना के लिए था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बार-बार जो बात खलती है, वह यह कि यह देश जब तीन सौ वर्ष से लगातार गुलाम रहा और गुलामी का जब अंतिम पड़ाव इस देश की आजादी से पहले 1947 तक था और उसको मैं कहूं कि अंतिम पड़ाव राज के रूप में ब्रिटिश शासकों का था और ब्रिटिश शासक, मैं दूसरे शब्दों में कहूं, तो ईस्ट इंडिया कम्पनी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री पूरणमल सैनी)

जब इस देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी आई तो वह भी कोई न कोई बिजनेस और व्यापार करने के लिए ही आई थी और धीरे-धीरे इस देश पर इतना बड़ा कब्जा उन्होंने किया कि उनसे इस देश को गुलामी से हटाते हुए वर्षों हमारे देश-भक्तों को लग गये।

मेरा इसमें सवाल है कि निवेशकों को तो स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन कभी यह नहीं हो जाए कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह, प्रदेश के सारे विभाग धीरे-धीरे करके पी पी पी मोड के माध्यम से और सारे के सारों को प्राइवेट सेक्टर में स्थानांतरित किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि जो भी रेवेन्यू सरकार को आता है, उसमें से हिस्सा डाल-डालकर अपने विभागों की योजनाओं को चलाया जाता है, लेकिन जब विदेशी निवेशकों को हम यहां भूमि उपलब्ध करवा देंगे और जब वे अपना व्यापार यहां स्थापित कर देंगे और हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार दे देंगे, क्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन वह स्थिति नहीं आ जाएगी कि वे विदेशी कम्पनियां 1947 की आजादी को, दुबारा इस प्रदेश को और गुलाम नहीं बना लेंगी?

इसमें मेरा एक सवाल है और साथ ही सुझाव भी है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी भी है, निवेशक वे होंगे जिनके पास बहुत बड़ा धन है, लेकिन इसमें सुझाव है, सरकार विभिन्न विभागों में ऐसा कर भी रही है; जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में छोटे स्तर पर समूह का निर्माण करके उनको विभिन्न बैंकों की ब्रांचों के माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसी प्रकार इस प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे हैं, मानो कि एक बिजनेस को 400 करोड़ रुपये में स्थापित किया जा सकता है, तो बाहर से विदेशी निवेशक जो आ रहा है वह अकेला 400 करोड़ रुपया लेकर आ रहा है, लेकिन राजस्थान प्रदेश की जनता में ऐसे उद्यमी, 100-100 करोड़ वाले चार लोगों को मिलाकर, एक समूह बनाकर, उन लोगों से उन व्यवसायों को माध्यम बनाते हुए, उनके द्वारा इस प्रदेश की धरती पर निवेश कराया जाय, तो मेरे ख्याल में उपयुक्त होगा।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने, पिछली बार भी सदन में हमने रखा, आजादी के 69 वर्ष तक बहुमत में राज कांग्रेस पार्टी ने किया। उद्योग से सम्बन्धित कोई शिक्षा, अर्थात् जिसको माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 'कौशल शिक्षा' का नाम दिया, अगर यह बहुत पहले से होता; इस प्रदेश में

(श्री पूरणमल सैनी)

बी पी एल का सर्वे कराया जाता है, जो बहुत पहले से हो रहा है। बी पी एल सर्वे में जिन लोगों का चयन उस पावर्टी लाइन से नीचे कर लिया जाता है, उनको सरकारों द्वारा केवल 35 किलो गेहूं मासिक रूप से उपलब्ध कराते हुए, छोटे-मोटे जो भी साधन हैं, अर्थात किसी के पास भवन नहीं है गरीब बी पी एल वाला, तो उसको 180 वर्ग फीट छत उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकारों ने किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा, क्या वे ही सरकारें वर्षवार जब बी पी एल की सूची बनवाती रहीं, उन परिवारों के बच्चे-बच्चियों को स्किल एजुकेशन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करते, तो क्या इस प्रदेश और देश में ये हालात देखने को मिलते?

इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और पुरजोर तरीके से सरकार को कहना चाहूंगा कि दुबारा इस पर विचार किया जाय, बाहर के निवेशकों की बजाय, यहां राजस्थान प्रदेश और देश के लोगों में ही बहुत बड़े पूंजीपति हैं, उनका समूह बनाकर प्रोजेक्ट खुलवाये जाएं, उद्योग यहां लगाये जाएं।

दूसरा, उद्योग के क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि जब-जब सरकारें आती हैं, तो वे अपनी-अपनी सोच लेकर आती हैं और उद्यमियों को निवेश कराने के लिए निश्चित रूप से उनको भूमि उपलब्ध करानी पड़ती है। उसके साथ-साथ विभिन्न सुविधाएं, जिनको हम मूलभूत आवश्यकताएं तो कम से कम कह सकते हैं, वे उपलब्ध करानी पड़ती हैं। उन मूलभूत आवश्यकताओं की उद्यमियों को पूर्ति के लिए हम कहीं बात करें, उनमें काम करने वाले, रोजगार करने वाले लोगों के लिए बात करेंगे, तो आज राजस्थान प्रदेश में लिग्नाइट के खतम हो जाने से बिजली के लिए, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जैसे पानी की उपयोगिता है, उतनी ही बिजली की उपयोगिता है। आज राजस्थान प्रदेश में लिग्नाइट की कमी के कारण बिजली का बहुत बड़ा अभाव है। इसके लिए भी सरकार को बाहर के निवेशकों को बुलाने के साथ-साथ विचार करना चाहिए। विचार कर रहे हैं कि पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा के माध्यम से, एक आदमी जो बाहर का आ रहा है, वे बहुत बड़ा निवेश, 500-500 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। उन 500-500 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, उनके बजाय यहां के लोगों का समूह बनाकर, उस क्षेत्र में भी लोकल लोगों को, प्रदेशवासियों को इसमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की

(श्री पूरणमल सैनी)

जरूरत होती है। वह भूमि हमारे प्रदेश के किसानों से एक्वायर की जाती है। सरकारें जब अच्छी सोच लेकर आती हैं कि इस धंधे के लिए, या फलां शहर, या फलां जिले में भूमि एक्वायर की जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कल-परसों भी यहां प्रश्न काल में बात चल रही थी कि 'सेज' के लिए बी जे पी के राज में जयपुर में काफी बड़ी भूमि का अधिग्रहण किया गया और उसका उद्देश्य बदलकर, निवेशकों की बजाय, जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उस उद्देश्य के लिए काम में नहीं ली जाकर उनकी प्लाटिंग की जा रही है। ऐसा अगर किसान के साथ होता रहेगा, तो, मेरे ख्याल में, यह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाये, वह काफी बड़ी सोच के साथ, मजबूती के साथ कदम उठाये, ताकि उन कृषकों को यह नहीं लगे कि कल हमारी भूमि किसी दूसरे उपयोग के लिए ली गयी थी, अब काम में दूसरे उपयोग में ली जा रही है। ऐसा नहीं हो, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय, जो आज की मांग खनन है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी खनन का कार्य काफी तीव्रता से और बहुतायत में हो रहा है। इसमें जहां खानें खोदी जा रही हैं, उससे केवल 50 मीटर दूर हमारा घर है। हम बखूबी से उनको जानते हैं। मैं माननीय खान मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में खानों का आबंटन जहां-जहां भी करते हैं, वहां आबादी का जो नियम बना हुआ है उसमें यह है कि जो राजस्व रिकार्ड में आबादी आयी हुई है, उन्हीं को आबादी माना जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा गांव के रूप में बसा होगा। 200-300 की आबादी के जो घर होते हैं, उनको आबादी में काउंट नहीं किया जाकर, उनके जस्ट 40-50 मीटर की दूरी पर ही खानों का आबंटन किया जाता है। इसमें भी अगर कहीं सम्भावना हो, तो नीति में फर्क करें।

साथ ही, जिन गांवों में, जिन ढाणियों में, जिनके पास पहाड़ी होती है, उसमें खनन का कार्य जब किया जाता है तो हैवी ब्लास्ट की अनुमति वे लोग लेकर आते हैं; या फिर एकाध आदमी, 50-50 की संख्या में लीज एक साथ होती है, 2-3 लोगों ने, खनिज मालिकों ने भारी ब्लास्टिंग की अनुमति ले ली, लेकिन उसकी जांच करने वाला वहां होता नहीं और हैवी ब्लास्टिंग का काम

(श्री पूरणमल सैनी)

करते हैं। तो वहां के किसान, मजदूर, गरीब लोग, जो उन पहाड़ियों के सहारे निवास करते हैं, उनके सारे घरों को खण्डहर उन खनिज मालिकों द्वारा बना दिया जाता है। इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय खान मंत्री महोदय थोड़ा अमल फरमाएं।

तीसरा, वहां से जब उस खनिज के द्वारा पैदा की गई सम्पदा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो साधन उपयोग में लाये जाते हैं, वे वहां के रास्तों और सड़कों को जर्जर हालात में करके छोड़ देते हैं। उनके द्वारा जो राजस्व राजस्थान की सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, मुझे आज तक नहीं पता कि कौनसी जगह उस रेवेन्यू के रूप में जो राशि सरकारें प्राप्त करती हैं, उसका उपयोग कहां किया जा रहा है।

मैं माननीय खान मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक स्थानीय निकायों को, वहां के छोटे-मोटे विकास के लिए आप एक प्रतिशत राशि का हस्तान्तरण करते आ रहे हैं, उसको बढ़ाएं। वहां के स्थानीय लोगों को बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है और बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए और वहां स्वास्थ्य के रूप में कोई हास्पिटल, आदि की छोटी-छोटी सुविधाएं होती हैं, उनमें सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही, जो एक प्रतिशत स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण किया जाता है, उसको एक प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 5 प्रतिशत स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए। शेष पैसा जो आप राजस्व के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उसको वहां की लोकल अप्रोच सड़कों को, एम डी आर और जो भी स्टेट हाइवे हैं, जिनको खतम किया जा रहा है, उनको बनाने के लिए पी डब्ल्यू डी विभाग को ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर वहां की स्थानीय लोगों की सड़कों को मजबूत किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां खान जब से जन्मे हैं, तब से देख रहे हैं। आप सबको विदित है, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के नाम से मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एक खान चलती थी। वहां से पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश में जितना प्रतिशत तांबा पैदा होता है उस एक जगह विशेष से सबसे

(18.00 बजे)

ज्यादा तांबा हमारे खेतड़ी नगर में पैदा होता है। हालांकि वह उपक्रम केन्द्र का है, वह कारखाना केन्द्र सरकार का है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां

(श्री पूरणमल सैनी)

25-25 हजार कर्मचारी उस खेतड़ी नगर के प्रोजेक्ट पर काम करते थे, आज उनकी संख्या 1,000 से 1,200 के बीच में आ गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां कोई तांबा निकलना बन्द नहीं हो गया, बल्कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते, आज तक बाहर के डायरेक्टरों को वहां पर लगाया गया और उनकी नीति यहां के लोकल लोगों को प्रोपर रोजगार प्रोवाइड कराने की नहीं रही, जिससे उस कारखाने को धीरे-धीरे करके इतना नीचे डाल दिया और इतना बड़ा घाटा बता दिया। जबकि वहां के स्थानीय कर्मचारी लोगों का और वहां जो भी कोई अधिकारी लोकल छोटे-मोटे पदों पर हैं, उनका यह कहना है कि आज भी खेतड़ी कोपर की खानें पैदावार में कहीं कम नहीं हैं, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं के माध्यम से इस कारखाने को पीट दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह केन्द्र का उपक्रम होने के नाते, राजस्थान की सरकार इसके लिए केन्द्र सरकार को एक प्रपोजल तैयार करके भिजवाये और निवेशकों के बजाय, अगर उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से चलवा दिया जाए, तो इन्होंने जो 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की है, उसमें कम से कम 25 से 30 हजार लोगों को तो वहां नियोजित किया जा सकता है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खान मंत्री महोदय के संज्ञान में एक बात और डालना चाहूंगा। वहां पर बहुत पहले, 1970 के लगभग एक आकावाली के नाम से खान थी जिसमें सवा दो प्रतिशत तांबा, जो इस देश में सबसे ज्यादा वहीं निकल सकता था, और दुबारा जांच भी करवायी, लेकिन मजबूरी यह रही कि उस जमाने में उस खान में जो अथाह जल था, उसको अथक प्रयासों के बाद भी वे हटा नहीं पाये और वह जल नहीं हटने की वजह से नीचे कारखाना नहीं चला पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के संज्ञान में डालना चाहूंगा कि वह पहाड़ी आज वन विभाग में है, उसमें पहले खनन कार्य किये गये हैं और उसमें दो मुंह भी खुले हुए हैं। तो उसके लिए अगर राजस्थान की सरकार दुबारा सोचकर उस आकावाली खान को दुबारा शुरू करे, तो मेरा मानना और सोचना है और हमारे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के लोगों का मानना है कि निश्चित रूप से वहां भी काफी श्रमिकों का नियोजन इस राजस्थान की सरकार के द्वारा किया जा सकता है।

इतना ही सब कुछ कहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे

(श्री पूरणमल सैनी)

मांग संख्या 42 और 43 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो महत्वपूर्ण मांगों, मांग संख्या 42 और 43, उद्योग और खनिज पर चर्चा हो रही है। ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम ईमानदारी के साथ, राजनीति से ऊपर उठकर चिंतन करें, मनन करें और ईमानदारी के साथ चलायें, तो प्रदेश का भला हो सकता है।

मैं पहले उद्योग पर अपनी बात कहना चाहूंगा। राजस्थान की सरकार उद्योग के लिए प्रयास कर रही है। थोड़े दिन पहले 'रिसर्जेंट राजस्थान' का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के और बाहर के बड़े-बड़े उद्योगपति आये; प्रयास रहा कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान में निवेश हो और उद्योग लगें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर काफी एम ओ यू हुए और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो प्रयास किया और जो एम ओ यू हुए, वे धरातल पर उतर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हमारी इच्छाशक्ति वास्तव में उद्योग लगाने की है, राजस्थान को विकास की ओर ले जाने की है, तो बाड़मेर के अन्दर पूरे भारत का तीसरा हिस्सा तेल का उत्पादन हो रहा है और पौने दो लाख बैरल प्रतिदिन तेल का दोहन किया जा रहा है, जिससे राजस्थान को आय भी हो रही है। 2012-13 में 5 हजार करोड़ से ऊपर, 2013-14 में 6 हजार करोड़, 2014-15 में 5 हजार करोड़ और 2015-16 में वापस घटकर कम हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में राजस्थान के विकास की सोचें, यहां के नौजवानों की सोचें, तो यह रिफाइनरी बाड़मेर में क्यों नहीं लगे? भठिण्डा के अन्दर कहां तेल है? वहां तेल नहीं है, उसके बाद में भी रिफाइनरी लग गई। बाड़मेर में उसका पूरा शिलान्यास हो गया, एग्रीमेंट हो गया और एम ओ यू होने के बाद में, दो साल से उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। उसके साथ पेट्रो-केमिकल्स काम्प्लेक्स भी स्थापित होना था, कई उद्योग-इंडस्ट्रीज लगने थे और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए अब बताया गया कि वाएबल नहीं है, ज्यादा पैसे लगेंगे। उसमें हम चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप दुबारा

(श्री मेवाराम जैन)

एम ओ यू कर लो, एच पी सी एल नहीं, आप किसी भी एजेंसी को दे दो, पर बाड़मेर में रिफाइनरी लगे। आजकल तो सीमेंट, स्टील, क्रूड आयल के भाव भी डाउन हो चुके हैं, तो कोस्ट भी कम आयेगी। तो भले ही आप दुबारा एम ओ यू करो, हमें कोई एतराज नहीं, पर यह बाड़मेर और राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात नहीं करें। इस रिफाइनरी को लगायें ताकि राजस्थान के लोगों को, बाड़मेर के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान का विकास होगा। इस प्रोजेक्ट को आप कैसे ही करके चालू कराओ, अगर हम वास्तव में निवेश करना चाहते हैं और यहां उद्योग लाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग के लिए जो वर्तमान में किस तरह के हालात हैं, किस तरह की आर्थिक मन्दी है। दो सालों में आपने देखा होगा और मेरे से पूर्व के वक्ता भी कह रहे थे कि 30 प्रतिशत पुराने उद्योग बन्द पड़े हैं, क्या कारण हैं बन्द होने के? आज बड़े उद्योग, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, ग्रेनाइट हो, कोटा स्टोन हो, सब की स्थिति खराब है। लघु उद्योगों की बात करें, कपड़े की इंडस्ट्रीज की बात करें, तो ये सारे मन्दी की मार में हैं और बन्द होने के कगार पर हैं और घाटे में चल रहे हैं। जब ये पहले ही उद्योग इतने घाटे में चल रहे हैं और उद्योगों के साथ ही, मैं कहना चाहूंगा कि आप और जगह देख लें, तो जमीनों के भाव आधे हो गये हैं; बिल्डर सारे घाटे में हो गये, नया उद्योग कोई लगाना नहीं चाहेंगे। ग्वार गम की जो इंडस्ट्रीज थीं, बड़ा उद्योग था, वह पहले ही अपने आप में खतम हो रहा था और ऊपर से साढ़े पांच प्रतिशत और टैक्स लगा दिया, जिससे वह उद्योग और बन्द होने जा रहा है। इस प्रकार आप देखें, तो कहीं भी इंडस्ट्रीज जो हैं, कोटा स्टोन से लेकर, ग्रेनाइट से लेकर, तेल इंडस्ट्रीज को भी देखो, तो जहां भी जाओ, जितने भी उद्योग हैं, वे आज मन्दी की मार झेल रहे हैं और नया उद्योग कोई लगाने के लिए राजस्थान में आने वाला नहीं है। आप खुद देख लेंगे कि आने वाले दिनों में कितने यहां पर उद्योग लगे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हालात पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में स्वर्णकार की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सारे इनके हड़ताल पर हैं। आज किसानों की हालत क्या है? आज कंटिन्यू 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि फसल पक जाती है, ऊपर बरसात और ओले-गड़े पड़ने से सारी फसलें नष्ट हो रही हैं; वे बरबाद होने जा रही हैं; नौजवानों की हालत आपके सामने हैं, उनके

(श्री मेवाराम जैन)

पास कोई धंधा नहीं। सरकारी कर्मचारियों की हालत क्या है, वह भी आपको पता है। क्रेशर उद्योग पूरे राजस्थान के देख लो, तो बुरी तरह से हैं, आधे से ज्यादा बंद पड़े हैं। ठेकेदारों की हालत खराब है। जो बिल्डर्स हैं, इन ठेकेदारों की हालत आप दो साल से देख रहे हों, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा ठेकेदार खतम हो गये हैं। इतनी सड़कें, पुल और बिल्डिंग्स बनाते थे, वे भी इस मंदी की मार में आ गये। न उनके पास कोई काम है। ये सारे बंद होने की वजह से राजस्थान के विकास की गति कम पड़ी। राजस्थान के मजदूर और आम वर्ग को जो रोजगार मिलना था, वह बंद हो गया।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से हम उद्योग की बात कर रहे हैं और जिस तरह से हम उद्योग को लाना चाह रहे हैं, इसके लिए कई मेहनत करनी पड़ेगी और उनको सारी व्यवस्थाएं, पानी की, बिजली की, सेल्स टैक्स की, इन्कम टैक्स की, जमीनों की, सबकी करनी पड़ेगी। मेरे से पूर्व सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सारी बातें बताईं कि क्या हालात हैं, किस तरह से इस राजस्थान के हालात हैं। मैं चाहूंगा कि अगर वास्तव में हम उद्योग यहां लाना चाह रहे हैं, तो ये सारी छूट देनी पड़ेंगी, उद्योगपतियों को यहां लाने के लिए। उनको जगह-जगह जाना नहीं पड़े; कहीं दफ्तरों में अधिकारियों के पास चक्कर नहीं काटने पड़ें। तभी जाकर यह कुछ उद्योग लगने की बात होगी।

मैं मांग संख्या 43-खनिज पर कहना चाहूंगा। खनिज पर मेरे से पूर्व भी काफी चर्चा हुई; इस खनिज के अन्दर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही कहा, आरोप-प्रत्यारोप हुए, घोटालों की बात हुई, सब कुछ हुआ; मैं तो चाहूंगा, हम दोनों राजनीति से ऊपर उठकर, पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, कहीं घोटाला चाहे हमारी सरकार में हुआ हो, चाहे आपकी सरकार में हुए, निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ उनकी जांच करायें। जो भी दोषी हों, उनको छोड़े नहीं। अगर अपन राजनीति से ऊपर उठकर, ईमानदारी के साथ जांच करायेंगे, तो ये जो घोटाले हो रहे हैं, वे भी बंद होंगे और खनन से जो आय होनी है, रायल्टी, माइनिंग, वह वास्तव में मिलेगी। चाहे खानें आबंटन का मामला हो, पारदर्शिता के साथ अपन करेंगे, तो बात ठीक है, वरना तो लीपापोती करने वाली बात है। तो उसका तो कोई इलाज नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर पर जाना चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर

(श्री मेवाराम जैन)

लिग्नाइट के भण्डार थे और वहां शिवकर कुडला, अभी नया प्रोजेक्ट है, उसके भूमि आबंटन के लिए कार्रवाई चल रही है। 26.6.2012 को उक्त भूमि अवाप्त की गई और 10.7.2015 को फाइनल अवार्ड जारी भी कर दिया। बाड़मेर शहर के नजदीक जमीन, बिलकुल शहर के सटी हुई है और बहुत कोस्टली है। लोगों ने, किसानों ने खूब विरोध भी किया। बाड़मेर शहर इसी साइड ही बढ़ेगा, प्रदूषण होगा; सीवरेज का, सारा सिस्टम वहां था। फिर भी सरकार ने कहा कि हमारे आवश्यक है और हम इसको लेंगे। अवार्ड हुए को एक साल हो गया, फाइनल अवार्ड जारी हो गया, अब किसानों को न तो पैसे दे रहे हैं। या तो जमीन लो, या छोड़ो। उसके अन्दर वे रह रहे हैं, आबादी में है; यूं भी नहीं कि खाली जमीन है; आबादी है, लोग अन्दर बैठे हैं। न तो अन्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, न अन्दर किसी तरह का विकास का कार्य कर सकते हैं। अब उनके लिए तो मुश्किल हो गई। तो सरकार इसमें तय करे कि यह जमीन लेनी है तो किसानों को पैसे दे दे; नहीं लेनी है, तो कृपया इसको छोड़ दें, ताकि वे निश्चित तो रहें।

दूसरा, बाड़मेर के अन्दर पावर प्लांट जिंदल द्वारा लगा; एशिया की सबसे ज्यादा जमीन मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अवाप्त हुई और वहां 1,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगा। खनन कार्य चालू है। जिस समय भूमि अवाप्त की, 22,000 रुपये बीघा और उसके बाद में दूसरी बार भी हमारी सरकार आई, डेढ़ लाख रुपये और फिर तीसरी बार की तीन लाख रुपये बीघा, और वह किसानों की इसलिए जमीन दिलवाई कि भई, आप जमीन दो। हमारे यहां विकास होगा, पावर प्लांट लगेगा, तो पूरे बाड़मेर का और राजस्थान का विकास होगा और आप जो यहां बैठे हैं, आप सबको यहां रोजगार मिलेगा। आपके भले के लिए हमें यह जमीन दो, और किसान राज़ी भी हुए, जमीन दे दी, और इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको रोजगार देंगे। कुछ समय बाद जब इनका कार्य शुरू हुआ, चल रहा था, तब तक तो रखा और उसके बाद में करीब-करीब 80 परसेंट सबको निकाल दिया। अन्दर जितने भी तकनीकी कर्मचारी, वगैरह, सारे, सब बाहर के लाये। बाड़मेर का कोई नहीं होना चाहिए। सब बाहर के लाये। तो उनके साथ यह कुठाराघात किस तरह से हो रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इन पर लगाम कसनी चाहिए।

जिस तरह से गरीब किसानों ने अपनी जमीन दी, बेघर हुए, और,

(श्री मेवाराम जैन)

और भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो पूरी जमीन अवाप्त हो गई, उनको बसाने के लिए और कहीं जगह जमीन नहीं दी, कि आप कहीं तो जाकर रहो। अब दूसरी जगह वे कहीं जा रहे हैं। तो वहां जाकर मकान बनाये, तो फिर 91 करके उनको फिर से हटा दिया जा रहा है। तो कम से कम सरकार यह तो व्यवस्था करे कि उनके लिए कहीं भी जमीन अलाट कर दे, ताकि वे वहां रहकर अपना वापस घर-मकान बना तो सकें। यह तो कम से कम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में जिप्सम की कम से कम 100-125 फैक्टरीज हैं। लघु उद्योग को अपन चाहते हैं कि लघु उद्योग पनपें, और कम से कम इसमें 5-7 हजार लेबर काम कर रही है। वहां जिप्सम छोटे-छोटे टुकड़ों में है। न तो उनको परमिट दिया जा रहा है, न उसके लिए कोई लीज दी जा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके लिए कोई व्यवस्था तो करें। जिप्सम वहां आलरैडी है। तो उनको या तो खुद ही विभाग अपना नाका लगा दे, नाका लगाकर उनको जिप्सम सप्लाई करे, ताकि कम से कम ये 10-15 हजार लेबर जो इसमें लगी हुई है, उस लेबर को रोजगार मिले और फैक्टरीज जितनी हैं, वे बंद नहीं हों। लघु उद्योग पनपें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग का मामला है। जो आज कंस्ट्रक्शन वर्क में ठेकेदार जितनी भी सड़क बनायें, मकान बना रहे हैं, चाहे अन्य काम कर रहे हैं, उसमें सरकार तीन परसेंट बिल में से माइनिंग की राशि काट लेती है और उसके बाद में एस टी पी जारी करने में, मेरे ख्याल से, ठेकेदार को कम से कम तीन-चार महीने, छह महीने चक्कर लगवाते हैं, तब जाकर उसकी एस टी पी मिलती है। जब आप तीन परसेंट काट रहे हो, सरकारी कंस्ट्रक्शन में वह खनिज काम लिया जा रहा है, तो उनके लिए यह एस टी पी की व्यवस्था हो।

और दूसरा और हो रहा है, यह तीन परसेंट तो ले रहे हैं; दूसरा, हर जिले में कांट्रेक्ट और कर रखा है, बजरी का अलग, पत्थर का अलग। तो वे अलग नाका लगाये बैठे हैं; वे उनसे डबल और पैसे ले रहे हैं। तो, मतलब, दो बार मार हो रही है। तो इस तरह से इसका कुछ तो सरलीकरण हो, ताकि इनको ये डबल मार नहीं झेलनी पड़े और जो ये ठेकेदार ठेके लिये बैठे हैं माइनिंग के, वे अपनी मनमानी भी नहीं करें।

(श्री मेवाराम जैन)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक लास्ट में यही निवेदन करना चाहूंगा कि खादी उद्योग की...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट ही लूंगा। खादी उद्योग के लिए भी, जो ये लघु उद्योग हैं, इनकी भी इस बजट में चर्चा थी। हमारे यहां बाड़मेर जिले में कम से कम 60-65 खादी कमीशन के भवन बने हुए थे जहां हज़ारों कातिनें ऊन कताई करती थीं और बुनकर, उसकी शालें, कंबलें, उनका काम करते थे, जिससे हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिलता था। आज वे साठ-पैंसठ जगह बड़े भवन लाखों रुपये के खाली पड़े हैं। कोई कर्मचारी-अधिकारी नहीं हैं, कोई सम्भालने वाला नहीं है, और सारा वह उद्योग बंद हो रहा है। मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारी वहां बिल्डिंगें बनी हुई पड़ी हैं, अगर खादी को अपन प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उनको चालू करें, और उसमें यह व्यवस्था करें ताकि उसमें कई लोगों को रोजगार मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये जो दोनों ही मांगें हैं, इन पर गहनता से विचार करें। जिस तरह की इसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है, या दूसरी बात हो रही है, तो ईमानदारी के साथ इनकी जांच करें। ईमानदारी के साथ अगर दोनों विभागों में काम करेंगे, तो उद्योग भी लेंगे, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश का विकास होगा।

अंत में, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्षः श्री शत्रुघ्न गौतम। एक मिनट, माननीय सदस्य। अब अरेंजमेंट यह है कि two people from this side; one again from that. दोनों इंडिपेंडेंट हैं, हनुमानजी बेनीवाल और मानक चन्द जी सुराना। And then with two, we will conclude.

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और 43 पर आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में उद्योग और खनिज के नाम से जानी जाती है। यही कारण है कि राजस्थान में आम नागरिक मेहनती और स्वाभिमानी है।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

बीते किसी वर्ष में अकाल हो या ओलावृष्टि हो, लेकिन राजस्थान का किसान या आम नागरिक किसी भी चीज से हिम्मत नहीं हारते हुए, माइनिंग भरोसे या उद्योग भरोसे अपना जीवनयापन करने में सफल रहा है। राजस्थान में अलग-अलग जिलों की अलग-अलग पहचान है, अलग-अलग मिनरल हैं, चाहे प्रधान खनिज हों या अप्रधान खनिज हों। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें खनिज की और उद्योग की प्रचुर संभावनाएं हैं।

मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से राजस्थान के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा किया। चाहे वह 2003 से 2008 का कार्यकाल हो, चाहे वह 2015 में जो 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से एम ओ यू साइन हुए, वास्तव में इतिहास में इतने एम ओ यू कभी साइन नहीं हुए। इससे आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आएगा, वह बड़ा अद्भुत है।

आज बहुत ही महत्वपूर्ण दो मांगों पर सदन में चर्चा हो रही है, उद्योग और खनिज, और दोनों राजस्थान सरकार के रेवेन्यू से जुड़े हुए मसले हैं। इस पर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए और सभी विद्वान माननीय सदस्यों ने यहां अपनी-अपनी बात रखी है, किसी ने किस विषय पर, किसी ने किस विषय पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों ने जो मांग रखी है, उन्होंने इस पूरे बजट में या पूरी इस मांग में यह नहीं कहा कि हां, ये सुझाव होने चाहिए; केवल एक निंदा। केवल इनकी मानसिकता का पता चलता है कि हमारी मानसिकता क्या है?

आज जिस तरह से प्रदेश में जो वातावरण है, या जिस तरह से आर्थिक मंदी के दौर से राजस्थान के अन्दर जो वातावरण उद्योग धंधों का है, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, लेकिन कितनी खामियां इस विभाग में हैं! वह जो नियम चले आ रहे हैं, वर्षों से उसी नियम से चले आ रहे हैं और यही कारण है कि आज निजी क्षेत्र में हम रीको इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप करते हैं, उसके कोई निश्चित मापदण्ड नहीं हैं, कितने एरिया में रीको इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए।

सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य अभी शायद सदन में नहीं हैं, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में 2003 से 2008 में कोटा के अन्दर रोड नम्बर-5

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

पर ओम कोठारी को रीको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्लाट दिये गये थे, लेकिन आज उसमें उद्योग की जगह रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, और यह अनुमति पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने 1998 से 2003 के कार्यकाल में इनकी सरकार ने दी।

राजस्थान में आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मैं भी राजस्थान के अजमेर जिले में केकड़ी विधान सभा क्षेत्र से आया हूं; उद्योग और खनिज दोनों में महत्वपूर्ण स्थान मेरा विधान सभा क्षेत्र रख रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग के और प्लास्टिक के, और भी अन्य उद्योगों के लिए प्रचुर मात्रा में सम्भावनाएं हैं, लेकिन वहां रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी प्लाट खाली नहीं है। सरकारी जमीन पड़ी है; रीको इंडस्ट्रियल एरिया का डवलपमेंट हो सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरवाड़ कस्बा है उस कस्बे के अन्दर आपके जो पाउडर प्लांट हैं उनकी कितनी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वहां भी कोई प्लाट खाली नहीं है। सावर कस्बे के अन्दर कितने ही उद्योग लग सकते हैं। रीको ने एक छोटी-सी कालोनी डवलप की, छोटे से प्लाट आक्शन किये और उसके बाद उसमें कोई डवलपमेंट नहीं है। वहां पर 70 बीघा जमीन रीको की और है। यदि वहां पर उद्योग लगें, तो निश्चित रूप से भविष्य में नये नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा और उद्योगों की स्थापना हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरवाड में और सावर के अन्दर नये इंडस्ट्रियल एरिया की जगह चिह्नित करके और शीघ्रातिशीघ्र हमारे वहां रीको का एरिया डवलप किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य अभी रिफाइनरी पर कह रहे थे, ये लिग्नाइट पर बोल रहे थे, कौनसा ऐसा व्यापारी है जो नुकसान के लिए काम करेगा? राजस्थान में इन्होंने कोई मापदण्ड नहीं तय किये कि यह रिफाइनरी आने वाले समय में राजस्थान के हित में होगी, अहित होगा, लेकिन उन्होंने आनन-फानन में एम ओ यू साइन कर दिये। जाते-जाते यह कहा कि रिफाइनरी लगनी चाहिए ...(व्यवधान)

आप अभी कह रहे थे कि लिग्नाइट इनके विधान सभा क्षेत्र में हैं, मैं दावे से कह सकता हूं; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

को निवेदन करना चाहता हूं कि लिग्नाइट में अगर बाड़मेर में ट्रक यूनियन टूट जाए, तो बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में कोटा में लोग लेने को तैयार हैं। इनकी ट्रांसपोर्ट यूनियन की वजह से, लिग्नाइट जो बहुत बड़ी मात्रा में है; आदमी उद्योग लगाता है, उद्योग में कोयला काम आता है, कोयले का सब्स्टीट्यूट लिग्नाइट है, लेकिन लिग्नाइट की कीमत एक हजार रुपये टन और इनकी बाड़मेर की ट्रक यूनियन की कीमत एक टन की बाहर सौ रुपये। ट्रांसपोर्टेशन यूनियन इनके वहां बनी हुई है। यह सारे राजस्थान की जनता जानती है, सारे राजस्थान के व्यापारी जानते हैं।

ये बात करते हैं सदन में कि सकारात्मक बात करें। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से पहले भी और अभी भी, जो काम किया है, आने वाले समय में राजस्थान का नौजवान और राजस्थान का किसान, और हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा।

माइनिंग के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजरी एक ऐसी चीज है कि राजस्थान के हर व्यक्ति को, हर तबक़े से जुड़ा हुआ सवाल है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट की परिस्थितियों से बजरी की लीजें देनी पड़ीं और बजरी की लीजें आनन-फानन में देनी पड़ीं। बजरी की लीजें इनके तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने दीं, कहीं एक हजार हैक्टेयर की, कहीं बारह सौ हैक्टेयर की। कोई मापदण्ड नहीं तय नहीं किये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां पर तीन नदियां हैं खारी, बनास और दाई, तीनों निकलती है। बजरी की एक ही व्यक्ति को आनन-फानन में माइनिंग लीज दी, टोंक में भी, देवली में भी और केकड़ी में भी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजरी के एक ही ठेकेदार, जो टोंक और देवली में तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन केकड़ी में 2014 से उन्होंने अपना ठेका फोरफीट करवा लिया। उसकी वजह से सरकार को कम से कम 9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

आज माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में बजरी का भविष्य के अन्दर पंचायत स्तर पर नान-प्रोफिट ट्रस्ट बनाकर पंचायतवार, जिस तरह से एक्साइज के अन्दर शराब के ठेके हुए, उसी तरह से हर ग्राम

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

पंचायतवार एक ट्रस्ट बनकर के और पंचायतवाइज बजरी के टेंडर होने चाहिए, और उसके निश्चित मापदण्ड बनने चाहिए।

बजरी का मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्दर एक कान्ट्रेक्टर द्वारा, मैं आपको निवेदन करूं कि 23 करोड़ रुपये की लीज भरत सिंह शेखावत नाम के व्यक्ति को दी गई। 23 करोड़ 48 लाख रुपये की लीज राशि, पचास प्रतिशत उन्होंने 2013 जमा करा दी और पचास प्रतिशत जमा कराने के बाद, उनको अक्टूबर, 2013 में चालू करने को दिया और 2014 तक उन्होंने चलाया। उसके बाद 2014 में उनको लगा कि अब ये चलाना नहीं चाहिए, अपना टोंक और देवली चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी एन्वायरनमेंट परमिशन नहीं आयी है और हम इसको चलाने में असक्षम हैं।

आज भी वहां पर मेरे क्षेत्र में बजरी का दोहन नहीं हो पा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपके माध्यम से माइनिंग मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, जिन्होंने बजरी से नौ करोड़ रुपये का नुकसान मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में किया है।

खानों में पर्यावरण की ई.सी. अनिवार्य है। आज रेवेन्यू की बात करते हैं, राजस्थान में साढ़े चार हजार करोड़ का इस साल का टारगेट था कि माइनिंग से साढ़े चार हजार करोड़ मिलने चाहिए, लेकिन ई.सी. के अन्दर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पन्द्रह हजार एप्लिकेशंस पेंडिंग हैं। इतना बड़ा एक पुलंदा, कि कोई करने को तैयार नहीं है। इसका सरलीकरण होना चाहिए। पन्द्रह वर्ष हो गये, जब से माइनिंग पालिसी में ई.सी. की, एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस की आवश्यकता पड़ी है, तब से कितने पेड़ लगा दिये? क्या कभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाकर माइन्स में देखता है कि कितने पेड़ लगे हैं? लेकिन एक खानापूर्ति है। एक कागज का टुकड़ा उस खान को बंद करने और उस खान को चालू करने के काम आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ई.सी. जो उपलब्ध होती है, उसके नियमों में सरलीकरण होना चाहिए। राजस्थान में अगर पन्द्रह हजार खानें अगर स्वीकृत हुई होतीं, तो रेवेन्यू टारगेट से भी ऊपर जाता।

खनन पट्टाधारियों के सम्बन्ध में खेतड़ी से आने वाले माननीय

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

सदस्य कह रहे थे, माननीय मेवारामजी कह रहे थे कि उसी पंचायत क्षेत्र में रेवेन्यू का एक या दो परसेंट देना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और प्रधान मंत्रीजी को, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का प्रावधान 12.1.2015 से भारत सरकार ने किया। राज्य में आज तक उसका गठन नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट का गठन करा कर, हर माइंस आनर, हर लेसी, तीस परसेंट राशि उसके डैड रेंट की उस ट्रस्ट में जमा करायेगा और वह ट्रस्ट उसी क्षेत्र में काम करेगा। तो यह निश्चित रूप से भारत सरकार ने बहुत बड़ी योजना उस क्षेत्र के लिए चालू की है।

खानधारकों के लिए मैं निवेदन करूं कि लेसी का, जहां पर वे माइनिंग करते हैं, उसका एक बोर्ड होना चाहिए कि यह एरिया इसका है; एरिया नोटिफाइड होना चाहिए। लीज-आनर कहीं भी माइन्स चालू कर देता है; एक फीट यहां लगायेगा और एक फीट अपने एरिया से बाहर निकल जाता है। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

खान मालिकों के लिए आये दिन बहुत सारी समस्याएं हैं। खान मालिकों को ब्लास्टिंग हेतु पांच किलो का एक्सपप्लोसिव लाइसेंस दिलाया जाना चाहिए। आये दिन पुलिस उनको तंग इसलिए नहीं करे कि एक्सप्लोसिव पकड़ लिया। यह बहुत-बड़ी बात है।

माइनिंग पालिसी की बात करें, 2011-12 में आप भी माइनिंग पालिसी लाये थे, कितने लोगों को खानें उपलब्ध करा दी? कितना टारगेट हो गया? पचास परसेंट हम आक्शन करेंगे, पचास परसेंट हम लाटरी करेंगे; क्या हो गया? एक भी काम नहीं करा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आज हम भी आक्शन की प्रणाली एम एम सी आर में लेकर आ रहे हैं, जो माइनिंग एक्ट बन रहा है, लेकिन जैसे अभी चार बड़े एरिया हमें आक्शन करने थे, उसमें एक ही संवेदक आया या एक ही बिडर आया उसका क्या कारण है, उसका कारण है कि अब इतनी बड़ी इस मंदी के दौर में कौनसा व्यक्ति आएगा जो सौ करोड़-दो सौ करोड़ रुपये में लीज लेगा? आज 5-6 हैक्टेयर के छोटे-छोटे टुकड़े, चाहे लाइमस्टोन के हैं, लिग्नाइट के हैं, तो इस तरह के आप बनाकर आक्शन करेंगे, तो निश्चित रूप

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

से....। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, आयरन, इन खानों को नीलामी से दिया जाना उचित है, परन्तु भवन निर्माण के काम आने वाला पत्थर, जो गरीब का पत्थर है, आरक्षित करके गरीब व्यक्ति के लिए; उसी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए बजरी का आबंटन किया जाना चाहिए, जो लाटरी से होना चाहिए, उसी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए। खान आबंटन में गरीबों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से प्रदान की जानी चाहिए।

खान विभाग में भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए, जैसे अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट के टेण्डर होते हैं, गवर्नमेंट के व्यक्ति, जो टेण्डर में मेसनरी स्टोन और मिट्टी के लिए, वह एस टी पी लेता है, एस टी पी एक बहुत-बड़ी चुनौती है, जो ठेकेदार है। उसके लिए क्योंकि ठेकेदार आता है, वह सोचता है कि राजस्थान अच्छा स्टेट है, वह महाराष्ट से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से आता है, लेकिन वह जब माइनिंग विभाग के चक्कर लगाता है, तो जिस तरह से वह परेशान होता है। यह व्यवस्था अब आन-लाइन होनी चाहिए। यह आन-लाइन हो और इसकी एक रेट फिक्स हो।

यह व्यवस्था आन-लाइन होगी, तो निश्चित रूप से सरकार को रेवेन्यू की भी वृद्धि होगी और ...(व्यवधान) दो मिनट में मेरी बात खतम करता हूं।

अवैध वसूली के नाम पर गरीब किसान को भारी पेनल्टी वसूल कर प्रताड़ित करना बंद करें। बजरी पर, पत्थर पर, पेनल्टी कम हो जाए। गांव में कुम्हार और ग्रामीणों को अपने घरेलू कार्य के उपयोग हेतु खनिज की रायल्टी से मुक्त करें। पर्यावरण की अनुमति से मुक्त करायें। खानों को भूमि की जमीन आबंटन किया जाना बंद करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पहली बार आये हैं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अब तो सुनो। रोज सुन रहे हैं आपको, आज हमको सुनो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो आपके लिए ही बैठा हूं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और 43 पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

जब-जब कांग्रेस का राज आया, तो जो राजस्थान उन्नति के पथ पर जा रहा था वह 'बीमारू' प्रदेश की श्रेणी में आता गया। चाहे वह भैरोंसिंहजी के राज में राजस्थान ने जो औद्योगिक प्रगति की और वापस श्रीमान् अशोक जी गहलोत की सरकार आयी और राजस्थान 'बीमारू' प्रदेश की श्रेणी में आया। उसके बाद माननीया वसुन्धराजी आयीं, राजस्थान ने फिर बैकलाग को पूरा करते हुए वापस गति पकड़ी, विकास की रफ्तार पकड़ी, और, दुर्भाग्य से, फिर आपकी सरकार आयी और राजस्थान फिर 'बीमारू' प्रदेश की श्रेणी में आया है। अबके हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने यह तय किया है कि इस राजस्थान को एक गतिमान राज्य के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए उन्होंने 'रिसर्जेंट राजस्थान' का आयोजन किया और तीन लाख करोड़ से ज्यादा के एम ओ यू करके निश्चित रूप से इनका यह कार्यकाल जब तक पूरा होगा, ये सारी योजनाएं धरातल पर आएंगी और राजस्थान एक चमकता हुआ प्रदेश बनेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने बातें की हैं, मैं अपने जिले की और विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों के क्षेत्र में मेरा भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र एशिया का मैनचेस्टर कहलाता है, जहां लगभग सात करोड़ मीटर कपड़ा प्रति माह निर्मित किया जाता है और उस कपड़े में किसी सरकार का कोई रोल नहीं है। इतना बड़ा उद्योग-धंधा उस शहर में स्थापित हुआ है। वहां के लोगों की उद्यमशीलता के कारण से और उनकी एंटरप्रिन्योरशिप के कारण से इतना बड़ा विशाल उद्योग वहां स्थापित हुआ है, लेकिन सरकार जो भी आती है, बार-बार उस उद्योग की तरफ ध्यान नहीं देकर, उस उद्योग को डाउन करने का प्रयास किया जाता है। अभी भी मेरा निवेदन है माननीय उद्योग मंत्रीजी से कि उस मैनचेस्टर कहलाने वाले शहर में पिछले तीन-चार वर्षों से तीस परसेंट फैक्टरियां बंद होने की कगार पर हैं। वहां अभी आपने 'वैट' में तो हमको छूट दी है, यार्न पर जो 'वैट' लगता था उस पर छूट दी है, लेकिन जो जाब पर कपड़ा आता है, बाहर के प्रदेशों से जो यार्न भेजा जाता है; और यार्न का कपड़ा बनाकर उसी फैक्टरी को वापस दिया जाता है; जहां से यार्न आता था, उस पर दो परसेंट एंट्री टैक्स लेकर आपने जो 'वैट' पर छूट दी है, उसका काम तमाम कर दिया। मेरा आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री से निवेदन है कि इस एंट्री टैक्स को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें, जिससे ये उद्योग जीवित रह सकें। वास्तव में, भीलवाड़ा में कपड़े के बारे में जितना प्रगति और जितना उत्साहजनक लोगों

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

का वातावरण है, उस वातावरण में थोड़ा अगर सरकार सहयोग करे, तो यह विश्व का सबसे बड़ा कपड़े का उत्पादन करने वाला औद्योगिक क्षेत्र बनेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे उद्योगों में चार रीको की फेज थे, उसकी सारी जमीन लगभग समाप्त हो चुकी है। उसके बाद एक एरिया चित्तौड़ रोड पर था, वहां भी पूरा लगभग कवर हो चुका है। अब हमारे यहां उद्योग-धंधे लगाने के लिए जमीन बची नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं है; लोग ठेठ गुलाबपुरा तक जाते हैं, इधर चित्तौड़ तक जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे एरिया चिह्नित करें और एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन आरक्षित करके उद्योग धंधा लगाने वालों को सहयोग प्रदान करावें।

मैं खान विभाग के बारे में निवेदन करूंगा। हमारा भीलवाड़ा जिला, खनन के मामले में सरकार की खनन की जितनी रेवेन्यू आती है, उसकी 35-40 परसेंट तक अकेले भीलवाड़ा जिले से रेवेन्यू आती है। उस जिले में एक तो हिन्दुस्तान जिंक नाम की माइन्स है और एक जिंदल सा लिमिटेड। इनके राज में हजारों बीघा जमीन जिंदल सा लिमिटेड को, सारे कानून-नियम ताक पर रखते हुए, क्योंकि +++ इसलिए उनको सारे नियम-कानून ताक पर रख वह खनन लीज प्रायोरिटी को तोड़ते हुए दी गई। उसके बाद भी हमने बहुत विरोध किया, लेकिन माननीय +++ वहां के सांसद थे, +++ यहां के मुख्य मंत्री थे। दोनों की इतनी प्रतिद्वंद्विता थी कि न वे उनकी सुनते थे, न वे उनकी सुनते थे, मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से पूर्ववर्ती मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि साहब, यह गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भीलवाड़ा के मुख्य मंत्री एक तरह से अलग से थे +++, लेकिन इनके हालात ऐसे थे कि उन्होंने चरागाह तक को नहीं छोड़ा। यहां तक कि आयरन के लिए जो उन्होंने माइनिंग का लाइसेंस लिया था, वहां चेजा पत्थर की एस टी पी उन्होंने पास करा ली, जो किसी नियम में नहीं आती है। कोई आयरन ओर की माइनिंग का लाइसेंस लेता है, चेजा पत्थर का एस टी पी उन्होंने प्राप्त किया और छोटे-छोटे खनन करने वाले जो गरीब लोग थे, उन सारों पर कब्जा करके, उन लोगों का रोजगार छीन कर, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम लिया है, कि +++ की और उनकी प्रतिस्पर्धा थी। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। प्रतिस्पर्धा तो आप में है। घनश्यामजी क्या बोल रहे थे, सुना क्या सुबह?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आपको पता नहीं हो, तो मेरे पास आ जाना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) अखबारों में क्या लिखा है? (व्यवधान) 'भास्कर' में इंटरव्यू आया, वह क्या आया है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) सीपी जोशीजी केन्द्र में मंत्री थे, पांच साल शानदार काम हुआ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) पांच साल शानदार काम हुआ, इसलिए 21 पर आ गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) प्रतिस्पर्धा तो आप में है। इसलिए जो सदन के मेम्बर नहीं हों, उनका नाम ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) सचिन पायलेट और अशोकजी गहलोत के बीच में कितनी प्रतिस्पर्धा है, अख़बार भरे पड़े हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ...(व्यवधान) आप कह रहे थे कि जिंदल को अशोक गहलोत और इन्होंने दी। मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं, 22 हजार में आपकी सरकार के समय में दी1 सिर्फ 22 हजार में आपकी सरकार ने जिंदल को जमीन दी बाड़मेर में, सिर्फ 22 हजार रुपये बीघा में। न कि हमने।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) मैं सोता नहीं हूं। आपका दृष्टि-दोष है। इसलिए मैं सब पता रखता हूं। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ...(व्यवधान) हमने नहीं, आपने दी बाड़मेर में।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ...(व्यवधान) मैं भीलवाड़ा की बात कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जिंदल सा लिमिटेड के द्वारा हमारे शहर का गंदा पानी, इनको पानी की जरूरत होती है...। तो मैं फिर नाम

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

लूंगा, तत्कालीन सांसद माननीय +++ हमारे भीलवाड़ा के और तत्कालीन सभापति नगर परिषद, इनकी मिलीभगत से पूरे गंदे पानी को इन्होंने जिंदल ..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर वही बात। जो सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं, उनका नाम लेकर आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) +++ आपके सांसद नहीं थे क्या? क्या गलत कह रहे हैं ये?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी आप अंकित नहीं करा सकते।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा; जो कुकर्म आपने किये हैं, वह सुनना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं सुनना पडेगा; नहीं सुनेंगे। नियमों में होगा, वही सुनेंगे। आसन की व्यवस्था की पालना करेंगे। आसन के नियमों की पालना करेंगे; आसन की व्यवस्था की पालना करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सम्माननीय सदस्यों को कई बार निवेदन कर चुका हूं, अगर आपको किसी एक समय का कोई जिक्र करना है, तो उस व्यक्ति के पदनाम से कर लीजिए। बात तो वह की वह ही है। विपक्ष को भी उत्तेजित करने का अगर आपका लक्ष्य है तो ये तो वैसे ही उत्तेजित रहते हैं 24 घंटे।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी को उत्तेजित करना नहीं चाहता। मेरे भीलवाड़ा में इतने बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। पिछली सरकार में जब मैं विधायक था, तब इतनी बार मैंने इन मुद्दों को उठाया, लेकिन इन्होंने हर बार, चाहे वह जिंदल का मुद्दा हो, चाहे मेवाड़ मिल का मुद्दा हो, चाहे डालडा मिल का मुद्दा हो; डालडा मिल की 756 करोड़ रुपये की जमीन इन्होंने केवल 11 करोड़ में एक कांग्रेस के विधायक को दी है, और वह उद्योग की जमीन थी। जाने किन कारणों से...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोक नहीं रहा हूं, अवस्थीजी की और हमारी सीट पिछली बार पास में ही थी, अपन साथ बैठते थे और आप यह कहते थे कि अगली बार सरकार आयेगी तो इनकी रड़क निकाल दूंगा। अब क्या हुआ? ढाई साल हो गये, आपने कर दिया क्या कुछ? अब करो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरी बात सुनो, बेनीवाल साहब, मेरा धर्म है, मैं वापस रख रहा हूं बात को; सरकार का धर्म है, सरकार अपना काम करेगी। आप बिलकुल विश्वास रखिए। आप जिस तरह से बात करना चाहते हैं, हमको दबाव में लाना चाहते हैं। सरकार बहुत ईमानदारी और पारदर्शिता से सारे काम करेगी और आपके जितने कुकर्म हैं, उन सबको उजागर करके दंडित किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) मंत्रीजी एक कुकर्म तो आपकी सरकार का सुबह 45 हजार करोड़ का आया था। जवाब ही नहीं दिया आपने।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आप सुनो तो सही सारी बातें।

डालडा मिल का जो घोटाला था, वह उद्योग के नाम पर जमीन ली गई थी और 756 करोड़ की, शहर के एकदम बीच में 56 बीघा जमीन, जहां 4-5 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से रेट है, उस जमीन की डी आर टी में किसी ने पैरवी नहीं की, इनकी सरकार में, और 11 करोड़ रुपये में कांग्रेस के विधायक को दी गई। मैं आरोप लगाता हूं कि आपने जितने घोटाले किये, इस राजस्थान को जितना लूटा है, आने वाले बीस वर्षों तक आपका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा इस राजस्थान में।

मेवाड़ मिल का मैंने जब यहां मुद्दा उठाया, तो सरकार को मजबूर होकर हाई कोर्ट में जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने इतनी कमजोर पैरवी की। तत्कालीन विधायक, तत्कालीन मंत्री और तत्कालीन सांसद की मिलीभगत से उस जमीन का सौदा हुआ और हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करने के कारण से वह जमीन उन लोगों के हाथों में है।

यह उद्योगों की जमीन के हालात हैं और आज वहां का उद्योगपति जमीनों के लिए तरस रहा है। उद्योग मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों जमीनों के घोटालों की जांच करवाई जाये। यह मेरी मांग है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी सरकार, आप एम एल ए, कर लो ना कोई जांच; जिसने गड़बड़ की आप कर लो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं मांग कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप करो ना। मांग किससे कर रहे हों?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं उद्योग मंत्री महोदय को निवेदन कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये कुछ नहीं कर सकते। ये खुद दूसरे कामों में लगे हैं आपके मंत्री। आपके मंत्री खुद दूसरे कामों में लगे हैं। इनकी प्रायोरिटी जांच करना है ही नहीं। उद्योग पर बोलो, खान पर बोलो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आप विराजो। जब आप थे तब आपने क्या किया? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिंदल के माध्यम से गंदे पानी को देने का एक इकरार हमने बहुत दबाव में उस शासन में करवाया, जिसमें पूरे शहर का जो गंदा पानी था, उसको ट्रीट करके वे वापस अपने जिंदल उद्योग में ले जायेंगे। उसके बदले में पूरे शहर की सफाई व्यवस्था उनके जिम्मे की गई। बड़ी मुश्किल से, तीन साल तक लड़े, तब जाकर। मैंने कहा कि पानी की कीमत है, चाहे वह गंदा हो या सही हो, आप ट्रीटमेंट करके ले जा रहे हैं, पानी की कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि आप करोड़ों रुपये उस जिंदल सॉ लिमिटेड से कमाओगे। बड़ी मुश्किल से यह इकरार हुआ, एक हजार रुपये के स्टांप पेपर पर नगर परिषद के बोर्ड में यह इकरार हुआ और उस इकरार के माध्यम से यह तय किया गया कि पूरे शहर की सफाई व्यवस्था जिंदल के जिम्मे रहेगी; नाली निर्माण, नाला निर्माण, पूरे शहर का, जिंदल के जिम्मे रहेगा; और एक रेलवे ओवरब्रिज लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत का, वह जिंदल को बनाना था। यह इकरार हुआ। उस इकरार के बाद उस जिंदल ने आज तक उस ओवरब्रिज के ऊपर एक इंच का भी काम शुरू नहीं किया है। मैं उद्योग मंत्रीजी एवं खान मंत्रीजी से और नगरीय विकास मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके उस जिंदल को पाबंद करें, क्योंकि वह इस इकरार से मुकरना चाहता है। उसने जयपुर में अधिकारियों के सामने यह कहा था कि हमने तो फुट ओवरब्रिज का इकरार किया था। हमने फिर विरोध किया। अब डी पी आर तैयार है नगर परिषद की ओर से। मैंने प्रश्न भी डाला है, मेरा नंबर आया, तो उस दिन मैं जवाब लूंगा। लेकिन इस तरह से ये बड़े उद्योगपति, बड़े खनिज माफिया राजस्थान को लूटेंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास गति नहीं पकड़ पाएगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री कालूलाल गुर्जर)

प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 42 और मांग संख्या 43 पर पूरी बहस होकर, दोनों आदरणीय मंत्रीगण का जवाब आकर, पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग संख्या 42 एवं मांग संख्या 43 के पारण तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन करा था...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अंग्रेजी तो मैं ही सिखाऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कभी चाय तो पिलाई नहीं कमरे में ले जाकर, अंग्रेजी कब सिखाओगे ?

श्री उपाध्यक्ष: वैसे, संसदीय कार्य मंत्री, एक निवेदन करता हूं कि आप उचित समझें, तो मैं दस-एक मिनट के लिए सदन को स्थगित करके, इन दोनों सचेतकों को आप अपने कैबिन में ले जाओ और इनकी बात समझ लो। आखिर ये आपको और हमको समझाना क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तक संसदीय कार्य मंत्री जी ने नहीं बुलाया। यही तो दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात अगर बीस एक साल पहले मुझे कही होती, तो इन दोनों को मेरे कमरे में ले जाया होता, तब तो पूरा समझाकर ही वापस लाता इनको।

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं सबसे निवेदन करूंगा कि किसी भी सदस्य ने बोलने वाले सदस्य को टोका, या बीच में व्यवधान पैदा किया, तो यह मान लीजिए कि फिर आसन भी पूरा आपके प्रति व्यवधान प्रकट करने के लिए तत्पर होगा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, जिंदल शा लिमिटेड को पाबंद किया जाए कि जो नगर

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

परिषद भीलवाड़ा और उनके बीच में जो इकरार हुआ था, उस इकरार को लागू कराने की व्यवस्था सरकार के मार्फत की जाए; नहीं तो, वह करोड़ों रुपये दबाकर और करोड़ों रुपये चेजा पत्थर के माध्यम से आयरन ओर के नाम पर एस.टी.पी. लेकर, उस एस.टी.पी. की भी जांच होनी चाहिए कि यह सही तरह से मिली है और कितने लोगों को इसने रोजगार से विमुख किया है।

मेरा आपसे निवेदन है कि पुरग्राम मेरे भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र का, जहां यह जिंदल शा लिमिटेड का कारखाना लगना है, उन्होंने जब एम.ओ.यू. किया था तब यह इकरार किया था कि दो साल में स्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी। उस एम.ओ.यू. में इस शर्त के माध्यम से उनको लीज मिली थी कि वे स्टील प्लांट वहां स्थापित करेंगे। चार साल निकलने के बाद भी आज तक स्टील प्लांट नहीं लगा है।

मेरा निवेदन यह है कि जन सुनवाई जब हुई थी, उस खान को लीज करने से पहले, तब उन्होंने यह इकरार किया था, जनता के सामने, प्रशासन के सामने, कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार में प्रमुखता से देऊंगा। आज हजारों मजदूर वहां काम करते हैं। मेरे शहर के और मेरे जिले के हजारों बेरोजगार भाई, जो टेक्निकली प्रूव्ड हैं, आई.टी.आई. कर रखी हैं जिन्होंने, जिन्होंने पोलीटेक्निक कर रखा है, उन लोगों को भी आज तक उन्होंने काम देने के लिए मना कर रखा है। मेरा निवेदन है कि ऐसे जितने भी बड़े खनन उद्योगपति हैं, उनको पाबंद किया जाए। पूरे राजस्थान में जिस क्षेत्र में वे अपना धंधा चलाते हैं, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रमुखता से देंगे, तो इससे राजस्थान के हर क्षेत्र का भला होगा। मेरी यह आपसे प्रार्थना है।

मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, खनिज मंत्री महोदय से कि पुर में, जहां यह जिंदल काम करता है, वहां लोगों के खेत हैं और उससे होने वाली ब्लास्टिंग और जितना मलबा निकलता है, आस-पास के सारे खेत खराब हो रहे हैं। अगर कोई शिकायत करता है, तो पुलिस और उनकी मिलीभगत के कारण से, वे मुकदमा दर्ज कराते हैं, शिकायतकर्ता, या जो भी जाकर वहां मिलता है, पुलिस उनको बार-बार दबाती है, शिकायतकर्ता को, कि तुम वहां नहीं जाओगे।

मेरा निवेदन है कि इस तरह की जितनी भी जलील हरकतें इस जिंदल उद्योग समूह के द्वारा की जाती हैं, वहां उनको पाबंद किया जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए पाबंद किया जाए; जिंदल शा लिमिटेड

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

ने जो आर.ओ.बी. का, रेलवे ओवरब्रिज का करार किया था, उसको पूरा कराया जाए; और जो पुर के लोगों की जमीनें खराब हो रही हैं, या तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए, या फिर वह किसी तरीके से, वहां जो बरबादी कर रहा है, उसको रोका जाए।

आप सब विद्वान सदस्य यहां विराजे हैं, मेरा आपसे अंतिम निवेदन है, रेत के बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो राजस्थान में जितनी नदियां-नालों की रेत है, वह रेत-बजरी एक-दो साल में कहीं निर्मित नहीं की, न किसी सरकार ने की, न किसी उद्योगपति ने की। यह ईश्वर प्रकृति, प्रदत्त चीज है। इस रेत के कारण से जो राजस्थान पेयजल की समस्या से जूझ रहा है, यह रेत जिस तरह से खोदी जा रही है, आज नदियों में चट्टानें निकालकर रेत ले जा रहे हैं लोग; तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब पूरा खतम हो जाएगा, तब हम वापस जाग्रत होंगे? और जिस तरह से आज वन लगाने के लिए हमको अरबों-खरबों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिस तरह से बाघ को बचाने के लिए अरबों रुपये हमको लगाने पड़ रहे हैं, उसी तरह से इस रेत के लिए फिर हमें कोई-न-कोई नई योजना बनानी पड़ेगी। तो इसका किस तरह से हम मर्यादित उपयोग कर सकें, इसके लिए निश्चित रूप से पूरे सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि नदियों की यही रेत हमारे पेयजल के पानी की व्यवस्था करती है और भू-जल स्तर को मेंटेन करने के लिए यही रेत सबसे ज्यादा काम आती है। इस रेत का जितना हम मिस्यूज, आज हमारे प्रदेश से बाहर मुंबई तक रेत जा रही है और उसको सोने के भाव बेचा जा रहा है और सरकार को कौड़ियां मिल रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है इस रेत को बचाने के लिए, नहीं तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसके बारे में एक मर्यादित नीति बनाई जाए कि किस तरह से हम रेत का मर्यादित उपयोग कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 43-खनिज पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन-चार घंटे से लगातार सदन के अन्दर देख रहा हूं, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। अपने को चाहिए कि पार्टियों से ऊपर उठकर, इस राजस्थान के जवान को कैसे बचाएं, (व्यवधान) किसान की आर्थिक व्यवस्था कैसे ठीक हो। आज स्थिति यह है कि बी.टेक. और एम.टेक. किया हुआ छात्र पांच हजार की नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है कि साहब, मुझे पी.ए. रख लो आप; मैं आपके घर पर काम कर लूंगा; मैंने बी.टेक किया है, इंजीनियरिंग की है, एम.टेक. की है। इस बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान कैसे आप मिलकर करें?

आपने अभी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी-बड़ी बातें कही थीं और राजस्थान के जवान ने सबसे बड़ा विश्वास आपके अन्दर व्यक्त किया और आपने 163 पर पहुंच गये। राजस्थान के किसान ने, जिसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक करने की आपने बात की थी, अगर किसान के सामने सिंचाई के बाद कोई दूसरा काम बचता है, तो खनिज सम्पदा, जो इस राजस्थान के अन्दर खनिज सम्पदा की भरमार है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए नई खनिज नीति लानी चाहिए। तीसरा बजट आपका आ गया; खनिज नीति लाएंगे। लाते-लाते मुझे लग रहा है, चुनाव घोषित हो जाएंगे, तब तक तो आप लाओगे नहीं नई खनिज नीति। तो हम चाहते हैं कि नई खनिज नीति आप लेकर आएं और राजस्थान के जवान और किसान की आर्थिक व्यवस्था कैसे ठीक हो, इस दिशा के अन्दर आपको काम करना चाहिए।

आप इन पर आरोप लगा रहे हो। पिछली बार कालीचरण जी, मैं इनके साथ ही नारे लगाता था, ये रोज कहते थे, जोधपुर में बंदरबांट हो गई खानों की। अरे, हो गई, तो अब आप आ गये, कुछ कर दो।

मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। हमारे जो पहले विधायक बोल रहे थे भीलवाड़ा से, हमारी सीट साथ-साथ ही हुआ करती थी, बहुत पीड़ा है इनकी और उस बेशकीमती करोड़ों की जमीन को बचाना चाहते हैं। इनकी यह पीड़ा आज की नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। यह मेवाड़ मिल जो बहुत सस्ती दरों पर चली गई। जिंदल शा की बात, हिन्दुस्तान जिंक की बात, हमेशा ये करते रहते थे। यह पीड़ा तो पहले भी आपकी थी और अब ढाई साल निकलने के बाद,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अगर आप इसी तरह से संघर्ष करते रहोगे, तो कितने साल करोगे? यह भी बताओ आप मुझे लग रहा है कि अब आप भी ज्यादा पीड़ा यहां करोगे, तो फिर हालत ठीक नहीं हो सकती। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपने देखा होगा, हमने बहुत...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं पाबंद हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अरे, आप मेरे भाई हों। मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा हूं।

मैं कह रहा हूं कि सरकार को अपने विधायकों के अन्दर, आप यह बताओ, आपके विधायक खुद जांच कराने के लिए किस तरह सरकार की ओर देख रहे हैं कि भई, जांच होगी। खाली आरोप लगाने से नहीं होता। आप इन पर लगा दो, आप इन पर आरोप लगा दो। अगर कहीं आरोपों में सच्चाई है, कहीं सत्यता है, तो आज जितने भी खान घोटाले राजस्थान के अन्दर हुए हैं, चाहे अशोक सिंघवी का खान घोटाला हो, जो एक लाख करोड़ का खान घोटाला था; इस देश के अन्दर राजस्थान की सबसे ज्यादा गूंज अगर किसी मामले में रही, तो खान घोटालों के अन्दर राजस्थान इस देश के अन्दर एक नंबर पर रहा, पिछले साल।

दूसरी बात आपने 'रिसर्जेंट राजस्थान' की की थी, उपाध्यक्ष महोदय, कि रिसर्जेंट करेंगे राजस्थान को। मैं 2008 के अन्दर आपकी पार्टी से वोट मांगने गया था, तब आपने कहा था कि हमने राजस्थान को रिसर्जेंट कर दिया; तैयार है आप तो जाकर वोट मांगो। अब जब 'रिसर्जेंट राजस्थान' रिसर्जेंट हो गया, तो उसे दुबारा करने की कहां आवश्यकता पड़ गई?

(19.00 बजे)

आप तो जय-जय राजस्थान, सारी बात लेकर आये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप खाली बात से ही करना चाहें कि हम हमारा टाइम पास करें, डिमांड पूरी कराएं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो यह सत्र चल रहा है, राजस्थान के करोड़ों युवा सड़क पर अभी आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे , रोज टी-पाइंट पर किस तरह लोग बैठे रहते हैं। उनको धरने की परमिशन नहीं मिलती। किसानों को यहां आंदोलन की परमिशन नहीं मिलती।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हमारा सबका एक मन होना चाहिए कि इस राजस्थान को कैसे बचाएं। भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे, वह कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा नेता हो; चाहे राजस्थान में बैठा हो, चाहे दिल्ली में बैठा हो; कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसको सलाखों के पीछे डालने का काम आपका होना चाहिए। हम इस मामले में पूरी तरह से आपके साथ हैं। खाली आरोप-प्रत्यारोप से नहीं।

अशोक सिंघवी के मामले में सरकार ने ठीक कदम उठाया। दिल्ली के इशारे पर हुआ है, या राजस्थान के इशारे पर, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। ए.सी.बी. ने लम्बे टाइम तक काल रिकार्डिंग कीं; लेकिन अशोक सिंघवी के साथ 3-4 लोग ही पकड़े गये। बाकी कहां गये? आप यह बताओ, काल रिकार्डिंग कितने लोगों की हुई? आपने आनन-फानन के अन्दर कई लोगों को बचाने के लिए उनको सरकारी गवाह बना लिया; कइयों को आपने कह दिया, आप तो जाओ। मेरे नागौर का माइनिंग इंजीनियर, मेरा घर माइनिंग इंजीनियर के नजदीक ही है, वह ताला लगाकर भाग गया था; वापस 6 महीने बाद आया। मैंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, ऐसे कैसे निकल गया नाम? बोला कि हो गई, मेरी बात हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या संदेश देना चाहते हों राजस्थान की जनता को? एक लाख करोड़ का खनिज का घोटाला, 52 से लेकर आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, उस घोटाले में आप 2-4 लोगों को पकड़कर इतिश्री करना चाहते हों। मैं कह रहा हूं, इस घोटाले के अन्दर चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो,...। राजस्थान को सशक्त लोकायुक्त की आवश्यकता है। आपने कहा, लोकायुक्त को जांच दे देंगे, लोकायुक्त कहां से जांच करेगा? उनके पास स्टाफ ही नहीं है।

हमें तो सुबह बहुत बड़ी तकलीफ हुई कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के अन्दर पूरा जीवन लगा दिया, वह आदमी खुद पीड़ित है। उन्होंने कहा, कुछ नहीं हो रहा। आप ही बताओ कि इस तरह का आक्रोश क्यों पैदा हो रहा है? कालीचरण जी, आप बताओ। मुझे लग रहा है कि पहले हनुमान बेनीवाल एक बागी हुआ था, इस बार 40-50 निकलकर सामने नहीं आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के।

आपको इस बारे में सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए। आप कह रहे हों, आपने यह किया; एक सदस्य बोल रहे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

थे, आपने किया, मैंने किया, बराबर हो गये। यह मजाक है क्या? यह राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई है। इस तरह लोकतंत्र और आपको संविधान यह अनुमति नहीं देता कि एक बार भ्रष्टाचार कोई कर जाए, वह कह रहे हैं, मैंने अब कर लिया, अब आगे से नहीं होगा; बराबर। ऐसे थोड़े ही चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे मामले के अन्दर राजस्थान को बचाने के प्रयास होने चाहिए।

आपने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बहुत बड़ी बात की कि हम 15 लाख रोजगार राजस्थान के जवान को देंगे। आपने कहा कि कौशल कार्यक्रम, मिशन स्किल राजस्थान, प्रति वर्ष तीन लाख लोगों को हम ट्रेंड करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। आपने उसके अन्दर 250 ट्रेड छांटे कि इन-इन के अन्दर हम तीन लाख लोगों को हर साल ट्रेंड करेंगे और उनको रोजगार के साधन देंगे। आप यह बताओ, ढाई साल हो गये, तीन लाख के हिसाब से जोड़ो, कितना हुआ? आपको 7 लाख राजस्थान के जवान को ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। 7 लाख छोड़कर, आपने 10 हजार दी है, तो बता दो, कहां पर दी? कहां पर वे ट्रेनिंग सेंटर हैं? बताओ आप। हम भी भेजें। हमारे पास भी बहुत बेरोजगार आते हैं। वह नम्बर दे दो आप, बता दो कि वहां जाकर ट्रेनिंग कर लो, रोजगार मिल जाएगा। ढाई साल हो गये।

दूसरा, पहले उद्योग विभाग बेरोजगार छात्रों को प्रति वर्ष लोन देता था, बेरोजगारी का। जो बी.ए. या ग्रैजुएट या पी.जी. किया हुआ लड़का है, शिक्षित बेरोजगार के नाम से लोन दिया जाता था। उसके अन्दर भी बहुत घपले-घोटाले होते रहते थे। जिनकी चलती थी, वे लोन दिला देते। बाकी आपके उद्योग विभाग के अधिकारी उसके अन्दर भी पैसा लेकर करते थे।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं, राजस्थान को वास्तव में बचाना चाहते हों; हां, अपराध में तो राजस्थान एक नम्बर की ओर जा रहा है; इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, वह एक नम्बर पर बढ़ रहा है। अगर वास्तव में नये उद्योग यहां पैदा करना चाहते हों, रिसर्जेंट राजस्थान करना चाहते हों, राजस्थान के जवान को बचाना चाहते हों, तो पहले आप ऐसे साधन पैदा कीजिए कि जवान को इस सरकार पर भरोसा रहे। उपाध्यक्ष महोदय, जो बी टेक, एम टेक या कोई एम बी बी एस करके आता है, वह कोई छोटा उद्योग स्थापित करना चाहता है, कोई क्लिनिक खोलना चाहता है, या लघु उद्योग

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लगाना चाहता है, तो उसको दस लाख का लोन बिना ब्याज के, आपको इस पालिसी की घोषणा यहां सदन के अन्दर करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज 'रिसर्जेंट राजस्थान' का प्रचार बहुत जोर-शोर से राजस्थान में चला, देश के अन्दर चला। जब हम गांव में जाते, तो हमारे गांव के लोग हमें पूछते थे कि 'रिसर्जेंट राजस्थान' क्या है, क्या होगा। एक साल तो आपने पूरे राजस्थान की जनता का ध्यान 'रिसर्जेंट राजस्थान' के नाम पर; आपके पास कोई काम के लिए जाता कि बिजली नहीं आ रही है, आप कह रहे हो, अभी रूक जाओ, 'रिसर्जेंट राजस्थान' होगा; ट्रांसफर सब पर बैन लग गया, अभी 'रिसर्जेंट राजस्थान' करेंगे; ट्यूबवेल खुदवा दो, अभी नहीं, अभी 'राजस्थान रिसर्जेंट' होगा। लोगों ने सोचा, पता नहीं रिसर्जेंट क्या हो जाएगा। आपने बहुत बड़े एम.ओ.यू. किये। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो हकीकत बात है, वही कह रहा हूं। अगर मैं गलत बोलूं, तो आप खड़े हो जाना। उपाध्यक्ष जी कह देंगे, मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने यात्राएं कीं। मुख्य मंत्री के साथ आई ए एस अधिकारियों का दल गया। सिंगापुर में रोड शो; आपने जापान के अन्दर रोड शो किया; जर्मनी; लंदन। इतने उद्योग स्थापित करेंगे। आप कहां से करोगे उद्योग स्थापित, यह तो बताओ। यहां राजस्थान के अन्दर आने से उद्योगपति डरता है कि कब कोई आनंदपाल या कोई गैंगस्टर मुझे उठाकर ले जाएगा; मेरे बच्चों को मैं कहां पढ़ाऊंगा। जयपुर के अन्दर लोग सुरक्षित नहीं है। लोग घर से निकलते हैं, शाम को हमारा बेटा आएगा, कि नहीं आएगा, उस बात की गारंटी नहीं है। ऐसा वातावरण तो दो आप 'रिसर्जेंट राजस्थान' करने से पहले। ऐसा वातावरण पैदा कीजिए। यहां कोई उद्योग लगाने के लिए आता है, वह आपके उद्योग व माइनिंग विभाग के चक्कर काट-काटकर दुबारा राजस्थान आने का नाम नहीं लेता।

आपने 'रिसर्जेंट राजस्थान' किया। नगर निगम, जे डी ए सहित पूरे राजस्थान के इसके अन्दर लग गये। टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार, रिसर्जेंट करेंगे, राजस्थान को रिसर्जेंट करेंगे। आपने एम.ओ.यू. कर दिये, 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश राजस्थान के अन्दर करेंगे और 295 एम.ओ.यू. आपने किये। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप वास्तव में राजस्थान को रिसर्जेंट करते हों, तो हम भी राजस्थान के अन्दर ही हैं, हम भी चाहते हैं कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान रिसर्जेंट हो, लेकिन आप बार-बार इसको रिसर्जेंट क्यों कर रहे हो? 2003 से 2008 में भी आपने कहा कि हमने कर दिया, और फिर कर रहे हों। फिर आप चले जाओंगे, फिर कह दोगे, रिसर्जेंट करेंगे। क्या पूरे जीवन यही करोगे? कुछ करके तो दिखाओ। कुछ नौकरियां राजस्थान के जवानों को दो।

पिछली बार 80 हजार नौकरियां आपने एक बार शिक्षा विभाग में दी थी। आपका एक बहुत बड़ा कदम था। 2004-05 के अन्दर वह किसकी सोच थी, मैं नहीं कहना चाहता; निश्चित रूप से आपके किसी नेता की सोच होगी, जिन्होंने कहा कि संविदा पर लेने की बजाय इनको नौकरी दें और आपने 60-70 हजार लोग एक बार राजस्थान में लगाये थे। उसके बाद पुलिस में भर्ती जरूर होती है, या कोई छोटे-मोटे पद और भरे जाते होंगे; बाकी लम्बी नौकरियां 2004 से लेकर आज तक 13 साल में कोई बहुत बड़ी नौकरियां राजस्थान के जवानों को नहीं मिलीं। जितने भी संविदा पर लगे हुए हैं सारे लोग रो रहे हैं। 2012 से लेकर जो भर्ती हुईं, वे भी, विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, प्रबोधक, रोज धरने, हड़ताल हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 'रिसर्जेंट राजस्थान' के नाम पर आपने किया, अच्छी बात है। एम.ओ.यू. का मंत्रीजी अर्थ भी बता रहे थे कि एम.ओ.यू. का मतलब, हम करेंगे; मतलब 10, 20, 50 साल में कर लेंगे हम सारा। आपने यह थोड़े ही कहा कि एम.ओ.यू. इतने टाइम में यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। यह आपने कही थी अच्छी बात। उपाध्यक्ष महोदय, पूरा जयपुर उस समय जरूर चमका दिया था; बहुत बढ़िया सफाई हो गई थी।

यहां उद्योग लगाने के लिए पहले आपको राजस्थान के अन्दर वातावरण तैयार करना होगा। अच्छा वातावरण होगा और लोगों को लगेगा कि राजस्थान ठीक है, तब जाकर लोग यहां उद्योग लगाएंगे।

आपने विदेश में तो यात्राएं कीं, इस देश में ही रैलियां कर लीं। आप कलकत्ता में रैली कर रहे हों, मद्रास; मुम्बई। वे तो वैसे ही आ जाते राजस्थान के लोग। अपने मारवाड़ी लोग तो पूरे देश के अन्दर हैं, उनका अलग से डंका बजता है, मारवाड़ियों का। वे वैसे भी राजस्थान के अन्दर चाहते हैं। आप चाहते हों, दूसरी तरीके से। आपने ढाई सौ करोड़ रुपये 'रिसर्जेंट राजस्थान' के नाम पर खर्च कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रमुख सचिव व सचिवों को अनेकों निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम के नाम पर मुम्बई जैसे बड़े शहरों की सैर पर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भेजा। कोई यात्रा नहीं कर पाया ना, तो वह भी देख आया सारा देश-विदेश। एक सेठ तो खर्चे पर इन शहरों में जा रहे हैं, जबकि ये सेठ तो खुद राजस्थान आना चाहते हैं। अंबानी, अडानी व बियानी के ये एम.ओ.यू. पहले भी खाली गये और देश के दूसरे राज्यों में भी भारी निवेश के एम.ओ.यू. करते रहते हैं, पर दस प्रतिशत भी निवेश नहीं करते। ये तो खाली एम.ओ.यू. करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, रीको की बात है, उद्योग लगा रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। केवल रीयल एस्टेट रीको बढ़ा रहा है। बाकी व्यापार, उद्योग कहां हो रहा है रीको का, यह आप भी जानते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टार्ट-अप पालिसी आप लाये। (व्यवधान) मेरा समय कौनसा था? स्टार्ट-अप पालिसी लाये। राजस्थान की स्टार्ट-अप पालिसी को लेकर युवाओं में, एंटरप्रिन्योर में कोई उत्साह नहीं है। (व्यवधान) बोल रहा हूं ना। इसी पर तो आ रहा हूं। उनका सारा फोकस कर्नाटक, हैदराबाद जैसे राज्यों में है। आपके नव उद्यमियों की नीतियां केवल अधिकारियों के बच्चों, रिश्तेदारों व परिचितों के लिए हैं। उनका प्रयास किसी तरह से इन नीतियों के नाम पर जमीन व पैसा बटोरना है। केवल 500 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की गई है, वह भी अगले पांच वर्षों में। आप 500 करोड़ स्टार्ट-अप में करेंगे, पांच वर्ष में करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हों। फिर कहेंगे, लास्ट साल में करेंगे। इतने में इलेक्शन आ जाएंगे। ये सारी घोषणाएं ठण्डे बस्ते में जा रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी हीन भावना और राजनीतिक हठधर्मिता का उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि सरकार रोजगार व राज्य में निकले तेल का दोहन, बहुमुखी विकास देने वाली रिफाइनरी, अगर रिफाइनरी के अन्दर आप 40 हजार करोड़ का निवेश करते, तो निश्चित रूप से मारवाड़ के नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और आपका बीकानेर जिला, वहां एक नई आर्थिक व्यवस्था लोगों की ठीक होती, एक नई क्रांति आ जाती विकास के नाम पर, लेकिन रिफाइनरी को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश अगर आप करो, तो एक लाख लोगों को वहां रोजगार आप दे सकते हैं और स्टेट का रेवेन्यू भी रिफाइनरी से बढ़ सकता है, लेकिन रिफाइनरी राजनीति की भेंट चढ़ गयी।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आज भी एक सवाल लगा था, 'सेज' के अन्दर; 'सेज' का मामला था। 'महिन्द्रा सेज' में सरकार ने सुविधा क्षेत्र एरिया की जमीनें, जिनमें स्कूल, पार्क व अन्य सामाजिक सामुदायिक केन्द्र स्थापित किये जाने थे, उसको उद्योग सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री ने 'महिन्द्रा सेज' को व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाजत देकर भारी इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा रोज हम देख रहे हैं कि इतनी आवश्यकता नहीं थी, जो एम.ओ.यू. 'महिन्द्रा सेज' को देने के लिए पिछली सरकार के टाइम, इससे पिछली बार आप जब थे, किया था। लेकिन उसका 10 प्रतिशत भी अभी तक वहां कोई नजर नहीं आ रहा। 'महिन्द्रा सेज' को जमीन देने का, आपने अरबों-खरबों रुपये की जमीन दे दी। भारी भ्रष्टाचार इस मामले के अन्दर हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014-15 में, हमारा जो गृह जिला है, उद्योग मंत्रीजी भी उसी जिले के हैं, रैंकिंग जो हुई प्रदेश के अन्दर उद्योग की, उसमें नागौर जिला सबसे पीछे है, उद्योग की रैंकिंग के अन्दर। मैं उद्योग मंत्रीजी से भी चाहूंगा कि नागौर को, जो उनका गृह जिला है, कैसे नये उद्योग नागौर के अन्दर लगें और कैसे रोजगार के नये साधन नागौर के अन्दर लोगों को मिलें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमने देखा कि टपूकड़ा के अन्दर होण्डा का कारखाना लगा हुआ है। वहां के गांव के लड़के सारे वहां नौकरी करते हैं, होण्डा के वहां पर। लेकिन वहां गुण्डों की एक फौज है जिसने, वे लड़के वहां यूनियन बनाना चाहते थे, वह यूनियन नहीं बनाने दी। 500-700 जो लड़के हैं, उन्होंने वहां आन्दोलन किया। उन पर लाठी चार्ज हुआ, उन पर मुकदमे दर्ज किये गये। बहुत ही कम उनको पैसे दिये जाते हैं। उन्होंने कहा, यूनियन बनाकर हम मजदूरों की मांगों के लिए लड़ेंगे। लेकिन आप कैसे नये लोगों के लिये रोजगार सृजन करेंगे? बताओ। अगर आदमी अपने हक की बात नहीं कर सकता, खुद के हक के लिए अगर नहीं लड़ सकता, तो आप ऐसे इण्डस्ट्रियलिस्ट को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? होण्डा वाला आपको क्या दे देगा? यहां का जवान तो आपको वोट भी डालेगा। वह आगे बढ़ेगा, तो सारा राजस्थान ठीक होगा और आपकी जय-जयकार करेगा। उस होण्डा वाले का पक्ष लेकर उन जवानों के हितों पर आपने कुठाराघात वहां पर किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच-सात मिनट और लूंगा मैं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आज राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा, तेल, कोयला, आयरन, गैस, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, जिप्सम, चाइना क्ले, चेजा पत्थर, कोटा स्टोन, हजारों तरह के संसाधन इस राजस्थान के अन्दर निकलते हैं। मैं जिस जिले से आता हूं, वहां मार्बल, जो मकराना का निकलता है, जो विश्व के अजूबे थे उनके अन्दर भी आगरा का ताजमहल, जो मकराना के संगमरमर से बना था, उसकी ख्याति पूरा विश्व जानता है। लेकिन आज भी हमारा मार्बल उद्योग रद्दीखाने के अन्दर पड़ा हुआ है। मंत्रीजी को चाहिये, इनका जिला है, उस मार्बल उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले।

नागौर के नमक उद्योग को, नावां का जो हमारा सबसे बड़ा नमक का, उत्पादन केन्द्र है, वहां लोग नमक उत्पादन की फैक्टरी भी लगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रदूषण का कोई सिस्टम ही नहीं है। उससे लोगों के बीमारियां होती हैं।

तो कम से कम जो अगर आपकी 5-10 करोड़ की फैक्टरी लगायेगा तो 5-25 लाख की चिमनी और प्रदूषण-मुक्त करने के लिए वह ऊपर संयंत्र भी लगा सकता है। प्रदूषण बोर्ड चाहे जहां एन.ओ.सी. दे देता है। आज राजस्थान के अन्दर चलने वाले ज्यादातर सीमेंट प्लांट और औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण मण्डल से एन.ओ.सी., वहां तो पूरा ही खेल भ्रष्टाचार का ही चल रहा है, प्रदूषण मण्डल के अन्दर। वहां बाहर नारे जरूर लिखे हुए हैं, दूसरे तरीके के, लेकिन वहां जाकर अगर आप, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह खान घोटाला हुआ है, उस तरफ आप थोड़ा-सा उधर भी ध्यान दे दें, राठौड़ साहब, प्रदूषण बोर्ड की तरफ, तो वहां भी कुछ न कुछ निकल जायेगा। बता रहा हूं आपको। तो ऐसा ही चल रहा है, रामभरोसे। आप कितनी फैक्टरियों की जांच करते हो? बताओ। मैं मेरे नागौर में बता दूं, दस सीमेंट फैक्टरियां, जिनके पास प्रदूषण की एन.ओ.सी. नहीं हैं। आप बताओ, एन्वायरनमेंट की एन.ओ.सी. नहीं है। चल रही हैं लम्बे टाइम से। फोन कर देते हैं इधर-उधर कि साहब, मेरा ध्यान रखना, मेरी फैक्टरी है। अब यही काम बचा है क्या? आपको इस दिशा के अन्दर काम करना चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): काफी सारगर्भित हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, सुनो। (व्यवधान) क्या हुआ, साहब? दो मिनट बोलने दो ना, राठौड़ साहब।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

खान घोटाले की सरकार द्वारा लोकायुक्त से जांच कराने की बात, ठीक कह रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आपके खण्डूरीजी लाये थे, बी.जे.पी. के मुख्य मंत्री थे, सशक्त लोकायुक्त। पहले वह लाओ राजस्थान के अन्दर, फिर कराओ लोकायुक्त से जांच। अगर किसी बड़े आदमी का नाम आ गया, तो जांच बढ़ जायेगी क्या आगे? बताओ आप हमारे को। नहीं बढ़ेगी। इन छोटी-छोटी मछलियों को पकड़ने से क्या फायदा? बड़ा हाथ, इसके लिए मजबूत लोकायुक्त, सशक्त लोकायुक्त की आवश्यकता है। नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस से या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की मानिटरिंग के अन्दर सी.बी.आई. जांच कराएं; नहीं तो सी.बी.आई. जांच से भी निकल जाते हैं लोग। (व्यवधान) क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? कौन निकल गया?

एक माननीय सदस्य: ये तो खुद भी बचे थे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौन? मैं कहां बचा था? अभी मेरे तो सी.बी.आई. जांच हुई नहीं है। मैं बता रहा हूं, अभी राठौड़ साहब के...

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

अच्छा, ठीक है, हुकूम।

सरकार पिछले दस वर्षों से खान विभाग में हुई अनियमितताओं और घोटालों की जांच करवाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं अभी की नहीं कह रहा हूं। सुनो, मैं कोई आपकी जांच की नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, दस साल की जांच। (व्यवधान) कौन डर गया? मैं डर नहीं रहा हूं। सुनो, मैं मेरी बात पर स्टैण्ड कर रहा हूं। जितने भी खान घोटाले पिछले दस वर्षों में राजस्थान के अन्दर हुए हैं, जनता की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को जिस तरह खान माफिया ने, अधिकारियों ने और नेताओं ने, जिस तरह की लूट राजस्थान के अन्दर मचाई है, वह सबकी जांच होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर के अन्दर जो भी कलक्टर रहता है, अपने 3-4 खान करवा लेता है। एक तो खाटू के अन्दर आपके डी.ओ.पी. सेक्रेटरी की खान है, +++ मैं पचास नाम गिना दूं; पचास नेताओं के नाम गिना दूं। (व्यवधान) एक मिनट रुको, मदनजी। वहां नागौर के अन्दर जिप्सम की ले लेंगे, लाइमस्टोन की।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से नाम लेना तो गलत है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा। I am listening to everything, what he says.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या ले लिया मैंने? मैंने नाम कहां लिया है? सेक्रेटरी कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे सदन की परम्परा भी रही है, हमारे नियमों में भी उल्लिखित है कि जिस किसी विषय पर एक बार किसी भी रूप में सदन में चर्चा हो जाये, उस पर दुबारा चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं कहां कह रहा हूं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, बार-बार एक ही बात कह रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कहां कह रहा हूं, साहब? ऐसे क्या कर रहे हों। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मेरी बात बिलकुल धीरे-धीरे समाप्त कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज सुबह प्रश्न काल के अन्दर जो चर्चा होनी थी, हो गई और, उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, किसी अधिकारी का नाम लेकर इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। हम मनोबल तोड़ रहे हैं उन लोगों का। अगर इनके पास कोई तार्किक कोई प्रमाण हों, तो लेकर आयें ना; किसी मोशन से लेकर आयें, सरकार जवाब दे देगी।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे यहां सदन में यह अंकित नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार की चीज को बार-बार वक्तव्य के माध्यम से लाना भी अनुचित है ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं नहीं कह रहा हूं बार-बार। एक बार ही कहा मैंने, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: और यह मर्यादित भी नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है। राठौड़ साहब, कह रहे हैं, ले के; कहां आना है ले के? किसके पास ले के आऊं?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये लेकर आएंगे। मैं नहीं आऊंगा आपके पास। ठीक है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार द्वारा। (व्यवधान) एक मिनट तो रुको, साहब। एक मिनट तो बोलने दो। अब दो मिनट तो मुझे बोलने दो। (व्यवधान) अच्छा बोलो, साहब। बोलो, मानिकचन्दजी, बोलो। बताओ, क्या? (व्यवधान) नहीं, भाषण नहीं। दो मिनट तो मुझे देने दो भाषण।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अच्छा बतायें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। यह बात जो बार-बार सदन में आती है कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम न आये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य ने किसी का नाम लिया है, यह हाउस बिलकुल सोवरिन है और इस हाउस में बोलने वाले का विशेषाधिकार है कि वह जो भी कहे, वह रिकार्ड हो। यदि वह तथ्य गलत है, आपको ब्रीच आफ प्रिविलेज लाने का पूरा अधिकार है। आप आफिसर्स को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? जिन्होंने खानें ले लीं और उनका नाम यदि किसी प्रकार से आ रहा है, कोई भी माननीय सदस्य जिम्मेदारी से ले रहे हैं, आप लेने दीजिए। आफिसर्स लाबी में आप क्या मेसेज देना चाहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां इस विधान सभा में बैठे हैं? यह क्या बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो आप किस आधार पर आरोप लगवाना चाहते हैं? कोई आधार होगा? हर किसी का नाम ले देंगे आप? यह इन्होंने नहीं, हम किसी को प्रोटेक्ट करने नहीं आये और ... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, यह हमारा अधिकार है कि हम किसी पर चार्ज लगाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पर किसी पर झूठा आरोप सुनने के लिए भी नहीं बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हमारा अधिकार है कि हम नाम से चार्ज लगाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किसी पर झूठा आरोप लगाने की सुनने के लिए नहीं बैठे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): झूठा इल्जाम है, तो उसके लिए बहुत प्रक्रियाएं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। सम्माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह गलत बात है। यह हमें आरोपित कर रहे हैं। किसी के अधिकारों पर कोई बात कह जाएगा? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इसके लिए प्रक्रिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसे तो कोई भी बात कह देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक बार विराजें। संसदीय कार्य मंत्रीजी। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सबका विशेषाधिकार है, लेकिन इस आसन का भी विवेकाधिकार है। कुछ तो आसन के विवेक पर कुछ बातें छोड़िए।

मैं, सम्माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करूंगा, वैसे भी 20 मिनट से ऊपर आप अपना समय ले चुके हैं। इसको आप कन्क्लूड कर लें, अदरवाइज मैं बाध्य होऊंगा, दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारने के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पांच-सात मिनट में। मैं तो बिलकुल ठीक बोल रहा हूं, साहब, आज।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरी खनन की गूंज इस राजस्थान की पूरे देश के अन्दर रही। बजरी खनन, जो एक ही व्यक्ति को पूरे बजरी का ठेका दे दिया, राजस्थान का, कि आप ही हो हमारे सब कुछ। बस, आप तो एक-दो लोगों को खुश कर दो और बाकी सारी बजरी निकाल लो राजस्थान की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तीन हजार, चार हजार रुपये ट्रक बजरी का आता था, वह गरीब आदमी उसी बजरी के ट्रक का तीस हजार और चालीस हजार रुपये देता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजरी को आप खोद सकते हो तीन मीटर तक नदी के पेटे के अन्दर, लेकिन आपने तो 50-50 मीटर बजरी खोद दी। पानी निकल गया; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खोदते-खोदते नीचे से पानी निकल गया जमीन से। हंस क्यों रहे हो आप?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजरी खनन का जो भी घोटाला राजस्थान के अन्दर हो रहा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बजरी की छोटी-छोटी लीज वहां के गरीब व्यक्तियों को, ग्राम पंचायत स्तर पर, और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जो भी बेरोजगार हमारे जवान हैं, उनको बजरी की लीज राजस्थान के अन्दर आबंटित होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार माइनिंग पालिसी लाने की बात कर रही है, आप माइनिंग पालिसी लेकर आएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार, यह बजरी के लिए बीस-बीस, तीस-तीस ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। एक मिनट, साहब। अब मैं मेरे इलाके पर तो एक मिनट आ जाऊं, थोड़ा-सा। बस, दो मिनट में मेरे इलाके के सुझाव दे देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके के अन्दर एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया गया था विभाग द्वारा वर्ष 1987 में। नागौर जिले में लगभग एक हजार किलोमीटर से अधिक क्षेत्र आरक्षित किया गया। 20 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी कुल क्षेत्र का 10 से 20 प्रतिशत क्षेत्र में ही सर्वेक्षण कार्य किया गया तथा किये गये क्षेत्र में वर्तमान में प्रभावी आबंटन मात्र एक से दो प्रतिशत रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 सीमेंट ब्लाक, विभाग द्वारा लगभग दस से पन्द्रह सीमेंट ब्लाक का चिह्नीकरण समय-समय पर किया जाकर आवेदन आमंत्रित किये गये तथा कुल क्षेत्र खनन पट्टा आबंटन के लिए कार्यवाही की गयी, किंतु एक भी सीमेंट प्लांट इस क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र का खनिज लाइमस्टोन उच्च गुणवत्ता का है, जो केमिकल यूनिट्स में भी उपयोग हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज जिप्सम का अवैध खनन बहुतायत से किया जा रहा है। बीकानेर जिले में तो खनिज जिप्सम का खनन करने के लिए खनिज माफिया उत्पन्न हो गये। नागौर जिले में पिछले कई वर्षों से जिप्सम का खनन किया जा रहा है। नागौर जिले की तहसील नागौर एवं जायल में उच्च किस्म का जिप्सम पाया जाता है। खनिज जिप्सम सतह पर उपलब्ध होने के कारण से खनन दोहन सरल है। पूर्व में भी खनिज जिप्सम का खनन राजकीय उपक्रम के माध्यम से किए जाने का प्रावधान 2014 में, उक्त खनिज नीति में खातेदारों के लिए भी खोल दिया गया। पहले खातेदारों को नहीं देते थे।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त प्रावधान के बाद आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, किंतु जनवरी 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के उपरांत सभी आवेदनों को निरस्त, अयोग्य घोषित कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जिप्सम हमारे जिले के अन्दर बहुतायत मात्रा के अन्दर है। लाइमस्टोन जो सबसे ऊंची क्वालिटी का मेरे खींवसर क्षेत्र के अन्दर है और आप सीमेंट ब्लाक के लिए, सीमेंट कम्पनियों के लिए कर रहे हो, वह चूना पत्थर है। उसकी एक बार पुन: जांच करवाएं, और खातेदारी के अन्दर किसानों को उनके खेत के अन्दर अगर आप छोटे पट्टे जारी करेंगे, तो निश्चित रूप से किसान की अर्थव्यवस्था ठीक होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चूने का जो भट्ठा लगता है और एक सीमेंट प्लांट लगता है, तो आप सीमेंट प्लांट में जितनी जमीन देते हो न, उतना अगर चूने के पत्थर के अन्दर, भट्ठे लगवाओ, तो उससे 50 गुणा ज्यादा रोजगार जवान और किसान को मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान किसान और जवान को मजबूत करने का होना चाहिए, उस इलाके को मजबूत करने का होना चाहिए।

आप निश्चित रूप से खनिज पालिसी जो लेकर आ रहे हों, इसमें इस चीज का ध्यान रखोगे कि अंबुजा सीमेंट जो नागौर के अन्दर, इसको आपने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट है मेरा; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंबुजा सीमेंट ने लैंड बैंक बना लिया है। हजारों बीघा जमीन नागौर के पास ले ली, मूंडवा के अन्दर, और 1988 से लेकर आज तक 27 साल में तीन-चार बार वह जमीन बिकी, गुजरात अंबुजा, फिर अंबुजा। 80 हजार रुपये बीघा के अन्दर किसानों से ले ली और आज वहां पर जमीन का भाव है 40 लाख रुपये बीघा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। हर बार अंबुजा वाले आते हैं और राठौड़ साहब यहीं पर बैठे थे, पिछली बार यह कह रहे थे कि मैं अब की ठीक कर दूंगा इनको। अब लो, सुन लो, वापस, यह वापस आ गया। अंबुजा सीमेंट वाले रिन्यूअल करवा लेते हैं हर बार। कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, 2009 तक देंगे, 2011 तक देंगे, 2013 तक देंगे, 2016 तक देंगे; 2016 तो हो गया, वहां पर तो रोजगार छोड़कर, सीमेंट का संयंत्र तक भी नहीं लगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा इस अंबुजा की तो आप पूरी जांच

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करवाएं। लैंड बैंक बना लिया। अलाट किसको हुआ है, चार बार बिक गया; आगे कितनी बार बिकेगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरा मेरा यह है कि टंगस्टन की हमारी एक डेगाना की माइन्स है, बहुत अच्छा टंगस्टन; इस देश के अन्दर सबसे ज्यादा डेगाना के अन्दर निकलता था, लेकिन उस टंगस्टन माइन्स को बंद कर दिया और उसके अन्दर आपने यह बात कही, कि माइन्स बंद क्यों की; आपने कहा कि हमें तो सस्ती दर पर टंगस्टन बाहर से मिल जाता है। सस्ती दर पर टंगस्टन तो मिल जाता होगा, लेकिन हजारों लोगों के पेट पर आपने लात मारी। अगर टंगस्टन, डेगाना की माइन्स आप वापस चालू करेंगे, तो वहां टंगस्टन से उन हजारों परिवार, जो डेगाना के आस-पास के इलाके के, हमारे जवान, किसान हैं, उनको रोजगार का साधन मिलेगा और आपको वाहवाही उन किसानों की मिलेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आरोप-प्रत्यारोप के मामले से ऊपर उठकर, इस राजस्थान को बचाने के लिए, जो भी चोर, बदमाश, बेइमान नेता या अधिकारी हैं, उन सबका इलाज तब ही हो सकता है, जब इन खान घोटालों की जांच आप, ईमानदारी से सरकार कराएगी। राजस्थान का जवान और किसान 2018 के चुनाव में जब आप जाओगे, तब वह बात कहेगा। आपने दिल्ली वालों ने कहा कि हम भ्रष्टाचार खतम कर देंगे, यह कर देंगे? तो कब कर दोगे? बताओ आप। अब तो साल-डेढ़ साल बाद तो फिर कोई यह भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करेगा। आप तो अपने विधायकजी की सुन लो, भीलवाड़ा वाले, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कम से कम उन वाली जांच, एक वे जो कह रहे हैं, वह तो पहले करवा दो आप; और यह बाकी आपको करवानी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 एवं मांग संख्या 43, उद्योग एवं खनिज पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

टोंक जिले में बनास नदी टोंक, चित्तौड़, भीलवाड़ा, माधोपुर और धौलपुर तक जाती हुई, चंबल में पानी जाता है। इसकी लीज, पहले ठेका होता था, इस बार इसकी जो लीज की, वह 19.12.2013 को, इसकी परमिशन दी गयी बजरी उठाने की। इसमें कुछ नियम बनाये गये थे, लेकिन उन नियमों की कोई पालना नहीं हो रही है। पानी की सतह से तीन मीटर ऊपर तक हम बजरी उठा सकते हैं, बाकी वहां पर काफी गहरे गड्ढे हो गये; चार-चार, पांच-पांच, छह -छह मीटर बजरी उठायी जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। क्यों नहीं इनके लीजधारक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए? इसका नदी का जो पूरा क्षेत्र है, उसके तीन-चौथाई चौड़ाई की स्थिति में बजरी उठानी थी, पर वहां पर दोनों तरफ अपने जो खेत हैं, धोरे के ऊपर, वहां तक बजरी उठायी जा रही है, जिससे आने वाले समय में जब बरसात बरसेगी और पानी अगर आएगा, तो उन किसानों की जमीन कटने का अंदेशा है। उसमें यह भी शर्त लगायी गयी थी कि इसके अन्दर मेन स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा अवरोध नहीं बनाया जाए जिससे पानी रुके, लेकिन 21 किलोमीटर तक, जो लीजधारक है, उसने अस्थायी बोल्डर डालकर ऐसा रास्ता बना दिया बीच में, तो वह पानी को जमीन की सतह से, पानी के लेवल से एक मीटर ऊपर, जिससे कभी भी बरसात आएगी और पानी बहेगा, तो उससे वह पानी का बहाव या स्वरूप ही नदी का बदल जाएगा। यह भी नियम के विरुद्ध है।

मेरी माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि इसकी जांच करवाकर, इसके खिलाफ कार्यवाही करें, क्योंकि इन शर्तों में यह भी तय है कि अगर लीजधारक गलत तरीके से काम कर रहा है, नियम विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसकी लीज कैंसिल की जाए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इसकी निष्पक्ष एक कमेटी बनाकर जांच करें। मैंने तो देखा ही है, पर आप सब लोग अगर यहां से टीम बनाकर भेजेंगे, तो आपको वहां जानकारी मिलेगी कि वह नियम-विरुद्ध खनन कर रहे हैं।

हमारे वहां टोंक क्षेत्र के पेयजल के लिए कुएं हैं, वहां प्रतिबन्धित एरिया है, पर उसमें से भी बजरी उठायी जा रही है। कई बार शिकायत करने के बाद छोटी-मोटी फार्मेलिटी के अनुसार उन पर जुर्माना कर दिया जाता है, उनकी मशीन पकड़ ली जाती है, उस पर दो-ढाई लाख रुपये जुर्माना करके, छोड़कर, वापस से पुन: चालू कर दी जाती है।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

वे इतने गड्ढे हो गये कि जब बरसात आती है, तो हमारे जो किसान हैं, दोनों डोलों पर इधर-उधर उनके बच्चे जब क्रोस करते हैं, जब कम पानी रहता है, तो उसमें कभी भी गिरने का अंदेशा रहता है, और पहले भी कई जानवर उनके डूब गये हैं और इतने गहरे गड्ढ़े हैं कि वे निकल नहीं पाये। दो-तीन दिन बाद पता चला कि हमारे जानवर इस पानी में पड़े हैं।

जब हमारी शर्त है कि हम जो भी बजरी उठाएंगे, उसको लेवल करेंगे, पर वे लेवल भी नहीं कर रहे हैं।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इसको देखकर नियमानुसार खनन कराएं।

जो हमारे किसान भाई हैं, आज पूरे राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है, वे अपने ट्रैक्टर-ट्रोली लेकर जब खनन करने नदी में जाते हैं, बजरी भरकर वापस लेकर आते हैं, तो वहां पर उनको कोई रसीद काटने वाला मिलता नहीं है। जब वे नदी से निकल जाते हैं, तो जहां भी रास्ते में थाना पड़ता है, वहां उनको रोक लिया जाता है और रोककर उससे पूछा जाता है कि इसकी रसीद कहां है? उसके पास कोई प्रूफ रहता नहीं है और वह जब यह कहता है कि मेरी ट्रोली पर वहां कोई था नहीं, तो उसको पकड़कर उसके ऊपर जुर्माना किया जाता है। वहां पर वन विभाग वालों को बुला लिया जाता है, खनिज वालों को बुला लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट वालों को बुला लिया जाता है और उसके खिलाफ इतना जुर्माना कर दिया जाता है कि वह भविष्य में दुबारा बजरी लाने में सक्षम नहीं रहता। उसके पीछे यह कारण है कि वे चाहते नहीं, लीजधारक खुद चाहता है कि मेरी मशीन भी रहे, ट्रक भी मैं ही चलाऊं, बजरी को मैं मेरे हिसाब से दूं। मोनोपोली उसने बना रखी है, जिससे जो अपने लोग कमाकर खाते हैं, उनके लिए एक अभिशाप-सा बन गया है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह की दुर्भावना से, एक गरीब किसान जब फसल लेकर जाता है, अपनी सरसों बेचने जाता है, अपने गेहूं बेचने जाता है, तो किसान, आप जानते हों कि उनके जानवर भी रहते हैं, जब वे गोबर-पोठा या पेशाब करते हैं तो उसके गड्ढे हो जाते हैं, तो उसको भरने के लिए भी वह कई बार मिट्टी ले आता है। उस मिट्टी का जुर्माना 50 हजार, 75 हजार उसको चुकाना पड़ता है। यह बहुत ही गलत है। क्योंकि किसान जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश आगे प्रगति नहीं कर

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

सकता। हम सब लोग किसानों के लिए ही काम करते हैं। इस तरह से दुर्भावनापूर्वक, एक षड्यंत्रपूर्वक सब विभाग ने मिलकर उस पर ऐसा शिकंजा कस दिया कि वह तिलमिला जाता है। वह कहां जाए? कोर्ट में जाए, तो उसकी कोई सुनता नहीं है; विभाग में जाए, तो कोई उसकी रसीद नहीं काटता। वह कहता है, मेरा ट्रैक्टर तो छुड़वा दो। उसके ट्रैक्टर के टायर सूख जाते हैं। आज भी कई ट्रैक्टर बंद पड़े हैं।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हम सब लोग उनसे मिले कि माननीया मुख्य मंत्रीजी, हमारे ट्रैक्टर बंद हो गये, तो उन्होंने अभी एक नया, जो सब लोगों ने तय किया कि एक परसेंट में पैसा जमा कराकर वह डी.टी. आफिस से उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उससे उसकी जीविका चलाने के लिए एक नया रास्ता खुला है। उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमारे कई किसान हैं, उनके ट्रक भी हैं, जब वे नदी से ट्रक भरकर ले जाते हैं, उस समय लीजधारक की मशीन उसको लोड करती है और जब वह लोड करके जाता है, तो नदी से 15 किलोमीटर दूर रायल्टी के लिए नाका लगा रखा है, वहां उसका कांटा होता है; मशीन वहां ज्यादा भर देती है तो फिर वहां उसको उतार लिया जाता है। उसको फिर खुद ठेकेदार ट्रकों में डालकर उसे जयपुर और निवाई में बेच देते हैं। वे खुद ठेकेदार ओवरलोड भरकर ले जाते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। एक ट्रक ड्राइवर खुद ले जाता है गलती से, तो उसके खिलाफ पेनल्टी और जुर्माना करते हैं; उसके साथ मारपीट करते हैं।

इस तरह से उन्होंने एक गिरोह बना रखा है। यहां बाहर से कई लोग आये हुए हैं। उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं; वे कहां के हैं, कहां के नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं, लूट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं यह मानता हूं कि ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, उनका कोई अता-पता नहीं है। वे गिरोह बनाकर बोलेरो में आते हैं और उस ड्राइवर को पकड़कर गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। उनका खुद का आदमी ट्रक पर बैठता है और वह नाके पर खड़ा कर देता है। वह इधर का उधर डोलता रहता है कि मेरा ट्रक छुड़ाओ। ओवरलोड के नाम पर उससे पैसा वसूल किया जाता है, उसे मारा-पीटा जाता है। इस तरह से वहां घटनाएं हो रही हैं।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

मेरे बनेठा से बनास नदी गुजरती है, वहां पर भी लीज है। उस ट्रैक्टर वाले को पता ही नहीं है कि यहां पर लीज है, वह तो बनास में जाता है और बजरी भरकर ले आता है। जब बजरी भरकर लाता है, तो थाने वाले उसको पकड़ लेते हैं; कि यह तो वन क्षेत्र की है, तो वन विभाग वाले पकड़ लेते हैं। मेरा निवेदन है कि आप वहां कोई बोर्ड तो लगाओ कि यह वन क्षेत्र है; या अपनी जो लीज है, लीज के पास में वन क्षेत्र है, तो कोई वहां डिमार्केशन ही नहीं है। जहां डिमार्केशन ही नहीं है, तो किसान को कैसे पता लगेगा, आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि यह वन विभाग की भूमि है, कि खनिज विभाग की है। वह गरीब सीधा भरकर लाता है, तो उस पर जुर्माना ठोककर उसे बंद कर दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान रखेंगे। हमारे उनियारा में एक डीवाई.एस.पी. है, उसका तो काम ही यही है। वह रात भर यही देखती रहती है कि कहां ट्रैक्टर आ रहा है। वह चौबीस घंटे इसी में लगी रहती है। वह ट्रैक्टर आए और उसको तुरन्त दबोच लिया जाता है। मैंने कई बार ऊपर के अधिकारियों से भी बात की है; मैंने कहा, इस तरह से किसानों को टार्गेट मत करो, क्योंकि यह अपने जीवन-यापन के लिए बजरी ले जाता है। इस तरह से आप टार्गेट बनाकर उनको इतना मत दबाओ। आने वाले समय में, उनको जितना दर्द हम देंगे, तो हमें भी दिक्कत होगी।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो ठेकेदार बजरी निकाल रहा है, वह नियमों की पालना नहीं कर रहा है और जो नाका उन्होंने लगा रखा है और जो कांटा उन्होंने लगा रखा है, वह 15 किलोमीटर दूर है। अगर वह ट्रैक्टर या ट्रोली, ट्रक भरकर टोंक से उनियारा जाना चाहेगा, तो उसके लिए रास्ते में कोई कांटा ही नहीं मिलेगा तो वह कांटे पर कहां तुलायेगा? या तो जहां से बजरी निकलती है, वहीं कांटा लगे। टोंक से बजरी भरकर जो माधोपुर जा रहा था, उसको पकड़ लिया उनियारा के पास और उसको कहते हैं कि यह तो ओवरलोड है। सीमा से ज्यादा भरने वाले ही ये हैं। अब वह कांटा ही नहीं है, तो कहां तुलायेगा? टोंक से जाने वाला 15-20 किलोमीटर जयपुर रोड पर जाएगा, फिर तुलवाकर वापस टोंक आएगा। यह तो लीजधारक व्यवस्था करे कि वह मौके पर कांटा लगाए, वहां पर रायल्टी नाका लगाकर वहां करें, पर उनका काम पुलिस वाले कर रहे हैं, इसलिए उनको भी चिन्ता नहीं है।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह से लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय नहीं हो।

वन क्षेत्र में जो बजरी पड़ी है, उसको भी लीजधारक अपने रायल्टी काट रहा है। वह भी नियम विरुद्ध है। गलती से कोई भरकर ले जाता है, तो उसको काटने का राइट तो है नहीं, पर वह उसको काट रहा है। इससे भी ठेकेदार को अनुचित लाभ हो रहा है।

मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जो नियम हैं और नियम-विरुद्ध जो काम करता है; नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वह ठेकेदार हो, चाहे कोई भी हो; तो नियमों के खनन करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वह जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसके लिए उसमें प्रावधान है कि जो नियम-विरुद्ध काम करता है उसकी लीज को आप निरस्त कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेड़-पौधे भी लगाने का जहां तक सवाल है कि जो बजरी उठाएंगे, उसके दोनों साइड में ग्रीन बेल्ट तैयार होगी, पर आज तक एक पेड़ वहां नहीं लगाया। कोई पेड़ लगाया ही नहीं। पेड़ लगाने के साथ-साथ, खड्डों को अपने को बराबर भरना है, लेवल करना है, वह भी लेवल नहीं है। वहां कोई देखने वाला ही नहीं है। डिमार्केशन के लिए कोई गांव वाले आ जाते हैं मौके पर, तो पुलिस उनको पाबन्द कर देती है। गांव के गांव पाबन्द हुए पड़े हैं दोनों डोलों के ऊपर। जो भी गांव पड़ता है, सबको पाबन्द कर रखा है 107, 116 में और गलती से वे कहने आ जाते हैं कि साहब, यह नियम-विरुद्ध है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बंद करने की धमकी दी जाती है। गांवों में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हालत बहुत खराब है।

तो मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान कर नियम-विरुद्ध जो ठेकेदार काम कर रहा है, यह नियम से काम करे और आम लोगों को राहत मिले। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दलीचन्द डांगी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी अनुमति से मांग संख्या 42 और 43 के सम्बन्ध में अपनी बात रखना चाहता हूं।

(श्री दलीचन्द डांगी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धरा राजे जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक साल के अन्दर कितने निवेशकों की मीटिंग करके, उसमें विचार-विमर्श करके, प्रोत्साहन करके, राजस्थान में लाने का प्रयास किया।

प्रदेश में पालिसी 2015 में लागू की। इसके लिए राज्य में युवा उत्थान को स्वयं का उत्पाद उत्पादित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी और इस हेतु 2016-17 में 10 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। युवा उत्थान के प्रति समर्पित बजट है। नौजवानों को रोजगार मिले और रोजगार के लिए उनको अवसर मिले, उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, इसका बजट में प्रावधान रखा। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी आदरणीया वसुन्धरा राजे जी ने अपने बजट भाषण 2016-17 में खनन क्षेत्र में पर्यावरण के साथ, खनन श्रमिकों की व्यवस्था एवं उस क्षेत्र की सड़कों के रख-रखाव की समस्या रहती है, उसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये प्रावधान करके सड़कों के लिए सराहनीय कदम उठाया। हमारी मुख्य मंत्रीजी का उसके लिए बहुत आभार और यह बहुत स्वागत-योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन का ध्यान रखते हुए उचित कार्यवाही की जावे। मैं खनन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, खनन क्षेत्रों पर कुछ व्यक्तियों के अधिकार हैं। इस अधिकार को समाप्त करके खनन नीति बनायी जाए, जिससे किसानों को खनन में रोजगार मिले एवं अवसर उपलब्ध हो सकें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में खनिज स्थित आवागमन के साधनों को बढ़ावा देने, खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के तथा उस क्षेत्र में गांवों के लोगों की सुविधा हो सके; खानों में जोड़ने वाली सड़कों पर, रात को वे सड़कें चलती हैं, 40-40 टन के ट्रोले आते हैं जिससे सब रोड टूट गयी हैं। मैं खनन विभाग के मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में देलवाड़ा और खेमली रोड, जो रीको इंडस्ट्रियल एरिया और मादड़ी में खान विभाग है, उसके मेरे विधान सभा क्षेत्र में होकर रात भर खनन विभाग की

(श्री दलीचन्द डांगी)

गाड़ियां चलती हैं, और उसी में कन्टेनर डिपो भी है खेमली स्टेशन पर। तो बहुत मुश्किल रहती है, मैं खनन विभाग से मांग करना चाहता हूं, दो रोड देने की मांग रखता हूं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र में जाना चाहता हूं। मेरे चार इंडस्ट्रियल, रीको इंडस्ट्रियल एरिया हैं; मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीमेंट प्लांट है; मेरे विधान सभा क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक है; मेरे विधान सभा क्षेत्र में झामरकोटड़ा माइनिंग प्लांट है; और मेरे इंडस्ट्रियल एरिया में सुपरफास्फेट प्लांट है; बहुत ही इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन मेरी प्राब्लम एक ही है कि पानी नहीं है। पानी की वजह से मावली बहुत दुखी है। इसलिए इस सत्र में सी.एस.आर. का पैसा मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र में लगाया जाए। अभी तक इन इंडस्ट्रीज वालों ने कोई सी.एस.आर. का काम नहीं किया।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में विकास के काम का कोई डवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में भानसोल-जावड़ में एक रीको इंडस्ट्रियल एरिया लाएं, जहां जमीन बहुत अच्छी है और नाथद्वारा के पास है। मैं आपके माध्यम से मांग रखना चाहता हूं कि यह विकास का काम किया जाए। आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री भंवरसिंह जी।

मैं आप सब से अब निवेदन करना चाहता हूं, 8.30 मैं मंत्रीजी को अपनी अभिव्यक्ति के लिए बुला लूंगा, 7 बज कर 42 मिनट हुए हैं। आप लोग तीन माननीय सदस्य हैं, एक सत्ता पक्ष के हैं, एक आप हैं और एक निर्दलीय हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा विपक्ष को, सत्ता पक्ष ने एक यह बना रखा है, कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनके दो डिमांड से ज्यादा का ये नहीं दे रहे हैं। रिपीटेडली आपके वे के वे नाम आ रहे हैं। You have 24 members. The Chair is, of course, inviting all of them to take part. But these 3 or 4 members have been speaking repeatedly for the last 4 or 5 Demands. So in that case, when I run out of time, then I will have to go to those who have not got opportunities earlier.

एक मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो विषय प्रिविलेज का उठाया, मैं आपका ध्यान रूल 273 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, it is very clearly written, and I am going to repeat it only "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any per-

(श्री उपाध्यक्ष)

son unless the Member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

It stands absolute an order and in a little sense. So I will not allow any such things.

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से जहां खनिज का अथाह भंडारण है, वहां से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत में क्ले और वाल क्ले तथा जिप्सम का अथाह भंडारण है। पिछले लम्बे समय से कोलायत में क्ले की सैकड़ों माइंस स्वीकृत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा, मंत्री महोदय स्वयं यहां विराजमान हैं, आप खुद पिछले दिनों कोलायत गये हैं, कोलायत में जो क्ले की खानें हैं उन खान मालिकों ने पूरी मनमर्जी कर रखी है। इसमें विभाग के अधिकारियों की पूरी-पूरी मिलीभगत है, उनका पूरा संरक्षण है, जिसकी वजह से इन क्ले की खान के जो संचालक हैं उन्होंने जगह-जगह 200-300 फीट, कहीं गहरे गड्ढे कर रखे हैं; वहीं ओवरबर्डन के रूप में पिछले लम्बे समय से बड़े-बड़े पहाड़ बना दिये हैं और लीज क्षेत्र के बाहर इनका लगातार, खनन क्ले के खनन-धारक के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने ओरण की, गोचर की, पायतन की और यहां तक कि श्मशान भूमि की जमीनों को भी खोद दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, और जब विभाग के अधिकारियों को गांव के लोग शिकायत करते हैं, तो उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती है और लोगों को हमेशा अनसुना कर दिया जाता है। पर्यावरण के नियमों की लगातार अवहेलना होती हैं। वहीं जो लीज की सीमा से बाहर का खनन है, उसकी शिकायतें लगातार करने के बावजूद विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कोलायत में चाइना क्ले, वाल क्ले की जितनी भी खानें हैं, उन खानों में जो अवैध खनन क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है, उसका सीमांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और उस अवैध खनन में जो भी अधिकारी लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र

(श्री भंवरसिंह)

में जिप्सम का बीकानेर जिले में और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत और खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में भारी भंडारण है, जमीन के ऊपर जिप्सम पड़ा है और पिछले लम्बे समय से जिप्सम माफिया दिन-रात, मेरे बज्जू उप-तहसील क्षेत्र है, वहां दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां सैकड़ों जे.सी.बी. मशीन लगाकर के, लोगों को जिप्सम के खनन का अधिकार नहीं होने के बावजूद, विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से, इनके संरक्षण से, जिप्सम का लगातार खनन किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिप्सम का जो खनन हो रहा है, उस खनन में मेरे स्वयं के द्वारा बीकानेर के जो विजिलेंस के एस.एम.ई. हैं, चाहे बीकानेर के एम.ई. हैं, चाहे बीकानेर के जो भी अधिकारी हैं, उनको बार-बार कहने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कभी-कभार महीने में एक-दो गाड़ी उन जिप्सम माफियाओं से मिलीभगत करके ये पकड़ देते हैं और सरकारी आंकड़े विधान सभा के सवालों में भेज देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि यदि सरकार चाहे, मंत्रीजी चाहें, तो कोलायत में जिप्सम का इतना अधिक भंडारण है कि उसमें यदि कोई रायल्टी लगा दी जाए, या उसके खनन के ऊपर जिन लोगों का अधिकार है, या जो किसान वहां खेतों में रहने वाले हैं, उनको खनिज पट्टे दे दिये जाएं, तो निश्चित रूप से जो राजस्थान का पांच हजार करोड़ का राजस्व वसूली का खनिज विभाग का टारगेट है, मैं समझता हूं कि हमारे बीकानेर सम्भाग और बीकानेर जिले के जिप्सम से यह टारगेट पूरा हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह भी कहना रहेगा कि कोलायत क्षेत्र में जिप्सम का, लिग्नाइट का, क्ले का, दुनिया भर का खनन होता है, बजरी का भी खनन होता है, सरकार को अरबों रुपये रायल्टी प्राप्त होती है, लेकिन इस रायल्टी और इस राजस्व में से कोलायत की जनता को और जो सड़कें टूट चुकी हैं, इन खनिजों के ओवरलोडेड वाहनों के चलने की वजह से कोलायत क्षेत्र की अधिकांश सड़कें टूट चुकी हैं, 450 किलोमीटर नान-पैचेबल सड़कें हैं; यहां सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी भी विराजे हुए हैं, मैं पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी से और खनिज मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा राजस्व लेकर के कोलायत की जनता के साथ अन्याय मत कीजिए। आप अरबों रुपयों का राजस्व कोलायत से ले रहे हैं और कोलायत की

(श्री भंवरसिंह)

इन टूटी-फूटी सड़कों के लिए आज तक एक किलोमीटर सड़क बनाने का या उनकी रिपेयरिंग करने का बजट नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि इस बार मैंने बजट में पढ़ा है कि जो खनिज क्षेत्र की सड़कें हैं, उनको ठीक किया जायेगा, उसमें कोलायत की अनदेखी नहीं की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, उद्योग के बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले में मोठ, मूंग, मूंगफली, तिल, ग्वार, सरसों, आदि की भारी मात्रा में पैदावार होती है। बीकानेर ग्रामीण और मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहां के लोगों का पशुपालन मुख्य व्यवसाय रहा है। यहां दूध का भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। बीकानेर जिले के भुजिया, पापड़ और रसगुल्लों की पूरी दुनिया में अलग ख्याति है। हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में बीकानेर के खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है। बीकानेर से समय-समय पर मांग उठती रही है। मैं उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि बीकानेर के जो उद्योग हैं, बीकानेर में 400 भुजिया, पापड़ की छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। इन 400 औद्योगिक इकाइयों से करीब 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीकानेर में मेगा फूड पार्क बनाया जाये, जिससे कि बीकानेर में जो छोटे-बड़े उद्यमी हैं, उनको एक ही जगह पर सारी इंडस्ट्रीज लगाकर के सुविधाएं दी जायें, तो इससे निश्चित रूप से बीकानेर के उद्योगों को फायदा मिलेगा और बीकानेर के लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

इसके साथ-साथ, बीकानेर में पिछले 15 सालों से फूड लैबोरेटरी बनी हुई है लेकिन इस लैबोरेटरी को चालू नहीं किया गया है। मैं उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जो खाद्य विभाग के सैम्पल टैस्ट करवाने की लैबोरेटरी है, उसको चालू करवाया जाये, जिससे कि बीकानेर के लोगों को फूड के सैम्पल चैक करवाने के लिए जयपुर तक नहीं आना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर मरुस्थलीय जिला है और पशुपालन यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इसी के फलस्वरूप बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। इस ऊन मंडी में जो धागा बनता है, बीकानेर की जो ऊन है, वह सब जगह निर्यात की जाती है। बीकानेर की जो औद्योगिक इकाइयां हैं ऊन

(श्री भंवरसिंह)

से सम्बन्धित, उन इकाइयों की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। बीकानेर में जो टैक्सटाइल पार्क बनाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है, उस पार्क को बनाने की मांग की तरफ भी मंत्रीजी ध्यान दें, जिससे कि बीकानेर के ऊन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके, वहां के लोगों को रोजगार मिल सके।

इसके अलावा, बीकानेर में सिरेमिक हब बनाने की पिछले दिनों घोषणा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने भी की है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि बीकानेर में एशिया का सबसे बड़ा क्ले और जिप्सम का भंडारण है, जो सिरेमिक उद्योग का मुख्य आधार होता है। इसके बावजूद बीकानेर में सिरेमिक उद्योग नहीं पनप रहे हैं, क्योंकि सिरेमिक उद्योगों को चलाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है, वह डीजल और बिजली से पूरी नहीं होती है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रामगढ़ से बीकानेर तक गैस पाइपलाइन बिछाकर के बीकानेर में जो सिरेमिक हब बनाने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, उसको पूरा किया जाये।

ड्राई पोर्ट बनाने की मांग हमने पिछले दिनों मंत्रीजी से की है। मैं एक बार पुन: बीकानेर में सूखा बंदरगाह बनाने के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

इसके अलावा, सोलर पार्क बनाने की घोषणा भी माननीया मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गई है। मैं एक बार पुन: मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार बीकानेर में सोलर पार्क बनने की पूरी तरह से सम्भावनाएं हैं। यदि बीकानेर में सोलर पार्क बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को जो बिजली की आवश्यकता है, वह इस बीकानेर के सोलर पार्क के माध्यम से पूरी की जा सकती है।

इसके अलावा, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हमारे बरसिंगसर में, गुढा में और बीठनोख में नेवेली के द्वारा लिग्नाइट के विद्युत ताप गृह लगे हुए हैं, लेकिन इन लिग्नाइट इकाइयों के द्वारा जो सी एस आर का काम किया जाता है, यह बीकानेर जिले के इन गांवों में नहीं होकर के, राजस्थान के अलग -अलग गांवों में लगाया जाता है, पूरे देश में लगाया जाता है। लिग्नाइट के माध्यम से जो धुआं उठता है, जो राख उड़ती है, वह उस गांव के लोग सहन करते हैं; इन प्लांटों को लगाने के लिए जो जमीन अवाप्त की गयी है, वह उन गांव के लोगों ने दी है, लेकिन आज डवलपमेंट का पैसा इन गांवों से बाहर

(श्री भंवरसिंह)

लगता है, तो यह निश्चित रूप से इन गांव के लोगों के साथ अन्याय होगा। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध रहेगा कि जो सी एस आर का पैसा होता है, उसमें इस तरह के नार्म्स बनायें जाएं कि उस गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतन लाल जलधारी।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग एवं मांग संख्या 43-खनिज पर चर्चा करने के लिए आपने जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योग एवं खनिज का महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे प्रदेश में तो उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अनेक योजनाएं एवं नीतियां लागू की गई हैं। 'रिसर्जेंट राजस्थान' का आयोजन किया गया, बड़े-बड़े उद्योगपतियों से संवाद कायम किये गये, उन्हें राज्य में उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं से अवगत करवाया गया, ताकि वे राजस्थान में अपना उद्योग स्थापित करने के बारे में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। उद्योग लगेंगे, तो हमारे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा; रोजगार मिलेगा, तो अपराध नहीं होंगे, इनमें स्वत: ही कमी आयेगी; सामाजिक समरसता बढ़ेगी और आम जन खुशहाल होगा।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी की सोच राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। इस दृष्टि से अभी 295 एम ओ यू 3 लाख 38 हजार करोड़ के और उसके 3 महीने बाद फिर 11 हजार करोड़ रुपये के एम ओ यू हुए हैं। जनता में विश्वास है, इसीलिए दुबारा से ये एम ओ यू हुए हैं। इससे हमारे राजस्थान में जो विकास होगा, जो उद्योग लगेंगे, वे जल्दी ही धरातल पर आकर के विकास को गति देंगे।

खनिज क्षेत्र में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उस क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए इस बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान करना, श्रमिकों के लिए एक बहुत ही अच्छी सोच मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में रखी है। उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री रतन लाल जलधारी)

इसी प्रकार खादी को बढ़ावा देने के लिए नये शो-रूम खोलने पर अनुदान की घोषणा इस बजट में की गई है। उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बढ़ावा देने का काम इस बजट के माध्यम से हमारी लोक कल्याणकारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। प्रदेश में स्टार्टअप पालिसी लागू की गई है। रीको द्वारा 6 हजार 800 हेक्टेयर भूमि से लैंड बैंक बनाया गया है, ताकि यहां उद्योग धंधे लगाये जा सकें।

इसी अवसर पर मैं उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा नगरीय हाट योजनान्तर्गत सीकर जिले में अरबन हाट की स्थापना हेतु वर्ष 2009-10 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। सीकर जिला मुख्यालय पर भूमि आबंटित भी हो गई, उद्योग विभाग ने 90 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी और अरबन हाट के निर्माण का काम भी वर्ष 2011-12 में शुरू हो गया, लेकिन उक्त कार्य को बीच में अधूरा छोड़ दिया गया। कार्यकारी एजेंसी आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर

(20.00 बजे)

द्वारा परिसर के चारों तरफ की चारदीवारी एवं कार्यालय, आदि का ढांचा, बिना छत के बनाकर, आज वहां साढ़े तीन साल से लावारिस हालत में पड़ा है। जो निर्माण हो चुका है, वह खंडहर हालत में, जर्जर अवस्था में है। मेरा निवेदन है कि सीकर जिले में हस्त शिल्पियों की बहुतायत है। यहां चर्म, लकड़ी, बंधेज, कोटा डोरिया, आदि के बहुत अच्छे कारीगर हैं। इसलिए सीकर जिला मुख्यालय पर अरबन हाट के पूर्ण निर्माण एवं रखरखाव हेतु इस बजट में प्रावधान किया जाकर, सीकर जिले के शिल्पकारों को मुख्य धारा में लाने का पुनीत कार्य किया जाए। इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह रहेगा कि उद्योग विभाग की संस्था, उद्योग प्रोत्साहन संस्था हस्त शिल्पियों को प्रोत्साहित करने का काम करती है व इसके खाते में लगभग 13-14 करोड़ रुपये की राशि अधिशेष है। सरकार चाहे तो उक्त संस्थान के माध्यम से यह कार्य करवाकर सीकर एवं शेखावाटी क्षेत्र के हस्त शिल्पियों को प्रोत्साहन देने में अपनी भागीदारी निभा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सीकर जिले के नीमकाथाना

(श्री रतन लाल जलधारी)

क्षेत्र में फेल्सपार, केल्साइट, चाइना क्ले, लाइम स्टोन, आदि भी बहुतायत से उपलब्ध हैं। जो उद्योगों का रॉ मैटेरियल है, यह रॉ मैटेरियल अन्य प्रदेशों में सप्लाई होता है। मेरा सरकार एवं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि इन खनिज पदार्थों से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना सीकर जिले में ही यदि की जाएंगी, तो उद्योगों को लोकल लेवल पर रॉ मैटेरियल कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेगा और सीकर जिले के नवयुवकों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। इसलिए यहां पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सीकर जिले में अनेक स्थानों पर जो अवैध माइनिंग हो रही है, कई जगह ब्लास्टिंग से लोगों की जान-माल की हानि होने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। उस ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

खनिज अभियंता कार्यालय, सीकर में जो रिक्त पद हैं, उनको मैं शीघ्र भरे जाने की मांग करता हूं और डेपुटेशन पर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको तत्काल वहां से हटाया जाए, क्योंकि डेपुटेशन पर लगे हुए कर्मचारी और अधिकारी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया हुआ है, लेकिन धोद विधान सभा क्षेत्र में रीको द्वारा कोई भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं है। तो मैं मांग करता हूं कि धोद विधान सभा क्षेत्र में भी रीको औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की जाए।

मानय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 व 43 पर सदन के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त कर दिये गये हैं। 'रिसर्जेंट राजस्थान', एम एस एम ई पालिसी, स्टार्ट-अप पालिसी और मिशन स्किल राजस्थान, ये चार फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं भारत सरकार के और अपनी सरकार के। 'रिसर्जेंट राजस्थान' पर बहुत कुछ कह दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपए के एम ओ यूज 295 और उसके बाद में 51 हैं, कुल 4.70;

(श्री मानिक चन्द सुराना)

डेफिनेटली यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को मैं उस संदर्भ में देखता हूं कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने एक इन्टरनेशनल स्केल की कान्क्लेव उद्योगपतियों और मल्टीनेशनल्स की की, जो समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि साढ़े छह लाख करोड़ रुपये का विनियोजन उसमें आया और राजस्थान के मुख्य मंत्री के द्वारा जो 'रिसर्जेंट राजस्थान' कान्क्लेव की गई, उसमें 3.21 और उसके बाद 51 एम ओ यूज के द्वारा 4.70 करोड़ का विनियोजन आने की बात है, तो निश्चित रूप से यह राजस्थान के औद्योगिक वातावरण के लिए मील का पत्थर है। मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे सारे एम ओ यूज़ माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय उद्योग मंत्रीजी की प्रेरणा से और टीम राजस्थान की प्रेरणा से वे राजस्थान की भूमि के विभिन्न जिलों में लगेंगे; लग करके और उनके माध्यम से एक बड़ा युवकों को रोजगार देने का माध्यम बनें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम एस एम ई की पालिसी के लिए आपने जो बजट में बात कही, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कही है, एम एस एम ई की इंवेस्टमेंट पालिसी के लिए अभी तक तो दो जिलों में आपने इंवेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर खोले हैं, बाकी जिलों में खोलने का काम आगे होगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यदि एम एस एम ई के माध्यम से बड़े विनियोजन को हमें इन्वाइट करना है, तो ये दो जिलों में आपने खोले हैं, वह काफी नहीं है। (व्यवधान) मैं तो बजट को देख रहा हूं, बजट में तो दो की घोषणा है। आप दो और बता रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं अर्ज करूंगा आपको कि जो दूसरे औद्योगिक जिले हैं, जहां बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, बीकानेर में भी हैं, आप बीकानेर में और राजस्थान के बाकी के अन्य जिलों में इनको खोलें, क्योंकि, देखिये, आपके पास तीन साल हैं, आप तीन साल के भीतर सारे जिलों को, इस साल और अगले साल में सभी जिलों को कवर करने का काम करेंगे, जहां भी औद्योगिक निवेश की संभावनाएं हैं, तब जाकर उसकी असल उपलब्धि आएगी। आप पांच साल को ध्यान में न रखें कि हमारे पास पांच साल हैं। (व्यवधान) मैं यही अर्ज कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्किल राजस्थान, मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख है कि जो तीन लाख लोगों को प्रशिक्षण देने की बात कही गई और तीन लाख लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार या दूसरे रोजगारों में एब्जोब करने की जो बात कही, दो साल चार महीने हो गये, माननीय उद्योग

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मंत्रीजी, सात लाख लोगों को प्रशिक्षित करना था और आपने कितने प्रशिक्षित किये हैं? छह लाख? (व्यवधान) डाटा मैं दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं; आपकी सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है विधान सभा में, वह दे रहा हूं। इसको ध्यान से नोट कर लें, श्रम मंत्रीजी, और जवाब आप ही के विभाग का है। यह भी मैं आपको कह रहा हूं कि जवाब आप ही के विभाग का है। (व्यवधान) मुझे जवाब दिया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 फरवरी, 2016 को; उद्योग मंत्रीजी, आप भी नोट कर लें; प्रश्न संख्या 70 (7003)। जो 15 फरवरी को मुझे जवाब दिया गया है, मैं उसी के रेफरेंस में आपको आंकड़े दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जवाब में जो कुछ कहा गया, उसके आधार पर 15 जून, 2015 तक 47,958 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। (व्यवधान) मैं जो बोल रहा हूं, वह आपका जवाब है। आपको वहम हो, तो मैं वह जवाब पढ़ दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाब है इनका, जब यह कह रहे हैं कि एक लाख या दो लाख, जो भी कहें, दिनांक 12-13 से 15-15 तक कुल प्रशिक्षित 47,958 युवाओं में से 25,422 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गये। ध्यान में आ गया आपको? यह जवाब आपका ही है। उसके आगे सुनिए, 16 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2015 तक कुल 15,515 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इनमें से 4,814 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों, 30 जून, 2015 तक की जो बात है, 63,473 लोगों को, आपने जो प्रश्न के आधार पर जवाब दिया, उसके अनुसार आपने प्रशिक्षित किया।

अब आपने जो रोजगार दिया, मेरे पास 'रिसर्जेंट राजस्थान' है, मेरे पास आपका 'रिसर्जेंट राजस्थान' है और उसके 'प्रगतिशील राजस्थान, अभिनव पहल', इस डाक्यूमेंट के पेज 10 के आधार पर, जो आपने लिखा है, वह सुन लीजिए। विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 93,484 युवा प्रशिक्षित किये गये। यह डाक्यूमेंट आपका है, मेरा नहीं है। 'रिसर्जेंट राजस्थान' नवम्बर में हुआ है, 4 महीने के और जो प्रशिक्षित हैं, उसको बाद में जोड़ लेंगे। आपको दे देने चाहिए। यह डाक्यूमेंट तो सेपरेट है, जिसको आपने सर्कुलेट किया है, राजस्थान की गरिमा की दृष्टि से, स्किल की गरिमा की दृष्टि से। उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं 30 जून तक आपने 63,473 को प्रशिक्षित कर दिया और 'रिसर्जेंट राजस्थान' तक 93 हजार। जून के बाद नवम्बर तक आपने 30 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अब आपका दूसरा डाक्यूमेंट है, जिसमें आपने कितनों को रोजगार दे दिया। माननीय श्रम मंत्रीजी, सुनिए। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा 38 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। यह डाक्यूमेंट है, "सच होते सपने, पूरे होते वादे।" मैं निवेदन करना चाहूंगा, 200 संस्थाएं तो आपने बता दीं कि हमारी 'स्किल राजस्थान' में काम कर रही हैं; 73 संस्थाएं आपने बता दीं, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो जुलाई, 14 से शुरू हुई, उसके लिए 43 एजेंसियों से आपका एम ओ यू है। 43 की आपने लिस्ट दी है। उसमें 4 के तो आपने कैंसिल किये हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब 39 ही रहे।

यह जो डाक्यूमेंट इन्होंने दिया है, इसमें जिन ट्रेड्स का जिक्र है, मैंने बहुत गौर से इसको देखा; उपाध्यक्ष महोदय, सुथारी का काम, प्लम्बर का काम, मुझे एक जगह तो अजमेर में मिला और एक जगह सीकर में मिला। ये 43 संस्थाएं जो आपने ग्रामीण रोजगार के लिए चिह्नित की हैं, सुथारी का काम दो जगह है; लैदर का काम किसी जगह नहीं है; हैण्डीक्राफ्ट्स का काम किसी जगह नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब सुथारी के काम में राजस्थान का सुथार आज मुम्बई में पचासों बड़े शोरूम चला रहा है, बीकानेर के 5-10 लोग हैं जो बीकानेर से सुथारी के काम में गये, फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर के शोरूम हैं, कम से कम 25 करोड़ तक पहुंच गये हैं। जिन कामों को आपको बेसिकली बढ़ावा देना है, उद्योग मंत्रीजी, उन कामों को बढ़ावा आपने भी नहीं दिया है।

यह जो स्थिति है कि 38 हजार लोगों को तो आपने दे दिया, दूसरी निजी कंपनियों में चले गये; मैं पूछना चाहता हूं, बाकी जो 93 हजार में बचे, उनका क्या हुआ? आपने कितनों को रोजगार दिलाया? कितनों को स्वरोजगार के लिए ऋण देंगे? खाली 'स्किल राजस्थान' का नारा लगाने से 'स्किल राजस्थान' का जो मिशन है, वह पूरा नहीं होगा। पिछले साल तक 'स्किल राजस्थान' में हमें 6 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना था, हमने 6 लाख की जगह 93 हजार को प्रशिक्षित किया। यह आपका रिकार्ड है, यह आपकी कहानी है, आपके द्वारा दिये गये तथ्य है। मैंने सारा डिटेल में मांगा है। मैंने डिटेल में यहां तक मांगा था कि आप लोगों के नाम बताएं कि कौन कहां हैं, वह आपने नहीं दिया है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष जी, मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं, बजट में पेज 28 पर मुख्य मंत्रीजी ने कहा है ''रूडा के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 60 हजार आर्टिजंस को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रोफेशनल सर्विस हायर की जाएंगी।'' आगामी 5 वर्षों में। काम तो तीन साल में करना है, चाहे मुख्य मंत्रीजी का बजट हो, चाहे आपका हो। प्रावधान क्या रखा है आपने, इस साल दो करोड़। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 60 हजार को आपको प्रशिक्षण देना है तीन साल में, चाहे आपने 5 साल लिखा होगा, और 20 हजार को प्रशिक्षण देना है। इस 2 करोड़ की राशि को 20 करोड़ करिए। माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करिए हाथ जोड़कर कि इस सम को बढाएं। आखिर हर साल 3 लाख लोगों को रोजगार देना है, 60 आर्टिजंस को रोजगार देंगे, तो 20 करोड़ का खर्चा लगता है तो लगेगा।

आगे आइये, आपने कहा है, ''खादी को फैशन की मुख्य धारा में लाने एवं राजस्थान खादी बोर्ड के नये शोरूम खोलने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।'' शोरूम तो एक ही खुलेगा 2 करोड़ 50 लाख में। खादी को फैशन में लाने के लिए कौनसा प्रावधान है? खादी को फैशन में लाने के लिए 50 करोड़ चाहिए। माननीया मुख्य मंत्रीजी पहले 2003 से 2008 के दौरान खादी पर 20-25 करोड़ का व्यय कर चुकी हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, न सुथारी पर ध्यान है, न कुम्हारी पर ध्यान है, न चमड़े के कारोबार पर ध्यान है। अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, छोटे-छोटे आर्टिजंस की बात वे कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के आर्टिजंस को चिह्नित करिए और इसमें उनको डालिए। आपका जो खादी के प्रति रवैया है, खादी में जो पर्यवेक्षक था खादी बोर्ड के नीचे, जो फील्ड में जाकर छोटे उद्योगों को, ग्रामीण उद्योगों को प्रेरित करता था, एप्लिकेशन बनाता था और गांव में उसको चिह्नित करता था, आपने सारे के सारे पर्यवेक्षक ग्रामीण विकास में डाल दिये। मैं आज भी अर्ज करूंगा कि यदि 'स्किल राजस्थान' को चलाना है, तो खादी के उन पर्यवेक्षकों को वापस ग्रामीण विकास से निकालकर खादी बोर्ड के नीचे दीजिए और जो पर्यवेक्षक का अनुभव रखते हैं वे ही ग्रामीण कुटीर उद्योग के अन्दर काम करेंगे। ग्रामीण विकास में लोग चाहिए, तो राजस्थान पूरा रोजगार के लिए खड़ा है, आप ले लीजिए जितने चाहिए, 200-300-500 आदमी, पर खादी को बरबाद करके, ग्रामीण विकास को वे समझते नहीं, और जो समझते हैं उनको आपने हटा दिये हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हमने लैण्ड बैंक बना दिया, बहुत बधाई देता हूं कि आपने 6,800 एकड़ का लैण्ड बैंक बना दिया, अगले साल आप कहेंगे कि 10 हजार एकड़ का बनाएंगे। हमारे बीकानेर की इण्डस्ट्रीज, न तो रानी बाजार, न इण्डस्ट्रियल एरिया करणी नगर है उसमें जगह है, न खारा में जगह है। कहां लगाएं इण्डस्ट्री? आप हमको औद्योगिक क्षेत्र तो दीजिए। 400 एकड़ का जो क्षेत्र बार-बार चर्चा में आया है, जो खारा के पास है, उस क्षेत्र को आप बीकानेर की इण्डस्ट्रीज के लिए रिजर्व कीजिए।

लूणकरणसर में इण्डस्ट्रीज के लिए एक प्लाट खाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लूणकरणसर का जो इण्डस्ट्रियल एरिया है, उसके पास ही खसरा नंबर, खसरा नंबर कृपया उचित समझें तो नोट कर लें, 730/975, 209 बीघा 8 बिस्वा, सिवाय चक लैण्ड, जो इण्डस्ट्रियल एरिया के चिपटी हुई है; मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें सक्रियता से इस लैण्ड को सरकार की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करके, कलक्टर को निर्देशित करके, इसको इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए डिमार्क करें। एरा-गैरा-नत्थू-खैरा 300 रुपये बीघा में अलाट कराने का षड्यंत्र कर रहा है और उस षड्यंत्र में जो मेरे यहां सरकारी अधिकारी हैं, उन्हीं का रोल है। जो भी फाइल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्रीजी को कहिए कि उसको कैंसिल करें। यह भूमि आपको अन्यथा 50 करोड़ में नहीं मिल सकती; जो लैण्ड एक्वीजिशन का कानून है, राजपाल जी खूब परिचित हैं और आप भी परिचित हैं, वह इतना सख्त है कि यह जमीन 50 करोड़ में मिलेगी। आज आप अफर्ट करेंगे तो आपको 500 इण्डस्ट्रीज के लिए 209 बीघा में से आपको जमीन मिल सकती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लैण्ड बैंक राजस्थान में तो बनाइये, लेकिन बीकानेर शहर का ध्यान करिए, लूणकरणसर का ध्यान करिए, नोखा का ध्यान करिए, कोलायत का ध्यान करिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इण्डस्ट्री पर मैंने कुछ निवेदन किया है....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसे तो रात की 11 बजेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, साहब, किसलिए बजेगी?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं सिर्फ सदन का ध्यान, माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया झुन्झुनूं जिले की काटली नदी का। काटली नदी के पेटे में 50 फीट गहरे खड्डे उस नदी के बहाव में कर दिये गये और बजरी का खनन किया गया, और किया ही नहीं गया, किया जा रहा है। जब यह मुद्दा हुआ, मुझे बहुत अफसोस है कि सरकार ने जो जवाब दिया, उसमें यह कहा, जो भी जवाब दिया उसका मेरे पास नोट है; उपाध्यक्ष महोदय, नोट नहीं, उसकी फोटो कापी है और दीपक उप्रेती जी के उसमें दस्तखत हैं। नदी के पेटे में क्या कोई खातेदारी हो सकती है? मैंने माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया, तो भी वे कह रहे हैं कि तहसीलदार कह रहा है कि खातेदारी है नदी के पेटे में। राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 16 (2), 1955 में बन गया और उसमें कह दिया गया कि नदी के पेटे में और गोचर में कोई खातेदारी नहीं हो सकती; no 'khatedari' shall be approved. 1955 में कानून बन गया और आप 2016 में बात कर रहे हैं कि खातेदारी को वह तहसीलदार कैंसिल कर रहा है। मेरा आरोप है, आपके सारे माइनिंग इंजीनियर और जो ऊपर के इंजीनियर हैं, अप-टू गलत सूचनाएं आपको दी हैं, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को दी हैं। आप नये मंत्री बने हैं, आप विधान सभा के सदस्यों की सूचनाओं को ज्यादा गम्भीरता से लें। कितनों ने आपको सूचना दी है कि नदी के पेटे में हो रहा है? और यह वर्षों से हो रहा है। यदि आप माप करायेंगे, तो 20 करोड़ रुपये की रिकवरी पेनल्टी सहित उस रामकिशोर गुर्जर, जिसने इसमें खोदा-खोदी की है, और मैंने नाम सहित अध्यक्षजी को स्थगन प्रस्ताव में दिया है, उससे वसूली की जा सकती है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सस्पेंड कराओ दो-तीन अधिकारियों को आज ही।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि खान विभाग कोई सीरियस है इस सब की रिकवरी के लिए। मेरा निवेदन है कि न तो कोई उसके पेटे में खातेदारी है और जो हो रहा है, वह इनके अधिकारियों की मिलावट से हुआ है। इन्होंने जवाब दिया है कि हमने उसको रोक दिया है, कैम्प बिठा दिया है। कैम्प क्यों बिठा दिया, यदि खनन हो ही नहीं रहा था? क्यों कैम्प बिठाये? वहां चौकी क्यों लगा दी? आपको यह स्वीकार करने में कहां परेशानी है कि हां, अनधिकृत खनन हुआ है। हम यही

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तो कह रहे हैं कि अनधिकृत खनन हुआ है और आपका दायित्व है खनिज मंत्री होने के नाते कि आप रोकें, और सरकार का दायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय, समय की सीमा है और सीमा के कारण, आपकी इजाजत हो, तो मैं 2-3 मिनट और कह दूं, क्योंकि साढ़े आठ बजे का आपने फरमाया है।

श्री उपाध्यक्षः फरमाओ।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, जो रेफरेंस खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में कहा कि सिंघवी के खिलाफ चालान हुआ है, चालान हुआ है निश्चित रूप से थोड़े से लोगों के खिलाफ। उस सारे इन्वेस्टिगेशन में जिन-जिन लोगों से रिश्वत लेकर के अलाटमेंट किये गये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे अलाटमेंट आज भी खारिज हो गये? हो गये तो आप घोषणा करना। जितनों से उन्होंने रिश्वत ली और जिनका इन्वेस्टिगेशन.... आप सोच-समझकर जवाब देना इसमें; जितनों से रिश्वत ली और जो इन्वेस्टिगेशन में प्रूव्ड हैं और उसकी जितनी खानें थीं, उनको आपने विधिवत कैंसिल कर दीं। आपने यदि घर बैठे कोई एक एग्जीक्यूटिव आर्डर निकालकर कैंसिल कर दिया, तो वह कैंसिल नहीं मानी जाएंगी। आपको उनको नोटिस भी देना पड़ेगा और नोटिस देकर कार्यवाही करनी पड़ेगी। कोई एक्शन आप यदि प्रिंसिपल्स आफ नैचुरल जस्टिस के खिलाफ करते हैं, तो आपका एक्शन भी वाइड है, अवैध है और शुरू से आखिर तक उसका कोई मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, खनन नीति कहां है? कहां है खनन नीति? भारत सरकार ने बना दी है, भारत सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर दिया है और उसके अनुसार राजस्थान सरकार का दायित्व है और सरकार कहती भी रही है कि हम खनन नीति बनायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप खनन नीति की घोषणा करें। अनधिकृत रिश्वत के आधार पर जो खानें सिंघवी ने अलाट की हैं, सिंघवी के गुट ने अलाट की हैं, उनको खतम करें, और जो लोग खाली सरकारी गवाह बनकर बच रहे हैं, मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रीजी इस पर भी विचार करें। यदि और कोई एविडेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इनका उपयोग करें, लेकिन उनकी भी जो मिलावट है, उनका जो काल्यूजन है, उसको भी आप ध्यान में रखकर, जो भी विधिवत उनके खिलाफ भी करनी है, उसको करने हेतु मैं आपसे निवेदन करता हूं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

यही निवेदन करके मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह जी।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की जो अपार्च्युनिटी दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

212 कटमोशन प्राप्त हुए हैं और मैं माननीय सदस्यों को उनका जो जवाब है, वह कल पहुंचा दूंगा।

माननीय सदस्य, जिन्होंने आज डिबेट की है, उन सब को धन्यवाद देना चाहता हूं। मांग संख्या 42 पर आपने अपनी समस्याएं बतायीं और आपने जो सुझाव दिये, उनके लिए मैं आपका आभारी हूं।

प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था है और रोजगार है, उसके अन्दर उद्योग की एक बहुत अहम भूमिका है। विश्व अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है। 8 साल पहले अमेरिका से रेसेशन शुरू हुआ था, यूरोप में फैला और वह ही रेसेशन, मंदी का दौर फिर एशिया के अन्दर आया। हमारे देश का फिर भी सौभाग्य है कि हमारी खुद की डिमांड इतनी मजबूत है कि हम इतनी बुरी तरह अफेक्टेड नहीं हुए, जितने आम देश अफेक्टेड हो रहे हैं। यह डिमांड कम होना, फैक्टरी, सर्विसेज, बिजनेसेज बन्द होना, बेरोजगारी बढ़ना, मुद्रास्फीति बढ़ना, यह एक विशियस सर्किल है, यह घूमता ही रहता है और इसके भंवर से निकलना बहुत मुश्किल रहता है।

हमारी जो जनसंख्या है, हमारी वर्किंग फोर्स, हमारे जो यूथ हैं, विश्व का सबसे युवा देश भारत है और लगभग 72 प्रतिशत जो हमारी जनसंख्या है, वह 32 साल से कम है। इसकी वजह से हमारे देश के ऊपर बहुत प्रेशर है कि हमारे युवाओं को रोजगार कैसे देना है। इस मंदी के अन्दर यह हर प्रदेश के लिए एक बहुत ही भारी प्रेशर हमारे ऊपर मंडरा रहा है। यह जो आपस में काम्पीटिशन हो रहा है निवेश लाने का, यह भी बहुत गम्भीर है, उपाध्यक्ष महोदय। इस गम्भीरता को देखते हुए, क्योंकि सरकारी नौकरियों से रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है; जो डिमांड है जाब्स की, उसमें नौकरियां बहुत कम हैं। इसलिए अति-आवश्यक है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो निवेश है, चाहे वह हमारे देश के अन्य प्रदेशों से आये, चाहे वे प्रवासी राजस्थानी हों, चाहे वह विदेश से निवेश आये, पर जो मेन मुद्दा है, वह यह है कि निवेश कैसे लाना है, मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर को कैसे बढ़ावा देना है, और हमारे

(श्री गजेन्द्रसिंह)

युवा को नौकरी कैसे देनी हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी दूरदृष्टि की वजह से, उन्होंने पिछले दो साल से यह कार्य शुरू कर दिया था कि निवेश कैसे लाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले वर्ष गुजरात प्रवासी दिवस के ऊपर गुजरात गया था और वहां अन्य प्रदेशों के 11-12 मुख्य मंत्री थे।

जब मैं उनका भाषण सुन रहा था, मैंने जो काम्पीटिटिवनेस देखी, एक मुख्य मंत्रीजी बोले कि मेरा प्रदेश निवेश के लिए तैयार है, आप मेरे से पर्सनली मिलिए, डाइरेक्ट कांटेक्ट करिये, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। उसके पश्चात् जब दूसरे मुख्य मंत्रीजी बोले, उन्होंने कहा कि मेरे मित्र ने आपको निवेश लाने के लिए वेलकम किया है; आप 24 घंटे आइये, मैं भी आपके लिए तैयार हूं; इनके तो घर के दरवाजे खुले हैं, मेरे तो घर के दरवाजे और खिड़कियां भी खुली हैं। तीसरे मुख्य मंत्रीजी उसके बाद में बोले कि मेरे जो दोनों कलिग्स हैं, इन्होंने आपका अपने प्रदेश में स्वागत किया है इन्वेस्टमेंट के लिए; आप मेरे से मिलिए डाइरेक्टली, 24 घंटे मैं आपके लिए तैयार हूं; मेरे घर के दरवाजे भी खुले हैं, मेरे घर की खिड़कियां भी खुली हैं और आपके लिए मेरा दिल भी खुला है। This is the kind of cut-throat competition.

इन्वेस्टमेंट कैसे लाना और इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, हमने बहुत मेहनत की है दो साल और यह खाली इसमें उद्योग विभाग की भूमिका ही नहीं है। उद्योग विभाग तो केवल नोडल एजेंसी था। हमारे दूसरे जितने भी कलिग्स यहां विराजमान हैं, इसके अन्दर गृह विभाग, इसके अन्दर मेडिकल एण्ड हैल्थ, इसके अन्दर पी एच ई डी, इसके अन्दर माइन्स, इसके अन्दर ट्यूरिज्म, इसके अन्दर एग्रीकल्चर, इसके अन्दर पी डब्ल्यू डी; करीबन 11-12 डिपार्टमेंट्स इन्वाल्व्ड हैं। हम लोगों ने रोड शोज किये हमारे देश के प्रमुख शहरों में; माननीया मुख्य मंत्रीजी भी विदेश गईं, मैंने भी विदेश का दौरा किया। ये दो साल की मेहनत और जो हमने कड़ा परिश्रम किया, इसको हम बिल्ट-अप करके, 19 से 21 नवम्बर को एक प्लेटफार्म बनाया और एक माहौल बनाया राजस्थान के प्रति।

यह जो निवेश आया है, यह खाली एक, दो, तीन दिन का कान्क्लेव करके नहीं आया है। हर एयरपोर्ट पर, हर स्टेशन पर, हर जगह हमने 'रिसर्जेंट राजस्थान' को एक हाइप बनाया और जिसकी वजह से लोगों के अन्दर

(श्री गजेन्द्रसिंह)

कान्फिडेंस हुआ, वे हमारे प्रदेश में आये। क्योंकि उनको हमारी सरकार पर भरोसा था, हमारी मुख्य मंत्री जी पर भरोसा था और हमारे इरादों पर भरोसा था और हमारी पालिसीज पर भरोसा था। निवेश कोई आटोमेटिकली या भूले-भटके नहीं आ गया। ये जो एम ओ यूज साइन होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी, निवेशकर्ता हैं, वे एम ओ यूज साइन करा लेते हैं। जैसे माननीय सदस्यों ने बोला कि भई, एम ओ यूज साइन कराने से क्या होता है? जैसे सुराना साहब ने कहा कि ये तो जब मैटेरियलाइज होंगे, तब हम मानेंगे। यह बात बिलकुल सही है, एम ओ यू तो एक कागज पर दस्तखत है, लेकिन इसको रियलिटी कैसे बनाना है। हमने पिछले 'रिसर्जेंट राजस्थान' में गलती की थीं; हमने खाली एम ओ यूज साइन कराकर, बल्ले-बल्ले कर दी कि इतने एम ओ यू साइन हुए। इस बार हमारे अधिकारियों ने स्क्रूटनी की, इन्वेस्टर का क्या बैकग्राउण्ड है, इन्वेस्टर की क्या सीरियसनेस है, इन्वेस्टर कहां-कहां अपना बिजेनस कर रहा है, और हमने सीरियस लोगों को एम ओ यू साइन करने के लिए कहा और उनसे एम ओ यू साइन कराये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हैं। निवेशकर्ता जब अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह कई चीजें सोचकर आता है। वह खाली 'रिसर्जेंट राजस्थान' पर या एक हाइप के ऊपर केवल नहीं आता है, क्योंकि उसका भी भविष्य एट स्टेक है और उसको अपनी रिटर्न-आन-इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसको अपना रिस्क मिनिमाइज करना है; उसको देखना है कि रॉ मैटेरियल कहां है; लेबर कंडिशन्स कैसी हैं; और ये सब जितने भी मापदण्ड हैं कि लोगों की तनख्वाहें क्या हैं, अवेलेबिलिटी आफ लेबर क्या है। इसके अन्दर जो हमारे विशेष, जिसको मैं कहूंगा, एडवांटेज राजस्थान, सबसे पहले तो यह है कि हम नेशनल कैपिटल रीजन के नजदीक हैं। मार्केट्स काफी इतना बड़ा है नेशनल कैपिटल रीजन का। तो लोग दिल्ली से बाहर या तो नोएडा (उत्तर प्रदेश) जा रहे हैं। तो इससे हमारे भिवाड़ी क्षेत्र में और नीमराना, खुशखेड़ा, यह जो एरिया है, इसके अन्दर भी लोग आने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि यह नेशनल कैपिटल रीजन के अन्दर आता था।

इसके बाद में डी एम आई सी हमारे राजस्थान के थ्रू रन कर रहा है; 40 प्रतिशत डी एम आई सी हमारे यहां से निकल रहा है। उसका भी एक बहुत मेजर एडवांटेज था। हमारे लेबर लाज हमने अमेंड किये और उसके बाद

(श्री गजेन्द्रसिंह)

में केन्द्र ने भी हमें फोलो किया। We were the pioneers in amending labour laws. अवेलेबिलिटी आफ लैण्ड; जमीन की कीमत; ला एण्ड आर्डर सिचुएशन; प्राइस आफ लैण्ड; और पालिसी आफ द गवर्नमेंट।

आज अलवर से भी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये थे। मैं आप लोगों को यही कहता हूं, जब मिलता हूं, कि यह जो आपका जयपुर-टू-दिल्ली एरिया है, यह गोल्डमाइन है। आप लोग अच्छा प्रोस्पर करेंगे। जिस स्पीड से वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जापानीज जोन-वन होकर जोन-टू भी वहां आ रहा है; कोरियन जोन भी आ रहा है; बड़ी-बड़ी कम्पनीज जैसे बाश है, होण्डा है, सेंट गोबिन है, जे सी बी है।

अब इनको विश्वास है, तभी ये लोग आ रहे हैं। अभी तीन दिन पहले सिटी पैलेस में एक लंच था, जे सी बी के मालिक खुद विदेश से आये थे, उनका लंच था और उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को यही बोला, It's a pleasure doing business in Rajasthan. यह हमारा जो वातावरण है, यह जो हमारा निवेश आया है, यह कोई आसमान से आकर नहीं गिरा है। हमने कान्फिडेंस क्रिएट किया है, जिसकी वजह से यह निवेश यहां पर आया।

'रिसर्जेंट राजस्थान' के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां क्रीम आफ इंडस्ट्रियलिस्ट आई। अब जो भी टोप नाम लें, वे सब यहां थे। खाली सैर करने तो नहीं आये थे, इन्वेस्टमेंट करने आये थे। विश्वास था हमारे प्रदेश में, हमारी पालिसीज में। 470 एम ओ यू साइन हुए टोटल आज दिन तक; 3.3 लाख करोड़ रुपये सीरियस एम ओ यूज, मैंने जैसा आपसे पहले भी चर्चा की थी, और जो बहुत एनकरेजिंग बात है, वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो एम ओ यू साइन हुए, उसके 60 प्रतिशत लोगों ने वह जमीन सर्च करना शुरू कर दिया है। यह एक संकेत है। आपके जो सबसे एडवांस्ड स्टेट हैं ना, उनमें भी materialization rate of MOUs is not more than 40 per cent. 60 परसेंट लोगों ने जमीन ढूंढना शुरू कर दी और जमीन वही ढूंढता है, जो सीरियस होता है। एम ओ यू कई उद्योगपति साइन कर लेते हैं और फिर दूसरे प्रदेशों के मुख्य मंत्री हैं, उनसे जाकर मिलते हैं कि देखिये, साहब, राजस्थान हमें यह टर्म्स एण्ड कंडिशन दे रहा है, डी एल सी रेट पर लैंड दे रहा है; वह मुख्य मंत्री कहता है, मैं तुम्हें फ्री दूंगा। It's very highly competitive. और इन एम ओ यू का, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत फर्म मानिटरिंग हो रहा है। खाली एम ओ यू साइन करके हमारा विभाग बैठ नहीं गया।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

अब जो यह वातावरण बना है, उसके पीछे कई चीजें हैं, जो मैं आपको वन-बाई-वन डिस्क्लोज करूंगा। सर्वप्रथम मैं आर आई पी एस-2014, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, इसके अन्दर जो एडवांटेज राजस्थान हमारे पास, जो मैंने आपको बताया है, जो हमारे पास एडवांटेजेज थे, उनको कैपिटलाइज करते हुए, रिप्स के जो मेजर उद्देश्य थे, एक तो नए उद्योगों को लाना और दूसरा था, स्थापित उद्योगों का एक्सपेंशन करना। उसका यह रिप्स-2015 का मेन जो थ्रस्ट था, वह यह था। एक फ्लैक्जिबल पालिसी बनी so that we could meet competition.

जो स्पेशल हमने रियायतें दीं, इसके अन्दर 'वैट' के अन्दर छूट; इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ की; हमने एंट्री टैक्स माफ किया; मंडी टैक्स माफ किया; लग्जरी टैक्स माफ किया। एंटरटेनमेंट टैक्स, कन्वर्जन चार्जेज और कई चीजों में हमने इंटर-सब्सिडी भी दी है, depending on sector to sector.

हमारा जो मेन पंचलाइन था, वह था कि 'employment and investment' सब्सटेंशल होनी चाहिए। यह जो हमने बार बनाया इन्वेस्टमेंट का और एम्प्लायमेंट का, वह था 400 करोड़ रुपये का निवेश लाये और मिनिमम 400 लोगों को रोजगार दें। ये दो पैरामीटर्स हमने मेनली, इनके ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे थे। एम एस एम ई भी तो हम कर ही रहे थे, पर इनको हम कस्टमाइज्ड पैकेज दे रहे थे, what you call it, tailor-made packages.

हमने सर्टेन सेक्टर्स जो हैं, जहां हमारी स्किल्स हैं, जहां हमारे पास रा मैटेरियल्स हैं, जहां हमारा एडवांटेज है राजस्थान के अन्दर, उनको हम थ्रस्ट सेक्टर्स में लेकर आये और वे थे सिरेमिक इन ग्लास, टैक्सटाइल्स, टूरिज्म, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, पावरलूम, डेयरी, एम एस एम ई, ई एस टी एम, Electronics, Pharmaceuticals, Plastic to Oil और इंडस्ट्रियल गैसेज। इलेक्ट्रोनिक्स को हमने यूं बढ़ावा दिया क्योंकि पानी की जरूरत कम पड़ती है और इसके अन्दर लैडीज भी काम कर सकती हैं। तो इसको एक स्पेशल सेक्टर माना गया। हमारी जो इन-स्ट्रेन्थ्स ताकते हैं, इनको और बढ़ावा देने के लिए हमने इनको स्पेशल रियायतें दीं। हमने बैकवर्ड एरिया, मोस्ट बैकवर्ड एरिया की भी घोषणा की ताकि दूर-दराज वाले जो डिस्ट्रिक्स हैं उनको भी रियायतें मिलीं, ताकि वहां खाली दो-तीन जगह में सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, इन्वेस्टमेंट का यह थोड़ा स्प्रेड हो राजस्थान में, इसके लिए हमने स्पेशल पैकेजेज दिये।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

यह सब करने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, निवेशकर्ता जो आता है, वह लालफ़ीताशाही से परेशान है। वह नहीं चाहता कि इस आफिस से उधर जाए, इस परमिशन से उधर ले, विलम्ब हो और चक्कर काटता रहे। He doesn't want to be harassed. तो इज-आफ-डूइंग बिजनेस है, अभी वर्ल्ड बैंक ने, यह हमारा असेसमेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने हमारे जितने भी प्रदेश हैं उनका एक सर्वे किया और राजस्थान को इज-आफ-डूइंग बिजनेस में छठा स्थान दिया। बहुत कुछ करने को है, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि कई चीजें हम सीखेंगे और कई चीजें हमने आनलाइन कंप्यूटराइज कर दीं, ताकि सरकार और निवेशकर्ता के बीच में मिनिमम कांट्रेक्ट हो; परमिशंस आसानी से मिलें; उनको पूरी इन्फोर्मेशन मिले, जो लैबर रिफार्म्स हैं। पोल्युशन कंट्रोल के अन्दर 88 ग्रीन इंडस्ट्रीज डिक्लेयर की गई। आनलाइन एप्लिकेशंस ट्रैकिंग, ट्रांसपेरेंसी और टाइम-बाउंड इंस्टेंट एप्लिकेशन; नहीं तो पहले डी आई सी जाती थी और वह आता था, वहां पन्द्रह दिन लगते थे। आप अपना फार्म भरकर के अपना डिक्लेरेशन दे दो, your form will be accepted immediately. उसके बाद में एकल खिड़की जो है, रूल्स-2016, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जिसके अन्दर एप्लिकेशन प्रोसेस सिंपल बनाया हुआ है और आप एक जगह जाकर के अपने सब क्लीयरेंसेज ले सकते हैं। डाक्यूमेंटेशन को कम कर दिया है और टाइम-बाउण्ड कर दिया है कि निवेशकर्ता आकर के जब से एप्लिकेशन करता है, तब से उसको जमीन कब मिलती है, उसको बिजली-पानी कब मिलते हैं, वह प्रोडक्शन में कब आता है, यह चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर बहुत रेगुलरली मीटिंग होकर के इसकी मानिटरिंग हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में हम चौथे स्टेट थे, स्टार्टअप पालिसी जो हम लेकर के आये हमारी। हम चाहते हैं कि यह जो स्टार्टअप पालिसी है, यह यंग एन्टरप्रिन्योर्स के लिए हैं, युवा निवेशकर्ताओं के लिए हैं, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनके अन्दर उत्साह है और जो आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। स्टार्टअप ओएसिस सीतापुरा में शुरू किया गया, आई आई एम के साथ काट्रेक्ट किया गया और चालीस स्टार्टअप्स वहां पर शुरू हो गये। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स के अन्दर जो है, यदि बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्टेब्लिश करना चाहते हैं; आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास दफ्तर नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है, तो एक

(श्री गजेन्द्रसिंह)

क्यूबिकल के अन्दर आपको हमारा डिपार्टमेंट इंटरनेट कनेक्शन दे देगा, बिजली दे देगा, पानी दे देगा, टेबल दे देगा और अगर आपका बिजनेस नहीं चला, तो आप छोड़कर जा सकते हो। आपको कोई एडवांस किराया, वगैरह नहीं देना पड़े; एग्जिट और एंट्री जो है आप क्विकली कर सको; और कैपिटल उसके अन्दर इन्वाल्व नहीं हो, यह हमने शुरुआत कर दी है।

एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे एक स्टार्टअप है 'कार देखो', उसने ऐसा एप्लिकेशन हब बनाया है। हमारे यहीं बैठकर के उसने सब कुछ किया। आपको कौनसी गाड़ी चाहिए, किस कैटेगरी की चाहिए, किस प्राइस रेंज की चाहिए, कौन-कौन डीलर्स हैं, क्या-क्या स्कीम्स हैं, क्या डिस्काउंट स्कीम्स हैं, बैंक कौनसे फाइनेंस दे रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर इनको, ये सब चीजें आप वन रूप में देखकर, बजाय कि शोरूम-शोरूम जाते रहें, फिर फाइनली आप जाकर के अपनी गाड़ी देख सकते हैं।

मतलब, मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। पचास इनक्यूबेटर्स जो हैं वे हम पांच साल में स्थापित करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हर जिले के हैडक्वार्टर के अन्दर हम एक स्टार्टअप शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मंत्रीजी, प्रावधान तो 10 करोड़ का ही है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): बढ़ा देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बढ़ा देंगे, तो वह ही तो हम कर रहे हैं कि बढ़ाइए उसको।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): हमारी स्टार्टअप पालिसी के पश्चात् केन्द्र सरकार ने जनवरी, 2016 में गवर्नमेंट आफ इण्डिया की स्टार्टअप पालिसी डिक्लेयर की, जिसके अन्दर अगले चार साल में 10 हजार करोड़ फंड्स क्रिएट किये जाएंगे और कई एग्जम्प्शंस दिये हैं, इन्कम टैक्स तीन साल के लिए एग्जम्प्ट किया; 80 per cent rebate on filing of patent application. ऐसे करके बहुत भारी इन्होंने उनको फायदे दिये हैं, जिससे यंग एंटरप्रिन्योर जो हैं वे बेनिफिट कर सकें और वे अपना धंधा लगा सकें।

अभी यह मेरे डिपार्टमेंट से सम्बन्धित तो नहीं है; माननीय सुराना साहब भी पूछ रहे थे, यह एक्चुअली टीटी साहब का डिपार्टमेंट है, परन्तु यह

(श्री गजेन्द्रसिंह)

सब करने के बावजूद कई हमारे विधायकों ने एक इश्यू रेज किया है कट मोशंस में कि जहां उद्योग आता है, वहां पर हमारे लोगों को पूरी एम्प्लायमेंट नहीं मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई लॉ नहीं है, किसी इंडस्ट्री को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको फलाने गांव से या फलाने लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इतना कटथ्राट काम्पीटिशन है, इसके लिए आज सबसे भारी जो मांग है, वह है स्किलिंग आफ लैबर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेन्नई गया था रोड शो के लिए। वहां पर हुंडई मोटर्स से हमने बात की, हमने और लोगों से भी की और हमने कहा, आटोमोबाइल इण्डस्ट्री जो है, वह तमिलनाडू में ही क्यों आ रही है इतनी? पूछा गया बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं; बिजली 12 घंटे मिलती है। हमने पूछा, लॉ कैसे हैं; तो साहब, यहां तो इंस्पेक्टर राज है। तो फिर वहां प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहां पर इतनी आई टी आईज मशरूम हो चुकी हैं, जो आटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अन्दर ही स्पेशलाइज करती हैं।

ये हमारे होंडा मोटर्स और सेंट गोबिन ग्लास ने भी अलवर जिले में ट्रेनिंग शुरू कर दी है और जिन लोगों को वे ट्रेन कर रहे हैं, उनसे कांट्रेक्ट साइन करके उनको नौकरी दिलायेंगे। Actually this is the need-of-hour today कि स्किलिंग कैसे की जाए हमारे लोगों की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके तो होटल हैं, आप अगर वेटर लेते हैं, तो थोड़ा तो आप स्किल्ड लेंगे। वह गेस्ट को चाय पिला रहा है, उसके ऊपर ही चाय ढोल दे, या बिस्किट गिरा दे उसकी लैप में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस वेटर से ऊपर भी बढ़ाओगे क्या राजस्थान के नौजवानों को? या वेटर की ही ट्रेनिंग दोगे?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आप सुनोगे तो बताऊंगा आपको और चीजें। आप बीच में बोलोगे, तो सुन नहीं पाओगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): टेबल कर दो।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ज्ञान की बातें सुनो आप।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्किलिंग जो है, इसके अन्दर अभी रीको ने स्किल डवलपमेंट सेन्टर्स के लिए भूमि आइडेंटिफाई की है, 27

(श्री गजेन्द्रसिंह)

प्लाट्स रिजर्व किये हैं, ताकि स्किल डवलपमेंट सेन्टर्स वहां पर आकर एस्टेब्लिश हो सके। वस्त्र उद्योग ने इंटीग्रेटेड स्किल डवलपमेंट स्कीम बनायी है जिसके अन्दर तीन हजार को सीधी नौकरी मिलेगी उसके बाद में और 2016-17 में 11 हजार लोगों को स्किल करने का इनका उद्देश्य है।

एन आई डी, जयपुर एक भारी उपलब्धि है। एन आई डी, जो कि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन इतना प्रेस्टिजियस आर्गेनाइजेशन है, वह भी अब जयपुर में स्थापित होने जा रहा है। पचास एकड़ भूमि हम उनको दे रहे हैं। हमारे रेमण्ड्स का मैंने जोधपुर में जाकर देखा, रेमण्ड्स ने वहां पर खोला हुआ है और वहां पर सौ लोग काम कर रहे हैं। स्टिचिंग, टेलरिंग; कोट कैसे बनता है, वे अपना सैंकड-ग्रेड, थर्ड-ग्रेड कपड़ा लाते हैं, वह बनाते हैं और उन्हीं लोगों को छह महीने में नौकरी दिला देते हैं, स्टिचिंग की तो ये स्किल डवलपमेंट मैं सोचता हूं कि राजस्थान के लिए बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है।

बीकानेर में सिरेमिक जोन में सेन्ट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट, खुर्जा रीको के साथ मिलकर पांच सौ ट्रेनीज को इस बार ट्रेनिंग देंगे और सत्तर प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा हूं कि आप जो आगे हो रहा है, वह बता रहे हैं। दो साल में 6 लाख की जगह अपन सिर्फ 93 हजार पर क्यों रहे?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात तो सुन लें आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, बात तो सुन ही रहा हूं, बात सुनने के लिए ही बैठे हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी बात सुन ली। आपने बोल लिया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हम इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ये ऐसे थोड़ा टोकाटोकी तो न करें न, प्लीज। मैं मेरा स्पीच दे रहा हूं और आप बीच में टोकते जा रहे हैं। यह क्वेश्चन आवर तो नहीं है न। आप तो इतने सीनियर सदस्य हैं। ऐसे तो मत करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल क्वेश्चन आवर में भी, मंत्रीजी, निहाल नहीं किया था, सही उत्तर देकर के।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): मैं मेरा रिप्लाई दे रहा हूं। आपको जो बोलना था, वह आपने बोल लिया। अब बीच में टोकाटोकी तो मत करें। मेरा रिद्म भी खराब हो जाता है, when you disturb me.

रीको इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, फाइनेंस करना, 329 रीको इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे स्थापित हैं। हमारे सामने कुछ प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां आई। एक तो सुप्रीम कोर्ट का 2011 का आर्डर था, जिसके अन्दर चरागाह भूमि वर्जित हो गयी। उसके बाद में यह जो न्यू लैंड एक्वीजिशन एक्ट, 2013 आया, उसने थोड़ा एक्वीजिशन करना मुश्किल किया, उसमें टाइम भी लगा, और पोल्यूशन लाज जो आयें कि पचास हेक्टेयर से ज्यादा में पर्यावरण क्लीयरेंस चाहिए, उसके अन्दर लगभग 18 से 24 महीने लग जाते हैं पर्यावरण क्लीयरेंस मिलने में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन को बताना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार आयी थी, तो रीको का जो लैंड बैंक था, it was almost zero और अभी आज की तारीख में हमारे 7,113 हेक्टेयर लैंड बैंक है; अधिकांश सरकारी भूमि है, एक्वीजिशंस बहुत कम है इसके अन्दर और अगले साल तक हम इसको दस हजार हेक्टेयर तक ले जायेंगे, ताकि कोई भी निवेशकर्ता आएगा, और यह खाली अलवर में या जयपुर में नहीं है, यह पूरे राजस्थान में गंगानगर से बांसवाड़ा, जैसलमेर, सब जगह हमारे लैंड बैंक्स हैं। एक रैडी उसको जमीन मिल जाएगी, जो भी निवेशकर्ता आएगा और इसके अन्दर हमारा टाइम खर्च नहीं होगा। हमारी 300 एकड़ भूमि का अतिक्रमण हटाया।

न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए माननीय सदस्यों ने कट मोशन में भी रिक्वेस्ट किया और अभी आज की डिबेट में भी रिक्वेस्ट किया। रीको इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर सब कहते हैं कि हमें रीको इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए। इसके अन्दर क्या रा मैटेरियल है, कौन आना चाहता है, कौन निवेश लगाना चाहता है; इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर सड़क है, हाइवे है, रेलवे है, बिजली का ग्रिड पास है, पानी की उपलब्धता है, ये सब चीजें जो हैं इन सब पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है। आप लोग, अगर कोई भी सदस्य सोचता है, तो इसमें कोई पार्टी लाइन्स का मामला नहीं है; आप सोचते हैं कि आपके एरिया में स्कोप है, तो आप बताइये, जमीन कहां अवेलेवल है। आप देखिये, ये

(श्री गजेन्द्रसिंह)

पैरामीटर्स आपके मीट करते हैं। हम तो चाहते हैं उद्योग को बढ़ावा देना और हम आपकी इसमें मदद करेंगे रीको इंडस्ट्रियल एरियाज एस्टेब्लिश करने में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं जिन पर अभी कार्य चल रहा है, उनके नाम बताऊंगा। अजमेर में पलरा, सराधना फेज-2, श्रीनगर, अलवर में गिलोट, बीकानेर में करणी एक्सटेंशन, बीकानेर में आपके गजनेर भी एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस मिलकर एक महीने में आपका वह भी चालू होने वाला है; दौसा, महुआ, मंडावर, जयपुर, माडा फेज-2, बगरू, छितरोली, अपैरल पार्क, जैम पार्क, प्रहलादपुरा, जैसलमेर में शिल्पग्राम, किशनघाट जैसलमेर, पोकरण, झालावाड़ में धनोड़ी, जोधपुर में मंडोर, कोटा में कुबेर रानपुर, सीकर में नीमकाथाना, टोंक में निवाई फेज-2, जो सैक्शंड है और जिसका कार्य शुरू होने वाला है; अलवर में किरौली, सलारपुर, अजमेर में सांथाणा, बाड़मेर में शिव, बारां में शाहबाद, भीलवाड़ा में सोनियाना और जोधपुर जिले की बाप तहसील फलौदी; इनका कार्य अभी शुरू होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, upkeep of industrial areas, पिछले दो साल में 135 करोड़ रुपये खर्च हुए और अभी खैरथल, हिण्डौन सिटी, पीलीबंगा और कालाडेरा में भी कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है, जहां पर नालियों की प्रोब्लम है और रोड्स टूट गयी हैं, बिजली, वगैरह का, और इसके अतिरिक्त भी हम और भी जो रीको इंडस्ट्रियल पुराने एरियाज हैं, जिनमें काम करना है, हम इसमें अवश्य करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी एम आई सी हमारे स्टेट के लिए बहुत ही shot-in-the-arms होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: Let him finish.

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): मैंने आपको बताया कि 39 परसेंट डी एम आई सी डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर राजस्थान से गुजरेगा; रींगस, फुलेरा, किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, सिरोही होते हुए निकलेगा। इसकी लैंड पूरी एक्वायर हो चुकी है; 2018 तक ट्रेनें चल जाएंगी और 150 किलोमीटर इस कोरिडोर के पूर्व और पश्चिम के अन्दर इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा।

राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बिल इस सत्र में इंट्रोड्यूस किया जाएगा।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

कोटकासिम के पास एयरपोर्ट बनेगा। उसके लिए डिफेंस का भी क्लियरेंस हो गया है, सिविल एविएशन का भी क्लीयरेंस हो गया है, एन्वायरनमेंट का भी क्लीयरेंस हो गया है।

जो पांच नोड्स इस डी एम आई सी में चिह्नित हैं, पहला नोड है खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन; दूसरा नोड है, जोधपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन इंडस्ट्रियल एरिया; अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन;

(21.00 बजे)

राजसमंद भीलवाडा इंडस्ट्रियल एरिया; जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल एरिया। फेज-वन में खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा और जोधपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन का कार्य शुरू हो चुका है। खुशखेड़ा का शुरू होने वाला है। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना में जो लिंक रोड है, नीमराना से भिवाड़ी बनना प्रस्तावित है।

कोटकासिम के एयरपोर्ट के बारे में मैंने बता ही दिया।

नोलेज सिटी का प्रोजेक्ट आयेगा, जिसमें यूनिवर्सिटीज, स्कूल, हास्पिटल, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के संस्थान, स्किल डवलपमेंट, यह सब आयेगा।

माननीय सदस्य चौधरी साहब को मैं यह बताना चाहूंगा कि जमीन का अवार्ड हो चुका है और हमें हुडको से जल्दी से, अगले दो महीने में आशा है, हमारा लोन स्वीकृत होकर 3,200 करोड़ रुपये का हम मुआवजा दे देंगे लैंड एक्वीजिशन एक्ट, 2013 के तहत और जो किसान लैंड-फोर-लैंड चाहते हैं, उनको लैंड-फोर-लैंड भी दे दिया जायेगा। (व्यवधान) आप तो दिन भर बोलते रहते हो, हम तो थोड़ा ही बोलते हैं, तो बोलने दो थोडा-सा। आप तो अपना कोटा पूरा कर लेते हो दिन भर में। (व्यवधान)

जोधपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन का मास्टर प्लान रैडी है। रोहेड़ तहसील में 154 स्क्वायर किलोमीटर पाली जिले के 9 गांव, जोधपुर-पाली के बीच में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा; मल्टी माडल लोजिस्टिक हब होगा; ड्रिंकिंग वाटर के प्रोविजन होंगे; वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होगा और नेशनल हाइवे 65 से नेशनल हाइवे 14 को जोडने के लिए पाली-सोजत बाइपास बनेगा।

जोधपुर एयरपोर्ट डी एम आई सी फंड से अपग्रेड होगा।

इसमें बोर्ड और अपेक्स बाडी होगी। एक आर डी ए होगा, रीजनल

(श्री गजेन्द्रसिंह)

डवलपमेंट अथोरिटी, इन ईच इन्वेस्टमेंट जोन, और एक अपीलेट अथोरिटी होगी इसमें।

एम एस एम ई पालिसी में, जैसे रिप्स की है, हमारी नई एम एस एम ई पालिसी है। उपाध्यक्ष महोदय, एम एस एम ई हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारे छोटे उद्योग हैं, हमारे प्रदेश में 4 लाख 22 हजार छोटे उद्योग हैं और बडे उद्योग हैं केवल 340 । हमारे छोटे उद्योग 19 लाख रोजगार देते हैं और बड़े उद्योग 2 लाख देते हैं। छोटे उद्योगों में 24 हजार करोड़ निवेश लगा है और 12,294 लगा है बड़े उद्योगों में। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी छोटे लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, मीडियम उद्योग हैं और हमारी जो एम एस एम ई पालिसी है, वह इनको हर तरह से कवर करेगी।

तीन सेंटर इन्होंने खोले हैं, एम एस एम ई की कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहे या कोई भी प्रोब्लम हो, अभी जयपुर जोधपुर और अजमेर में सिंगल विंडो के आफिसेज खुल गये हैं और हर जिले में हम अगले ढाई साल में एम एस एम ई का आफिस सिंगल विंडो खोलने जा रहे हैं। यह ए-टू-जैड, सब चीज अंडर-वन-रूफ होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में परमिशन, कन्वर्जन, मार्केटिंग कंडिशन, स्टार्टअप्स के बारे में, क्रिएशन आफ इंडस्ट्रियल एरिया; बेरोजगार युवकों को भामाशाह रोजगार सृजन योजना में 4 परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, 11 हजार युवाओं को इस साल हम यह सब्सिडी दे देंगे। ई टी पी सी ई सी पी टी, जो सब्सिडी इंसेंटिव है, उसके बारे में होगा। जो सिक यूनिट हैं, जिसके बारे में आप सब लोगों ने बताया, उसमें कैसे मदद करनी है, उनके लोन में क्या वेव-आफ हो सकता है, इंटरेस्ट में क्या बचत हो सकती है, रीशिड्यूलिंग आफ लोन, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये आफिसेज और हमारा यह डिपार्टमेंट करेगा।

विश्वकर्मा जयंती हमारा एम एस एम ई दिवस होगा, जिसमें हम हर साल एम एस एम ई के उद्योगपतियों को सम्मानित करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत हाइली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारी लेबर इसमें इन्वाल्व है। इसकी बहुत अहम् भूमिका कई वर्षों से राजस्थान के लिए रही है। जैसे सांगानेर के अभी शट-डाउन आर्डर दे दिये थे, बालोतरा भी बंद होने के कगार पर थी, पाली को भी नोटिसेज मिल गये थे। एन जी टी के जो ये आर्डर थे, हमने बहुत

(श्री गजेन्द्रसिंह)

परिश्रम किया, माननीया मुख्य मंत्रीजी भी गईं, टैक्सटाइल मंत्रीजी से भी मिले, मैं भी कई बार मिला; आपको खुशी होगी कि इंडिया में पहला स्टेट है, हमें केन्द्र सरकार ने तीन सी ई पी टी प्लांट दिये। सांगानेर 156 करोड़-12.3 एम एल डी; पाली 100 करोड़; 12.5 एम एल डी, बालोतरा 115 करोड़-18 एम एल डी- जसोल 22 करोड़-2.5 एम एल डी। आगे कोई भी सी ई टी पी प्लांट होगा, सरकार अपना शेयर हर वक्त देने को तैयार है। यह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा।

आर एफ सी युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, इसमें जो प्रीरिक्विजिट्स हैं लोन एप्लिकेशन के लिए आई टी आई, डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिये; फर्म अरेंजमेंट आफ लैंड, जमीन होनी चाहिये, जहां पर वे अपना बिजनेस कर रहे हैं; और 45 साल की उम्र से कम होने चाहिये। उनको 90 लाख रुपये पर 6 परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी; यानी कि इंटरेस्ट रेट साढ़े सात परसेंट इफेक्टिव होगी। आर एफ सी ने पिछले दो साल में अपने लोन डिस्बर्समेंट 280 प्रतिशत बढ़ा दिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी एस आर, कारपोरेट सोशल रेस्पोसिबिलिटी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमसे कोई ज्यादा बडी गलती हो गयी क्या? हमारे धैर्य की परीक्षा क्यों ले रहे हों? मंत्रीजी टेबल कर दें। हमें उद्योग नहीं लगाना, हमें उद्योग लगाना ही नहीं है। यह उद्योग लगाने के नियम और प्रक्रिया बता रहे हैं, हमें लगाना ही नहीं। आप टेबल करा दो, सबकी तरफ से हाथ जोड कर निवेदन है।

श्री मदन राठौड (उप मुख्य सचेतक): उद्योग लगाना कोई सामान्य बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन का आप सबसे निवेदन है कि एकाग्रचित होकर वक्तव्य ध्यान से सुनें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। इन्होंने कभी किया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। इन्होंने तो जाते-जाते फर्जीवाड़ा किया, वही समझ में आता है। भ्रष्टाचार की बात ही याद रहती है, दूसरी याद ही नहीं रहती है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): सी एस आर पोर्टल बनाया गया, और

(श्री गजेन्द्रसिंह)

जो बेसिक रूल हैं, वह मैं आपके मार्फत इस हाउस को बताना चाहूंगा कि सी एस आर की जो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें से तीन में से कोई भी आधार हो, तो वह सी एस आर-लाएबल हो जाता है। कोई भी बिजनेस हो, उसका 5 करोड़ का नेट प्रोफिट हो; या 1,000 करोड़ का टर्न-ओवर हो; या 500 करोड़ की नेट वर्थ हो; उसका 2 परसेंट नेट प्रोफिट सी एस आर फंड राजस्थान में देगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सी एस आर फंड जहां पर ये उद्योग हैं, उसी रीजन को इनका डाइरेक्टली बेनिफिट मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने इश्यू रेज किये थे, मेरे ख्याल में तो काफी लोग तो चले गये हैं ...(व्यवधान) धर्मपाल जी चौधरी ने बोला था, मैंने आपका जवाब दे ही दिया कि आपके दस गांवों में जमीन एक्वायर हो गई है, आप चिंता मत करो, दो ढाई महीने में मुआवजा मिल जायेगा और लैंड-फोर-लैंड भी मिल जायेगा। जो भी मास्टर प्लान बना है, आप मेरे पास पधारें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आपके एरिये में जो डवलपमेंट हो रहा है।

खींवसर वाले माननीय सदस्य ने बोला था कि नागौर जिले के लिए कुछ नहीं किया, 157 एकड़ भूमि गोवलाव में वहां रीको का खुल रहा है। माननीय मंजू बाघमार के विधान सभा क्षेत्र जायल में रीको क्षेत्र स्थापित हो रहा है। पता नहीं, इनको किसने गलत फीगर दे दी, 55 करोड़ रुपये के लगभग 'रिसर्जेंट राजस्थान' में खर्चा हुआ था, इन्होंने ढाई सौ करोड़ का ठप्पा ठोक दिया। हैंड क्लस्टर टूल 25 हेक्टेयर में नागौर के पास में बनने वाला है।

माननीय सदस्य जोगाराम जी ने जोजरी नदी के पोल्यूशन के बारे में जिक्र किया, बहुत गम्भीर विषय है और मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को नहीं टोक रहा हूं। एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: I wouldn't allow anyone. No, Sir, please. Enough is enough.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: No. Sir, please.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। भवानी सिंह जी राजावत...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जायें प्लीज। Enough is enough.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने कागज फेंक दिये थे। क्या मामला था, उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप धारा-प्रवाह बोलिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय जोगाराम जी ने एक बहुत गम्भीर विषय उठाया है और मैं माननीय पर्यावरण खान मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं जोधपुर का प्रभारी हूं, अपन साथ चलकर जोजरी नदी के बगल में जो भी पोल्यूशन हो रहा है, उसके अन्दर जो उद्योग कर रहे हैं, आप अपने विभाग को एक्टिव करो, हम हमारे विभाग को एक्टिव करेंगे; साथ मिलकर अपन पूरी कोशिश करेंगे, इस प्रदूषण को रोकें।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें मेरा आप दोनों मंत्रियों को एक निवेदन है, सदन की तरफ से एक कमेटी बन रही है जो प्रदूषण के सम्बन्ध जानकारी लेने जाएगी। उसी कमेटी का आप इस्तेमाल करके, यह क्षेत्र ही देख लें।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): बिलकुल सही।

माननीय जोगाराम जी, आपके किसान का रिप्रजेंटेशन आया था और मेरे खयाल में आप सैटिस्फाई हो गये कि हम उसको अगले चरण में वार्तालाप के लिए ले जाएंगे। I am sure you are happy about it.

एयर कनेक्टिविटी के बारे में आपने बात की। अभी दो ही एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। दो ही वे हैं जोधपुर के अन्दर एयरपोर्ट पर। कई बार, अक्सर किराया दिल्ली से जोधपुर या मुम्बई से जोधपुर 15 हजार रुपये होता है। हमने यह जो जमीन का एक्सचेंज करके, इसका एम.ओ.यू. साइन होने वाला है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने छह वे और बनाने के लिए पैसा आलरैडी स्वीकृत कर दिया है। हमें आशा है, अक्टूबर-नवम्बर तक जोधपुर के अन्दर आठ एयरक्राफ्ट एक साथ लैंड करके उसको यूज कर पाएंगे।

इसके बाद, भंवरसिंह जी, माननीय सदस्य कोलायत, आपने जो भुजिया पापड़ के बारे में, 'रिप्स' के अन्दर बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं आपको यह पुस्तिका दे दूंगा, इसका बेनिफिट लीजिए, रियायतें लीजिए और हमें भी भुजिया पापड़ खूब खिलाइये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैंने मेगा फूड पार्क का निवेदन किया था, हुक्म।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): हम मदद करेंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मेगा फूड पार्क बनाया है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आपको मैंने अभी बताया था, स्किल डवलपमेंट सेंटर आपके बीकानेर में स्थापित हुआ है। आपके गजनेर के अन्दर जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसकी अगले तीस दिन के अन्दर आपको क्लीयरेंस मिल जाएगी।

आपने जो लिग्नाइट के बारे में बात की थी, वह ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है, उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा।

ड्राई पोर्ट के बारे में आपने बोला, केन्द्र सरकार सर्वे कर रही है। प्रायोरिटी सांचौर की है, क्योंकि सांचोर 'सी' लेवल पर है और उस पर भी लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा। तो इसमें बीकानेर का अभी सम्भव नहीं होगा। आपको गलत बात बोलना मैं उचित नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष: He is asking for a dry port.

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में हवाई अड्डे को उद् घाटन किए हुए दो साल हो गये। हवाई सेवा की आप जोधपुर में भी बात कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने उद्घघाटन किया था। बीकानेर के हवाई अड्डे से हवाई जहाज तो उड़ा दो।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): काश, मैं आपका प्रभारी होता, तो मैं इसका जवाब देता आपको।

अवस्थी जी नहीं हैं। दे देता हूं दो मिनट लगेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप फरमायें। क्योंकि सदस्य अगर नहीं भी हैं, तो वह कम-से-कम रिकार्ड पर तो आये। आप आराम से फरमाओ।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आपके जो 2 परसेंट एंट्री टैक्स आन यार्न है, इसके लिए मैं जरूर माननीया मुख्य मंत्रीजी से, फाइनेंस से बात करूंगा, क्योंकि एक्चुअली यह भी गम्भीर समस्या आप लोगों के लिए है।

आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपके यहां भीलवाड़ा में तो नदी का पानी आने वाला है। इसके अन्दर यह बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि होगी।

मेवाराम जी ने बोला, एम.ओ.यू. के बारे में बोला कि धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे ही दिया, 60 परसेंट लोग ज़मीनें ढूंढ रहे हैं।

सैनी साहब हैं नहीं, जलधारी जी चले गये।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मांग संख्या 42 पारित करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजकुमार।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, भवानी सिंह जी राजावत का जवाब नहीं आया, जो उन्होंने उद्योग सचिव के लिए बोला था कि कागज फाड़ दिये। उन्होंने फाड़ के फेंक दिये कागज। उनके लिए कोई बात नहीं कही इन्होंने। यह किस तरह हों, साहब ?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बसंत ऋतु है, फाल्गुन का महीना है, दसवीं की पावन तिथि है। हमारी मुख्य मंत्रीजी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने धरती माता की, प्रकृति की सेवा करने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से मैं अपना समय जनता की सेवा, प्रकृति की सेवा में लगा सकूं।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 201 कटौती प्रस्ताव आये हैं और 19 सम्माननीय...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकारी दीर्घा से जा रहे हैं लोग-बाग़ उठकर। अभी सब लोग बैठे हैं। इस तरह से जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आसन का जो कार्य है, वह आप क्यों कर रहे हैं ? यह आसन की आदत नहीं है कि किसी से भी निर्देश ले ले।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 201 कटौती प्रस्ताव और 19 सम्माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव और पथ प्रदर्शन दिया है, अपनी शिकायतें बताई हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सब को जितनी शीघ्रता से, उनको जवाब दो-तीन दिन में दे पाऊं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं और मुझे पथ प्रदर्शन जो मिला है, उस पर मैं चल सकूं। 19 लोगों की जो भावनाएं आई हैं, अभी सम्माननीय डोटासरा जी आकर कहकर गये कि होली के प्रोग्राम में मेरा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी जल्दी करिएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो यह पूछ रहा था कि कितनी देर बोलोगे ? होली के प्रोग्राम में मुझे कहीं नहीं जाना।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): तब ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, अपन कोशिश करके इसको आज की तारीख में ही पारण करा लेंगे। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आप आराम से फरमाओ। कोई चिंता का विषय नहीं है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): मैंने तो यही कहा इनसे

(श्री राजुकमार रिणवां)

कि आप नहीं टोकोगे तो जल्दी हो जाएगा, मगर आदत जिनकी पड़ जाती है ना, उसका उपाय नहीं है। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

माना भू गर्भ में पानी नहीं है,
धरा की चूनड़ी भी धानी नहीं है।
फिजां भी खास रूमानी नहीं है,
मगर फख्र है मेरे राजस्थान का कोई सानी नहीं है।

एक ऐसी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, जहां नदिया नहीं हैं, नाम मात्र की दो नदियां चम्बल और माही हैं; उसका भी सिंचाई की जगह ज्यादातर पानी पीने में ही काम आता है। जहां नदियां नहीं हैं, जहां मानसून दस में से छह बार फेल होता है। ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी धरती माता की ऐसी कृपा है कि उसने इस पूरे प्रदेश के अंदर जो माइन एण्ड मिनरल्स का खजाना, झारखंड के बाद में प्रदान किया है। वह वरदान अपने राजस्थान को दिया है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम उस वरदान को, जिस तरह से राजस्थान प्रदेश को आगे ले जाने में, देश में एक नंबर पर लाने के लिए हम प्रयासरत हैं।

यह बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है जो पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर है, वहां पर मां तनोट की कृपा से ऊर्जा के रूप में हमें जो पेट्रोल मिला है, पूरे प्रदेश में जो मिला है और जो पूरे देश में है, आज पूरे हिंदुस्तान में 30 प्रतिशत पेट्रोलियम ही उत्पादन होता है; 70 परसेंट हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी आय, कितना बड़ा धन हमारे देश का तेल के चलते हमें वहां पर पेमेंट करना पड़ता है। बहुत बड़े सौभाग्य की, गर्व की बात है कि हमारे राजस्थान में देश के प्रोडक्शन का 30 परसेंट केवल राजस्थान में होता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। सम्माननीय, जैसलमेर में अकूत प्राकृतिक गैस के भंडार निकले हैं। 1 लाख 65 हजार बैरल और 1 लाख 70 हजार बैरल...।

एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि कितनी आपकी रेवेन्यू कम हो गई। इतने पढ़े-लिखे लोग होकर क्या बात करते हैं। आज अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कहां 107 डालर बैरल का दाम था, वह 27 डालर हो गया। अब कम नहीं होगा, तो कैसे...?

फिर भी हम तो इतना प्रोडक्शन, हमने उनको कह रखा है कि आप

(श्री राजकुमार रिणवां)

प्रोडक्शन कम मत करो। इतनी कम रेट के बाद में भी 1 लाख 65 हजार बैरल डेली तेल का उत्पादन होता है और ऐसी स्थिति है हमारी कि हम निश्चित रूप से गैस के अन्दर में भी 22 लाख घन मीटर का डेली उत्पादन कर रहे हैं और उससे ऊर्जा बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए भी हम उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम लोग इसी काम में लगे हैं।

मेरे साथियों की दो चिंता मैं देख रहा हूं, एक तो रिफाइनरी की और दूसरी नई माइनिंग पालिसी की। हमारी मुख्य मंत्रीजी को रिफाइनरी से ज्यादा चिंता उन लाखों-करोड़ों गरीब किसानों की थी जो 48-50 डिग्री टेम्परेचर में खेतों में काम करते हैं और उसके बाद जब दोपहर को अपने झोंपड़े या ढ़ाणी में जाते हैं, तो उन्हें पंखा नसीब नहीं होता है। आज के युग में यदि कोई आदमी बिना बिजली के जी रहा है, तो उसका कोई जमाना नहीं है, उसका कोई जीवन नहीं है। उन्होंने सबसे पहले यह चेष्टा की कि हम उन ढाणियों और झोंपड़ों का विद्युतीकरण करें। वह उन्हें रिफाइनरी से ज्यादा उपयोगी लगा।

हमारी मुख्य मंत्रीजी को यह चिंता रही कि हमारी जो लेबर है, उनका हम भला कैसे करें, लाखों-करोड़ों का। तो उन्होंने 90 दिन काम करने वाले नरेगा वालों को भी इतना लाभ पहुंचाया कि आज आप किसी भी श्रम-जीवी से, किसी लेबर से बात करें, तो उसकी प्रसन्नता का कोई अंदाजा नहीं है।

हमारी मैम को चिंता शिक्षा की थी कि हमारी बेटे-बेटियां गांवों में 7वीं, 8वीं तक ही नहीं रह जाएं। इसलिए हमें स्कूलों को क्रमोन्नत करना चाहिए। उन्हें शिक्षा की चिंता थी, तो उन्होंने क्रमोन्नत करवाया।

उन्हें चिंता थी, गांव के अन्दर एक बार दो-चार अंग्रेज मिले, वे बता रहे थे कि आपके राजस्थान में, हिन्दुस्तान में, गांव में आई.टी. आ गया, पर नालियां नहीं आई हैं। आज भी जब हम किसी गांव में जाते हैं, राजस्थान के गांव का नाम सुनते हैं, जिसको ग्वाड़ी कहते हैं, मेन चौक होता है, वहां पर हम जा नहीं पाते ऐसी दुर्दशा, कीचड़, गंदगी रहती करती है। वहां पर शानदार गौरव पथ हैं। आज आप उन गांवों में जाओ, तो तबीअत खुश होगी आपकी।

हमारी मैम को स्वास्थ्य की चिंता थी कि हम अपने प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया कैसे करें। उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया।

आज आप जानते हों कि क्या स्थिति हमें मिली थी। हम लोग बोलेंगे,

(श्री राजकुमार रिणवां)

आपस में पार्टी की बात होगी, एक दूसरे का विरोध करते हैं, पर 'कैग' से ऊपर तो कोई नहीं है। महालेखा नियंत्रक, उन्होंने कहा है, मैंने पढ़ा था, कि 2013 में सरकारी खजाने का इतना बड़ा दुरुपयोग किया गया कि फाइनेंशल स्थिति पैरेलाइज्ड हो गई राजस्थान की। यह स्थिति थी।

उस स्थिति में हम लोग 37 हजार करोड़ के प्लांट का 56 हजार करोड़ खर्चा दें। हमें तो नहीं लग रहा था कि हमें कोई राजस्थान की जनता के साथ यह अन्याय करना पड़े।

नवीन रिफाइनरी की ये चिंता कर रहे हैं ना, सम्माननीया सी एम साहब ने मेरे को दायित्व दिया, तो मैं वहां गया, जाकर पचपदरा में देखा कि वहां क्या-क्या काम हुआ है। तो मुझे केवल एक सम्माननीया सोनिया गांधी जी का एक पत्थर शिलान्यास किया हुआ मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला।

एक एग्रीमेंट था, हमने हमारी मुख्य मंत्री.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने कुछ नहीं किया? (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सुन लो। मैं भी सुना था। अब स्थिति यह थी, यह जो बोल रहे हैं, रिफाइनरी के नाम से राजनीति कर रहे हैं ना, 15-20 दिन बाद नहीं बोलेंगे। आपको यह बताएं। इसलिए इस विषय में मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता।

नवीन पालिसी के बारे में जहां तक बात है कि हम 6 महीने से, 7 महीने से इंतजार कर रहे हैं; हम तो 60 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। 1960 के बाद में आपने 2011 में एक बार बनाई। वहां पर जो ड्राफ्ट आया, उसको लटका दिया। उसके बाद में कितने-कितने काम हुए हैं, अभी मैं बोलूंगा, तो बीच में बोलेंगे। जो भी शिकायतें आईं, जो भी पी.एल. थे, एल.ओ.आई. जारी की थीं, हमने किसी को भी लीज नहीं दी थी, केवल हमने मंशा पत्र दिया था, केवल पी.एल. दी थीं। उसका इतना बड़ा बवाल इन्होंने किया। मैं तो दंग रह गया। लाखों से करोड़ों में आये; करोड़ों से फिर सौ करोड़, दो सौ, पांच सौ करोड़ से पैंतालीस हजार करोड़! आज तो और नई बात सुन रहे थे। क्या कहना! कमाल है साहब।

हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सत्य की, सत्यमेव जयते, हम जानते

(श्री राजकुमार रिणवां)

हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई असत्य बोल रहा है, तो वह उस आदमी का पाप खा रहा है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। जो करेगा, वह भरेगा।हमें उसकी कोई चिंता नहीं है।

इतने बड़े-बडे आरोप लगाये जा रहे हैं, जबकि इनकी स्थिति 2010 की, जो उन्होंने बनाई थी, 2014 को जब लोक सभा भंग हो गई, तो अपने आप लैप्स हो गई। उसका कुछ नहीं हुआ। उस स्थिति के अन्दर, मैं आपका बताऊं, इन्होंने क्या-क्या किया है। 2014 में आम चुनाव की घोषणा के साथ यह उक्त बिल लैप्स हो गया। इस अवधि में लगभग 1,200 खनन पट्टे, हमने तो एल.ओ.आई. दीं, इन्होंने 1,200 खनन पट्टे एवं मंशा पत्र तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जारी किये। तो यह कितनी बड़ी बात है। ऐसी बातें बता रहे थे...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र की नीति आने के बाद, मना करने के बाद केन्द्र में, उसके बाद आपने दिया है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपने देखा नहीं, पंडित का शाप बड़ा तेज होता है। यह पंडित का शाप आपको जला देगा। ये यूं ही पंडित नहीं हैं; आत्मा से, कर्म से पंडित हैं और इसका शाप बहुत तेज होता है। आपको पता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे तो दोनों चुनाव में ही सामने पंडित आता है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, किसी प्रकार का व्यवधान आसन बरदाश्त नहीं करेगा। अगर आप आसन को चुनौती दे रहे हैं, तो फिर आप इसका असर भी देख लेना।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय, यह 2010 का ड्राफ्ट है जो 2014 में अपने आप लैप्स हुआ, लोक सभा भंग के बाद। यह बता रहे हैं कि सेन्ट्रल का, सेन्ट्रल का ही तो आपके पास आया था, उसके बाद में आपने कितनी लीज दी हैं, कितना क्या-क्या किया है।

हम तो थोड़ा-सा सुनने लगे कि 45 हजार करोड़ तक बात आ गई है, तो अब 45 लाख करोड़ का करेंगे। इससे अच्छा है कि अपन इस टेंशन को ही मिटा दें। जो होना है, वह हो जाएगा।

सम्माननीय, हमारी मुख्य मंत्रीजी को हमने कहा कि ए सी बी की इनपुट आई है; हमने अपनी एक कमेटी बनाई है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से

(श्री राजकुमार रिणवां)

हमें लगा है कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा, कैंसिल करो सबको। उन्होंने सारी कैंसिल कीं। उन्होंने महामहिम से निवेदन किया कि इस जांच को लोकायुक्त को दी जाए। सम्माननीय, क्या अंतर है? इन्होंने भी 54 हजार ख़ानें निरस्त की थीं; कितने ही गरीब और मध्यम लोगों को संकट हुआ था। हमने तो इनकी कोई जांच नहीं करवाई। आज ये बोल रहे हैं, सी बी आई की जांच करो, वह करो; हम तो लोकायुक्त से जांच खुद करवा रहे हैं। आप तो सी बी आई की जांच कराने के लिए हाई कोर्ट गये, हमने मना थोड़े किया। हाई कोर्ट अब खुद कह रहा है कि जरूरत नहीं है। तब उसका हमारे पास क्या उपाय है? यह जो तरीका है, जनता सब समझती है। अब आपका समय आ गया।

अवैध खनन रोकने की कार्यवाही के लिए बात करते हैं, तो यह पांच साल का रिकार्ड इनका और हमारा देखिए, कितना अंतर मिलता है। अवैध खनन में 13 हजार 887 इन्होंने पांच साल में किया और हमने दो साल में 9 हजार 52; दर्ज करवाईं एफ.आई.आर. पांच साल में 2 हजार 25 और हमने दो साल में 1,450; जब्त वाहन पांच साल में 12 हजार और हमारे दो साल में 8,415; अवैध खनन पांच साल में 3,397 और हमने दो साल में 3,820 । यह जो है, यह सबके समझ में आता है। कितने-कितने कांग्रेस के टाइम में वाहन जब्त किये गये और कितने हमारे दो साल के टाइम में किये गये, यह सब देखेंगे तो आपको सारी स्थिति का पता लग जाएगा।

सम्माननीय, अब मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि इनको भी तकलीफ हो रही है। प्रशंसा सुनने की स्थिति होनी चाहिए, पर पता है, क्या किया? मैं तो ज्यादा मानता करता हूं, उसको मानता हूं, वह कर्म का फल सबको देता है। निश्चित रूप से अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, तो कितनी ही आलोचना कर लो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा अपने आप सबका न्याय करता है। वह निश्चित करेगा। इसलिए मैं ज्यादा समय लेने की चेष्टा भी नहीं करूंगा।

हमारी जो नई खनिज नीति है और रिफाइनरी है इसकी, मैं आपको बताऊं, एक महीने में दोनों खुशखबरी मिल जाएंगी। यह अभी बता रहे थे, केन्द्र की एम.एम.डी.आर. आई, उसके भी रूल्स बनाने में हमको 14 महीने लगे। 4 मार्च को आई, उनकी रूल्स की। हमें तो अभी 8 महीने हुए हैं, फिर भी हमने बनाकर भेज दी थी, मगर फाइनेंस से कुछ आब्जेक्शन, सजेशन आने से हमने उसे दुबारा तैयार करके भेजी। वह आ जाएगी महीने-बीस दिन में। कोई चिंता की बात नहीं है।

(श्री राजकुमार रिणवां)

बजरी की प्रोब्लम है। 2012 तक बजरी की कोई प्रोब्लम नहीं थी; जो भी जाता, वह ले आता; जो भी रेवेन्यू देना होता, वह उसको दे देता। 2012 में जब हरियाणा का एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने लीज सिस्टम और यह सारा कर दिया। उसके बाद सारी समस्याएं शुरू हुईं। जहां खनिज हो रही है, वहां कोई स्टाफ या इतने आदमी तो हैं नहीं कि हम लोग उनको रोक सकें। बाकी हमने कार्यवाही करने में कोई कमी नहीं रखी। हमने 18 करोड़ रुपये पेनल्टी के लिए कितने केस बनाये हैं, कितनी एफ.आई.आर. लाज की हैं। हर तरह से हम लोगों ने अपना प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को प्रताड़ना दो। ऐसे नहीं मानेंगे। आदत खराब पड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: यह लगता है कि मंत्रियों से पहले तो आपको देनी पड़ेगी।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): जोधपुर में, विशेष रूप से सैण्डस्टोन जहां होता है, वहां बहुत महीन रेत उड़ती है, वह फेफड़ों में चली जाती है। तो वह आदमी को बीमार कर देती है। सिलिकोसिस नाम की बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें अगर थोड़ी-सी सावधानी रखी जाए,

हम लोगों ने 50 लाख के मास्क दिये थे पिछली बार भी, डस्ट मास्क; अबकी बार भी हमने तीन टीमें तो बना रखी हैं। सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु सरकार ने प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय निमोकामिसिस बोर्ड गठित किया हुआ है तथा नियमित रूप से कैम्प होते हैं। कोई बीमार हो गया, तो उसके इलाज के लिए, उसके परिवार के लिए; डैथ हो जाये, तो उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। मैं चेष्टा करूंगा अभी कि इसमें और बढ़ोतरी करेंगे। मैं अपने अधिकारियों से बात करके, इसको फाइनल करके, सी.एम. को भिजवाऊंगा।

प्रदेश के खान विभाग में 5,000 करोड़ की आय का लक्ष्य था, अभी तक 3,334 करोड़ रुपये हमें मिले हैं। मार्च में सबसे ज्यादा पेमेण्ट आता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा लक्ष्य था, वह पक्का पूरा हो जायेगा। इसमें पेट्रोल के अन्दर में, आपको पता है, अन्तरराष्ट्रीय बाजार में रेट कम होने से कुछ हमें फर्क पड़ गया। तो यह कोई हमारे बस की बात नहीं है।

(श्री राजकुमार रिणवां)

अभी जो यह भ्रष्टाचार की बातें आ रही थीं, तो हमने उनका सारा समाधान ही कर दिया है, हमने सारा काम आनलाइन कर दिया है। कोई भी काम आपको करना है, आक्शन से सारा काम होगा। आपको अगर एप्लिकेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको कोई शर्तें जाननी हैं, आक्शन, सारा का सारा आनलाइन होगा। तो यहां पर पारदर्शिता की पराकाष्ठा हो गई यह, ट्रांसपेरेंसी की। इसके बावजूद भी अगर कोई बोलेंगे, तो उसका कुछ उपाय नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको ट्रांसपेरेंट बनायें और कोई भी भ्रष्टाचार का, जो भी डिपार्टमेंट में हो रहा है, सुन रहे हैं बातें, वे सारी समाप्त हो जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप इस पराकाष्ठा को तो हटवाओ। यह गलत शब्द है। क्या है? नहीं तो इसका अर्थ समझा दो, पारदर्शिता की पराकाष्ठा।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): तो पारदर्शिता की पराकाष्ठा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्या यह?

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा एक शब्द है। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): क्या बोल रहे हैं आप लोग? अभी बाहर मैं गया, तब बता रहे थे लोग। छोड़ो, क्या बात बतानी, करनी है। छोड़िये, उन सब बातों का क्या है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हमने तो वह 54 हजार की थी ना, उसकी भी हमने जांच नहीं की। उसके बाद 1,800 आपने और कीं, उसकी भी जांच नहीं की है। हमने, जब हम लोगों को संदेह हुआ, तो हमने अपनी जांच बिठवा दी, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, कि अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता इसमें शामिल है, तो उसको दण्डित किया जाये, उस पर कार्यवाही की जाये।

खनिज बहुल क्षेत्रों में सड़कों की खराब हालत के चलते हमारी सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने डेढ़ सौ करोड़ रुपया इस बजट में दिया है। उससे 110 किलोमीटर शानदार सड़कें बन जाएंगी। खनिज क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं, जिनकी रिकमंड हैं, उन सबको दी जाएंगी।

नवीन खोज, जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के ग्राम मेसताणा क्षेत्र में गहराई में लाइमस्टोन पाया गया है। (व्यवधान) थोड़ी मानवता रखिये। ऐसी क्या पीड़ा हो रही है? जो काम कर रहे हैं, वह बता रहे हैं। अगर आपको गलत लगे, तो आप विशेषाधिकार में आ जाइयेगा। कोई बात थोड़ी है। यह

(श्री राजकुमार रिणवां)

कोई मानवता थोड़े ही है। हम कभी कोई बोले हों आपके बीच में, एक दिन भी अगर खड़े होकर। नैतिकता नहीं है। नैतिकता आपको कहां पहुंचा देगी, वह अगले चुनाव में भी; आज राज़ी हो रहे हैं; 20 बरस कोई आपका, यह मान लीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्रीजी को वक्तव्य देने में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): जैसलमेर जिले में जो हमने एक्सप्लोरेशन किया है, उसके अन्दर लाइमस्टोन के अथाह भण्डार हमें मिले हैं। नागौर जिले के अन्दर 3.38 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन्स के भण्डारों का पता लगा है। पाली जिले के अन्दर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन पाया गया है।

लिग्नाइट, बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के ग्राम दियातरा में लिग्नाइट के बड़े भण्डारों का आकलन किया गया है। बीकानेर जिले की बड़ी नाल में 50 मीटर से 150 मीटर की गहराई तक लिग्नाइट का नया क्षेत्र खोजा गया है।

राज्य में अनुदान हेतु हमने 2015 की पालना में राज्य में प्रथम स्टेज में कुल 11 ब्लाक खनन पट्टों की नीलामी के लिए चिह्नित किये गये हैं।

नवीन निवेश, अभी जो 'रिसर्जेंट राजस्थान' हुआ है, उसमें हमारे 16 एम.ओ.यू. हुए हैं। उसमें 45,607 करोड़ रुपये का तो पेट्रोल क्षेत्र का है और 30,530 माइन्स का है।

अब कुछ नवीन घोषणाएं भी बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। खनिज, जिप्सम के खनन हेतु वर्तमान में खातेदारों का जिप्सम के खनन पट्टा आबंटन का प्रावधान है, लीज अवधि 30 वर्ष है, परन्तु व्यवहार में खनिज औसतन एक मीटर ही परत रहती है जिप्सम की। तो यह एक या दो वर्ष में पूर्ण कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जिप्सम खनन हेतु खातेदारी में खनन पट्टे की लम्बी प्रक्रिया के स्थान पर, हम उसके विशेष परमिट की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत खातेदार रायल्टी का अग्रिम भुगतान कर जिप्सम खनन हेतु अनुमति प्राप्त कर सकें। खनन योजना, पर्यावरण अनुमति की भी फिर उसमें जरूरत नहीं रहेगी।

(श्री राजकुमार रिणवां)

आज का युग तकनीक का युग है। इसी आवश्यकता को समझते हुए गत बजट में यह घोषणा की थी कि खनन का कम्प्यूटराइजेशन, वह हो गया।

खानों एवं खनन की गतिविधियों के बेहतर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु विभागीय पुनर्गठन के तहत बीकानेर में अतिरिक्त निदेशक खान का कार्यालय; सीकर, सिरोही, बांसवाड़ा में अधीक्षण खनिज अभियंता के कार्यालय खोलने की घोषणा करता हूं।

अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में खनिज की खोज को बढ़ावा देने हेतु विभागीय पुनर्गठन के तहत अधीक्षण भू-वैज्ञानिक का कार्यालय बांसवाड़ा में खोलने की घोषणा करता हूं।

सभी जिला मुख्यालयों पर खनिज अभियंता स्तर के कार्यालय खोलने के क्रम में, विभागीय पुनर्गठन के तहत जिला मुख्यालय टोंक एवं झालावाड़ पर खान विभाग के कार्यालयों को खनिज अभियंता के पद पर क्रमोन्नत किया जायेगा।

भारत सरकार से नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के द्वारा पर्यवेक्षण कार्य हेतु राशि आबंटित करवाकर खनिज पोटाश की खोज का कार्य किया जायेगा।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन कर, खान मालिकों द्वारा दी गई अंश राशि से खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वास्थ्य एवं यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का कार्य किया जायेगा।

अप्रधान खनिजों के आबंटन में अनुसूचित जाति, जनजाति व विकलांगों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

प्रत्येक जिले में सभी नियमों का पालन कर वैधानिक तरीके से खनन कार्य करने वाली आदर्श खान का चयन करके उसको आदर्श खान से पुरस्कृत किया जायेगा।

खान श्रमिकों का सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए रिहैब बजट से 50 लाख रुपये के डस्ट-मास्क खरीद कर दिये जा चुके हैं, और भी उनको वितरित कर देंगे।

राज्य में खनिजों की खोज के कार्य हेतु अधिक गहराई तक ड्रिलिंग करने हेतु उन्नत मशीन आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के मार्फत उपलब्ध कराई जाकर खनिजों के खोज के कार्य को गति दी जाएगी।

(श्री राजकुमार रिणवां)

सम्माननीय, हमारा देश ऊपर में तो बहुत चला गया है, मून पर, मार्स पर, जूपिटर पर जाने की तैयारी कर रहा है, परन्तु अभी भी जमीन में हम कम जा पाये हैं। यह व्यवस्था, हमारे पास टेक्निक कम है। इसके चलते हम अभी बड़ी मशीनें भी मंगा रहे हैं, 1,200 मीटर तक की, और बाहर जो भी इस टेक्नोलोजी को जानते हैं, उन देशों को इन्वाइट किया है कि जो हमें लग रहा है, कहीं भी, यहां गोल्ड है, यूरेनियम है, रेअर-अर्थ है, उनका किस तरह से हम एक्सप्लोरेशन कर सकें। उसमें भी हमारी खूब प्रगति है।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षण। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, खनिज चुनाई पत्थर के आबंटन में एक-तिहाई प्लाट अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये जाकर, उन्हीं के मध्य से ई-नीलामी द्वारा आबंटित किये जाएंगे।

सम्माननीय, अभी हम लोगों ने 5 हेक्टेयर तक किसी को ई.सी. नहीं लेनी पड़े, इस तरह का हमने सिस्टम कर रखा था। एन.जी.टी. ने यह आर्डर दिया कि 5 हेक्टेयर तो बहुत ज्यादा है, आधा हेक्टेयर के लिए भी आपको ई.सी. लेनी पड़ेगी। एक साथ यह आर्डर आने से 28 हजार खानों पर यह तलवार लटक गई। आज हमारे खान विभाग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे देश और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में भी इनकी तरफ से बड़ी मदद है। इसलिए बहुत टेंशन में हो गये थे। हमने अपने मिनरल डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट भेजा; उन्होंने कहा कि आप लोग कानून बनाने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आप पार्टी नहीं हैं, आप नहीं आ सकते। हमने एसोसिएशन वालों को कहा, ट्रस्ट वालों को कहा कि आप लोग जाइये। उसके बाद में दुबारा जब टाइम मिला, तो वे लोग बोले कि हम तो नहीं जा पाएंगे, हालांकि उनके हित की ही थी। फिर हमने अपने पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड को पार्टी बनाया, सी.एस. से उनको कहलवाया। मेरे कहने से, थोड़ा मुझे लग रहा था कि थोड़ा नहीं हो रहा था। सी.एस. से उनको कहलवाया कि आप इनको पार्टी बनाओ, बहुत जरूरी है। अगर ये 28 हजार खानें बंद हो जाएंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड गया और सम्माननीय केन्द्रीय मंत्री, जावड़ेकर साहब से काफी बार बात हुई। हमने उन्हें निवेदन किया, हमारे निवेदन का तो उतना महत्व नहीं होता है; हमारी जो लोकप्रिय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी हैं, उनका बहुत प्रभाव है। आप जानते हैं। कोई भी फंक्शन होता है, तो

(श्री राजकुमार रिणवां)

केन्द्रीय मंत्री कितनी बड़ी संख्या में आते हैं। तो उनका अच्छा प्रभाव है। उन्होंने जावड़ेकर साहब को कहा कि आप मदद करिए; हमारे यहां पर तो अगर कोई इनकम का मेन सोर्स है तो वह खनिज ही है; अगर हमारे खनिज के ये उद्योग बंद हो जाएंगे, तो यह रोजगार, सारी समस्या आ जाएगी। तो सम्मानीय केन्द्रीय मंत्री महोदय ने एक गाइडलाइन दी वहां पर कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आर.ओ. दिया जाए, तो हम उसको शीघ्रता से कर लें। हालांकि हमने खूब स्पीड की, सर, पिछले पांच साल में मात्र 300 ई.सी. ही जारी हुई थीं; हमने दो वर्ष में 1,154 ई.सी. जारी कर दीं और 4,400 ई.सी. के लिए हमने उसको वहां भेज दिया। वे पाइपलाइन में हैं, वे भी जल्दी हो जाएंगी। तो अब जब यह आर्डर अभी रिजर्व रख रखा है, पर हमें भरोसा है कि हमारे पक्ष में आना चाहिए। क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण से और केन्द्र ने भी यह मांग की है कि छोटे-छोटे, मतलब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि 28 हजार खानों में से ई.सी. के लिए हमारे पास में 14 हजार लोगों का ही आवेदन आया। 14 हजार लोग तो ऐसे अनपढ़ लोग हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ई.सी. क्या होती है। छोटे-छोटे काम कर रहे हैं ईंट, पत्थर, भट्ठों के, मकान के, और के। तो उनको तो पता ही नहीं है, एक इतनी बड़ी समस्या थी। तो यह अगर हमें एक तो कैम्प करने की इजाजत मिल जाए या जैसे आर.ओ. हैं वे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिल जाएंगे, तो यह भी हमारा एक बहुत बड़ा संकट है, वह मिट जाएगा।

आपने टाइम दिया, काफी लेट हो गये; मैंने तो चेष्टा यही की कि अतिशीघ्र इसको बताऊं, तो उस हिसाब से मैंने कम से कम समय में किया है।

अब, सम्माननीय, मैं कर लूं मांग संख्या की बात? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 43 पारित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: पारण करवा लें। उद्योग का आ गया पारण के लिए?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): हां।

मांग संख्या 42 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 - उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,24,74,87,000/- (तीन अरब चौबीस करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 - खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,42,49,93,000/- (पांच अरब बयालीस करोड़ उनचास लाख तिरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.43 बजे सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली जिले में नवजीवन योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य

281. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक नवजीवन योजना में कौन-कौन से कार्य किये गये एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में उक्त अवधि में किस-किस प्रशिक्षित व्यक्ति को किस-किस कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया एवं किस-किस व्यक्ति को किस-किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में प्रशिक्षण देने, प्रशिक्षित व्यक्तियों को ऋण देने एवं रोजगार उपलब्ध कराने में काफी उदासीनता बरती गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में प्रति वर्ष प्रशिक्षण देने, ऋण देने एवं रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूर्ण करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यो?

उत्तर

(1) पाली जिले में 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक विभिन्न विद्यालयों में 405 बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 250 एवं 2014-15 में 25 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनका भुगतान माह मार्च 15 में किया गया।

उक्त अवधि में किये गये कार्यो एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना व अवधि में निम्न प्रशिक्षित व्यक्तियों को निम्न कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया:-

क्र. सं.	नाम प्रशिक्षणार्थी मय पता	कार्य	स्वीकृत राशि व अनुदान राशि
1	श्री सरदारा पुत्र श्री चिमनाजी, मेहरातों का बाडिया, नाहरपुरा, तह. रायपुर।	किराणा दुकान	ऋण राशि 1,00,000 एवं अनुदान राशि 25,000

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र. सं.	नाम प्रशिक्षणार्थी मय पता	कार्य	स्वीकृत राशि व अनुदान राशि
2	श्री हुकमसिंह पुत्र श्री देवी सिंह नाका का बास, बाडिया रामावास, तह. रायपुर	टायर ट्यूब पंचर एवं फिटिंग की दुकान	ऋण राशि 1,00,000 एवं अनुदान राशि 25,000

(3) जी नहीं। योजना में प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास किया जाता है। इस हेतु योजना की प्रगति की समय-समय पर जिला स्तर पर समीक्षा की जाती है। योजना के दिशा-निर्देशानुसार जिला कार्यकारी समिति द्वारा ऋण दिये जाने के लक्ष्य आबंटित किये जाने का प्रावधान है। जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में लीड बैंक अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। निदेशालय स्तर से भी प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित कराने के लिये कार्डिनेटर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को जिलों के लीड बैंक अधिकारियों कों, नवजीवन योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु निर्देशित करने के लिये पत्र लिखा गया है।

परिशिष्ट-अ

दिनांक 1 जनवरी, 2015 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	कार्य	व्यय राशि रुपये
1	प्रशिक्षण पर व्यय	7,32,085/-
2	स्टाईपण्ड पर व्यय	9,37,935/-
3	ऋण पर अनुदान	50,000/-
4	शिक्षण	64,19,457/-

नोट : वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की बकाया राशि अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर से दिनांक 06-01-2016 को अनुमोदन होने के पश्चात् 720 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रुपये 64,19,457/- का सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं के बैंक खातों में भुगतान किया गया है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

राजसमंद की नौ-चौकियों से पुरा महत्व के पत्थरों के हटाने पर कार्यवाही

283. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमंद के महाराणा राजसिंह के समय की नौ चौकियों की सार-संभाल की जिम्मेदारी किसकी है?

(2) क्या यह सही है कि वहां उच्च क्वालिटी की कारीगरी के संगमरमर के पत्थरों को हटाकर प्लेन मार्बल स्लेब लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द स्थित नौ चौकी शिलालेख, मण्डप एवं तोरण सहित घाट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संरक्षित स्मारक है। अतः इनके सार-संभाल एवं संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जोधपुर वृत्त की है।

(2) जी नहीं। संरक्षित स्मारक से किसी भी नक्काशीदार पत्थर को नहीं हटाया गया है।

हाड़ौती में चम्बल के वाटर लोसेज को कम करने की योजना

284. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चंबल सिंचाई प्रोजेक्ट से राजस्थान को मांग के अनुरूप सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) गत 5 वर्षों में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को मांग के विपरीत कितना-कितना पानी उपलब्ध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वाटर लोसेज के कारण राजस्थान के हाड़ौती में सिंचाई का अधिकतर पानी बर्बाद हो रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण

(श्री संदीप शर्मा)

हैं? सरकार द्वारा उक्त वाटर लोसेज को कम करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये?

(4) क्या सरकार के समक्ष चम्बल नदी की दायीं एवं बायीं मुख्य नहर को सुदृढ़ करने की कोई कार्य योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। विगत कुछ वर्षों में चम्बल के जलाशयों में जल की आवक कम होने से राजस्थान राज्य को उसके हिस्से के पानी की मात्रा 1.47 एम.ए.एफ. जल उपलब्ध नहीं हो पाया है तथा चम्बल सिंचाई परियोजना की दायीं मुख्य नहर जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में होने से डिजाइन प्रवाह क्षमता 6,856 क्यूसेक्स के विरुद्ध अधिकतम 6,150 क्यूसेक्स जल ही प्राप्त कर पाते है जिससे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान दोनों राज्यों की सिंचाई आवश्यकता प्रभावित होती है। जलाशयों में उपलब्ध जल की मात्रा का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सी ए डी, चम्बल सिंचाई परियोजना से गत 5 वर्षो में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों को मांग के विरुद्ध उपलब्ध कराये गये जल की मात्रा का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। सी ए डी, चम्बल सिंचाई परियोजना की नहरें जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में होने एवं अधिकांश लम्बाई में अनलाइन्ड होने के कारण नहरों से जल क्षति होती है। इस जल क्षति को कम करने हेतु सी ए डी चम्बल सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नाबार्ड पोषित रिवेम्पिंग परियोजना एवं स्टेट प्लान मद के तहत नहरों के जीर्णोद्वार के कार्य करवाये जा रहे हैं।

(4) सी ए डी, चम्बल परियोजना की दायीं एवं बायीं मुख्य नहर सिस्टम पर नाबार्ड पोषित परियोजना अन्तर्गत राशि रु. 1,274.42 करोड़ एवं स्टेट प्लान मद के तहत राशि रु. 50.00 करोड़ के नहरों के जीर्णोद्धर के कार्य प्रगतिरत हैं।

परिशिष्ट-अ

चम्बल सिंचाई परियोजना के जलाशयों में गत 24 वर्षों में उपलब्ध जल की मात्रा का विवरण

S. No.	Year	Date	Designed live storage (IN MAF)			Actual live storage (In MAF)			Available live storage (In % age)	Evaporation and other consumption (In MAF)	Rain fall in mm	Available water for irrigation (In MAF)
			Gandhi Sagar	Rana Pratap Sagar	Total	Gandhi Sagar	Rana Pratap Sagar	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1990	21.10.90	5.5109	1.1694	6.6803	4.99695	0.48422	5.48117	82.049758	1.02423	963.9	4.45694
2	1991	05.09.91	5.5109	1.1694	6.6803	4.85344	1.0959	5.94934	89.057976	1.13568	660.9	4.81366
3	1992	21.09.92	5.5109	1.1694	6.6803	1.94724	0.83288	2.78012	41.616694	0.78136	817.7	1.99876
4	1993	07.10.93	5.5109	1.1694	6.6803	2.49092	0.07515	2.56604	33.412047	0.76839	829.1	1.79765
5	1994	21.09.94	5.5109	1.1694	6.6803	5.38293	0.96703	6.14996	53.055012	1.14181	1125.4	5.20815
6	1995	21.09.95	5.5109	1.1694	6.6803	4.90102	1.00966	5.91068	88.47926	1.10654	873	4.80414
7	1996	21.09.96	5.5109	1.1694	6.6803	5.3999	1.12138	6.52128	97.619568	1.153	1043.3	5.36828
8	1997	05.10.97	5.5109	1.1694	6.6803	5.03087	0.73564	5.76651	86.321123	1.0673	1001.7	4.69921
9	1998	25.10.98	5.5109	1.1694	6.6803	3.7363	0.3488	4.0851	61.151445	0.9345	498.7	3.1506
10	1999	19.10.99	5.5109	1.1694	6.6803	2.68316	0.2972	2.98036	44.614164	0.80882	746.7	2.17154
11	2000	21.09.00	5.5109	1.1694	6.6803	0.50518	0.6707	1.17588	17.602203	0.56427	559.8	0.61161
12	2001	21.09.01	5.5109	1.1694	6.6803	0.64552	1.0959	1.74142	26.067991	0.60454	974	1.13678
13	2003	21.10.03	5.5109	1.1694	6.6803	1.23892	0.43619	1.67511	25.075371	0.62455	770.4	1.05056
14	2004	21.09.04	5.5109	1.1694	6.6803	3.1729	0.74404	3.91694	58.634193	0.9727	1023.1	2.94424
15	2005	25.09.05	5.5109	1.1694	6.6803	1.16523	0.865	2.03023	30.3913	035129	553.2	1.37894
16	2006	27.09.06	5.5109	1.1694	6.6803	5.316	1.1439	6.4599	96.200747	1.0008	1105.7	5.4591

S. No.	Year	Date	Designed live storage (IN MAF)			Actual live storage (In MAF)			Available live storage (In % age)	Evaporation and other consumption (In MAF)	Rain fall in mm	Available water for irrigation (In MAF)
			Gandhi Sagar	Rana Pratap Sagar	Total	Gandhi Sagar	Rana Pratap Sagar	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	2007	21.09.07	5.5109	1.1694	6.6803	3.668	0.9577	4.6257	69.243896	0.8913	842.3	3.7344
18	2008	19.09.08	5.5109	1.1694	6.6803	0.912	1.1655	2.0775	31.096003	0.6228	769.3	1.4547
19	2009	17.09.09	5.5109	1.1694	6.6803	1.114	0.5068	1.6208	24.262383	0.6174	648	1.0034
20	2010	27.10.10	5.5109	1.1694	6.6803	0.6310	0.7823	1.4139	21.165217	0.5412	635.8	0.8727
21	2011	20.10.11	5.5109	1.1694	6.6803	3.9598	0.7057	4.6655	69.836978	0.9146	-	3.7509
22	2012	30.09.12	5.5109	1.1694	6.6803	4.7712	1.165	5.1362	88.881279	0.8899	-	5.0403
23	2013	21.09.13	5.5109	1.1694	6.6803	5.1966	1.1601	6.3547	95.156906	1.0649	-	5.2918
24	2014	21.09.14	5.5109	1.1694	6.6803	4.165	1.134	5.2991	2991	0.4235	-	5.3912
25	2015	21.09.15	5.5109	1.1694	6.6803	5.19919	0.93164	6.10403	75.324203	0.5128	-	5.3912

अधि. अभि, एवं प्रावै. सहा.

वास्ते अधी. अभि. सि. वृत्त

परिशिष्ट-ब

चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना अन्तर्गत गत 5 वर्षों में जल की मांग एवं आपूर्ति विवरण

क्र.सं.	वर्ष	सिंचाई हेतु जल की मांग (एम.ए.एफ.)			सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये गये जल की मात्रा (एम.ए.एफ.)		
		राजस्थान	मध्यप्रदेश	योग	राजस्थान	मध्यप्रदेश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2010-11	1.475	1.475	2.95	0.5717	.4324	1.0041
2	2011-12	1.475	1.475	2.95	0.9237	1.0408	1.9645
3	2012-13	1.475	1.475	2.95	0.0264	1.0362	2.0626
4	2013-14	1.475	1.475	2.95	0.0536	0.8083	1.8619
5	2014-15	1.475	1.475	2.95	0.0391	0.8866	1.9257
योग		**7.375**	**7.375**	**14.75**	**4.6145**	**4.2043**	**8.8188**

कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पद

285. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं किन-किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यवस्थापकों को मानदेय के रूप में प्रति माह कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों पर राज्य कर्मचारियों की भांति सेवा नियम लागू कर इन्हें नियमित वेतन श्रृंखला के तहत भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में 132 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मुख्य कार्यकारी (व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक) के कुल 132 पद स्वीकृत हैं। समितियों में भरे हुए तथा खाली पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) व्यवस्थापकों को मानदेय नहीं दिया जाता है।

(3) जी नहीं। ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत निगमित निकाय हैं। व्यवस्थापक व अन्य कर्मचारी सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हैं, न कि राज्य सरकार के। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां/वृहत्त बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कर्मचारियों की चयन, नियुक्ति व सेवा शर्तें, 2008 प्रभावी हैं, जिसके तहत इनको वेतन, भत्ते देय हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद

286. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद, टोंक में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद सृजित हैं तथा कितने पद किस दिनांक से रिक्त हैं? रिक्त पदों के विरुद्ध कौन-कौन कार्मिक कार्यरत हैं? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद, टोंक में लम्बे समय से जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया लम्बित है, जिसके कारण टोंक शहर की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है? क्या सरकार सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद टोंक में संवर्गवार सृजित व रिक्त तथा रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत कार्मिकों का नामवार व पदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। नगर परिषद, टोंक में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये। प्राप्त आवेदन पत्रों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रियाधीन थी। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 6461/2015 में दिनांक 19.01.2016 में पारित निर्णय में

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सफाई कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में नवीन निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों की अनुपालना में भर्ती प्रकिया को स्थगित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भर्ती किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय नगर परिषद टोंक

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है	कार्मिक का नाम तथा कब से कार्यरत है
1	आयुक्त	1	1	0	-	-
2	अधिशासी अभियन्ता	1	1	0	-	-
3	नगर नियोजक सहायक	1	0	1	28.3.2013	-
4	राजस्व अधिकारी ।।	2	0	2	28.3.2013	-
5	सहायक अभियंता	1	0	1	01.5.2008	सेवानिवृत्त सहा. अभि. श्री एम.के. पंकजन दिनांक 10.07.08
6	लेखाधिकारी	1	1	0	-	-
7	सहायक लेखाधिकारी	2	1	1	28.3.2013	-
8	विधि सहायक	1	0	1	28.3.2013	-
9	सहायक परियोजना अधिकारी	1	0	1	05.2.2015	-
10	कर निर्धारक	1	1	0	-	-
11	राजस्व निरीक्षक	1	0	1	30.11.2012	सेवानिवृत्त का.सहा. श्री अहमद मियां दि. 07.03.16

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है	कार्मिक का नाम तथा कब से कार्यरत है
12	स. राजस्व निरीक्षक	1	0	1	09.4.2013	सेवानित ए.आर.आई. श्री घासीराम चौधरी दि. 10.12.12
13	कनिष्ठ अभियंता	3	1	2	2014	सेवानिवृत्त जेईएन श्री अशोक कक्कड दि. 10.11.15
14	स्वास्थ्य निरीक्षक I	1	0	1	30.4.2012	-
15	स्वास्थ्य निरीक्षक II	4	0	4	2002	-
16	ड्राफ्ट मैन/सर्वेयर	1	0	1	2.8.2010	सेवानिवृत्त भू.अभि.नि. श्री बाबूलाल शर्मा दि. 04.11.15
17	सहायक अग्निशमन अधि.	1	0	1	16.7.2013	-
18	फायर मैन	12	4	8	4.7.2015	सेवानिवृत्त फायर मैन श्री रामपाल वर्मा दिनांक 01.09.15
19	कार्यालय सहायक	1	1	0	-	-
20	वरिष्ठ लिपिक	6	3	3	2011	से.नि.व.लि. श्री गिरधरदास शर्मा, दि. 18.04.13 से.नि.व.लि. श्री प्रेमनारायण दि. 07.03.16

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है	कार्मिक का नाम तथा कब से कार्यरत है
21	कनिष्ठ लिपिक	12	7	5	2010	सेवानिवृत्त क.लि. श्री सूजर सैनी, दिनांक 07.01.15 सेवानिवृत्त क.लि. श्री श्यामलाल - दिनांक 30.09.15
22	लेखाकार	1	0	1	21.10.2002	-
23	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1	30.9.2014	सेवानिवृत्त क. लेखाकार श्री चन्द्रशेखर बैरवा दिनांक 21.05.15
24	सहायक पर्चा वितरक	2	1	1	30.9.2011	-
25	वाहन चालक	15	1	14	1998	-
26	जमादार	6	4	2	01.08.2002	-
27	चपरासी	30	15	15	2014	से.नि. च. श्रे. श्री महावीर प्रसाद दिनांक 11.12.15
28	भिश्ती	7	3	4	31.1.2016	-
29	बागवान चौधरी (2+9)	11	7	4	2001	-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है	कार्मिक का नाम तथा कब से कार्यरत है
30	सफाई कर्मचारी	543	132	441	2012	श्री पूरण/चौथू दि. 07.01.15 श्री रतन पुत्र श्री भैरूलाल दिनांक 16.02.15 श्री प्रभात पुत्र श्री सुन्द्रा, दिनांक 01.02.16 श्रीमती तारा पत्नी कैलाश दिनांक 05.03.16 श्री गोपाल पुत्र श्री प्रताप दिनांक 05.03.16 श्री बाबूलाल पुत्र सफरी दिनांक 05.03.2016 श्री गुलाबचन्द पुत्र चन्दा दिनांक 05.03.16 श्री प्रभू पुत्र श्री घीसा दिनांक 05.03.2016

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है	कार्मिक का नाम तथा कब से कार्यरत है
30	सफाई कर्मचारी	543	132	441	2012	श्रीमती भंवरी पत्नी श्री भगवानदास दिनांक 05.03.16 सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारीगण
31	मलेरिया गैंग	3	1	2	2014	-
32	लेबर	3	3	0	-	-
33	मिस्त्री	2	2	0	-	-
	योग	**713**	**190**	**523**		

आयुक्त
नगर परिषद टोंक

चौरासी के स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय में रिक्त पद

287. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौरासी के संस्कृत महाविद्यालय के स्नातकोत्तर संकाय के सभी संवर्गों में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संस्कृत महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्कृत महाविद्यालय के स्नातकोत्तर भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक उसे स्थानान्तरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उसे स्थानांतरित कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, पीठ, डूंगरपुर संचालित है, जो कि स्नातकोत्तर स्तर का ना होकर स्नातक स्तर का महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों के सेवा नियम प्रक्रियाधीन हैं। सेवा नियम बनने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही करते हुए रिक्त पदों को भरा जावेगा।

(3) जी हां। महाविद्यालय को आबंटित भूमि पर पांच नवीन कमरे मय बरामदे, का निर्माण हो चुका है। नये भवन में महाविद्यालय स्थानान्तरित कर दिया गया है।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, पीठ, डूंगरपुर में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त् है।
1	व्याख्याता	4	3	1. अग्रेजी-1 पद दिनांक 19 जनवरी, 2013 से 2. संस्कृत वाड़्गमय-1 पद-दिनांक 29 जून, 2013 से 3. राजनीति विज्ञान-1 पद-दिनांक 13 अगस्त, 2008 से
2	लिपिक ग्रेड-II	1	1	दिनांक 18 फरवरी, 2015 से
3	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	1	1	दिनांक 1 जुलाई, 1999 से
4	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II	1	1	दिनांक 27 जनवरी, 2014 से

संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

288. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भंवरसिंह)

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की छात्र संख्या तथा स्वीकृत पद व कार्यरत शिक्षकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार प्रदेश के सभी प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बीकानेर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, हनुमान नगर तथा मेड़ी का मगरा को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर 12,548, उच्च प्राथमिक स्तर पर 71,093 तथा प्रवेशिका (माध्यमिक) स्तर पर 32,982 छात्र अध्ययनरत हैं।

संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्रवेशिका (माध्यमिक) स्तर के विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों के पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विद्यालय के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 बनाये गये हैं, जो कि दिनांक 09.10.2015 से लागू किये गये हैं। सेवा नियमों के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने/बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुण आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(4) वर्तमान नीति अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु कक्षा-8 में न्यूनतम छात्र संख्या 25 होनी चाहिये। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, हनुमान नगर में कक्षा-8 में 14 तथा मेडी का मगरा में कक्षा-8 में 3 छात्र संख्या है। मानदण्ड पूर्ण करने पर व वित्तीय संसाधन पूर्ण होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

परिशिष्ट-क

संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा प्रवेशिका (माध्यमिक) स्तर के विद्यालय में स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों के पदों का विवरण

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय	142	34
प्राध्यापक, विद्यालय	837	383
प्र.अ. प्रवेशिका	230	123
वरिष्ठ अध्यापक	3097	1577
अध्यापक	6584	4291

भिवाड़ी में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्यवाही

289. श्री मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में भिवाड़ी एक औद्योगिक नगरी है तथा यहां के वातावरण को उद्योग काफी दूषित कर रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अनेक उद्योग दूषित जल को या तो खुले में किसानों के खेतों में या बरसात के नाले में छोड़ रहे हैं, या नलकूप द्वारा भू-जल को दूषित कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उद्योगों पर ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र तिजारा में भिवाडी एक औद्योगिक नगरी है। वर्तमान में भिवाडी के औद्योगिक क्षेत्रों में 986 उद्योग कार्यरत हैं, जिनमें से 468 उद्योग लाल श्रेणी के, 355 उद्योग नारंगी श्रेणी के एवं 163 उद्योग हरी श्रेणी के हैं। ये सभी उद्योग जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सम्मति प्रबन्धन (कन्सेन्ट मैकेनिज्म) में हैं। उक्त सभी उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्थापित कर रखी है।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

जल प्रदूषण की समस्या के निवारण हेतु वर्तमान में भिवाड़ी में 6 एम.एल.डी. क्षमता का एक संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र वर्ष 2004 से संचालित है। इस उपचार संयंत्र से उपचारित उच्छिष्ठ की गुणवत्ता में सुधार एवं उपचार की क्षमता बढ़ाने हेतु इस उपचार संयंत्र का उन्नयन (अपग्रेडेशन) प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, भिवाड़ी में स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण इकाइयों (पट्टा-पट्टी इकाईयों) से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक अम्लीय उच्छिष्ठ के पृथक उपचार हेतु संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र में स्पेंट एसिड न्यूट्रीलाइजेशन फैसिलिटी की स्थापना करवाई गई जो कि अप्रेल 2015 से सुचारु रूप से संचालित की जा रही है।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों के समय-समय पर किये गये निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें कि किसी औद्योगिक इकाई के द्वारा भूमि के अन्दर बोरिंग कर प्रदूषित जल को डाला गया हो। तिजारा विधान सभा क्षेत्र में स्थित इकाइयों से जनित उच्छिष्ठ के ड्रेनेज हेतु बन्द पाइप लाइनों, पर्याप्त संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्रों की व्यवस्था एवं उचित निष्पादन व्यवस्था/सुविधा के अभाव में दूषित जल के खुले में, किसानों के खेतों में या बरसात के नाले में छोड़ने के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को शिकायत प्राप्त होने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण/मानिटरिंग कर उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता की जॉच की जाती है एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन सही नहीं पाये जाने पर उद्योगों को नोटिस भी जारी किये जाते हैं। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (माह फरवरी, 2016 तक) के दौरान उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संचालन में पाई गई कमियों अथवा जल/वायु अधिनियमों के प्रावधानों की पालना नहीं पाये जाने के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 18 उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए/वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत उद्योग बन्द करने एवं उनके जल/विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने बाबत निर्देश जारी कर, उनके विद्युत सम्बन्ध

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

विच्छेद करा उद्योगों को बन्द करवाया गया। उक्त 18 उद्योगों में से 9 उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद भी दर्ज करवाये गये हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा भिवाडी क्षेत्र में स्थित उद्योगों की सतत मानिटरिंग करने हेतु भिवाड़ी में पृथक से क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है।

परिशिष्ट-अ

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (माह फरवरी, 2016 तक) के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए/वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के तहत निर्देश जारी कर, उनके विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करवाकर बन्द कराये गये उद्योगों एवं उद्योग जिनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर करवाये गये की सूची

क्र. सं.	उद्योग का नाम	उद्योग के विरुद्ध बंद कराने हेतु निर्देश जारी किये जाने का दिनांक	न्यायालय में वाद दायर करने की दिनांक
1	केमट्रीट इण्डस्ट्रीज, जी-1-346, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चौपानकी भिवाड़ी	03.02.2015	-
2	अल्का लेबोरेट्री प्रा.लि., बी-1124, फेज-III, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	05.05.2015	31.07.2015
3	शान्ति ड्रग प्रा.लि., ए-902, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	05.05.2015	31.07.2015
4	बी.जी. स्टील प्रा.लि., एसपी-313/सी, फेज-I, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	05.05.2015	31.07.2015
5	वीएसपी इन्टरनेशनल प्रा.लि., ई-1189, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	05.05.2015	31.07.2015
6	वरुण ब्रेवरीज लि., एसपी-290 से 292, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चौपानकी, भिवाड़ी	07.05.2015	-
7	एससीसीआई इण्डिया प्रा.लि. एसपी-287-288 रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी	08.05.2015	31.07.2015

क्र. सं.	उद्योग का नाम	उद्योग के विरुद्ध बंद कराने हेतु निर्देश जारी किये जाने का दिनांक	न्यायालय में वाद दायर करने की दिनांक
8	मोहित मेटल प्रा.लि., जी1/1208 बी एण्ड सी, फेज-III, रामपुर मुण्डाना, रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी	09.06.2015	28.01.2016
9	ज्योतिका स्ट्रीप्स प्रा.लि., एसपी-812/जी-1/64-65, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	02.07.2015	28.01.2016
10	निर्मल एन्टरप्राईजेज, जी 1028, फेज-III, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	07.07.2015	28.01.2016
11	निसिम इण्डिया प्रा.लि., जी-285, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	10.09.2015	28.01.2016
12	माईका इण्डस्ट्रीज लि. (यूनिट-II), ई-92, फेज-I, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	20.10.2015	-
13	एशियाटिक ड्रग एण्ड फार्मास्यूटिकल प्रा.लि., सी-826, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	09.12.2015	-
14	वैष्णव वायर प्रा.लि., एफ-472 से 475, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	04.01.2016	-
15	नवीन इण्डस्ट्रीज, बी-814, फेज-II, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	22.01.2016	-
16	एस.एन.एस. कन्टेनरर्स प्रा.लि., एच-889, फेज-III, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	02.02.2016	-
17	डी.एल. स्टील प्रा.लि., एफ-671, फेज-II, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	18.02.2016	-
18	रानूट्रोल इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., ई-342, फेज-I, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी	22.02.2016	-

छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

290. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री धीरज गुर्जर)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में किस-किस श्रेणी के कुल कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? कितने छात्रावासों को अनुदान दिया जा रहा है? उक्त छात्रावासों में कितने-कितने छात्र/छात्राएं वर्तमान में नामांकित हैं? छात्रों की देखरेख हेतु कुल कितने वार्डन, चौकीदार व कुक के पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पद आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति से रिक्त होने सम्भावित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने तथा उक्त छात्रावासों में 24 घंटे वार्डन, चौकीदार एवं कुक उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं का निराकरण कर छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार छात्रावासों की समय-समय पर देखरेख एवं प्रभावी मानिटरिंग के उद्देश्य से प्रत्येक छात्रावास पर उस लोकेलिटी/ग्राम के प्रतिष्ठित नागरिकों तथा सेवारत एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों/व्यक्तियों की सहभागिता से कोई कमेटी गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त छात्रावासों की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार इन्हें स्वयंसेवी संस्थों अथवा प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों को गोद/संरक्षण में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) भीलवाडा जिले की जहाजपुर एवं कोटड़ी तहसील में किस-किस श्रेणी के कितने छात्रावास स्वीकृत एवं कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार जहाजपुर तहसील में खजूरी तथा कोटडी तहसील में कोटड़ी मुख्यालय पर ओ बी सी वर्ग के छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, स्वच्छकार, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के 700 राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय तथा 84 अनुदानित छात्रावास, कुल 784 स्वीकृत/संचालित हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पार्ट-अ पर उपलब्ध है। इनमें से 700 राजकीय छात्रावासों का शत-प्रतिशत व्यय भार राज्य सरकार द्वारा तथा 84 अनुदानित छात्रावासों कों छात्रावास संचालन हेतु नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इन छात्रावासों में वर्तमान में 33676 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। छात्रों की देखरेख हेतु वार्डन के 707 पद स्वीकृत है, जिनमें से 364 पद रिक्त हैं तथा चौकीदार एवं रसोइया के 1568 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,063 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पार्ट ब पर उपलब्ध है। आगामी दो वर्षो में 25 वाडर्न तथा 43 चौकीदार/रसोइया सेवानिवृत होने जा रहे हैं, जिनका जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पार्ट-स पर उपलब्ध है।

(2) विभागीय छात्रावासों में रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 08.12.2014 द्वारा 107 सेवानिवृत्त कार्मिकों को छात्रावास अधीक्षक के पद पर लगाया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विभागीय आदेश दिनांक 16.01.2016 द्वारा 21 सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है। वित्त विभाग की सहमति के अनुसरण में साथ ही विभाग के पत्रांक 40146 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा सचिव, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड जयपुर को 300 रिक्त पदों, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी-11 के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही करने हेतु अर्थना भिजवायी जा चुकी है। जो परिशिष्ट द पर उपलब्ध है। चौकीदार एवं रसोइया के रिक्त पदों को भरनें हेतु कमेटी का गठन किया गया है तथा चौकीदार एवं रसोइया के पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जो परिशिष्ट-य पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। उक्त छात्रावासों में गुणवत्ता के लिहाज से आवासीय छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है तथा छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा 'भवन सुधारों' अभियान चलाया जाकर आवश्यक भवन मरम्मत, रंग-रोगन व अन्य मरम्मत आदि हेतु विभाग के राजकीय छात्रावासों को बजट उपलब्ध करवाकर सुधार कार्य करवाये गये हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

इसके अतिरिक्त, आवश्यक सुविधाओं के लिये आवश्यकतानुसार लघु निर्माण कार्यो, की स्वीकृति जारी की जा रही है।

(4) जी नहीं। विभाग द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 2 के अन्तर्गत राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश एवं प्रबन्ध की कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर प्रवेश एवं प्रबन्ध की कार्यवाही का प्रावधान किया हुआ है, जिसमें राजकीय अधिकारियों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय पंचायत समिति के प्रधान, क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सम्मिलित है। उक्त समिति समय समय पर छात्रावासों का विजिट/निरीक्षण कर कमियों/सुधार के बारे में अपनी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर से आदेश द्वारा अधिकारियों की टीमों का गठन कर निरीक्षण करवाकर छात्रावासों की मानिटरिग की जा रही है। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-र पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/संचालित राजकीय छात्रावासों की गुणवता में सुधार हेतु इन्हें स्वयंसेवी संस्थों अथवा प्रतिष्ठानों, औद्योगिक संस्थानों को गोद देने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है, क्योंकि जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारियों एवं जिला स्तर पर अन्य विभाग के अधिकारियों को भी छात्रावासों में सुधार की दृष्टि से गोद अथवा संरक्षण की कार्यवाही की जा सकती है।

(6) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर एवं कोटड़ी तहसील में संचालित छात्रावासों का विवरण परिशिष्ट-ल पर उपलब्ध है।

(7) जी नहीं। विभाग द्वारा कोटडी तहसील में कोटड़ी मुख्यालय पर अनुसूचित जाति श्रेणी का राजकीय छात्रावास संचालित है जिसमें सभी वर्गों को प्रवेश दिया जाता है। जहाजपुर तहसील की खजूरी ग्राम पंचायत है जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग का राजकीय छात्रावास खोले जाने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

सलूम्बर में अशुद्ध राशन कार्डों को पुनः बनाने की योजना

291. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमृतलाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कितने राशन कार्ड बन कर वितरित किये गये हैं, कितने शेष हैं व कितने कार्ड अशुद्धि के कारण पुनः बन रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राशन वितरण हेतु जो मशीनें उपलब्ध कराई गई थीं, उनका नेटवर्क गावों में नहीं मिलने से राशन कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं? क्या सरकार गांवों में पूर्ण नेटवर्क उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 84,491 राशन कार्ड बनाकर वितरित किये गये हैं, बनने से शेष राशन कार्ड की संख्या 12,072 है तथा 26,032 राशन कार्ड अशुद्धि के कारण पुन: बन रहे हैं।

(2) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात् राशन सामग्री वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानों पर 'पोस' मशीन चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। 'पोस' मशीनें 2जी डेटा नेटवर्क पर कार्य करती हैं, जो कि दूर-दराज क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। 'पोस' मशीन हेतु नेटवर्क का राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पर्यटन विकास निगम की यातायात इकाई में वित्तीय अनियमितता

292. **श्री बंशीधर** (खण्डेला) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा यातायात इकाई का संचालन किया जा रहा था? यदि हां, तो कब से और कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त इकाई को अब बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2005 से 31 जनवरी, 2016 तक उक्त इकाई कब-कब कितने-कितने लाभ/हानि में रही? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि होटल खासा कोठी, जयपुर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य के नाम पर संचालित ट्रैवल एजेंसी

(श्री बंशीधर)

से गाड़ियां मंगाई जाती थीं? यदि हां, तो कब और कितनी दरों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि आडिट में उक्त एजेंसी से महंगी दरों पर गाड़ियां मंगाने पर आक्षेप दर्ज किया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार इस प्रकार अनियमितता बरत कर राजकोष को हानि पहुंचाने तथा लाभ में चल रही इकाई को बंद करने की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा जयपुर में यातायात इकाई का संचालन 1979 से निरन्तर किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान मे उदयपुर, जोधपुर, होटल इकाइयों एवं केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली के द्वारा भी पर्यटकों की मांग के अनुसार ट्रैवल ऐजेन्सी के जरिये यातायात सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 2004-05 से यातायात इकाई का वर्षवार लाभ-हानि का विवरण अनुलग्नक-अ पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) लागू नहीं।

अनुलग्नक-अ

यातायात इकाई जयपुर का संचालन से वर्षवार लाभ/हानि विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	लाभ/हानि
1	2004-05	-15.73
2	2005-06	-16.31
3	2006-07	-11.69
4	2007-08	-19.17
5	2008-09	-19.22

क्र.सं.	वर्ष	लाभ/हानि
6	2009-10	-27.40
7	2010-11	-27.63
8	2011-12	-21.41
9	2012-13	-30.18
10	2013-14	-16.93
11	2014-15 (अनअंकेक्षित)	-44.47

मनोहरथाना में टूटे हुए एनिकटों व माइक्रो डेम की मरम्मत

293. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कितने माइक्रो डैम व एनिकट निर्मित हैं एवं कितने एनिकट व माइक्रो डैम टूटे हुए हैं? क्या सरकार टूटे हुए एनिकट व माइक्रो डैम्स की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में 33 माइक्रो डैम एवं 11 एनिकट निर्मित है। वर्तमान में दो एनिकट मोईकला व गरूडियाघाटा क्षतिग्रस्त हैं तथा कोई माइक्रो डैम क्षतिग्रस्त नहीं है।

दो एनिकटों की मरम्मत के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

पूर्व में निर्मित किये गये एनिकट का विवरण

क्र.सं.	एनिकट का नाम	वर्तमान स्थिति
1	अमलावदा	जल संग्रहण योग्य है।
2	बोरदा	जल संग्रहण योग्य है।
3	जावर	जल संग्रहण योग्य है।
4	बटटुखेडी	जल संग्रहण योग्य है।
5	बदबद	जल संग्रहण योग्य है।
6	गणेशपुरा	जल संग्रहण योग्य है।

क्र.सं.	एनिकट का नाम	वर्तमान स्थिति
7	झिकडिया	जल संग्रहण योग्य है।
8	गरूडियाघाटा	क्षतिग्रस्त
9	मोईकलां	क्षतिग्रस्त
10	सरडा	जल संग्रहण योग्य है।
11	उमरिया	जल संग्रहण योग्य है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण देने की योजना

294. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण देना बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से व अब कब तक ऋण देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

बस्सी (जयपुर) में रेलवे क्रोसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण

295. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बस्सी कस्बे में बस्सी रेलवे क्रोसिंग पर ओवरब्रिज हेतु स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब व इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? स्वीकृत आदेशों की प्रतियां व तखमीना राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रेलवे ओवरब्रिज का कार्य किस फर्म को दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रेलवे ओवरब्रिज में आने वाली भूमि को अवाप्त कर मुआवजे राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रेलवे ओवरब्रिज का कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2011-12 में 33,52,96,000.00 (अक्षरे तैंतीस करोड बावन लाख छियानवे हजार रुपये) की स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति की प्रति मय तखमीना राशि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूर्व में दिनांक 27.08.2011 को मैसर्स इरकान इन्टरनेशनल लि. को दिया गया था। किन्तु निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण दिनांक 06.11.2013 को यह कार्य वापस ले लिया गया।

(3) उक्त रेलवे ओवरब्रिज में आने वाली भूमि का अवार्ड घोषित नहीं हुआ है। अवार्ड कार्यवाही जैरकार है। अत्यावश्यक प्रकृति की अवाप्ति होने के कारण अवाप्त भूमि (7.5 मीटर चौडाई में) एवं स्ट्रक्चर्स की अनुमानित मुआवजा राशि की 80 प्रतिशत मुआवजा राशि रुपये 1,01,44,961/- दिनांक 28.03.13 एवं दिनांक 05.04.13 को सिविल न्यायालय में जमा कराई जा चुकी है तथा कब्जा दिनांक 08.04.13 को लिया जाकर ज वि प्रा को सुपुर्द कर दिया गया है। यह कब्जा मात्र रिकार्ड के आधार पर था।

(4) उक्त अवाप्तशुदा भूमि का भौतिक रूप से कब्जा नहीं लिया गया था व डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 566/2013 में स्थगन आ जाने से भौतिक कब्जे की कार्यवाही नहीं हो पाई। अब माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन खारिज होने के कारण रेलवे ओवरब्रिज हेतु भूमि प्राप्ति की कार्यवाही चल रही है। भूमि पर भौतिक कब्जा लेने के बाद रेलवे ओवरब्रिज बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कालेजों में प्लेसमेंट सैल का गठन

296. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कालेज निदेशालय के अधीन कुल कितने डिग्री कालेज हैं और उनमें से कितने कालेजों में प्लेसमेंट सैल का गठन किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि डिग्री कालेजों में कार्यरत प्लेसमेंट सैल विद्यार्थियों को प्लेसमेंट दिलवाने में मदद करता है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किन-किन डिग्री कालेजों ने किन-किन को किस दर से कितना प्लेसमेंट दिलवाया? कालेज वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कालेज शिक्षा आयुक्तालय के अधीन 195 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 152 कालेजों में प्लेसमेंट सैल का गठन हो चुका है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। पिछले दो वर्षों में 25 राजकीय महाविद्यालयों द्वारा 582 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट में सहयोग प्रदान किया गया। कालेजवार सूची, विद्यार्थियों के नाम एवं वेतन सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट -2 पर संलग्न है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

राजकीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम बदलने पर पुस्तकों पर व्यय राशि

297. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की कौन-कौन सी पुस्तकें कितने अंतराल से कब-कब बदली गई? जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2016 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान पाठ्यक्रम की पुस्तकें कितनी मात्रा में कब छपवाई गई थीं और उनमें से वर्तमान में कितनी पुस्तकें बची हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बची हुई पुस्तकों को रद्दी में बेचने से कितनी आय और नई छपवाने में सरकार की कितनी राशि व्यय होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बार-बार पाठ्यक्रम बदलने को विशेषज्ञों द्वारा छात्रों के हित में नहीं माना गया है? यदि हां, तो पाठ्यक्रम बदलने का क्या उद्देश्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2016 तक बदलाव का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक मुद्रण कराई गई पुस्तकों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

(शिक्षा राज्य मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	(कक्षा 1 से 8) पुस्तकों की संख्या
1	2009-10	46005626
2	2010-11	47874267
3	2011-12	51471845
4	2012-13	41994410
5	2013-14	46941569
6	2014-15	30230788

वर्तमान में 13,86,415 पुस्तकें अवशेष हैं। कक्षावार एवं पुस्तकवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त बची हुई पुस्तके दिनांक 31.05.2016 तक प्रचलन में हैं, जिनकी नीलामी अभी संभव नहीं हैं। अत: नीलामी से होने वाली आय के आंकड़े दिया जाना सम्भव नहीं हैं।

शिक्षा सत्र 2016-17 में कक्षा 1 से 8 तक की एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा निर्मित नवीन पाठयपुस्तकें लागू होंगी। लगभग 5.70 करोड पुस्तकें मुद्रण कराई जायेंगी, जिस पर मुद्रण एवं कागज, आदि पर लगभग 1.50 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(4) शिक्षा विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर ही पाठ्यक्रम में समय-समय पर बदलाव किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बजरी की कालाबाजारी पर रोक की कार्यवाही

298. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में बजरी खनन हेतु पट्टे आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कब व किन-किन व्यक्तियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में कालाबाजारी के कारण बजरी बहुत ऊंची दरों पर प्राप्त हो रही है व बजरी माफियाओं द्वारा बजरी की मनमाफिक रेट ली जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि बजरी माफिया नदी के अलावा बिना

(श्रीमती गोलमा)

आबंटन के किसानों के खेतों से भी बजरी ले रहे हैं? यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी राजस्व की हानि हो रही है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु पंचायत स्तर पर पट्टे देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा खनिज बजरी के 69 खनन पट्टे आबंटित किये गये हैं। आबंटित किये गये खनन पट्टों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 07.02.2014 से राजस्थान माल (उत्पादन) प्रदाय वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण अधिनियम, 2014 लागू कर बजरी के नियंत्रण हेतु नियम बनाये गये, जिसमें जिला कलक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बजरी की विक्रय खनिज की दरें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया। जिला कलक्टरों द्वारा अपने-अपने जिलों में दरें निर्धारित की गईं।

उक्त अधिसूचना को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. सं. 15369/2015 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 से अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश पारित करने से बजरी की कीमतों पर वर्तमान में राज्य का नियंत्रण नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में सालिसिटर जनरल, भारत सरकार से पैरवी करवा स्थगन निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) बजरी के खनन पट्टाधारकों अथवा अन्य के द्वारा आबंटित क्षेत्र से बाहर खेतों या अन्यत्र कहीं भी यदि खनिज बजरी का अवैध खनन किया जाता है तो खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 के तहत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट -2 पर उपलब्ध है। वर्तमान में खातेदारी भूमि में अवैध बजरी की कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

(4) पंचायत स्तर पर पट्टे देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर जिले में 'मीसा' बंदियों को पेंशन व चिकित्सा सहायता

299. **श्री तरुण राय कागा** (चौहटन) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा राजस्थान में 'मीसा', डी.आई.आर. एक्ट के तहत बंदियों को पेंशन व चिकित्सा सहायता देने की नीतिगत घोषणा की गई है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में इस प्रकार की सहायता कितनों को मिल रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.02.2014 द्वारा 'मीसा' एवं डी.आई.आर. बंदियों के लिए पेंशन नियम जारी किये हैं। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में कुल 34 'मीसा', डी.आई.आर. बंदी हैं। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले में राशन विक्रेताओं को 'पोस' मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण

300. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राशन की दुकानों पर आई 'पोस' (पाइंट आफ सेल) मशीनों से गेहूं व केरोसीन का आनलाइन वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या जोधपुर में सभी राशन विक्रेता को उक्त मशीनों की सप्लाई कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वितरित की गयी मशीनें दो-चार उपभोक्ताओं को राशन देने के बाद जाम हो जाती हैं व ऐसे में राशन डीलर्स को मैन्यूअल एंट्री करनी पड़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मशीनों के रख-रखाव व विधिवत ट्रेनिंग देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में राशन विक्रेता द्वारा मैन्यूअल तौर पर वितरित की गयी राशन सामग्री एवं आई 'पॉस' मशीन लगाने के बाद वितरित

(श्री कैलाश भंसाली)

सामग्री में काफी अन्तर आया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले में 1,117 उचित मूल्य दुकानों पर 'पोस' मशीन की सप्लाई की जा चुकी है। शेष उचित मूल्य दुकानों को 'पोस' मशीनें सप्लाई करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में जोधपुर जिले में 302 उचित मूल्य दुकानों पर 'पोस' मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न/केरोसीन का वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। कतिपय लाभार्थियों को 'पोस' मशीन से वितरण सम्भव नहीं होने की स्थिति में मैन्यूअल प्रविष्टि कर रसद सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानदारों को 'पोस' मशीनों के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) जोधपुर जिले में 'पोस' मशीनों की सप्लाई तथा उचित मूल्य दुकानदारों को प्रशिक्षण माह जनवरी, 2016 एवं फरवरी, 2016 से प्रारम्भ किया गया है तथा 'पोस' मशीनों के माध्यम से वितरण प्रारम्भिक तौर पर माह फरवरी, 2016 से ही प्रारम्भ किया गया है। अतः अन्तर की गणना वर्तमान में किया जाना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

बीकानेर में पर्यटकों के लिए सस्ती दर पर आवास की सुविधा

301. **श्री गोपाल कृष्ण** (बीकानेर पश्चिम) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में पर्यटकों के लिए सस्ती दरों पर रहने के लिए कोई आवास व भवन निर्मित है? यदि हां, तो कहां-कहां पर?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बीकानेर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रतन बिहारी पार्क एवं भाडाशाह जैन मंदिर, आदि धार्मिक स्थलों पर कोई धर्मशाला तथा भवन निर्मित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा इस तरह की सूचना संधारित नहीं की जाती है।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

प्राप्त जानकारी अनुसार, बीकानेर में पर्यटकों के सस्ती दरों पर रहने के लिए उपलब्ध आवास भवनों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) रतन बिहारी मंदिर क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा 25 कमरों की धर्मशाला निर्मित की गयी है।

भाडाशाह जैन मंदिर क्षेत्र में कोई धर्मशाला/भवन उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त, बीकानेर के प्रमुख धार्मिक स्थलों, देशनोक करणीमाता मंदिर, श्री कोलायत जी एवं मुकाम मंदिर, नोखा मंदिर क्षेत्र में पर्यटकों हेतु धर्मशाला भवन उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट-अ

बीकानेर में पर्यटकों के लिए सस्ती दरों पर रहने के लिए आवास भवन/ धर्मशाला की सूची

1. माहेश्वरी धर्मशाला, पीबीएम, हास्टिपल रोड, बीकानेर।
2. तेरापंथ भवन, गंगा शहर, बीकानेर।
3. धर्मशाला देवस्थान विभाग, रतनबिहारी पार्क, बीकानेर।
4. रोटरी क्लब, सादुल गंज, बीकानेर।
5. मोहता धर्मशाला, रेलवे स्टेशन रोड, बीकानेर।
6. विश्नोई धर्मशाला, पब्लिक पार्क, बीकानेर।
7. माहेश्वरी धर्मशाला, नई लेन, गंगाशहर, बीकानेर।
8. जाट धर्मशाला, गजनेर रोड, बीकानेर।
9. मोती भवन, रेलवे स्टेशन रोड, बीकानेर।
10. राजपुरोहित सभा भवन, हनुमान हत्था, बीकानेर।
11. पुष्करणा भवन, जस्सुसर गेट, बीकानेर।
12. रांकावत भवन, पुगल फांटा, बीकानेर।
13. राजपूत सभा भवन, कीर्ति स्तंभ, बीकानेर।
14. गौड़ सभा भवन, रानी बाजार, बीकानेर।
15. मोहता धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बीकानेर।

बीसलपुर का ओवरफ्लो पानी टोरडी सागर व मानसी डैम में डालने की योजना

302. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल)

(1) क्या सरकार मालपुरा, निवाई एवं पीपलू क्षेत्र को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने वाले पानी को टोरडी सागर एवं मांसी डैम में डालने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बनास नदी को चम्बल नदी से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होकर जाने वाले पानी की मात्रा को प्रस्तावित ईसरदा परियोजना की जल आवक गणना में सम्मिलित किये जाने से ओवरफ्लो के पानी को टोरडी सागर व मांसी बांध में डाला जाना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। बनास नदी को चम्बल नदी से जोड़ने हेतु डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर है। डी पी आर प्राप्ति पर स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

शेरगढ़ में सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

303. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां खोलने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पंचायत समिति मुख्यालय शेरगढ़ व सेखाना में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कहां-कहां कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत

(श्री बाबू सिंह)

मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने हेतु सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में किसानों की मांग को मध्य नजर रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अभी भी कई ग्राम सहकारी समितियों के गोदाम/भवन निर्मित नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार उक्त समितियों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। प्रस्तावित क्रय-विक्रय सहकारी समितियां गठन के मानदण्ड पूर्ण नहीं करती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(5) सर्वे कार्य प्रक्रियाधीन है।

(6) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(7) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कुल 35 में से 7 ग्राम सेवा सहकारी समितियों अर्थात् बैलवाखत्रियान, देवातु, डेरिया, गोपालसर, कुईइन्दा, बस्तवा, बालेसर सता में गोदाम/भवन निर्मित नहीं हैं।

(8) जी हां। वर्तमान में समितियों के पास भूमि उपलब्ध नहीं हैं। भूमि उपलब्ध होने पर तत्समय उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-'1''

नई क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. के गठन हेतु विभागीय मापदण्ड

1. नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन का स्थान पंचायत समिति अथवा तहसील मुख्यावास हो अथवा जहां पर कृषि उपज मण्डी अथवा गौणमण्डी यार्ड, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित होनी चाहिए।
2. प्रस्तावित स्थान पर सी.सी.बी. अथवा अन्य वाणिज्य बैंक की शाखा आवश्यक हैं।
3. समिति के कार्यक्षेत्र में दो फसल क्षेत्र अथवा सिंचित क्षेत्र अधिक हों।
4. यातायात एवं दूर संचार से जुडा होना चाहिए।
5. गोदाम कार्यालय निर्माण हेतु भूखण्ड उपलब्धता की सुनिश्चितता।
6. 300 किसान व्यक्तिगत सदस्य के रूप में सदस्य बनने की सम्भावना।
7. आवेदन पत्र 50 प्रस्तावित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए।
8. हिस्सा पूंजी 3.00 लाख रुपये जमा कर ली हो।
9. प्रस्तावित समिति के गठन के पास वाली अन्य क्रय-विक्रय समिति का कार्य व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए।
10. प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम 15 ग्राम सेवा समिति सम्बद्ध होनी चाहिये, सदस्यता ग्रहण करने की सम्भावना होनी चाहिए।
11. प्रस्तावित समिति की सर्वे रिपोर्ट सहायक/उप रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये जिसमें कार्यक्षेत्र में निवासित किसान की संख्या, कृषि भूमि क्षेत्रफल, खाद बीज की मांग की मात्रा, कृषक परिवारों की संख्या, ग्रामों एवं पंचायतों का विवरण।
12. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित कार्य योजना जिसमें व्यापार का संभावित विवरण, अर्जित होने वाला प्रस्तावित लाभ एवं अन्य उपभोक्ता व्यापार का संभावित विवरण दर्शाया जावेगा।

जी.एल. स्वामी

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग)

परिशिष्ट-2

पंचायत समिति बालेसर में ग्राम पंचायत का नाम जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित है

एनेक्चर-3

1. बेलवा खत्रियान ग्राम पंचायत
2. निम्बा का गांव ग्राम पंचायत
3. कुई इन्दा ग्राम पंचायत
4. बावरली ग्राम पंचायत
5. आगोलाई ग्राम पंचायत
6. ढाढणियां सासण ग्राम पंचायत (ढाढणियां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.)
7. बस्तवा ग्राम पंचायत
8. गोपालसर ग्राम पंचायत
9. बालेसर सत्ता ग्राम पंचायत

पंचायत समिति सेखाला में ग्राम पंचायत का नाम जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित है

एनेक्चर-2

1. चामू ग्राम पंचायत
2. नाथडाउ ग्राम पंचायत
3. बारनाउ ग्राम पंचायत
4. देवातू ग्राम पंचायत
5. सेखाला ग्राम पंचायत
6. केतू कलां ग्राम पंचायत
7. केतू मदा ग्राम पंचायत
8. देडा ग्राम पंचायत
9. गिलाकौर ग्राम पंचायत
10. लोडता ग्राम पंचायत
11. डेरियां ग्राम पंचायत

12. भालू राजवा ग्राम पंचायत (भालू कलां ग्राम सेवा सहकारी समिति)

पंचायत समिति शेरगढ़ में ग्राम पंचायत का नाम जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित है

एनेक्चर-1

1. दासानिया ग्राम पंचायत
2. खिरजा खास ग्राम पंचायत
3. तैना ग्राम पंचायत (कुन्तलिया बेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति)
4. भोरगढ़ ग्राम पंचायत
5. चाबा ग्राम पंचायत
6. साई ग्राम पंचायत
7. सोईन्तरा ग्राम पंचायत
8. जाटी भाण्डू ग्राम पंचायत
9. सोलकिया तलां ग्राम पंचायत
10. सोमेसर ग्राम पंचायत
11. पाबूसर ग्राम पंचायत
12. सुवालिया ग्राम पंचायत
13. भूंगरा ग्राम पंचायत
14. रायसर ग्राम पंचायत

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिकराय में महिला महाविद्यालय की स्थापना

376. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिकराय में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की प्रत्येक तहसील स्तर पर महिला महाविद्यालय खोलने की कोई योजना है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि आबंटन की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय संचालित है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में सिकराय में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

बिराणियां (फतेहपुर) में शहीद के नाम पर विद्यालय का नामकरण

377. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में शहीद के परिवार को केन्द्र तथा राज्य सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शहीदों की मूर्ति लगाने व शहीद स्मारक के लिए विधायक कोष से कितनी राशि जारी करने का प्रावधान है? क्या सरकार इस सीमा में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(3) किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का नामकरण शहीदों के नाम पर करने हेतु क्या प्रावधान है? इसकी समय सीमा क्या है? विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के बिराणियां में क्या किसी विद्यालय या अन्य भवन को शहीद के नाम पर नामकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य में शहीद के परिवार को राज्य सरकार से उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। केन्द्र सरकार द्वारा देय सुविधा का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) शहीद की मूर्ति लगाने व शहीद स्मारक के लिए विधायक कोष से 2.00 लाख की राशि जारी करने का प्रावधान है। विधायक कोष से राशि वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। किसी भी सावर्जनिक उपक्रम का नामकरण शहीद के नाम से करने का प्रावधान नहीं है। अपितु 01.04.1999 के पश्चात् शहीद होने वाले सैनिक के नाम से गांव में स्थित स्कूल का नाम शहीद सैनिक के नाम से करने का प्रावधान है, लेकिन एक ही गांव में एक से अधिक सैनिक शहीद होने तथा गांव में एक ही स्कूल होने की स्थिति में गांव में स्थित अन्य राजकीय औषधालय/चिकित्सालय/पंचायत भवन, मार्ग, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थान में एक स्थान शहीद के नाम से करने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के बिराणियां में शहीद परमेश्वर लाल के नाम से विद्यालय नामकरण का प्रकरण जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सीकर के पत्र क्रमांक 1238 दिनांक 27.07.2015 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सीकर को भिजवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर में सम्पादित होने वाले कार्य

378. **श्री रमेश (सपोटरा)** : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर द्वारा क्या-क्या कार्य सम्पादित किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(2) सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में उक्त सेंटर पर अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सेंटर के अधिकांश कार्य वैज्ञानिकों के सहयोग से सम्पादित किये जाते हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सेंटर पर काफी समय से एक भी वैज्ञानिक कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त सेन्टर में निदेशक का पद भी रिक्त है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(6) क्या यह सही है कि वैज्ञानिकों के अभाव में सेंटर का कार्य पूर्णतया बाधित हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा सेंटर पर पूर्णकालिक निदेशक और वैज्ञानिक नियुक्त नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब सरकार कब तक पूर्णकालिक निदेशक एवं वैज्ञानिक नियुक्त करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्टेट रिमोट सैंसिंग एप्लिकेशन सेंटर द्वारा राज्य की विकास योजनाओं में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव, उपयोग एवं समय अंतराल पर हुए परिवर्तनों की व्याख्या उपग्रह से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की जाती है। इसके अन्तर्गत भूमि, जल, नदी, वन, फसल, ढाल, नहरें, शहर, सडक, रेल, आदि संसाधनों से सम्बन्धित नक्शे तैयार किये जाते हैं।

(2) विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में उक्त सेंटर पर अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन पर खर्च की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र सं	**वित्तीय वर्ष**	**व्यय राशि (संवेतन) (रुपयों में)**
1	2013-14	2,03,69,978/-
2	2014-15	2,08,17,482/-
कुल राशि रुपये		**4,11,87,460/-**

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री)

(3) इस सेंटर में वैज्ञानिक का पद नहीं है। सेंटर में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी व प्रोग्रामर के पद हैं व इन्हीं के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का कार्य संपादित किया जाता है।

(4) इस सेंटर में वैज्ञानिक का पद स्वीकृत नहीं है।

(5) उक्त सेंटर पर निदेशक का पद स्वीकृत नहीं है। विभाग में निदेशक का पद स्वीकृत है, जो कि भरा हुआ है।

(6) इस सेंटर में वैज्ञानिक का पद स्वीकृत नहीं है। सेंटर में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध तरीके से यहां कार्यरत अधिकारियों द्वारा संपादित किया जा रहा है।

दौसा जिले के राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय का आचार्य स्तर पर क्रमोन्नयन

379. **श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दौसा एवं नजदीकी जिले भरतपुर, सवाई माधोपुर व अलवर के छात्र-छात्राओं को शास्त्री के पश्चात् उच्च शिक्षा के लिए जयपुर जाकर अध्ययन करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार दौसा एवं नजदीकी जिलों के छात्र-छात्राओं को संस्कृत की उच्च शिक्षा हेतु जिला मुख्यालय दौसा के राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन भरतपुर में राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय एवं अलवर जिले में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, कोटकासिम, अलवर में आचार्य स्तर की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

(2) महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने/बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुण आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की योजना

380. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कितने वाल्मिकी समुदाय के लोग आज भी सिर पर मैला ढोने के काम कर रहे हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने पूर्व में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को खतम कर इस काम में लगे लोगों का पुनर्वास किया था? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में कितने लोगों का पुनर्वास किया गया। जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिर पर मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा आज तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में कोई भी व्यक्ति सिर पर मैला ढोने का काम नहीं कर रहे हैं।

(2) जी हां। गत 10 वर्षों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पुनर्वासित किये गये स्वच्छकारों का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) सर पर मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए एम.एस. एक्ट 2013 लागू किया जा चुका है। इस एक्ट के लागू होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को सुरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा युक्तियों के बिना सीवरेज/सैफ्टी टैंक सफाई कार्यो हेतु नहीं लगाया जा सकेगा। उक्त एक्ट के उल्लंघन के विचारण हेतु नगर निगम क्षेत्रों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट व अन्य नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं एवं राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जा चुका है।

भारत सरकार की एस.आर.एम.एस. योजना के तहत सिर पर मैला ढोने के काम में लगे लोगों के पुनर्वास हेतु 40,000/- एक मुश्त वित्तीय सहायता, रियायती ब्याज दर पर ऋण व कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की योजनाएं हैं।

'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत अस्वच्छकारी शौचालयों व शौचालय-विहिन मकानों में शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

परिशिष्ट-अ

जिला	वर्ष 05-06 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 06-07 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 07-08 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 08-09 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 09-10 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 10-11 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 11-12 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 12-13 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 13-14 एवं पुनर्वासितों की संख्या	वर्ष 14-15 एवं पुनर्वासितों की संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अलवर	0	0	25	61	0	0	11	0	0	0	97
भीलवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भरतपुर	0	14	11	6	0	0	5	0	0	0	36
बीकानेर	12	12	18	23	0	0	0	0	0	0	65
बाड़मेर	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	245
बून्दी	20	10	5	3	0	0	0	0	0	0	38
बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बारां	0	15	2	9	3	0	0	0	0	0	29
चित्तौड़गढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चूरू	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
धौलपुर	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24
दौसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जयपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जोधपुर	2	2	20	37	0	0	0	0	0	0	61
झुन्झुनूं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जालौर	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	12
जैसलमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झालावाड़	0	0	0	3	87	0	0	0	0	0	91
कोटा	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6
पाली	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	13
राजसमंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स. माधोपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रीगंगानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सीकर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिरोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टोंक	29	27	47	186	0	0	0	0	0	0	289
उदयपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
करौली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हनुमानगढ़	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
नागौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डूंगरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**140**	**87**	**144**	**599**	**90**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**1076**

जयपुर की रिंग रोड परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की कार्य योजना

381. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की रिंग रोड परियोजना जे डी ए जयपुर के अधिकारियों की लापरवाही/मिलीभगत व रिंग रोड बनाने वाली कम्पनी के अधिकारियों की मनमानी से फेल होती नजर आ रही है? यदि हां, तो सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि 47 किलोमीटर लम्बाई वाली इस रिंग रोड परियोजना के लिए जे डी ए जयपुर ने आवश्यक सभी अनुज्ञा समय पर प्रदान कर दी थीं? यदि हां, तो कौन-कौनसी अनुज्ञाएं (एनओसी) कब तक जारी होनी थीं और कौन-कौनसी अनुज्ञाएं कब-कब जारी की गईं व इनके जारी करने में देरी के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि जयपुर शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली रिंग रोड परियोजना में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही/मिलीभगत और कंपनी के अधिकारियों की मनमानी रही है। रिंग रोड पर हुए कार्यों का विवरण एवं वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:-

रिंग रोड परियोजना में आ रही भूमि का कब्जा लम्बे समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। विशेष अभियान चलाकर दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को 80 प्रतिशत भूमि का कब्जा कन्सेशनर को संभलवा दिया गया। तत्पश्चात् पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर प्रोजेक्ट के लिए अपाइन्टी डेट नियत की गई। साथ ही, परियोजना में आगरा रोड, टोंक रोड व अजमेर पर क्लोवर लीफ की डिजाइन में संशोधन इस प्रकार किया गया कि भूमि की आवश्यकता कम से कम हो। परियोजना में आ रही बिजली की लाइनों को शिफ्ट करने की कार्यवाही चालू की गई। रिंग रोड परियोजना में इण्डियन आयल की पाइप लाइन को दो जगह पर क्रास कर रही है। इस पाइपलाइन के सम्बन्ध में इण्डियन ऑयल से आवश्यक स्ट्रक्चर बनाने की स्वीकृति प्राप्त की गई। परियोजना के ट्रांसफर कोरिडोर में कुल 25 में से 20 व्हिकुलर अण्डरपास

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बनाने का कार्य चालू किया जा चुका है। भविष्य में यातायात के संचालन एवं उसकी सुरक्षा हेतु ट्रांसपोर्ट कोरिडोर के नीचे तीन अतिरिक्त व्हिकुलर अण्डरपास एवं 14 स्थानों पर पदमार्ग स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 5 का कार्य प्रगति पर है। अमानीशाह नाले पर मुख्य ब्रिज के पाइल फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है। ट्रांसपोर्ट कोरिडोर की 38 किलोमीटर लम्बाई में मिट्टी का कार्य प्रगति पर है तथा 3 किलोमीटर लम्बाई में जी एस बी का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना में पी ए पी कोरिडोर के भूखण्डों का डिमार्केशन लगभग पूर्ण किया जा चुका है। पी ए पी कोरिडोर में 262 किलोमीटर लम्बाई में जी एस बी सड़क का निर्माण कार्य किया जा चुका है एवं 64 किलोमीटर लम्बाई में डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। पी ए पी एरिया में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रु. 96 करोड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भिजवाये गये हैं। इसी प्रकार इस परियोजना के दक्षिणी पी ए पी कोरिडोर के समस्त विकास कार्य कराने हेतु स्विस चैलेंज व्यवस्था के तहत डी पी आर बनाने का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मुख्य ट्रांसपोर्ट कोरिडोर के काम में पर्याप्त गति से काम नहीं होने का मुख्य कारण बैंकों द्वारा कन्सेशनर को लम्बे समय से ऋण का भुगतान रोका जाना है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बैंकों एवं कन्सेशनर के साथ बैठक कर इस समस्या को लगभग सुलझा लिया गया है।

उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कार्य प्रगति पर है।

(2) 47 किलोमीटर लम्बाई वाली रिंग रोड परियोजना के लिए जे डी ए द्वारा पर्यावरणीय सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 26.12.2013 को एवं अंतिम स्वीकृति दिनांक 27.01.2015 को प्राप्त की गई। साथ ही, परियोजना हेतु कन्सेंट-टू-स्टेबलिस (Consent to establish) दिनांक 20.02.2015 को प्राप्त की गई। इन स्वीकृतियों में लगे समय के कारण परियोजना में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है।

बारां नगर परिषद् क्षेत्र की कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन

382. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ललित कुमार)

(1) क्या सरकार बारां नगर परिषद् क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व वर्तमान में कौन-कौनसी कालोनियों का नियमन किया जा चुका है व कौन-कौनसी का नियमन शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बारां जिले में नियमित की गई कालोनियों के पट्टे वितरण करने हेतु शिविर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बारां नगर परिषद क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों, जिनका नियमन किया जा चुका है, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं नियमन से शेष रही कालोनियों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) सतत प्रकिया के तहत सभी नगरीय निकायों द्वारा पट्टे जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में विशेष शिविर लगाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सोडाला ग्राम (जयपुर) के दिये गये मुआवजे पर महाधिवक्ता की राय

383. **डॉ. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं. 328 ग्राम सोडाला तहसील जयपुर जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिये गये मुआवजे के सम्बन्ध में सरकार द्वारा महाधिवक्ता राजस्थान से विधिक राय ली गई है? यदि हां, तो कब?

(2) महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा इस सम्बन्ध में क्या राय दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को कई ज्ञापन/अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब-कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार को प्राप्त ज्ञापन/अभ्यावेदनों का

(डा. किरोड़ी लाल)

विधिक परीक्षण भी करवाया गया है? यदि हां, तो कब व विधिक परीक्षण के बाद उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महाधिवक्ता, राजस्थान से राय दिनांक 29.09.2015 को प्राप्त हुई।

(2) महाधिवक्ता, राजस्थान से प्राप्त राय दिनांक 29.09.2015 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में श्री हनुमान सहाय शर्मा का अभ्यावेदन (परिशिष्ट "ब'),' व श्री कृष्णचन्द्रपाल का अभ्यावेदन (परिशिष्ट "स") प्राप्त हुए है।

(4) इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जैसलमेर में श्मशान हेतु भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही

384. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर नगर में प्रत्येक समाज की जनसंख्या कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अतिम संस्कार करने हेतु किस-किस समाज के पास कितनी-कितनी भूमि श्मशान एवं कब्रिस्तान के लिए उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन समाजों के पास अंतिम संस्कार हेतु भूमि नहीं है, उन्हें भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनगणना वर्ष 2011 में जैसलमेर की कुल जनसंख्या 65,471 है, जिनमें से 7,118 अनुसूचित जाति एवं 3,454 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। समाजवार जनसंख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(2) जैसलमेर शहर में अतिम संस्कार हेतु समाजों के पास उपलब्ध भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नृसिंह जी की भाखरी स्थित में अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही

385. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नृसिंह जी की भाखरी, सोजत नगर में हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगरपालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सोजत नगरपालिका क्षेत्र में हवाई पट्टी के लिए जगह आरक्षित है? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल कितना है?

(3) क्या सोजत शहर की हवाई पट्टी के सीमांकन क्षेत्र व आस-पास अतिक्रमण कर लिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नृसिंह जी भाखरी, सोजत नगर में हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। ग्राम सोजत के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070-2073 के अनुसार खसरा नम्बर 6227 रकबा 9.0230 हेक्टयर, किस्म गैर मुमकिन हवाई जहाज का मैदान दर्ज है।

(3) सोजत हवाई पट्टी के परिसर के अन्दर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, लेकिन हवाई पट्टी के सीमाकंन क्षेत्र में करीबन 6-7 वर्ष से अस्थायी अतिक्रमण है। उक्त अतिक्रमणों को हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

चवाड़िया एनिकट (मारवाड़ जंक्शन) का सुदृढ़ीकरण करने की योजना

386. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड जंक्शन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के चवाड़िया एनिकट का निर्माण कार्य कब, किसके द्वारा करवाया गया तथा इस पर अब तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनिकट की वर्तमान स्थिति क्या है?

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) क्या सरकार उक्त एनिकट का सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में चवाड़िया एनिकट एक पूर्व निर्मित तालाब था, जो वर्षा के दौरान सीपेज होकर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत पर अब तक की गई व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त एनिकट जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है।

(3) तालाब से चवाड़िया एनिकट में परिवर्तित कार्य के बार-बार क्षतिग्रस्त होने से विस्तृत तकनीकी परीक्षण उपरान्त ही गुणावगुण आधार पर पुनर्निर्माण पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन में निर्मित चवाडिया एनिकट की मरम्मत पर अब तक किये गये व्यय का विवरण :-

क्र. सं.	एनिकट का नाम	योजना का नाम	वर्ष	व्यय राशि लाखों में
1.	चवाड़िया एनिकट	पूर्व निर्मित	---	---
		अकाल राहत योजना	1987-89	2.00
		जवाहर रोजगार योजना	1992-93	0.72
		महानरेगा योजना	2009-10	0.91
		महानरेगा योजना	2010-11	0.08

जमवारामगढ़ बांध में बीसलपुर परियोजना का पानी लाने की योजना

387. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित जमवारामगढ़ बांध में बिलकुल पानी नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बीसलपुर परियोजना का पानी जमवारामगढ़ के बांध में पानी लाने का प्रस्ताव

(श्री जगदीश नारायण)

बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जमवारामगढ़ में पानी की आवक विगत वर्षों से शून्य रही है।

जी नहीं। बीसलपुर बांध में उपलब्ध जल की मात्रा का उपयोग पूर्व में ही निर्धारित होने एवं बांध में अधिशेष जल उपलब्ध नहीं होने से जल जमवारामगढ़ में लाया जाना विचाराधीन नहीं है।

खानपुर की लघु सिंचाई परियोजना जोगरपुरा का सर्वेक्षण

388. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर में जोगरपुरा लघु सिंचाई परियोजना हेतु सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परियोजना उपादेय है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोगारपुरा माइक्रो सिंचाई परियोजना के सर्वे पश्चात् डी पी आर तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 426.48 लाख की दिनांक 16.02.2016 को जारी की जा चुकी है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जोगारपुरा माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर दिनांक 08.03.2016 को संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

परिशिष्ट-अ

Government of Rajasthan

(Water Resources Department)

No.F.3(12) AS/I/Cell/96/XVII/112th meeting/1467 Datd : 16.2.16

Chief Engineer,
Water Resources Zone,
Kota.

Sub : Formation of New Tank across local stream near Jogarpura (V) Borkhedakala (GP) Bakani (PS) Jhalawar district under Four Water Concept Scheme.

Ref : Your office letter no. CE/WR/Tech/F-176/20656 dated 10.12.2015

Sir,

I am directed to convey Administrative and Financial sanction of the Government for formation of New Tank acroos local stream near Jogarpura (V) Borkhedakala (GP) Bakani (PS) Jhalawar district under Four Water Concept scheme amounting to Rs. 426.48 Lac (Rs. Four Crore Twenty Six Lac and Forty Eighty Thousand only) subject to condition of TAC clearance & Hydrology, Relaxation in B.C. Ratio and approval of design & drawing from competent authority.

Chargeable Head-4702-MIW

Yours faithfully
Sd.
Deputy Secretary & TA
to Chief Engineer, WR
Rajasthan, Jaipur

बीकानेर जिले में पानी भण्डारण हेतु बनाई गयीं डिग्गियां

389. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पायलेट प्रोजेक्ट के तहत बीकानेर जिले की लिफ्ट कैनालों के चकों में सिंचाई के पानी भण्डारण हेतु बनाई गई डिग्गियों से अब तक एक भी चक में सिंचाई सुविधाएं शुरू नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डिग्गियों के रख-रखाव का जिम्मा क्षेत्र के किसानों को सौंपा जाना है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत बीकानेर जिले की लिफ्ट कैनालों के चकों में सिंचाई के पानी भण्डारण हेतु बनाई गई 81 डिग्गियों में से 49 डिग्गियों द्वारा सिंचाई सुविधा शुरू कर दी गई है।

(2) जी हां। उक्त डिग्गियों का रख-रखाव विद्युत सम्बन्ध लिये जाने के 2 वर्ष तक संवेदक द्वारा किया जाना है। उसके पश्चात् डिग्गियों को रख-रखाव हेतु किसानों के निर्वाचित जल उपयोक्ता संगमों को सौंपा जाना है।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

अत: 28 डिग्गियां जल उपयोक्ता संगमों को सौंप दी गई हैं। शेष डिग्गियां जैसे-जैसे संवेदक के रख-रखाव की अवधि पूर्ण होती जायेंगी, सम्बन्धित जल उपयोक्ता संगमों को रख-रखाव हेतु सौंप दी जायेंगी।

चौरासी के बांधों की मरम्मत

390. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौरासी के गजपुर बांध, घोड़ियों का नाका बांध, बिलपन बांध, भैंस का नाका तथा पीपलिया बांध के मैन गेट जर्जर अवस्था में होने के कारण पानी निकल जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त सभी बांधों के गेटों को कब तक दुरुस्त कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी बांधों की नहरें काफी समय से क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो इनकी मरम्मत कब तक कर दी जायेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। घोड़ियों का नाका, भै का नाका एवं पीपलिया (वात्रक) बांध के स्लूस गेटों से पानी का रिसाव होता है। इन स्लूस गेटों की आवश्यक मरम्मत करवाकर दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है। गजपुर एवं बिलपन बांध के स्लूस गेट सही होने से पानी का रिसाव नहीं होता है।

(2) घोड़ियों का नाका, भै का नाका एवं पीपलिया (वात्रक) बांध के स्लूस गेटस को आगामी वर्षा ऋतु पूर्व दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। भै का नाका, गजपुर एवं पीपलिया (वात्रक) बांध की नहरों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा बिलपन बांध की नहरों का मरम्मत कार्य महानरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत है।

घोड़ियों का नाका बांध की नहरों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा चुके हैं। संसाधन उपलब्धतानुसार स्वीकृति उपरान्त कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

मनोहर थाना में अनुसूचित जाति/जनजाति/ ओबीसी के विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति

391. **श्री कंवर लाल** (मनोहरथाना) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दो वर्ष से अधिक समय होने के उपरान्त भी नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को छात्रवृत्ति वितरित की गई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी के विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में संचालित महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। गत दो वर्षों (2013-14 एवं 2014-15) में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन एवं वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृत आवेदन, लम्बित आवेदन, लम्बित आवेदन, लम्बित एवं वितरित छात्रवृत्ति राशि का नामवार, वर्षवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त विधान सभा क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है। वर्ष 2014-15 के कुछ विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आक्षेपित होने के कारण बकाया है, जो आक्षेप-पूर्ति उपरान्त स्वीकृत की जावेगी।

(3) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत वर्षों के लम्बित आवेदन पत्रों

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

का निस्तारण उपलब्ध वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के दृष्टिगत मार्च 2016 तक किये गये जाने का प्रयास है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत छात्रवृत्ति उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जाकर प्राथमिकतानुसार भुगतान किया जाता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शेष लम्बित आवेदकों को भुगतान नहीं किया जाता है। अतः उक्त योजनान्तर्गत गत वर्षों की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कानूजा ग्राम पंचायत (पाली) में पालनहार योजना के बकाया प्रकरणों का निस्तारण

392. **सुश्री कीर्तिकुमारी** (माण्डलगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में वर्ष 2010 से जनवरी, 2016 तक बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों को योग्यता के अनुसार कितनी राशि का भुगतान कितने परिवारों को किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति रायपुर में उक्त अवधि में बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितनों को भुगतान कर दिया गया व कितने शेष हैं तथा उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत कानूजा में उक्त अवधि में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को भुगतान कर दिया गया और कितने शेष हैं व क्यों? भुगतान नहीं करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम पंचायत कानूजा में उक्त अवधि के दौरान पालनहार योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों में स्वीकृति जारी की गई व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पंचायत में कितनी महिलाओं की राशि पालनहार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर, तीन किश्त जारी करने के बाद बंद करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

(6) क्या सरकार जिन प्रकरणों में तीन किश्तों का भुगतान करने के बाद बंद कर दिया गया, उन्हें पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में सहयोग योजना (बी पी एल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान) योजनान्तर्गत वर्ष 2010 से जनवरी 2016 तक कुल 839 परिवारों को कुल राशि 94.65 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

(2) पंचायत समिति रायपुर में उक्त अवधि में सहयोग (बी पी एल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान) योजनान्तर्गत 72 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 52 आवेदन पत्र स्वीकृत कर राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष 20 आवेदन पत्र नियमानुसार पात्र नहीं होने के कारण निरस्त किये गये।

(3) ग्राम पंचायत कानूजा में उक्त अवधि में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था है, जिसकी स्वीकृति जारी कर भुगतान किया जा चुका है।

(4) ग्राम पंचायत कानूजा में उक्त अवधि में पालनहार योजनान्तर्गत 21 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 17 आवेदनों पत्रों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं 3 आवेदन पत्र आक्षेप-पूर्ति करवाकर स्वीकृति जारी कर दी जायेगी एवं 1 आवेदन पत्र नियमानुसार अपात्र होने के कारण निरस्त कर दिया गया।

(5) ग्राम पंचायत कानूजा में पालनहार योजनान्तर्गत कुल 14 पालनहार महिलाओं की राशि स्वीकृत करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण आगे का भुगतान नहीं किया गया।

(6) योजनान्तर्गत दस्तावेजों की कमी के कारण जिन आवेदकों को राशि स्वीकृत नहीं की गई, उनके आवेदनों में दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर पात्रता अनुसार शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

धौलपुर जिले के अल्पसंख्यक ब्लाकों को एम.एस.डी.पी. में जोड़ने की योजना

393. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गिर्राज सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम. एस. डी. पी.) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बहुल 8 जिलों के 10 ब्लाक्स को शामिल किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि अल्पसंख्यकों की जिला धौलपुर के ब्लाक बाड़ी (न.पा. शहरी क्षेत्र) में 2011 की जनगणना के अनुसार 24 प्रतिशत, ब्लॉक सरमथुरा (क्लस्टर टाउन) में 37 प्रतिशत एवं ब्लाक धौलपुर (नगर परिषद शहरी क्षेत्र) में 20 प्रतिशत है?

(3) क्या सरकार जिला धौलपुर के उक्त ब्लाक्स को इस योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है, राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बहुल 8 जिलों के 10 ब्लाक्स को शामिल किया गया है, परन्तु उक्त योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है।

(2) विभागीय स्तर पर इस प्रकार का ब्लाकवार एवं क्लस्टर आधारित सूचना (डाटा) उपलब्ध नहीं है।

(3) बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी) ब्लाक/क्षेत्र का चयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नोर्म्स (25 प्रतिशत जनसंख्या) के अनुसार जोडने का निर्णय किया जाता है।

स्टेट मोटर गैराज के वाहनों में जी.पी.एस. लगाने की योजना

394. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में स्टेट मोटर गैराज के अधीन वर्तमान में कुल कितने वाहन हैं एवं कौन-कौन से वर्ष के निर्मित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से कितने वाहन नाकारा हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपयोग में लिए जा रहे सभी वाहनों में जी.पी.एस. लगवाकर वाहनों के दुरुपयोग को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में स्टेट मोटर गैराज के अधीन वर्तमान में कुल 802 वाहन हैं एवं निर्मित वर्ष सहित सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त में से कोई भी वाहन नाकारा घोषित नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। वाहनों का सरकारी कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतः जी पी एस लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान

395. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने व्यक्तियों को किस-किस श्रेणी में पेंशन जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पेंशन राशि का निर्धारित समय पर भुगतान नहीं होने के कारण समय पर पेंशन राशि नहीं मिल पाती है? यदि हां, तो इसके सुधार हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विगत दो वर्षों में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन हेतु प्राप्त एवं जारी किये गये पेंशन आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

प्राप्त आवेदन की संख्या			पेंशनरों की संख्या, जिनको पेंशन जारी की गयी		
वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
3,168	748	233	3,168	748	233

(2) पात्र पेंशनधारकों को यथासम्भव पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

घड़साना स्थित सालासर गैस एजेन्सी में बी.पी.एल. परिवारों के लम्बित गैस कनेक्शन

396. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील घड़साना में संचालित सालासर गैस एजेन्सी द्वारा वर्ष 2007 से 2015 तक कितने बी.पी.एल. परिवारों को गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं और अब कितने कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं? बी.पी.एल. परिवारों के नाम, पता और वरीयता क्रमांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सालासर गैस एजेन्सी, घड़साना द्वारा उपभोक्ता को सिलेण्डर घर-घर पहुंचाये जाते हैं? यदि हां, तो कितने परिवारों को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील घडसाना में संचालित जय सालासर भारत गैस एजेन्सी द्वारा वर्ष 2007 से 2015 तक 97 बी पी एल परिवारों को गैस कनेक्शन दिये जा चुके है और वर्तमान में 04 बी पी एल परिवारों को गैस कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं, जिनका नाम, पता और वरीयता क्रमांक निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम	पता	वरीयता क्रमांक
1	इन्द्रा देवी/पृथ्वीराम	15 एसएलडी	49
2	मन्दर सिंह/गुरबचन सिंह	3 जेएम	53
3	नानक राम/साधु सिंह	3 आरजेएम	71
4	साहबराम/सुगनाराम	3 जीएम	99

(2) जय सालासर भारत गैस एजेन्सी, घड़साना द्वारा 15,454 परिवारों को सिलेण्डर घर-घर पहुंचाये जाते हैं।

चीथवाड़ी ग्राम (जयपुर) में फर्जी राशन कार्डों पर कार्यवाही

397. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चीथवाड़ी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी राशन कार्ड बनवाये जाकर गेहूं एवं अन्य राशन सामग्री उठाई जाने के प्रकरण ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो कितने प्रकरण एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में ग्रामवासियों द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर को ज्ञापन भी दिया गया था? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत चीथवाड़ी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ एवं ग्राम पंचायत भूरथल पंचायत समिति जालसू में तीन व्यक्तियों द्वारा फर्जी राशनकार्ड बनवाये जाकर गेहूं एवं अन्य राशन सामग्री उठाई जाने के प्रकरण ध्यान में आये हैं। जिला रसद कार्यालय, जयपुर (द्वितीय) को ग्राम पंचायत चीथवाड़ी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर के तीन परिवारों के मुखिया यथा मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री नानूराम शर्मा, मदनलाल शर्मा पुत्र श्री सालगराम शर्मा एवं सीताराम शर्मा पुत्र श्री नानूराम शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत चीथवाड़ी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ तथा ग्राम पंचायत भूरथल, पंचायत समिति जालसू में दोहरे राशन कार्ड जारी करवाकर दोहरा लाभ उठाने की शिकायत दिनांक 23.12.2015 को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच वर्तमान में विचाराधीन है। सम्बन्धित पंचायत समिति कार्यालय, गोविन्दगढ़ एवं जालसू द्वारा मुकेश कुमार शर्मा (राशन कार्ड संख्या 007945301749 व 008034300019), मदनलाल शर्मा (राशन कार्ड संख्या 007945300675 व 008034300232) और सीताराम शर्मा (राशन कार्ड संख्या 007945301737 व 008034300020) के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गये हैं। इन व्यक्तियों द्वारा दोनों जगह से राशन प्राप्त किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित उपभोक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी। हां। इस मामले में ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 18.12.2015 को जिला कलक्टर, जयपुर को एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त शिकायती पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही कर दोषी उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लाक/निरस्त किये जा चुके हैं।

दौसा जिले में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियां

398. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अधिकांश जिलों में दो ग्राम पंचायतों के लिए एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सहकारिता क्षेत्र में किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) दौसा जिले में वर्तमान में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन किया जा रहा है? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(4) दौसा जिले में 165 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का नवीन तहसील मुख्यालयों पर गठन

399. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(1) सरकार द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गठन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(2) क्या सरकार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो नवीन तहसील मुख्यालयों पर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गठन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) नई क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सक्षमता के आधार पर राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन के प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रयास में आर्थिक रूप से सक्षम होने पर तहसील मुख्यालय अथवा तहसील/पंचायत समिति में स्थित अन्य उचित स्थान पर भी समिति के गठन (मुख्यालय) की स्वीकृति जारी की जा रही है।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सभी खण्डीय अधिकारियों को सर्वे कराकर सर्वे रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर बारां जिले की किशनगंज तहसील में नाहरगढ़ उप तहसील मुख्यालय पर एवं नागौर जिले में मकराना पंचायत समिति में गच्छीपुरा मुख्यालय पर नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

परिशिष्ट-1

नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. के गठन हेतु विभागीय मापदण्ड

1. नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन का स्थान पंचायत समिति अथवा तहसील मुख्यावास हो अथवा जहां पर कृषि उपज मण्डी अथवा गौणमण्डी यार्ड, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित होनी चाहिए।
2. प्रस्तावित स्थान पर सी.सी.बी. अथवा अन्य वाणिज्य बैंक की शाखा आवश्यक है।
3. समिति के कार्यक्षेत्र में दो फसल क्षेत्र अथवा सिंचित क्षेत्र अधिक हों।

4. यातायात एवं दूर संचार से जुड़ा होना चाहिए।
5. गोदाम कार्यालय निर्माण हेतु भूखण्ड उपलब्धता की सुनिश्चितता।
6. 300 किसान व्यक्तिगत सदस्य के रूप में सदस्य बनने की सम्भावना।
7. आवेदन पत्र 50 प्रस्तावित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए।
8. हिस्सा पूंजी 3.00 लाख रुपये जमा कर ली हो।
9. प्रस्तावित समिति के गठन के पास वाली अन्य क्रय विक्रय समिति का कार्य व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए।
10. प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम 15 ग्राम सेवा समिति संबद्ध होनी चाहिये, सदस्यता ग्रहण करने की सम्भावना होनी चाहिए।
11. प्रस्तावित समिति की सर्वे रिपोर्ट सहायक/उप रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये जिसमें कार्यक्षेत्र में निवासित किसान की संख्या, कृषि भूमि क्षेत्रफल, खाद बीज की मांग की मात्रा, कृषक परिवारों की संख्या, ग्रामों एवं पंचायतों का विवरण।
12. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित कार्य योजना जिसमें व्यापार का सम्भावित विवरण, अर्जित होने वाला प्रस्तावित लाभ एवं अन्य उपभोक्ता व्यापार का सम्भावित विवरण दर्शाया जावेगा।

ह.

(जी.एल. स्वामी)

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग)

घाटे में चल रहे मिड-वे को विक्रय करने की योजना

400. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकार की ओर से संचालित कुल कितने मिड-वे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से कौन-कौन से मिड-वे वर्तमान में घाटे में चल रहे हैं एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार घाटे में चल रहे मिड-वे का घाटा कम करने के लिए उन्हें विक्रय करने अथवा किराये पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इस हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कुल 10 मिडवे संचालित हैं। जिलेवार सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिला	इकाई का नाम
1.	अलवर	मिड-वे बहरोड़
2.	दौसा	मिड-वे महुआ,
3.		मिड-वे दौसा
4.	जैसलमेर	मिड-वे पोकरण
5.	पाली	मिड-वे बर
6.	जयपुर	मिड-वे शाहपुरा
7.	चूरू	मिड-वे रतनगढ़
8.	राजसमंद	मिड-वे देवगढ़
9.	धौलपुर	मिड-वे धौलपुर
10.	डूंगरपुर	मिड-वे रतनपुर

(2) वर्तमान में घाटे में चल रहे मिड-वे/मोटलों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। निगम द्वारा घाटे में चल रहे मिड-वे का घाटा कम करने के लिए कार्य योजना दिनांक 16.06.2015 को मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रस्तुत की गयी थी। मंत्रिमण्डल के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। मंत्रिमण्डल की आज्ञा की पालना में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

घाटे में चल रहे मिड-वे का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	मिडवे का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अनअंकेक्षित
1	मिड-वे बर	(-) 10.60	(-) 10.88	(-) 13.24	(-) 20.58	(-) 24.09	(-) 23.60	(-) 20.65	(-) 21.00	(-) 29.05	(-) 29.05
2	मिड-वे दौसा	(-) 6.67	(-) 9.31	(-) 9.89	(-) 10.36	(-) 19.75	(-) 17.75	(-) 18.97	(-) 21.64	(-) 20.09	(-) 24.61
3	मिड-वे देवगढ़	(-) 6.36	(-) 7.27	(-) 6.48	(-) 6.56	(-) 9.56	(-) 8.33	(-) 12.97	(-) 11.27	(-) 12.75	(-) 14.39
4	मिड-वे महुआ	(-) 9.75	(-) 18.23	(-) 25.41	(-) 27.20	(-) 40.99	(-) 49.58	(-) 50.54	(-) 54.19	(-) 52.34	(-) 42.65
5	मिड-वे पोकरण	(-) 5.57	(-) 3.34	(-) 4.80	(-) 4.39	(-) 8.80	(-) 6.91	(-) 1.29	(-) 1.71	(+) 2.09	(+) 0.10
6	मिड-वे रतनगढ़	(-) 6.57	(-) 6.34	(-) 8.71	(-) 10.21	(-) 7.30	(-) 9.13	(-) 9.79	(-) 11.61	(-) 14.23	(-) 14.39
7	मिड-वे रतनपुर	(-) 1.02	(-) 3.48	(-) 4.45	(-) 6.53	(-) 7.45	(-) 11.43	(-) 8.94	(-) 11.56	(-) 14.51	(-) 15.34
8	मिड-वे शाहपुरा	(-) 7.40	(-) 7.93	(-) 9.64	(-) 9.37	(-) 13.64	(-) 10.80	(-) 7.83	(-) 12.19	(-) 14.07	(-) 17.49
9	मिड-वे धौलपुर	(-) 5.38	(-) 4.90	(-) 4.55	(-) 6.08	(-) 11.34	(-) 12.34	(-) 11.02	(-) 11.45	(-) 11.95	(-) 12.08
10	मिड-वे बहरोड़	0	0	0	0	0	0	0	0	(-) 31.46	(-) 111.04

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

125/2015

दिनांक 16 जून, 2015 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक : प.22(3)पर्यटन/2015 दिनांक 10 जून, 2015 तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण पर विचार-विमर्श कर ज्ञापन में अंकित पर्यटन विकास निगम को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किये जाने हेतु पर्यटन निगम के अध्यधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारित किये जाने के प्रस्ताव का सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया।

ह.

सी.एस. राजन

(मुख्य सचिव)

प्रमुश शासन सचिव

पर्यटन विभाग

डी. 125/मं.मं./2015

जयपुर, दिनांक : 17 जून, 2015

पुरा सम्पदाओं को पी.पी.पी. माडल पर संचालन की नीति

401. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जनवरी 2014 से जनवरी 2016 तक अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को पी.पी.पी. माडल के नाम पर निजी हाथों में सौंपा गया है? यदि हां, तो अब तक किन-किन पुरातत्व सम्पदाओं को कब-कब एवं किस नीति के तहत निजी कम्पनियों/फर्मों को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निजी हाथों में दी गई पुरा सम्पदाओं का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है एवं यह किस आधार पर आंका गया? सम्पदावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(3) प्रदेश में किस-किस पुरा सम्पदा को कितनी अवधि के लिए कब-कब एवं किन-किन शर्तों पर निजी हाथों में सौंपा गया? इस हेतु किये गये एम.ओ.यू./करार की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा वर्ष 2014 से 2016 तक किसी भी संरक्षित स्मारक को पी.पी.पी. माडल के तहत निजी हाथों में नहीं सौंपा गया है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार में प्रदेश की बकाया राशि

402. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान 2015-16 के तहत कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से सहायता के रूप में मांगी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पोस्ट-मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के तहत भी बकाया राशि की भारत सरकार से मांग की गई है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2015-16 में भारत सरकार द्वारा 5026.13 करोड रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उक्त राशि में से केन्द्रांश राशि (60 प्रतिशत) 3015.67 करोड़ रुपये तथा राज्यांश राशि (40 प्रतिशत) 2,010.45 करोड़ रुपया अनुमोदित है।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत वर्षों की बकाया राशि रुपये 40,174/- लाख जारी करने हेतु भारत सरकार को निवेदन किया गया हैं।

विद्यालयों में रसोईघर का निर्माण

403. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में प्रदेश के कितने विद्यालयों में रसोईघर का निर्माण किया जा चुका है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कब तक प्रदेश के सभी विद्यालयों में रसोईघर बनाये जाने प्रस्तावित थे तथा अब तक सभी विद्यालयों में रसोईघर न बनने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्यालयों में भोजन पकाने के सभी संसाधन उपलब्ध कराये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में मिड-डे-मील योजनान्तर्गत कुल 59,689 विद्यालयों में रसोईघर का निर्माण किया जा चुका है, 703 निर्माणाधीन हैं। रसोईघर निर्माण का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। परन्तु 11,655 विद्यालयों में भूमि अनुपलब्धता, बजट अभाव, कोर्ट केस, विद्यालय भवन स्वयं का नहीं होने के कारण रसोईघर का निर्माण नहीं किया जा सका है।

(3) जी हां। मिड-डे-मील योजनान्तर्गत समस्त विद्यालयों में भोजन पकाने के सभी संसाधन (बर्तन, रसोई गैस कनेक्शन) उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि जारी की जा चुकी हैं।

वर्तमान में राज्य में मिड-डे-मील योजनान्तर्गत सभी विद्यालयों में बर्तन उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। कुल 57,954 विद्यालयों में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। शेष रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

राजस्थान सरकार

मिड-डे मील योजना

मिड-डे मील योजनान्तर्गत जिलों में निर्मित रसोईघरों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिलों का नाम	विद्यालयों की संख्या	निर्मित रसोईघर	निर्माणाधीन रसोईघर	शेष रसोईघर
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर	1978	1669	0	309
2	अलवर	3032	2192	0	840

1	2	3	4	5	6
3	बांसवाड़ा	2818	2560	0	258
4	बारां	1369	1083	0	286
5	बाडमेर	5228	5051	0	177
6	भरतपुर	1739	1851	0	-112
7	भीलवाड़ा	3066	2781	0	285
8	बीकानेर	2075	889	0	1186
9	बूंदी	1388	1331	0	57
10	चित्तौड़गढ़	1953	761	0	1192
11	चूरू	1532	1453	0	79
12	दौसा	1616	1437	0	179
13	धौलपुर	1193	865	33	328
14	डूंगरपुर	2341	1928	0	413
15	गंगानगर	2069	2056	0	13
16	हनुमानगढ़	1451	1127	0	324
17	जयपुर	4023	2510	0	1513
18	जैसलमेर	1497	570	0	927
19	जालौर	2019	1876	0	143
20	झालावाड़	1821	1327	0	494
21	झुन्झुनूं	1740	2166	0	-426
22	जोधपुर	3837	3715	0	122
23	करौली	1191	879	251	312
24	कोटा	1239	963	0	276
25	नागौर	3543	3212	0	331
26	पाली	2306	2342	0	-36
27	प्रतापगढ़	1500	1353	0	147
28	राजसमंद	1798	1867	0	-69
29	सवाई माधोपुर	1173	970	0	203
30	सीकर	2132	1885	0	247
31	सिरोही	943	681	26	262

1	2	3	4	5	6
32	टोंक	1700	1315	0	385
33	उदयपुर	4034	3024	393	1010
	कुल	**71344**	**59689**	**703**	**11655**

अलवर जिले में संचालित आदर्श विद्यालय

404. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में कितने आदर्श विद्यालय कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में श्रेणीवार, विषयवार स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में प्रथम चरण में 69, द्वितीय चरण में 230 तथा तृतीय चरण में 195 विद्यालयो (कुल 494) का चिन्हीकरण कर आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्रवार आदर्श विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ बास में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणीवार, विषयवार स्वीकृत पद तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"ख" एवं संख्यात्मक विवरण-"ग" व "घ" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

इटावा (कोटा) के मां शारदे बालिका छात्रावास में अनियमितता की जांच

405. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड इटावा में संचालित मां शारदे बालिका छात्रावास में अनियमितताओं की छात्राओं द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायत की जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा कमेटी गठित की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के कार्मिकों को भी सम्मिलित किया गया था? यदि हां, तो कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जांच में दोषी पाये गये कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग के स्तर पर भी उक्त प्रकरण की पृथक से जांच करवाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड इटावा में संचालित मां शारदे बालिका छात्रावास में अनियमितताओं को लेकर वहां की छात्राओं द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत की प्रति परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त शिकायत की जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा कमेटी गठित की गई थी, जिसमें विभाग के कार्यालय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, सनमानपुरा, जिला कोटा के प्रधानाचार्य को जांच अधिकारी एवं अन्य को नियुक्त किया गया था। कमेटी द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(3) उपखण्ड अधिकारी, इटावा, कोटा के पत्रांक-632/विविध/2016 दिनांक 26.02.16 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा को दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए रूल्स 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

(4) उपखण्ड अधिकारी, इटावा, कोटा द्वारा गठित जांच कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी सम्मिलित किये गये थे। अत: पृथक से विभाग द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नागौर जिले के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण

406. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) नागौर जिले में जनवरी 2009 से दिसम्बर 2015 तक कौन-कौनसे माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए? क्या क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों को सरकार ने अतिरिक्त कमरे या भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया है? यदि हां, तो कितना-कितना व नहीं, तो क्यों? स्कूलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में गत चार वर्षों में किन-किन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय प्रारम्भ कर लैबों का निर्माण कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनके भवन, कमरे जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हैं, का विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये कक्षों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन स्कूलों के लिए कितना-कितना बजट, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में जनवरी 2009 से दिसम्बर 2015 तक 129 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 301 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इन क्रमोन्नत किए गए 301 विद्यालयों में से 269 विद्यालय का पिछले 2 वर्षो में क्रमोन्नत किए गए हैं। इनमें से अधिकांश में पर्याप्त कक्षा कक्ष तथा भवन उपलब्ध हैं। जिनमें कमी होगी उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एवं वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर कमरे या भवन निर्माण करवाया जा सकेगा। नव-क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है। उक्त विद्यालयों में से 6 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 201.99 लाख तथा 42 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,169.30 लाख के निर्माण कार्य हेतु बजट स्वीकृत किया गया, जिसका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में विगत 4 वर्षों में निम्न विद्यालयों में विज्ञान संकाय स्वीकृत किये गये हैं:-

- राउमावि रूण

(शिक्षा राज्य मंत्री)

- राउमावि खजवाना
- राउमावि कडवासरो की ढाणी
- राउमावि माढपूरा
- राउमावि मुंदियान
- राउमावि पालडी जोधा

उक्त विद्यालयों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण पृथक से प्रयोगशाला निर्माण नहीं करवाया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के लिए पृथक से लेबोरेट्री का निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध अतिरिक्त कक्षों में ही लेबोरेट्री संचालित की जा रही हैं। विधान सभा खींवसर में विगत 4 वर्षों में किसी भी राउमावि में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है। क्षतिग्रस्त भवन भाग में बालकों को नहीं बिठाया जा रहा है।

(4) विधान सभा क्षेत्र खींवसर की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये कक्षों एवं मरम्मत योग्य शाला भवनो को विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के गुणावगुण पर समग्र विचार कर मरम्मत योग्य शाला भवनों को बजट आबंटन किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में प्रबोधकों की पदोन्नति करने की योजना

407. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2008 में भर्ती प्रबोधकों का नियमितिकरण किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हें नियमानुसार पदोन्नति देने का प्रावधान नियमों में किया गया था? यदि हां, तो अब तक कितने प्रबोधकों को नियमानुसार पदोन्नति दी गई है एवं कितनों को पदोन्नति दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के नियम 33 के अनुसार नव-नियुक्त प्रबोधकों की 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्तियां की गई थीं। प्रबोधक सेवा नियम 36 के अन्तर्गत स्थायीकरण किये जाने का प्रावधान है।

प्रबोधक भर्ती, 2008 के तहत नियुक्त प्रबोधक, जिनका स्थायीकरण किया गया, का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। जिन प्रबोधकों का स्थायीकरण नहीं किया गया, उनका कारण सहित विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के नियम 29 के अन्तर्गत प्रबोधक पद पर 9 वर्ष का अनुभव पूर्ण होने के उपरांत वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान है। निर्धारित अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जा सकी है।

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के तहत नियुक्त एवं स्थायीकरण किये गये प्रबोधकों को जिलेवार संख्या विवरण

क्र. सं.	जिला	नियुक्त किये गये प्रबोधक	प्रबोधकों की संख्या (जिनका स्थायीकरण किया जा चुका है)	प्रबोधकों की संख्या (जिनका दो वर्ष परीवीक्षाकाल पूर्ण होने के बाद भी स्थायीकरण नहीं किया गया)	स्थायीकरण नहीं किये जाने का कारण	प्रबोधकों की संख्या (जिनका दो वर्ष का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है।)
1	2	3	4	5	6	7
1	भरतपुर	618	617	0	-	1
2	धौलपुर	500	499	0	-	1
3	करौली	668	668	0	-	0
4	सवाई माधोपुर	542	542	0	-	0
5	अजमेर	516	514	0	-	2
6	भीलवाडा	1481	1476	5	एक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित एवं बार प्रबोधकों की मृत्यु दो वर्ष से पहले हो जाने से	0
7	नागौर	1253	1250	0	-	3

1	2	3	4	5	6	7
8	टोंक	958	951	2	नियुक्ति प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	5
9	दौसा	725	725	0	-	0
10	अलवर	1035	1031	0	-	4
11	सीकर	886	886	0	-	0
12	जयपुर	1187	1185	1	एक प्रबोधक निलम्बित होने के कारण एवं एक प्रबोधक की नियुक्ति न्यायालय निर्णयानुसार वर्ष 2015 में नियुक्ति होने के कारण स्थाई/नियमितिकरण नहीं किया गया	1
13	जोधपुर	1565	1565	0	-	0
14	पाली	678	678	0	-	0
15	सिरोही	324	112	212	स्थायीकरण हेतु पृथक से प्रकरण प्रस्तुत नहीं करने से	0
16	जालौर	950	950	0	-	0
17	बाड़मेर	1864	1864	0	-	0

1	2	3	4	5	6	7
18	जैसलमेर	321	320	0	-	1
19	हनुमानगढ़	421	421	0	-	0
20	श्रीगंगानगर	602	602	0	-	0
21	बीकानेर	650	645	0	-	5
22	चूरू	399	399	0	-	0
23	झुंझुनूं	497	414	83	प्रदेश के बाहर की डिग्री का सत्यापन नहीं होने के कारण	0
24	उदयपुर	1007	1004	0	-	3
25	बांसवाड़ा	966	966	0	-	0
26	डूंगरपुर	457	457	0	-	0
27	चित्तौड़गढ़	684	684	0	-	0
28	राजसमंद	591	591	0	-	0
29	प्रतापगढ़	247	247	0	-	0
30	कोटा	486	486	0	-	0
31	बारां	610	606	0	-	4
32	बून्दी	446	446	0	-	0
33	झालावाड़	592	592	0	-	0
	योग	**24726**	**24393**	**303**		**30**

जंगली जानवरों से रिहायशी इलाकों में बचाव के उपाय

408. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में जाने से हो रही जान-माल की हानि से बचाव करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पीने के पानी के पर्याप्त स्रोत एवं वन्य जीवों के आश्रय स्थलों के विकास के कार्य विभिन्न योजनाओं में सम्पादित कराये जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में दीवार फैंसिंग का कार्य भी करवाया जा रहा है।

कोटा जिले में स्थापित बायोमेडिकल वेस्ट संयंत्र

409. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में कितने बायोमेडिकल वेस्ट संयंत्र स्थापित हैं तथा इनकी क्षमता कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्ष में कोटा शहर में स्थित संयंत्रों पर कचरे का कितना संग्रहण किया गया तथा कितना निस्तारित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में सरकार को बायो वेस्ट का निस्तारण नहीं कर सार्वजनिक स्थानों पर बायो वेस्ट डालने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में मैसर्स राजदीप बायोटेक के नाम एक संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निष्पादन संयंत्र कार्यरत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार यहां स्थापित इन्सिनरेटर (अपशिष्ट भस्मीकरण का संयत्र) की क्षमता 50 किलोग्राम प्रति घंटा (अपशिष्ट भस्मीकरण) है।

(2) उक्त संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निष्पादन

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

संयंत्र द्वारा विगत पांच वर्षो में वर्षवार संग्रहित एवं निस्तारित किये गये कचरे का विवरण संयंत्र द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में प्रति वर्ष प्रस्तुत वार्षिक विवरण के आधार पर संलग्न परिशिष्ट-अ पर है।

(3) उक्त अवधि में कोटा में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं करके सार्वजनिक स्थानों पर बायोमेडिकल वेस्ट डालने की राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में प्राप्त शिकायत एवं राज्य मण्डल द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रस्तावित नई खनिज पालिसी में आरक्षण

410. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा बनाई जा रही नई खनिज नीति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रस्तावित खनन नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ बी सी, एस बी सी एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सवर्ण वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2015 को नवीन राजस्थान खनिज नीति, 2015 प्रकाशित की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन राजस्थान खनिज नीति, 2015 प्रकाशित होने के उपरान्त अप्रधान खनिज रियायत नियम बनाने का कार्य विचाराधीन है, जिनको अंतिम रूप दिये जाने हेतु प्रक्रिया विचाराधीन है। जब नियम प्रकाशित होंगे तब ही प्रस्तावित खनन पालिसी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ बी सी, एस बी सी एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सवर्ण वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में अवगत कराया जा सकता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 282 की प्रति)

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 17 (16)खा.वि./विधि/2012-13 जयपुर, दिनांक 23.1.2014

जिला रसद अधिकारी,

समस्त, राजस्थान।

विषय :- उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र जारी नहीं करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.04.2012 के संदर्भ में लेख है कि अग्रिम आदेशों तक आपके जिले की नई उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी नहीं किये जावें।

भवदीय,

ह.

(श्यामसिंह राजपुरोहित)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 42-उद्योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

1 विधान सभा क्षेत्र सांचौर में रीको-।। फेज शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

2 बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र के मझारी में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

3 बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद में नये उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

4 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजस्थान स्टार्टअप पालिसी-2015 के तहत युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उप खण्ड बालेसर में सेण्ड स्टोन पार्क औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में व्यापक स्तर पर कुटीर उद्योग स्थापित करने एवं पंचायत समिति शेरगढ़, बालेसर व सेखाला मुख्यालय पर उद्योग शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर) :

7 विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर/सराड़ा/सेमारी/झल्लारा में मुद्रा योजना का लाभ अधिक से अधिक युवाओं को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8 विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर/सराड़ा/सेमारी/झल्लारा पंचायत समिति में गृह उद्योग को बढ़ाने के लिए युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षण देने की योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

9 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण एवं ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर एवं सराड़ा में रीको हेतु लघु उद्योग की भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बड़ी उद्योग इकाई लगाकर रोजगार एवं औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भजन लाल जाटव (वैर) :

12 विधान सभा क्षेत्र वैर में उद्योगों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

13 विधान सभा क्षेत्र वैर में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग) :

14 विधान सभा क्षेत्र डग के भवानीमण्डी क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

15 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के कवास में प्लास्टर के लघु उद्योगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

16 बाड़मेर मुख्यालय पर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

17 विधान सभा क्षेत्र भीम के बग्गड़ रीको घोषित क्षेत्र को तत्काल प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

18 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

19 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में लघु एवं भारी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नवीन उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

21 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गलीचा उद्योग को विकसित कर रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटे-छोटे हाथकरघा कुटीर उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ईंट-भट्ठा उद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में समूचे क्षेत्र में चल रहे आरी-तारी के काम को उद्योग का दर्जा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

25 जयपुर जिले में बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

26 जयपुर जिले में नये उद्योग खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28 प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

29 विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सरमालिया एवं रानीसागर के पास औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

30 जैसलमेर में सीमेन्ट उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31 जैसलमेर में लाइम स्टोन डस्ट उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32 जैसलमेर के पीले पत्थर की नक्काशी के लिये नये पत्थर उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33 जैसलमेर शहर में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

34 विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत भानसोल, घासा में रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35 विधान सभा क्षेत्र मावली जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बेरोजगारों को उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण दिलाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36 विधान सभा क्षेत्र मावली में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37 विधान सभा क्षेत्र मावली के औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा सड़कों एवं पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

38 प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

39 बहरोड़-नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु मास्टर प्लान 2013 में औद्योगिक परियोजनार्थ आरक्षित भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

40 प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बेरोजगार युवकों को लघु उद्योग लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं व राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42 बहरोड़-नीमराणा के उद्योग में स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को सामान ढुलाई का कार्य दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

43 डूंगरपुर जिले में वन आधारित उद्योग की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कृषि आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45 डूंगरपुर जिले में ट्राइबल उद्यमियों को उद्योग हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46 डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित रीको इण्डस्ट्रीज में भूखण्डों का आवासीय उपयोग रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47 डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत गामडी अहाडा में रीको इण्डस्ट्रीज स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

48 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की तहसील मालाखेड़ा में लघु उद्योग इकाई खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

49 ग्राम अकबरपुर तहसील अलवर में ग्रामीण लघु उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

50 उप खण्ड मुख्यालय डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध भूमि को देखते हुए रीको क्षेत्र विकसित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

51 रिसर्जेंट राजस्थान के अन्तर्गत हुये एम.ओ.यू. के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

52 झुन्झुनूं जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

53 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रीको क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अक्षत कौशल योजना एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

55 पाली की औद्योगिक इकाइयों का दूषित पानी जो लूणी नदी के रास्ते होकर सिवाना विधान सभा क्षेत्र के गांवों तक की भूमि को दूषित कर रहा है, को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56 सिवाना मुख्यालय पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57 सिवाना क्षेत्र के सिणधरी उप खण्ड में दरीपट्टी बुनाई को प्रोत्साहन स्वरूप राजकीय सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58 सिवाना के रीको क्षेत्र मोकलसर में खाली पड़ी भूमि पर उद्योग स्थापित करने एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59 सिवाना क्षेत्र के खारा बेल्ट में बेकार पड़ी सरकारी जमीनों पर लघु एवं बड़े उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

60 गंगापुरसिटी के रीको एरिया में पानी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

61 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में रीको की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62 नीमराना सब डिवीजन में डी.एम.आई.सी. हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

63 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

64 जिला अलवर में लगे उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

65 जिला अलवर में लगे उद्योगों से आस-पास के गांवों में हो रहे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

66 विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में स्थित पर्यावरण फ्लाई एश इण्डस्ट्रीज के विस्तार हेतु शम्भुपुरा तक के क्षेत्र को शामिल कर इस क्षेत्र को फेज-2 के रूप में विकसित कर नई इकाइयां स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

67 कोटा में आई.एल. फैक्ट्री को राज्य सरकार द्वारा मदद कर चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के किसानों को फतेहपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में किसानों की जमीन का 4 गुना मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69 कोटा जिले में उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

70 कोटा जिले में बन्द उद्योगों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71 विधान सभा क्षेत्र भवानीमण्डी में कोटा स्टोन के रफ मेटेरियल से कुम्भकोट लक्ष्मीपुरा, सातलखेड़ी एरिया में सीमेन्ट प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

72 विधान सभा क्षेत्र आहौर के जालोर में हैन्डलूम, खेसला एवं जूती (पादुका) उद्योग के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

73 विधान सभा क्षेत्र बायतू में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

74 विधान सभा क्षेत्र करौली के रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद) :

75 विधान सभा क्षेत्र धोद में रीको की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

76 औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा के लिये ग्राम बोरानाड़ा, हिरखेड़ा नन्दवान, ग्राम कांकाणी, खाराबेरा पुरोहितान जिला जोधपुर के काश्तकारों की कृषि भूमि को गलत रूप से आवाप्त करने, अत्यन्त ही कम मुआवजा देने, पूरा मुआवजा नही देने, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किसानों के साथ धोखा करने व जोधपुर शहर की घनी आबादी से 25 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77 औद्योगिक क्षेत्र सांगरिया में लघु औद्योगिक क्षेत्र पाल शिल्पग्राम, जिला जोधपुर की सफाई, नालियों के नव-निर्माण एवं रिपेयर की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78 ग्राम सालावास, नन्दवान, कांकाणी, जिला जोधपुर व आस-पास के ग्रामीण हाट बाजारों में अनेक ग्रामीण दस्तकारों द्वारा घर-घर, छोटे-छोटे उद्योग लगाकर दरियां बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79 औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा, जिला जोधपुर के सभी सैक्टरों में लम्बे समय से उद्यमियों को आबंटित एवं खाली पड़े भूखण्डों में व्याप्त अनेक मूलभूत समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

80 विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम सालावास में निर्माणाधीन 50 एम.एल.डी. के सी.टी.पी.टी. का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने, पूर्व में कार्यरत 50 एम.एल.डी. के सी.टी.पी.टी. का पूरा उपयोग करने, ग्राम डिगाड़ी में निर्माणाधीन सी.टी.पी.टी. को शीघ्र पूर्ण करने, जोजरी नदी में प्रदूषित पानी को नहीं डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

81 प्रदेश में उद्योग नहीं चलाने वाले उद्यमियों को आबंटित भूखण्ड निरस्त कर उनकी नीलामी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82 प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय/राज्य के नागरिकों हेतु आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83 सीकर जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84 जयपुर महेन्द्रा सेज को आबंटित सुविधा क्षेत्र की भूमि के निरस्तीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

85 विधान सभा क्षेत्र नगर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

86 भरतपुर सम्भाग में गंगापुरसिटी सरसों उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र

है। सरसों अनुसंधान एवं बीज आधारित उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

87 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) :

88 रीको द्वारा औद्योगिक इकाई के लिए किसानों की अवाप्त की गई गैर खातेदारी भूमि का मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

89 रायसिंहनगर में B.A.D.P. योजना के तहत कुटीर उद्योगों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

90 राज्य में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

91 निम्बाहेड़ा रीको औद्योगिक क्षेत्र में पत्थर उद्योगों से निकलने वाली ''लाइम स्लेरी'' के लिए निश्चित स्थान निर्धारित कर निकासी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92 निम्बाहेड़ा क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय शिक्षित युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 निम्बाहेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर लघु उद्यमियों को भूखण्ड आबंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94 निम्बाहेड़ा के रीको औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

95 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

96 विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

97 विधान सभा क्षेत्र दौसा की आदर्श ग्राम पंचायत बापी में औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं लघु/कुटीर उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

98 भरतपुर जिले में बन्द हुये उद्योगों को पुन: चालू करने एवं नये उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

99 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में सरसों के तेल उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

100 मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर के साथ लगते ऐसे राजस्व ग्राम जिनकी भूमि मास्टर प्लान के मुताबिक औद्योगिक उपयोग हेतु चिन्हित की जा चुकी है को अवाप्त कर नये भूखण्ड उपलब्ध कराकर नये उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101 मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर को राज्य सरकार की ओर से विशेष पैकेज देकर नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

102 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी खुर्द में नया औद्योगिक क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में रानी खुर्द के औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें एवं लाइटों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन पर नया इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

105 विधान सभा क्षेत्र चाकसू में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

106 कोटपूतली में खादी बनाने का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107 कोटपूतली शहर में उप जिला उद्योग केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

108 विधान सभा क्षेत्र सोजत में मेहन्दी के कोन, आचार, अथाना मिर्ची, अजवायन जैसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

109 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

110 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में एम.एस.एम.ई. सेक्टर के लिये विशेष योजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

111 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई कस्बे में रीको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में हस्तकला उद्योग के लिए रीको द्वारा अलग से औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में विश्वविख्यात मार्बल मण्डी, टैक्सटाइल पार्कों, पावरलूम उद्योगों एवं पाउडर प्लान्टों की उपलब्धता आदि को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर विशेष आर्थिक जोन (सेज) की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114 जिला उद्योग उप केन्द्र किशनगढ़ (अजमेर) को जिला केन्द्र कार्यालय स्तर में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित सिलोरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का पूर्णतया अभाव होने से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

116 पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्र प्रथम, द्वितीय एवं मंडिया रोड में क्लोज

कंडयूड पाइप लाइन बिछाने हेतु रीको से राशि दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117 पाली शहर में नया टैक्सटाइल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118 पाली शहर में पावरलूम उद्योग को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये रियायती दर पर भूखण्ड एवं बिजली उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119 पाली शहर में स्थित टैक्सटाइल औद्योगिक इकाइयों को आबंटित पानी की सीमा का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120 विधान सभा क्षेत्र पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबडा) :

121 विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

122 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रीको की भूमि को वन विभाग द्वारा किये गये अतिक्रमण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

123 प्रदेश में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये प्रयास किये जायें जिससे अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124 कूकस रीको औद्योगिक क्षेत्र में रोड लाइट व सड़कों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125 सेज जयपुर में आवश्यक सुविधाएं यथा पानी, सड़क व रोड लाइट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126 जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें खराब होने, रोड लाइट नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

127 प्रदेश में बस बाडी बनाने के फार्म-52 की अनिवार्यता लागू करने से इस कार्य में लगे छोटे-छोटे कारीगरों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

128 विधान सभा क्षेत्र बेगूं की सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

129 विधान सभा क्षेत्र कपासन के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

130 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ को अलवर जिले में स्थापित उद्योगों में स्थानीय क्षेत्रवासियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

131 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कोटा जिले के बड़े उद्योगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार के रूप में विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कृषि आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) :

133 विधान सभा क्षेत्र नागौर में हैण्डटूल्स औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

134 विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) के उप तहसील डेह में 'रीको' औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

135 नागौर को उद्योगों में पिछड़ा जिला घोषित कर इसके लिए विशेष अनुदान स्वीकृत करने की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

136 नागौर के हैण्डटूल्स उद्योग को कलस्टर स्कीम के अनुसार विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

137 नागौर जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित कर रियायती दर पर भूमि को आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

138 ऋषभदेव व खैरवाड़ा दोनों के मध्य रीको द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139 उदयपुर जिले के S.T., S.C. के बालक-बालिकाओं को मिनी आई.टी.आई. का प्रशिक्षण देकर उद्योग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में गरीबी रेखा के परिवारों को कुटीर उद्योग लगाकर उन्हें रोजगार से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

141 टी.एस.पी. क्षेत्र में टी.एस.पी. के लोगों को उद्योग से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

142 विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम पामेरा में प्रस्तावित रीको एरिया को परिवर्तित कर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143 अक्टूबर, 2014 से पहले सिरोही जिले की इन्सपेक्टेड फैक्ट्रीज को अनुदान राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144 जनजाति बाहुल्य क्षेत्र आबूरोड की औद्योगिक इकाइयों को ''औद्योगिक प्रोत्साहन राशि'' दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145 विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मार्बल एवं ग्रेनाइट के लार्ज स्केल खनन से प्राप्त (कच्चे माल) पत्थर ब्लाक्स की चिराई, कटाई, पोलिशिंग एवं ट्रेडिंग सम्बन्धी कार्य रेवदर क्षेत्र में ही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146 जिला सिरोही मे पत्थर घड़ाई, मूर्ति घड़ाई, हस्तकला खिलौने घड़ाई के कारीगरों की बड़ी संख्या को देखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

147 जालौर के औद्योगिक क्षेत्र में स्लरी प्रोजेक्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148 जालौर औद्योगिक क्षेत्र में डम्पिंग यार्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149 जालौर के औद्योगिक क्षेत्र हेतु चतुर्थ चरण खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

150 मुख्य मंत्रीजी द्वारा घोषित 02 साल में 06 लाख युवा-युवतियों को ''मिशन स्किल राजस्थान'' में प्रशिक्षण न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

151 बीकानेर जिले में ग्राम खारा व कानासर के मध्य "फूड पार्क" विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152 एकल खिड़की योजना में वांछित प्रगति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

153 रीको द्वारा लूणकरणसर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई सिवाय चक भूमियों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

154 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्रामीण स्तर पर छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

155 जोधपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

156 कोलायत में जिप्सम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु पृथक औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157 बजट घोषणा वर्ष 2014 के अनुसार बीकानेर जिले में ''सिरेमिक हब'' बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158 बीकानेर में खाद्य पदार्थों के भारी उत्पादन व अनुकूल वातावरण को देखते हुए औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में एग्रो फूड पार्क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

159 भीलवाड़ा जिले में सिरेमिक हब की घोषणा के बाद आगे कोई प्रगति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160　भीलवाड़ा शहर में उद्योगों के लिए जमीन की कमी होने से शहर के आस-पास नई जमीन उद्योगों के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

161　उदयपुरवाटी में नया रीको क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

162　नवलगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेन्ट फैक्ट्रियों को उदयपुरवाटी क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163　उदयपुरवाटी के ककराना-दीपपुरा में आचार फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

164　रीको कालाडेरा में स्थित फैक्ट्रियों के गंदे पानी से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

165　विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा चौमूं क्षेत्र के सामुदायिक विकास (CSR) में कोई पैसा खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166　विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167　मण्डा-मिण्डा में विकसित रीको में सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

168　प्रदेश में हर हाथ को काम देने की योजना बनाकर ऐसे उद्योगों की स्थापना जिनमें मशीन के मुकाबले मानव श्रम का अधिक उपयोग हो को प्रदेश में आमंत्रित करने व ऐसे उद्योगपतियों को एकल खिड़की प्रणाली से उत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

169　विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में रीको की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

170　रिसर्जेंट राजस्थान में एमओयू कितनी राशि के हुये एवं एमओयू में

भूमि कीमत कितनी है, मशीनरी की कीमत कितनी होगी, इसमें कितनों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

171 लगातार लाभ में रहने पर भी रीको के निजीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

172 प्रदेश में रूग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

173 सुजानगढ़ व बिदासर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली इत्यादि की सुविधाएं ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गोतम (केकड़ी) :

174 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सरवाड़ रीको एरिया में जमीन आबंटन कर विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175 केकड़ी में नये रीको एरिया के लिए जमीन आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के रीको एरिया केकड़ी, सरवाड़ व सावर में सुविधा क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

177 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा व किशनगढ़-रेनवाल रीको औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर बड़े उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

178 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक (हिण्डौली) :

179 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में सीमेन्ट उद्योग की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की पंचायत समिति नैंनवां में सरसों एवं अन्य तिलहन उत्पादन आधारित उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

183 दौसा में गलीचा उद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

184 विधान सभा क्षेत्र दौसा में जूट उद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

185 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

186 अलवर जिले के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187 प्रदेश में पर्यावरण को ध्यान में रखकर उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

188 बीकानेर के विकास हेतु स्वीकृत ट्रांसपोर्ट का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

189 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सिरेमिक टाइल्स उद्योग को संचालित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में नवीन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सी.एस.आर. की राशि से विकास कार्यों में विधायक की भागीदारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

192 कोटा जिले में कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए कोटा जिले व आस-पास के क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193 कोटा जिले में बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करने एवं नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194 राजस्थान के विभिन्न औद्योगिक जिलों के रीको, उद्योग केन्द्र आर.एफ.सी. में नई भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195 कोटा जिले में कोटा स्टोन वेस्ट का पुन: उपयोग कर विभिन्न उत्पाद बनाने एवं वेस्ट निस्तारण के लिये कामन फैसीलिटी सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

196 फलौदी रीको औद्योगिक क्षेत्र को स्थानान्तरित कर सियामाली क्षेत्र में नये रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

197 उप खण्ड क्षेत्र बाप मुख्यालय पर रीको की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198 नमक उत्पादन क्षेत्र फलौदी में नमक उद्योग मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

199 विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम सिकन्दरा में संचालित पत्थर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए स्टोन पार्क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

200 सीकर जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

201 रामगढ़ शेखावाटी के हैण्डीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिये पिछले वर्षों के प्रयास तथा आगामी योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

202 फतेहपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में पार्क बनाने एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

203 प्रदेश में उद्योगों के लिए बनाई गई उद्योग नीतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

204 फतेहपुर एवं रामगढ़ शेखावाटी में लघु उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

205 नावां व सांभर के नमक उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

206 खींवसर में लाइम स्टोन (चूना पत्थर) के उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

207 मकराना के मार्बल उद्योग को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208 नागौर के खींवसर में सीमेन्ट संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

209 नागौर के हस्त औजार उद्योग को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल) :

210 विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211 विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212 विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ) में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 43-खनिज पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

1 विधान सभा क्षेत्र सांचौर के चितलवाना में जिप्सम की बंद पड़ी खानों को पुन: शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

2 बारां जिले में खनिज की उपलब्धता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

3 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम पंचायत बालेसर सता में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के खजिन क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5 प्रदेश में खनिज रायल्टी वसूली से प्राप्त राशि का अंशदान सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

6 प्रदेश में छोटे क्वारी लाइसेंस धारकों को केन्द्र से पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की अनिवार्यता से राहत दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में खनिज क्षेत्रों में लिंक सड़क का निर्माण एवं बालेसर सता से खिरजा भोजा खनिज सड़क की चौड़ाईकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

8 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खनन व्यवसाय से जुड़े लोगो को रोजगार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आमजन को हो रही असुविधा को देखते हुए बजरी खनन चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर/सराड़ा/सेमारी में खनन पट्टों के आबंटन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खनिज क्षेत्रों में सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

13 विधान सभा क्षेत्र वैर में अवैध खनन को रोकने हेतु कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14 विधान सभा क्षेत्र वैर में स्थापित क्रेशर मशीनो से होने वाले प्रदूषण पर नियन्त्रण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15 विधान सभा क्षेत्र वैर के खनिज श्रमिकों के उत्थान हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग) :

16 विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम अरोलिया, नेहरावद, रूण्जी में खनिज विभाग द्वारा सी.सी. रोड निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

17 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में राजवेस्ट पावर प्लांट भादरेश द्वारा भूमि अवाप्ति के समय अवाप्ति से प्रभावित किसानों को समुचित रोजगार नही देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कुडला शिवकर लिग्नाइट भूमि अवाप्ति के फाइनल अवार्ड जारी होने के बावजूद मुआवजा राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

19 विधान सभा क्षेत्र भीम के माइनिंग क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण एवं चौड़ा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

20 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जावर एवं झामर कोटड़ा खनिज क्षेत्रों में विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

21 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में खनिज ढुलाई में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

22 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के सान कोटड़ा, थली, नीमला ग्राम पंचायतों को मार्बल खनिज क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के सान कोटड़ा, थली, नीमला ग्राम पंचायतों में खनिज खानों को सेन्चुरी से निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्बल खनिज की बन्द पड़ी खानों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

25 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्बल खनिज की खानों पर कार्यरत श्रमिकों की कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

26 विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में स्थानीय लोगों को खानों का आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

27 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के झिझार्डी एम.एल. 190/7 एवं 191/7 के स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 7,875 मैट्रिक टन का अवैध खनन कर उसका निर्गमन किया। उसकी राशि 18,16,250 वसूली करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के झिझार्डी एम.एल. नं. 190/7 एवं 191/7 की प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पाली कन्सट टु आपरेट 31.07.2012 को समाप्त होने व वन्यजीव अभयारण की सीमा से 1 किमी. परिधि में है जिसे प्रदूषण मण्डल NOC नहीं दे सकता उसके बावजूद एलोटमेन्ट में हो रहे अवैध खनन को निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम झिझार्डी के पटवार क्षेत्र

कन्टालिया चक नं. 2 के खसरा नं. 2826 में एम.एल. नं. 190/7, 191/7 जो कुल 2 हैक्टर वन्य जीव अभयारण टाडगढ़ रावली की सीमा से लगभग 50 मीटर पर है वन्य जीव अभयारण से बिना NOC लिए अवैध एलोटमेन्ट खान को निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

30 विधान सभा क्षेत्र मावली में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31 विधान सभा क्षेत्र मावली के खनिज क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

32 प्रदेश में खनिज मजदूरों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

33 प्रदेश में खनन कार्यों में लगे खनिज मजदूरों के लिए बीमा पालिसी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टे दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35 प्रदेश में खनिज पर वसूली जाने वाली रायल्टी का तयशुदा हिस्सा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36 अलवर जिले की समस्त वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के स्थानों का सर्वे कराकर अवैध खनन को रोकने की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37 भिवाड़ी, टपूकड़ा अलवर में अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

38 जिला डूंगरपुर में भ्रष्टाचार से सरकार को करोड़ों का नुकसान कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39 जिला डूंगरपुर मुख्यालय पर स्थित खनिज विभाग के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40 जिला डूंगरपुर में स्थित माइन्सों में स्थानीय मजदूरों को मजदूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41 जिला डूंगरपुर में अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42 जिला डूंगरपुर मुख्यालय पर खनिज मण्डी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

43 विधान सभा क्षेत्र अलवर में अवैध खनन को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में सिवायचक, बझड, गैर मु. पहाड़ सिवायचक पहाड़ियों को स्थानीय ग्रामीणों को लीज स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

45 जिला झुंझुनूं में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

46 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अवैध बजरी खनन में लिप्त टैक्ट्ररों की धरपकड़ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के खनिज क्षेत्र में स्किल डवलपमेंट सेन्टर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

49 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्रेनाइट्स की खदानों में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में किसानों के स्वयं मकान निर्माण हेतु बजरी एवं चुनाई पत्थर को रायल्टी मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पिछले 8-10 वर्षों से भू-विज्ञान विभाग द्वारा कराये जा रहे सर्वे एवं खुदाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

52 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नये मेशेनरी स्टोन के खनन पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पहाड़ी एरिया में ग्रेनाइट्स के पत्थर के लिए वन विभाग से NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर खदानें आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

54 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के पंचायत समिति भदेसर में खौडीप, तेजपुरिया की ढाणी व मानजी का गुढा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खनिज सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

55 जिला अलवर में आबादी क्षेत्रों में चल रहे स्टोन क्रेशरों से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

56 जिला अलवर में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

57 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित गांवों में खनन विभाग द्वारा सी.सी. निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के खनन क्षेत्र में रिक्त पड़े माइनिंग इंजीनियर, फोरमेन एवं अन्य रिक्त पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के खनन क्षेत्र में अवैध तरीके से रायल्टी वसूली की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60 प्रदेश में खनन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को सुरक्षा, साधन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61 प्रदेश में खनिज नीति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी हेतु नीति बनाकर खाने आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

62 जालौर जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

63 जिला बाड़मेर के खनिज पदार्थों के दोहन करने पर रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की अधिकांश राशि बाड़मेर जिले के विकास में खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64 बाड़मेर में पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

65 विधान सभा क्षेत्र करौली में खनिज अभियन्ता द्वारा की गई अवैध रूप से खान आबंटन घोटाले की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

66 जोधपुर जिले में अनेक ग्रामों व ढाणियों में खान धारियों व अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करने, सरकार को रायल्टी के रूप में मिलने वाली हर माह की करोड़ों रुपयों की राशि का नुकसान पहुंचाने, खान माफियाओं के पनपने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67 विधान सभा क्षेत्र लूणी के खान क्षेत्र बड़ली 5 दुकान से ब्रह्मशक्ति स्टोर होते हुए बड़ली खानियों तक व बड़ली कालूजी की प्याऊ से वाया नारवा तक डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68 खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कार्यालय जोधपुर में लम्बे समय से एक ही स्थान पर अधिकारियों का पदस्थापन होने, अनेक पद रिक्त होने, अवैध खनन के लिए मिलीभगत होने एवं सरकार को भारी राजस्व की हानि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

69 खनिज क्षेत्रों में काम करने वाले खडवालियों, मजदूरों व अन्य व्यक्तियों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने, उनके हितों की सुरक्षा करने, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

70 जिला जोधपुर में ओवर लोडिंग व लापरवाही से ट्रकों व ट्रबों द्वारा अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने से ग्रामीण सड़कों को भारी क्षति पहुंचने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

71 जिला करौली में हो रहे अवैध खनन में अधिकारियों द्वारा की जा रही मिलीभगत से भारी अवैध खनन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम-खेली, राजोली, कमालपुरा में हो रहे सोप स्टोन के अवैध खनन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम धबाइन धोलेटा में भारी अवैध खनन पर रोकथाम किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

74 प्रदेश में सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा उन्हें आबंटित खनन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण कर खनन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75 प्रदेश में खान आबंटन हेतु पारदर्शी नीति लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76 प्रदेश में खनन विभाग में उच्च स्तर पर हुए घोटाले की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77 प्रदेश में नई खनन नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

78 विधान सभा क्षेत्र नगर में ककराला में जारी खनन पट्टे पर खनन करने के लिए लगी रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

79 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में टीएसपी क्षेत्र के लिए खनिज नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

80 जिला जैसलमेर के स्थानीय लोगों को एवं शिक्षित बेरोजगारों को वरीयता अनुसार खनिज परमिट दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81 जिला जैसलमेर में ग्राम जेठवाई के पीले पत्थर के खनिज के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

82 जैसलमेर में ग्राम पंचायत लखा के खनिज क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था शुरू करवाकर रेड ग्रेनाइट का दोहन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

83 जैसलमेर में लाइम के उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84 जैसलमेर में जिप्सम की पिसाई के लिये मशीन लगाकर प्लास्टर कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) :

85 विधान सभा क्षेत्र तिजारा के शहर भिवाड़ी में बाबा मोहनराम मन्दिर काली खोली पहाड़ पर अवैध खनन को रोकने के लिए शेष सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने एवं अवैध अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

86 विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम उमराई त्रिपुरा सुन्दरी में खनिज खानों में आदिवासियों को खनिज पट्टा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

87 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

88 खनन प्रधान क्षेत्र निम्बाहेड़ा के मण्डला चारण से टाटरमाला-खेडिप तक की क्षतिग्रस्त माइन्स सड़क के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89 खनन प्रधान क्षेत्र निम्बाहेड़ा के माइन्स रोड चौराहे से झालरमाला से बिनोता सड़क को सीमेन्ट कंक्रीट सड़क मय नाला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90 निम्बाहेड़ा खनन क्षेत्र में अनुपयोगी सामग्री (ओवर बर्डन) के डम्पिंग हेतु यार्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी के खनन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को खनिज रायल्टी की राशि का नियमानुसार दो प्रतिशत हिस्सा आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92 निम्बाहेड़ा क्षेत्र के खनिज प्रधान (लाइम स्टोन) क्षेत्र में नई खानें आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

93 जिला अलवर में मार्बल खानों को विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

94 तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम डिगोर में अवैध रूप से खनन कार्य करने से डिगोर बांध को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

95 जिला भरतपुर में अवैध खनन को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96 जिला भरतपुर के वैर एवं बयाना में रायल्टी ठेकेदारों द्वारा गुण्डागर्दी के बल पर अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

97 विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायतों में खनन कार्य की रायल्टी का हिस्सा ग्राम पंचायत को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

98 कोटपूतली क्षेत्र में अवैध बजरी खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99 कोटपूतली क्षेत्र में अवैध खनन को बंद करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

100 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में खनिज पदार्थों की खोज हेतु कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

102 राज्य के खनन श्रमिकों को नियमित वेतन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

103 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़ बास) :

104 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर खनिज विभाग का इकाई कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के अराई ब्लाक में बहुतायत में पाये जाने वाले फैल्सपार, ग्रेनाइट, क्वार्टस एवं माइका आदि खनिजों के लिये एक ''मिनरल पार्क'' औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थापित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106 किशनगढ़ (अजमेर) स्थित अराई क्षेत्र में स्थित खनन क्षेत्रों के गांवों में सुलभ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

107 विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में चेजा पत्थर की खानें आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

108 राजगढ़ तहसील की उप तहसील सिद्धमुख के किसानों को जिप्सम हेतु पट्टा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

109 विधान सभा क्षेत्र कपासन में अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110 प्रदेश में नये खनन एरिया में खनन करने की अनुमति के नियमों का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

111 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज गार्ड आबकारी दल की तरह गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

112 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के कनवास एवं तहसील सांगोद का खनिज अभियन्ता कार्यालय रामगंजमण्डी से हटाकर कोटा में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में अवैध पत्थर खनन को रोकने के लिये खनन क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में काली सिंध नदी एवं पर्वन नदी पर अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

115 विधान सभा क्षेत्र जायल में जिप्सम का पूर्ण दोहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

116 प्रदेश में पैसा एक्ट के आधार पर नयी नीति (S.T./S.C.) क्षेत्रों पर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में खनिज (खान) आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में जन जाति व अनूसूचित जनजाति के लोगों को खान आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119 जिला उदयपुर की नई लीजों पर (बैठाड़) रोक हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

120 विधान सभा क्षेत्र रेवदर के बजरी खनन क्षेत्रों में मनमर्जी रायल्टी वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121 विधान सभा क्षेत्र रेवदर के खनन क्षेत्र में स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता से खान आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122 विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अवैध खनन एवं अवैध खनन परिवहन से सरकार को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

123 विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में खनन लीज धारकों व रायल्टी ठेकेदारों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक रायल्टी वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

124 राज्य में खनन लीजों पर एकाधिकार समाप्त करने के लिए खनिज नीति को सुसंगत बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125 राज्य में बजरी लीजधारकों द्वारा अवैध रूप से निर्धारित दरों से

अधिक राशि वसूलने के आपराधिक कृत्यों पर कार्यवाही करने व रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126 राज्य में चेजा पत्थर लीजधारकों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलने के आपराधिक कृत्यों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

127 जिला सीकर में खनन लीज धारकों द्वारा किये जा रहे अवैध खनन को रूकवाने, जांच कर जुर्माना वसूल करने एवं दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

128 बीकानेर के खनिज उद्योग में मूलभूत ढांचागत विकास के लिए जैसलमेर जिले से गैस पाइप लगाकर गैस उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129 राजस्थान की खनिज नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

130 पूर्व प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार का व्यापक पैमाने पर पर्दाफाश होने के बावजूद उनके द्वारा आबंटित खानों को अब तक निरस्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

131 झुंझुनूं जिले की कांटली नदी के पेटे में वर्षों से गांव बागोली और गांव पापड़ा के निकट बड़े पैमाने पर अनाधिकृत बजरी खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

132 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में लाइम स्टोन पत्थर के लिये भूमि का सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

133 विधान सभा क्षेत्र जोधुपर में खनिज पट्टों पर देय रायल्टी को वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) :

134 प्रदेश में खनिज समस्याओं एवं खनिज पालिसी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

135 जिला बीकानेर में रायल्टी ठेकेदारों के द्वारा बजरी के ट्रक आपरेटरों से की जा रही अधिक वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

136 कोलायत तहसील के सैकड़ों गांवों में खनन क्षेत्र की नान-पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण हेतु खनिज विभाग के द्वारा राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137 कोलायत तहसील के गांव गुड़ा स्थित लिग्नाइट थर्मल प्लांट के पास स्थित लाखों टन क्ले को सरकार द्वारा नीलाम नहीं कर पाने से सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138 जिला बीकानेर की कोलायत तहसील क्षेत्र में हो रहे जिप्सम व बजरी के अवैध खनन को बढ़ावा देने मे लिप्त विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139 कोलायत तहसील के बज्जू क्षेत्र के चक 2MGSM, 5MGM, 8BSD, गांव करणीसर, तंवरवाला, मगनवाला सहित दर्जनों गांवों में जिप्सम के अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) :

140 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम राणावास के पास नदी में से अवैध बजरी खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

141 प्रदेश में नई खनन नीति में गरीब एवं छोटे काश्तकारों की जमीन में एक हैक्टर से कम जमीन में भी खनन लीज स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142 जिन्दल शा लिमिटेड द्वारा पुर (भीलवाड़ा) में जन सुनवाई के दौरान पुर स्थित खेतों में हो रहे नुकसान एवं भीलवाड़ा के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143 भीलवाड़ा स्थित जिन्दल शा लिमिटेड द्वारा नगर परिषद भीलवाड़ा से किये गये इकरार के तहत Rail Over Bridge (ROB) के निर्माण में हो रही देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

144 प्रदेश में स्वीकृत खनन लीज में एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस के बाद भी पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

145 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पत्थर का कार्य करने वाले परिवारों को

चिन्हित कर उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में निकलने वाले पत्थर से होने वाली आय का हिस्सा राशि स्थानीय विकास के लिए खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में होने वाले अवैध खनन कार्य को बन्द कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

148 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में खनन कार्य में लगे मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच करवाकर उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

149 विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में खनिज क्षेत्रों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

150 प्रदेश में अवैध बजरी खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

151 केन्द्र सरकार की खनिज आबंटन नीति एवं प्रदेश की आबंटन नीति पर चर्चा के लिये।

152 खान आबंटन में हो रहे राजस्व नुकसान पर चर्चा के लिए।

153 प्रदेश में खान आबंटन/नीलामी हेतु कन्सलटेंट से रिपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

154 कोटा जिले में खनन विभाग के नाकों व भवनों पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

155 कोटा जिले में नये खनन पट्टे आबंटित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

156 प्रदेश में खान विभाग में बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157 कोटा जिले में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

158 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में खनन हेतु जारी की गई लीज से अधिक भूमि पर हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

159 प्रदेश में बजरी के मूल्य नियंत्रण न होने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी व बजरी का ठेका पंचायत स्तर पर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

160 भरतपुर जिले में बन्द खानों के रवन्ने जारी करने की जांच करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

161 अलवर जिले के अधिकतर क्षेत्रों में अवैध खनन होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा अवैध खनन नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162 विभाग के कार्य में पारदर्शिता नहीं होने व भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163 जयपुर के बस्सी, हर्डी गांव में हो रहे अवैध खनन को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

164 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सावर मार्बल एरिया में सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. **फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) :

165 प्रदेश में खनन क्षेत्र में रायल्टी राशि में पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

166 प्रदेश में नवीन खनिज नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

167 विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में विभाग के ड्राइवर की मासिक बन्धी मांगने की शिकायत पर कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

168 विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में पांछुडाला से NH 8 प्रागपुरा तक खनिज सामग्री ओवरलोड ले जाने से सड़क के टूटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

169 विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में पंच पहाड़ी में विभाग के ड्राइवर एवं परिवारजन द्वारा झूठी शिकायत से बन्द खानों को चालू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

170 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

171 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के खनन क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की खनन विभाग द्वारा मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक (हिण्डौली) :

172 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में उभर मार्बल क्षेत्र को विशेष अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

173 अलवर जिले में चल रहे अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में स्वीकृत पट्टों की बजाय अन्य क्षेत्रों से खनन पर पूर्व में प्रतिबंध एवं जारी पट्टाधारियों को गलत खनन पर पट्टा निरस्तीकरण कर जुर्माना लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अवैध खनन एवं क्रेशरों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अवैध खनन में सहयोग करने वाले विभागीय अधिकारियों की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

177 बीकानेर में अवैध खनन रोकने हेतु सख्त योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

178 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में बजरी खनन की लीज छोटे-छोटे टुकड़ों में देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में बजरी ठेकेदारों के द्वारा अत्यधिक बजरी शुल्क निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में अवैध खनन की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में बजरी के अवैध खनन की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

183 प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184 राजस्थान के खनन क्षेत्रों में माइनिंग वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185 प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186 विधान सभा क्षेत्र कोटा के दक्षिण में विभिन्न सैण्ड स्टोनों एवं कोटा स्टोन की खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस रोग के नियंत्रण हेतु आवश्यक जांच, उपकरण स्थापित करने एवं श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187 राज्य में शिक्षित बेरोजगार व अन्य विभिन्न तबकों के व्यक्तियों को खनन पट्टे उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

188 प्रदेश में मेजर एवं माइनर खान आबंटन की नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

189 प्रदेश में दो खानों के बीच की भूमि जो कि करीबन 40 फीट रहती है उसे खानधारकों को अलाट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

190 प्रदेश में खानधारकों द्वारा लिये जा रहे पर्यावरण शुल्क के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

191 प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192 प्रदेश में नई खानें आबंटन करने की नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

193 MW माइन्स चावण्डिया माडपुरा तहसील खींवसर के गलत तरीके से आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

194 नागौर में जिप्सम की खान खातेदारों को आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

195 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में किसानों को खातेदारी में चूना पत्थर (लाइम स्टोन) की लीज आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196 डेगाना की टंगस्टन माइन्स को चालू कर लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197 प्रदेश में हुए खान घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल दरांगी (झाड़ोल) :

198 विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में बजरी व चुनाई पत्थर से लदे अवैध वाहनों की धरपकड़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

199 विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में बजरी व चुनाई पत्थर से लदे अवैध वाहनों की धरपकड़ की आड़ में खनिज विभाग व पुलिस द्वारा गरीब जनता से अवैध चौथवसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) :

200 विधान सभा क्षेत्र मकराना में मकराना की खानों का अलग से सर्वे कराकर खनिज नीति अलग से बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

201 राजस्थान के बाड़मेर में रिफायनरी एवं पेट्रो केमिकल्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।